छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **द्वितीय सत्र**

गुरुवार, दिनांक 15 फरवरी, 2024

(माघ 26, शक सम्वत् 1945)

[अंक 09]

Webcopy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 15 फरवरी, 2024

(माघ-26, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जलवायु परिवर्तन का पूरा पूरा प्रभाव विपक्ष के ऊपर है। राहुल गांधी फॉर्म भरवा रहे हैं, उसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री गायब हैं।

पुलिसकर्मियों को देय वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं

[गृह]

1. (*क्र 859) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश के पुलिसकर्मियों को किस किस प्रकार के वेतनभत्ते और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? संवर्गवार पृथक-पृथक जानकारी देवें? **(ख)** क्या पुलिसकर्मियों के मूलवेतन, ग्रेड-पे एवं भत्तों में बढ़ोत्तरी का कोई प्रस्ताव लंबित है? यदि हां तो कब तक की जावेगी?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट †**[1] **प्रपत्र "अ"** एवं **"ब"** अनुसार है। **(ख)** जी हां। जानकारी संलग्न प्रपत्र **"स"** अनुसार है।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तोला मैं सादर प्रणाम करथव और मैं उप मुख्यमंत्री मंत्री (गृह विभाग) आदरणीय शर्मा जी से पूछना चाहथव कि महोदय आप यह बताये के कृपा करहू कि प्रदेश के पुलिसकर्मी मन ला किस-किस प्रकार वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं प्रदान करे जाथे। संवर्गवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करायें।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहिनी पूछे हे त एमा बहुत सारा विषय हे। मैं हा एक-एक वइसे आप ला जानकारी उपलब्ध करवाये हन फिर भी ध्यान देबर विषय ला बता देथौं कि आरक्षण से निरीक्षण स्तर तक कार्यपालिक जतका बल हावय माने सी.एफ. हावय कि डी.एफ. हावय, ओला 12 माह में 13 माह के वेतन अइसे दे जाथे। मतलब एक महीना के वेतन चूंकि व्यस्तता ज्यादा रहथे, परिश्रम ज्यादा हावय और ओमा छुट्टी भी थोड़ा कम हे तेखर सेती 13 माह के वेतन ओमन ला दे

[1] † परिशिष्ट "एक"

जाथे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एखर अतिरिक्त कीट के भत्ता हावय तो वो विभिन्न तो ओमा विभिन्न चीज रहथे तो साल में एक बार 8000 रूपये अइसे दे जाथे। हमन प्रदेश में जतका परेशानी हावय, नक्सल के समस्या हावय, तेखर सेती ओ क्षेत्र म जेन मन काम करेला जाथे और ओ क्षेत्र से अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में भी जेन मन हावय विभिन्न संवेदलशील क्षेत्र मन वा, ओमा विभिन्न अलग-अलग प्रकार के भत्ता हावय। तो जइसे अपन बस्तर संभाग के जिला और राजनांदगांव के 9 थाना क्षेत्र ला छोड़के बाकी स्थान म 15 से 20 प्रतिशत जेन संवेदनशील क्षेत्र हे ओमा मूल वेतन के 15 से 20 प्रतिशत तक के भत्ता दे जाथे। अति संवेदनशील क्षेत्र हे तो मूल वेतन के 50 परसेंट हे। संवेदलशील क्षेत्र हे तो मूल वेतन के 15 परसेंट हे और सामान्य क्षेत्र हे तो मूल वेतन के 35 परसेंट अउ सामान्य क्षेत्र हे तो 15 परसेंट हावय। ओमा बस्तर संभाग के जिला मन अउ राजनांदगांव जिला के 9 थाना क्षेत्र जेन ला छोड़े रहन तेनो ओमा सम्मिलित हावय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एखर अतिरिक्त विशेष भत्ता हावय। जेन नक्सल अभियान होवथे तेखर संदर्भ म एस.टी.एफ. वाले जेन हावय तेन ला मूल वेतन के 50 परसेंट दिये जाथे। अइसना हा विशेष आसूचना शाखा हावय, जेन नक्सल ऑपरेशन में लगे हावय तेनो ला मूल वेतन के 50 परसेंट अइसे विशेष भत्ता दे जावथे। विशेष जोखिम भत्ता हावय उहू मूल वेतन के 50 प्रतिशत हावय ओमा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल जी वगैरह-वगैरह मन संग माने मुख्य रूप से दू झन जेखर संग सुरक्षा चलथे, लगातार ओमन ला विभिन्न प्रकार के चुनौती रहथे ओमन ला हावय। एक ठन रिस्पांस भत्ता हावय जेन ला 1000 रूपया से 1200 रूपया तक ए जिला पुलिस बल में जेन पदस्थ आरक्षक निरीक्षक मन हावय, जेन मन फील्ड में काम करथे तेन ला रिस्पांस भत्ता के हिसाब से दे जाथे। गृह भाड़ा भत्ता हावय, तेखर अतिरिक्त अउ भिकट अकन हावय। वइसे आप ला पूरा जानकारी लिखित म हावय कहू तो मैं पढ़ दूहूं और आप कहू तो आगे बढ़ जाहूं।

श्रीमती चातुरी नंद :- का पुलिसकर्मी मन के मूल वेतन, ग्रेड-पे अउ भत्ता में बढ़ोत्तरी करे के कोनो प्रस्ताव लंबित हावय?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ए दूसर जेन आपके प्रश्न हावय, तेखर आधार म मैं हा आप ला एक चीज जरूर बताना चाहथव कि वेतन के बढ़ोत्तरी हा विभाग के अकेला कहीं काम नहीं होये। एहा पूरा सरकार के विषय होथे। सभी विभाग बर बात होथे, परंतु कुछ विशेष भत्ता, विशेष कार्य के आधार पर जो निर्णय होथे तेन मा पुलिस विभाग में एक पौष्टिक आहार भत्ता हावय। एक नि:शुल्क भोजन मद के दर में वृद्धि करे के विषय हावय, प्रशिक्षण के भत्ता हवय, स्मार्ट डिवाइस के भत्ता हवय, चिकित्सा के संबंध में विकल्प चुने के अवसर अगर वो ओ.पी.डी. में जावत हे ओखर बर 200 रूपया महीना, अइसने विषय हवय । ओ.पी.डी; में जात हे तो वो क्लेम कर सकथे अउ नइ तो 200 रूपया महीना । एला खोले बर भी हम बात रखे हन अउ अंतर विभागीय समिति बनाकर विभिन्न भत्ता के पुनरीक्षण के बात भी करे हन । काबर कि एक बात ला ध्यान मा लाना चाहूं कि कई कई साल हो गए

माने 2015 मा राशन भत्ता 2000 के निर्धारण होइस । ओखर बाद 2018 मा सरकार बदल गे त ओखर बाद देखइया नइ रहिन, 9 साल बढ़बे नइ करिस। अइसने 2015 मा ही 2200 रूपए प्रतिमाह स्पेशल टास्क फोर्स ला नक्सल क्षेत्र मा काम करे बर राशन भत्ता रहसि, उहू 2015 के हवय ओखर बाद कुच्छुच नइ होइस । ओखर बाद 2009 में वर्दी धुलाई आदि रहिस हे ओमा कुछु नइ होइस, 2013 मा बस्तर के एक अलग से भत्ता बनिस, ओमा पुनरीक्षण इन होइस । माने विगत वर्ष मा कुछ पुनरीक्षण नइ होए के कारण एमा समग्र रूप से बात तय करे बर हम अंतर्विभागीय समिति के गठन के प्रक्रिया चालू करे हन ।

श्रीमती चातुरी नंद :- अध्यक्ष महोदय, गृहमंत्री जी मोर सवाल के जवाब मा बताए हे कि पुलिस कर्मी मन के बहुत सारा वेतन भत्ता बर प्रयासरत हवय, ये मामला 2015 से चलत हे अइसे माननीय गृहमंत्री जी के द्वारा बताए जात हे, किंतु मोर जानकारी में है कि शासन स्तर पर 1500 रूपए राशन एलाउंस बढ़ाए के फाइल पेंडिंग हे, अइसने कई एलाउंस पेंडिंग हे, जेमन अभी तक पूरा नइ होए हे । पुलिस कर्मी मन के वेतन भत्ता के सवाल मा अइसन जानकारी, कुछ जानकारी छुपाए गे हे। जइसे कि सायकल भत्ता, सायकल भत्ता के जानकारी इहां उपलब्ध नइ कराए गे हे। जबकि पुलिस कर्मी मन ला मात्र 18 रूपया सायकल भत्ता दिए जाथे । आज के जमाना मा ये 18 रूपया का होथे ? पुलिस कर्मी मन ला मात्र 18 रूपया सायकल भत्ता दिये जाथे । का 18 रूपए मा ओमन समंस तामीली बर जा सकत हें ? माननीय महोदय से मोर निवेदन हे कि मोर सवाल के जवाब दें ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कई प्रकार की चीजें हैं, एक उही बात नइ हे । और बड़ा लम्बा समय से सब हवय, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, पौष्टिक आहार भत्ता, वाहन भत्ता 100 रूपया, 2007 मा निर्धारण होए हे फेर पुररीक्षण नइ होए हे । सभी अइसन भत्ता मन के पुनरीक्षण बर अंतर्विभागीय समिति निर्माण बर हमन प्रक्रियारत हवन ओला हम करे हन अउ मैं समझथौं कि शीघ्र ही आप मन ला परिणाम मिलही । जेन जेन विषय अभी पेंडिंग हवय ओखर बात हे तो चिकित्सा भत्ता के संदर्भ मा एक प्रस्ताव हवय, जेन गे हवय, मैं आप ला बताएंव । जब कोई अस्पताल मा भर्ती हो जाथे वो बात अलग हे, अगर एडमीशन नइ होए अउ ओ.पी.डी. मा जाथे तो ओखर क्लेम कर सकथे या 200 रूपया महीना ले सकथे । ओखरो ऑप्शन ला एक बार पुन: खोलकर अवसर दिए जाए ताकि लोगन ऑपशन चुन सकय, पिछली बार रहिस तेमा सात, आठ हजार लोगन ऑपशन मा आए रहिन । अभी फिर एक बार करे बर प्रक्रियाधीन हे । पौष्टिक आहार भत्ता हावय, ओखर भी प्रक्रियाधीन है ओमा छुपाए के कोई बात नइ हे । नि:शुल्क भोजन मद के दर मा वृद्धि करे के बात हे, उहू एक बार प्रक्रिया मा हावय, अभी 70 रूपया हावय, उहू पुनरीक्षण मा रही । मैं सोचथें कि माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार मा ये सब के निर्णय होहै अउ बने निर्णय होहै, उहू मा फरक नइ जावय । प्रशिक्षण भत्ता हे, स्मार्ट डिवाइस भत्ता हे, अइसन 3-4 प्रकरण हे, एके ठन प्रकरण नइ हे भई, 2-3-4 प्रकरण हे ।

श्रीमती चातुरी नंद :- अध्यक्ष महोदय, हमर गृहमंत्री महोदय, बताइस कि पौष्टिक आहार के भत्ता अभी प्रक्रियाधीन है, मैं मानत हौं, किंतु अभी वर्तमान मा हमर पुलिस भाई मन ला मात्र महीना मा 100 रूपया पौष्टिक आहार भत्ता मिलथे । का 100 रूपया मा महीना भर चल सकथे । 100 रूपया मा आज के दिन मा एक दिन के भोजन नइ बन पात हे, पौष्टिक आहार नइ मिल पात हे, साग भाजी के रेट अतना बढ़ गे हावय, आप सब्जी खरीदे जाहौ ता 100 रूपए मा एक दिन के सब्जी नइ आवत हे, महीना भर हमर पुलिस कर्मी भाई मन ला पौष्टिक आहार कइसने मिलही, मैं जानना चाहत हौं । एखर अलावा, आरक्षक से प्रधान आरक्षक भाई मन ला वर्दी धुलाई बर एक महीना में मात्र 60 रूपया दिए जाथे, आज निरमा साबुन के रेट अतका बढ़ गे हे कि 60 रूपया में निरमा नई मिलए तो एक महीना में एखर मन के वर्दी धुलाई के भत्ता कइसे पूरा होही। एखर अलावा, हमर भाई मन ला गृह भत्ता मिलथे, पुलिस विभाग के आरक्षक मन ला जो गृह भत्ता मिलथे, मात्र 1500 रूपया मिलथे, आज के जमाना में जहां 4 हजार, 5 हजार घर के किराया है, वहां 1500 में ये पुलिस भाई मन कइसे किराया में रही सकत हे, एखर मन के गृह भाड़ा भत्ता ला बढ़ाय जाय या फिर ए मन ला आवास उपलब्ध कराया जाए ताकि ए भाई मन हा आसानी से अपन परिवार के साथ रह के काम कर सके। आप सबो जानत हव कि हमर पुलिस विभाग के भाई मन हा 24 घंटा ड्यूटी करत हे और ड्यूटी के आधार पर ओ मन ला न तो वेतन भत्ता मिलत हे और न ही ग्रेड-पे मिलत हे। पिछले समय में हमर माननीय अरूव साव जी और बहुत से हमर सदस्य मन अनुशंसा करे रिहिन हे, मांग रखे रहिन हे कि हमर पुलिस भाई मन के ग्रेड-पे ला 1900 से बढ़ा के 2800 करे जाए और मैं निवेदन करत हंव कि ए मांग के घोषणा आज इही सदन में अगर हो जातिस तो बहुत अच्छा होतिस। काबर की ए मांग ला पिछले समय में अरूण साव जी, धर्मजीत सिंह जी, हमर अध्यक्ष महोदय स्वयं डॉ. रमन सिंह जी और पुन्नूलाल मोहले जी उठाए रिहिस, एखर कॉपी मोर कना उपस्थित हावए। मैं निवेदन करत हौं कि हमर पुलिस भाई मन के ग्रेड-पे ला 1900 से बढ़ा करके 2800 करे जाए के घोषणा आज ही सदन में करे जाए। मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करत हौं, करबद्ध निवेदन करत हौं। एखर अलावा हमर पुलिस भाई मन ला साल में 8 हजार रूपए जो किट भत्ता मिलथे, ओ साल में 8 हजार डायरेक्ट ओखर मन के खाता में जाए, विभाग से ओ मन ला समान खरीद के न दिया जाए, एखर भी मैं निवेदन करत हौं। एक निवेदन और भी हे कि एक ही पद में लगभग 10 से 15 साल तक आरक्षक से प्रधान आरक्षक तक पदस्थ हे, ओखर मन के आज तक पदोन्नति नई होए हे, ओखर मन के पदोन्नति ला भी जल्द से जल्द चालू कराव, एक समय सीमा में चालू हो जाए, ओ मन ला पदोन्नति मिल सकय, अइसने के निवेदन करत हौं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए मंत्री जी।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय के ए चिंता बहुत जायज हे कि वर्दी धुलाई अतका में नई हो सकय, हमू समझत हन, अउ ऐखरे सेती जेन समय ऐखर निर्धारण होए

रिहिस ओ समय पर्याप्त रिहिस, फिर पिछला 5 अक साल मा कुछु होबे नई करिस, कहीं चिंता नई करिन। नई करेन त आज बात ई रिलिवेंट हो गे। ओईसनहा नई होना चाहिए। दूसरा बात पौष्टिक आहार के संबंध में हे, दीदी ए आहार नो हरे, ए हा पौष्टिक आहार ए। लेकिन फिर भी ए कम हे। मैं स्वयं सवीकारत हौं, नहीं वाला बाते नई हे। ओखरे सेती तो मैं पहली ही आप ला बतायेव, एखर लिए अंतर्विभागीय समिति बनाए गे हे, अउ अंतर्विभागीय समिति के माध्यम से ओखर निर्धारण शीघ्र होही, ओहू में फरक नहीं खावए। गृह भाड़ा भत्ता जेन 7th पे कमीशन के स्केल हे, तेखर आधार में गृह भाड़ा भत्ता हावए। ए सब बर हावए। हम कोई एके विभाग बर कर लेन अइसे बात नई हे।

अध्यक्ष महोदय :- इनका प्रश्न बड़ा साफ है। भाड़ा भत्ता हो, पौष्टिक आहार के लिए भत्ता हो या अन्य भाड़ा भत्ता हो। क्या उनको रिवाईज करने की आपके पास कोई कार्ययोजना है ? क्या इनको रिवाईज करेंगे ? यदि 10-10 साल से नहीं बढ़ा है तो निकट भविष्य में ऐसी कोई टीम बनी है, जिसने कोई रिपोर्ट पेश किया हो और आप उस आधार पर इसको बढ़ाने के लिए कुछ इच्छा रखते हैं, उनका प्रश्न मूलत: इसके बारे में है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विभाग के द्वारा इस बात का Initiation किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, पुलिस विभाग, गृह विभाग इन सभी विभागों को मिलाकर एक अंतर्विभागीय समिति का निर्माण हो और उसके माध्यम से इसका पुनरीक्षण हो और उसके बाद इसका निर्धारण हो। हम इसकी प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, यह आगे बढ़ चुके हैं।

श्रीमती चातुरी नन्द :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से एक और प्रश्न है।

श्री विजय शर्मा :- दीदी, आप एक ठीक बात अऊ कहात रहे हव तो कीट भत्ता वाले पइसा हा ओखर मन के खाता में जाथे। ओ खाता में नहीं जाए, अइसे नहीं हे। दीदी हा पदोन्नति के कार्रवाई के संबंध में जो दूसर बात कहात रीहिस हें तो ओमे हर साल कार्रवाई होथे। ओहा एक बार कहे अऊ करे बर वाले विशेष प्रक्रिया नो हरे। आपके अऊ कोई विशेष मांग हे कि ओखर मन के ग्रेड पे अतका हो जाए, तेन हा अकेल्ला एक विभाग के विषय नोहे। ऐहा सभी विभाग के विषय हे तो ओ हिसाब से निर्णय होही।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी, आप प्रश्न पूछिये।

श्रीमती चातुरी नन्द :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

अध्यक्ष महोदय :- आपके प्रश्न को 15 मिनट हो चुके हैं। बाकी सदस्य भी इसी विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्रीमती चातुरी नन्द :- अध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट। माननीय गृहमंत्री महोदय, आप ला अपूर्ण जानकारी उपलब्ध करइया विभाग के अधिकारी के ऊपर का आपके द्वारा कोनो कार्रवाई करे

जाही ? काबर कि मोर जानकारी के हिसाब से आप ला अपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराए गेहे। मोर एक आरक्षक भाई हा आप ला दो शब्द बोले बर कहे हे। अगर अध्यक्ष महोदय के अनुमति हे तो मैं एक मिनट के अऊ समय लीहूं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आप एक मिनट का समय ले लीजिए।

श्रीमती चातुरी नन्द :- मंत्री जी, ए शब्द आप बर हें।

मोर घर चितका-कुरिया, तोर महल अटारी।

तोर घर रोज महफिल अऊ मोर घर सुन्ना दुवारी।।

तहुं भर पेट नहीं खावस, महुं भर पेट नहीं खावव।

तोला अब भूख नहीं लागे अऊ मोर करा जुच्छा थारी हे।।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया। बहुत बढ़िया समापन है। लखेश्वर बघेल जी।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोर दीदी हा पूछे हें तो मैं एक बात जरूर कहना चाह हूं। दीदी, मोरो घर घलो वइसने चितका-कुरिया वाले हे अऊ का हे कि इंहा बड़े जगह दे देहे तो ऊंहा बने ढंग लगहा रहासी तको नहीं आए। ऊंहा तो अइसे हो गे हे कि घानी कस बइला फंदा गे हे। विधता, अइसे कस मोर हाल हे। महतारी, मैं ओ दर्द ला बिल्कुल समझत हो। ओमे कोई विषय नहीं हे। आप जेन विषय के ध्यानाकर्षण करे हो, हमन हर हाल में ओमे आगे बढ़े हन अऊ एमा पक्का काम करबो।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी, आप छोटा प्रश्न पूछिये। बहुत लंबा प्रश्न हो गया है। 16 मिनट हो गये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक लकीर का प्रश्न है। मैंने भी पिछली विधान सभा में पौष्टिक आहार के बारे में प्रश्न पूछा था। मैं आपसे निवेदन यह है कि जब दूसरे प्रदेशों में पौटिक आहार के लिए ज्यादा राशि दी जाती है तो छत्तीसगढ़ में बजट भी है, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और जवानों की स्थिति-परिस्थिति।

अध्यक्ष महोदय :- आप भूमिका को छोड़िये और सीधे अपने प्रश्न में आइये।

श्री धर्मजीत सिंह :- जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आप बजट में विभाग की मांग की चर्चा रखेंगे तो क्या आप उसके पहले एक बार पौष्टिक आहार बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर पर मीटिंग लेकर उसकी घोषणा करेंगे ? ताकि हमारे जवानों को पौष्टिक आहार मिल सके और उन्हें सम्मान से अपने शारीरिक सामर्थ्य को बनाये रखने में मदद मिल सके।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वस्तुत: पौष्टिक आहार के संबंध में है, परंतु देखने में यह आता है कि एक ही नहीं अनेक भत्तों पर चर्चा और पुनरीक्षण आवश्यक है। अत: मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम जो समिति बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़े हैं तो उस

समिति के संपूर्ण पुनरीक्षण के उपरांत उस पर संपूर्ण निर्णय लिये जाएं। जिससे सभी बातों का पुनरीक्षण एक साथ हो सके।

अध्यक्ष महोदय :- कवासी जी, आप एक छोटा सा प्रश्न पूछिये।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय गृहमंत्री जी से इसी प्रश्न में यह जानना चाहता हूं कि बस्तर में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले जवानों के पास बिजली व घर नहीं है और उन्हें किराये पर घर नहीं मिलता है तो इसके लिए क्या वहां पर हर थाने में उनके लिए निवास स्थल बनाने की शासन की कोई योजना है ?

श्री अजय चंद्राकर :- आप बस्तर के पुलिस वालों के पक्ष में कब से बोलने लगे ? क्या आप बस्तर के पुलिस के प्रवक्ता हैं ?

श्री कवासी लखमा :- क्या हम पुलिस वाले नहीं हैं ? क्या आपने ही पुलिस की भर्ती की है ?

श्री अजय चंद्राकर :- आप कहां से पुलिस वाले हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, आप इनको डिस्टर्ब न करें। इनको बोलने दीजिए। आप थोड़ा संक्षिप्त में कहिये।

श्री कवासी लखमा :- आप थोड़ा शांत बैठिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पीने का पानी नहीं मिलता है और मच्छर की समस्या है तो इसलिए वहां पर पुलिस को बस्तर भत्ता मिलता है। राजनीति से संबंधित बड़े लोग 5 साल में ट्रांसफर होकर यहां आ जाते हैं, लेकिन गरीब आदिवासी, सतनामी और पिछले वर्ग के लोग 20-20 साल से वहीं पर हैं तो क्या आप कुछ समय-सीमा में उनका ट्रांसफर करेंगे और क्या उनको बस्तर भत्ता मिलेगा ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इससे रिलिवेंट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- यह उद्भूत नहीं होता । ये अंतिम प्रश्न है, एक ही प्रश्न में 20 मिनट हो गए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे शहर में रहे या जंगल में रहें, खात तो ओतकेच होही, पेट भर खात होही । जेन भत्ता के बात आए हे चाहे नक्सल प्रभावित हो, चाहे चातर राज के रहवैया मन हे, ओमे जरूर एक बार भत्ता में वृद्धि हो जाये । आप कहीं 15 से 20 प्रतिशत, कहीं-कहीं 35-37 प्रतिशत देवथौ, लेकिन बालोद और नांदगांव जिला मन के भत्ता 15 प्रतिशत के आसपास ही हे तो यदि ओकरो मन के भत्ता में वृद्धि हो जाये तो बहुत अच्छा हो जही । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहथौ ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, हो गया । पहली बार जीतकर आईं श्रीमती चातुरी नंद ने जो आज प्रश्न किया, जिस विद्वता के साथ जिन प्रश्नों को उन्होंने उल्लेखित किया, उसके लिए मैं उन्हें बधाई

देना चाहता हूं । इसी प्रकार यदि पहली बार जीतकर आये सदस्य प्रश्नकाल में भाग लेंगे तो निश्चित रूप से इस सदन की मर्यादा भी बढ़ेगी, इस सदन का मान भी बढ़ेगा । बहुत-बहुत बधाई ।

पीएम आवास योजना की स्वीकृति हेतु लंबित आवेदन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

2. (*क्र. 1353) श्री बघेल लखेश्वर : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिनांक 31 दिसंबर, 2023 की स्थिति में बस्तर संभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास स्वीकृति हेतु शेष हितग्राहियों की जिलेवार संख्या बतावें ? **(ख)** बस्तर संभागान्तर्गत विकासखण्डों में ऐसे कितने मकान हैं, जो स्वीकृति उपरांत आबंटन के अभाव में अधूरे हैं ? इनको कब तक आबंटन जारी किया जावेगा ? कृपया बतावें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी **संलग्न "प्रपत्र"** [2] अनुसार है। **(ख)** योजनांतर्गत स्वीकृत आवासों के विरूद्ध पर्याप्त आबंटन प्राप्त है। अतः राशि के अभाव में अधूरे आवासों की संख्या **निरंक** है।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पी.एम. आवास से संबंधित है, पूर्व में भी इस प्रश्न की बहुत चर्चा हुई है । मैं इसमें पूरक प्रश्न करना चाहूंगा । आपने प्रश्न क्रमांक (ख) के उत्तर में जानकारी दी है कि इस आवास आवंटन के विरूद्ध में कोई भी आवास नहीं है, आपने निरंक बताया है । मंत्री जी, विभाग ने आपको गलत जानकारी दी है । हम फील्ड में रहते हैं, कौन सा आवास अधूरा है, वह हमें मालूम रहता है । बहुत से पी.एम. आवास अधूरे हैं, इसको दिखवा लीजिए । मैं पूछना चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री आवास का प्रथम किस्त कितना देते हैं ? नगद राशि और मनरेगा में कितनी-कितनी राशि देते हैं, यह बताने का कष्ट करें?

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न (ख) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि योजनांतर्गत स्वीकृत आवासों के विरूद्ध पर्याप्त आवंटन प्राप्त है । माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था कि बस्तर संभागान्तर्गत विकासखण्डों में ऐसे कितने मकान हैं, जो स्वीकृति उपरांत आवंटन के अभाव में अधूरे हैं । आवंटन के अभाव में अधूरे नहीं हैं । उन आवास का अधूरा रहने के विभिन्न कारण हैं । उनके अधूरे रहने के विभिन्न कारणों में से एक कारण यह है कि वे नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ कोई दूसरी समस्या है, अनेक बातों के कारण वे अधूरे हैं, परन्तु आवंटन के आधार पर कोई आवास अधूरे नहीं हैं । इस योजना में प्रधानमंत्री आवास में केन्द्र सरकार के माध्यम से 60 प्रतिशत और राज्य सरकार के माध्यम से 40 प्रतिशत दिया जाता है। पहला किश्त 60 जो केन्द्र सरकार का होता है, उसका 30

[2] परिशिष्ट "दो"

प्रतिशत दिया जाता है । फिर राज्य सरकार के हिस्से के 40 प्रतिशत में से 20 प्रतिशत दिया जाता है । फिर केन्द्र सरकार का शेष 30 प्रतिशत और फिर राज्य का शेष 20 प्रतिशत दिया जाता है। इस तरीके से हितग्राहियों को 100 प्रतिशत राशि दी जाती है ।

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष जी, मेरे कहने का तात्पर्य है कि उनको प्रथम किश्त कितनी दी जाती है ?

अध्यक्ष महोदय :- उनको प्रथम किश्त कितनी दी जाती है, यह बता दें ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तरह की बातें हैं । पी.एम. जनमन में आप कहेंगे तो 2 लाख रूपए प्रीमिटिव्ह ट्राईब्स है, जो जंगल के क्षेत्र में है तो उनका कुल मूल्य दो लाख रूपए है । उसके आधार पर 60 और 40 प्रतिशत के हिसाब में आप कहेंगे तो राशि अलग आएगी । वैसे प्रथम किस्त के रूप में उनको 25 हजार रूपए दिए जाते हैं और वह पूर्णत: होने पर फिर अगली किस्त उनको जारी किया जाता है ।

श्री लखेश्वर बघेल :- 25 हजार रूपए नगद देते हैं ?

श्री विजय शर्मा :- खाते में देते हैं ।

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आप उनको 25 हजार रूपए देते हैं, इसके पहले मेरी जानकारी के अनुसार 48 हजार रूपए देते थे । वह 25 हजार रूपए में छड़ लेगा, सीमेंट लेगा, मजदूरी देगा, क्या देगा ? वह कैसे बनाएगा । पिछली बार हम उनको 48 हजार रूपए देते थे तो उनको कम से कम 50 हजार रूपए दे दीजिएगा । मेरी जानकारी के अनुसार कुल 1 लाख, 30 हजार रूपए देते हैं और मनरेगा की मजदूरी में पहले 100 प्रतिशत देते थे, अब शायद 95 प्रतिशत देते हैं । उसमें भी 5 प्रतिशत घटा दिया गया है तो 25 हजार में क्या बनेगा, क्या लेगा ? सीमेंट लेगा, रेती लेगा, गिट्टी लेगा । 25 हजार रूपए में क्या आता है ? उनका प्रथम किस्त कम से कम 50 हजार रूपए कर देंगे तो ठीक रहेगा ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छड़, सीमेन्ट के लिए राशि नहीं है। इस राशि से प्लिंथ लेवल का काम करना होता है। यानि नींव खोदा जाता है, प्लिंथ लेवल का काम होना होता है। प्लिंथ लेवल का काम पूरा हो गया तो फिर उनको दूसरी किश्त मिल जायेगी, तब उस राशि से उनको छड., सीमेन्ट लेना होगा। फिर दूसरी किश्त, फिर तीसरी किश्त, इस तरह से बात आगे बढ़ती है। यह राशि प्लिंथ लेवल तक के काम के लिए है।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन ब्लाकों में इसे गलत ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। पहले आप छत लेवल तक उठाईये, इस तरह की बात ना करें। इसकी परिभाषा अलग है, इसके लिए आप स्पष्ट निर्देश देंगे ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और प्रश्न है। मनरेगा मजदूरी कितने वर्ष के आयु तक के लोगों को देते हैं ?

श्री विजय शर्मा :- मनरेगा की मजदूरी ?

श्री लखेश्वर बघेल :- मनरेगा मजदूरी कितने वर्ष तक के आयु के लोगों को देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- यह इस प्रश्न से उद्भुत नहीं होता है।

श्री लखेश्वर बघेल :- इस प्रश्न से उद्भुत होता है। मैंने पूरक प्रश्न आपकी अनुमति से पूछा है। अध्यक्ष महोदय, आप सुनिये न। इसी प्रश्न में है।

अध्यक्ष महोदय :- उम्र का जिक्र कहां है, आप बताईये न ?

श्री लखेश्वर बघेल :- प्रश्न नहीं है। मैं आपकी अनुमति लेकर पूरक प्रश्न पूछा है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न कहां उद्भुत होता है ?

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्न उद्भुत होगा। क्योंकि आप मनरेगा में 59 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों को काम नहीं देते हैं। तो 59 वर्ष की आयु के लोगों को प्रधानमंत्री आवास ...।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आपका प्रश्न ठीक है। मंत्री जी, आप जानकारी उपलब्ध करा दीजियेगा।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जी। मैं आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा।

<u>जिला जांजगीर चांपा में 15 वें वित्त आयोग के तहत आबंटित राशि</u>

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

3. (*क्र. 1046) श्री बालेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर चांपा जिले को वर्ष 2021-22 व 2022-23 में 15 वें वित्त आयोग मद से कितना-कितना आबंटन, वर्षवार प्राप्त हुआ ? **(ख)** कंडिका "क" के वर्षवार आबंटित राशि से ग्राम पंचायतों में सामग्री क्रय हेतु फर्मों को कितना भुगतान किया गया ? **(ग)** कंडिका "ख" के अनुसार क्या क्रय किए गए फर्म /एजेंसियों, सीएसआईडीसी तथा जीडीएसएण्डडी संस्था से पंजीकृत थी ?यदि नहीं, तो कौन-कौन सी संस्था?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :(क) जांजगीर चांपा जिले को वर्ष 2021-22 व 2022-23 में कुल राशि रू. 7235.06 लाख तथा वर्ष 2022-23 में कुल राशि रू.7497.58 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है। **(ख)** कंडिका 'क' के वर्षवार आबंटित राशि से वर्ष 2021-22 में कुल राशि रू.76.56 लाख एवं 2022-23 में राशि रू.11.22 लाख ग्राम पंचायतों ने सामाग्री क्रय हेतु फर्मो को

भुगतान किया गया है। जानकारी **संलग्न** [3] **"प्रपत्र-अ"** अनुसार है। **(ग)** कंडिका 'ख' अनुसार सामग्री क्रय किये गये 40 फर्म/एजेंसियां जो सीएसआईडीसी तथा जीडीएसएण्डडी से पंजीकृत नहीं है, जानकारी **संलग्न "प्रपत्र-ब"** अनुसार है।

श्री बालेश्वर साहू :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मेरा उप मुख्यमंत्री जी से प्रश्न है कि महोदय आप बताने का कष्ट करेंगे कि जांजगीर जिला में 6 विधानसभा क्षेत्र है। मेरा प्रश्न है कि 2021-22 एवं 2022-23 में 15वें वित्त आयोग मद से कितना-कितना आवंटन वर्षवार प्राप्त हुआ ?

अध्यक्ष महोदय :- फिर से एक बार प्रश्न रिपीट कर दीजिये।

श्री बालेश्वर साहू :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर-चाम्पा जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमको 15वें वित्त आयोग के मद से जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत को राशि मिलता है। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 15वें वित्त आयोग मद से कितना-कितना आवंटन वर्षवार राशि प्राप्त हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय :- पहले आप इतना ही पूछ लो, फिर दूसरा प्रश्न पूछना, फिर मौका दूंगा।

श्री बालेश्वर साहू :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कण्डिका 'क' अनुसार वर्षवार आवंटित राशि से ग्राम पंचायतों में सामग्री क्रय करने हेतु फर्मों को कितना भुगतान किया गया है ? कण्डिका 'ख' के अनुसार क्या क्रय किए गए फर्म/एजेंसियों सी.एस.आई.डी.सी. तथा जी.डी.एस.एण्ड डी. संस्था से पंजीकृत थी ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर जिले में कुल वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की ओर से राशि के रूप में गया है। जांजगीर जिले में वर्ष 2021-22 में 72 करोड़ 35 लाख रूपये तथा वर्ष 2022-23 में 74 करोड़ 97 लाख रूपये 15वें वित्त के माध्यम से गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न था कि कण्डिका 'क' के वर्षवार आवंटित राशि ग्राम पंचायतों में सामग्री क्रय हेतु फर्मों को कितना भुगतान किया गया ? तो उसके लिए वर्ष 2021-22 में 72 करोड़ 35 लाख रूपया जिले में गया, उसमें 73 पंचायतों द्वारा सामग्री क्रय की गई और वह राशि 76 लाख रूपये की थी।

श्री बालेश्वर साहू :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर जिले में 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा में 15वें वित्त आयोग की राशि है, मात्र 73 गांवों ने ही खरीदी की होगी, ऐसा संभव नहीं है। मैं इस जानकारी से असंतुष्ट हूं। लीपपोती करके यह जानकारी दी गई है। बमहीनडीह ब्लाक से मेरी श्रीमती वहां की जनपद अध्यक्ष है, बाकी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में नहीं दिया है। मैं जिला स्तर पर

[3] परिशिष्ट "तीन"

जानकारी मांगा हूं। अन्य किसी भी ब्लाक अकलतरा, जांजगीर, चन्द्रपुर, सक्ती, पामगढ़ का कहीं से जानकारी नहीं मिला है। मैं आपकी जानकारी से असंतुष्ट हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये आप असंतुष्ट हैं, लेकिन प्रश्न तो करिये।

श्री बालेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, 7497 लाख आया है, इसमें मात्र 76 लाख की खरीदी और वर्ष 2022-2023 में 11 लाख की खरीदी....।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न ?प्रश्न करिये, बताईये मंत्री जी ।

श्री बालेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, यह शंका के दायरे में आता है ।

अध्यक्ष महोदय :- इनको संतुष्ट करिये ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-2023 का तो 74 करोड़ है । वर्ष 2021-2022 का 72.35 करोड़ और है । एक 72.35 करोड़ है और दूसरा 74.97 करोड़ है । माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021-2022 में 72.35 करोड़ में से सामग्री क्रय की बात की है । अगर निर्माण कार्य कराया गया है तो अलग बात है । सभी पंचायतों को राशि गई है, उसमें जिन पंचायतों ने सामग्री क्रय की है, उनकी संख्या 73 है, उन पंचायतों ने 76 लाख के सामग्री का क्रय किया है । वर्ष 2022-2023 में 74.97 करोड़ रूपया सभी पंचायतों में गया है, परन्तु उसमें से 28 पंचायतों ने 11 लाख रूपये का सामग्री क्रय किया है, बाकी जो निर्माण के लिये है, निर्माण की सामग्री क्रय करना है, वह अलग बात है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप कुछ जानकारी ले लेंगे ?

श्री बालेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, इसमें जो एजेंसी फर्म है, उसके लिये सीएसआईडीसी और डीजीएण्डएसडी से अलग से पंजीकृत रहता है । मुझे लगता है कि वह जिस संस्था से क्रय किया गया है, उस संस्था से फर्म पंजीकृत है ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना कि बिल्कुल सच है कि जिन फर्मों से खरीदी की गई है, उनका रेट कान्ट्रेक्ट सीएसआईडीसी से नहीं था और डीजीएण्डएसडी से रेट कान्ट्रेक्ट नहीं था । माननीय अध्यक्ष महोदय, परन्तु एक विषय है कि पंचायतों के लिये 2013 क्रय नियम जो है, उसकी इसमें अनिवार्यता भी नहीं है । मैं इसके साथ-साथ माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि यह जो क्रय किया गया है, इसमें लोकल फण्ड आडिट आया है और उसने कहा है कि यह प्रक्रिया के अनुरूप नहीं हुआ है, परन्तु इसमें क्रय करने वाले ग्राम पंचायत के सरपंच हैं और सरपंचों ने क्रय किया है तो प्रथमत: यह माना जाना चाहिये कि इन्हें और प्रशिक्षण की आवश्यकता है, अत: विभाग ने इसमें पहले ही यह निर्णय किया है कि इन सरपंचों को और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है और इन्हें प्रशिक्षण दिया जाये । माननीय सदस्य महोदय अगर यह चाहते हैं कि उनके क्षेत्र के 73 ग्राम पंचायतों में धारा 40 लगाई जाये तो वह आज कह दें, उस पर कार्यवाही हो जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय :- यह समस्या ऐसा है, बालेश्वर जी की धर्मपत्नी जनपद की अध्यक्ष है, मगर बालेश्वर को पता नहीं है कि गृह मंत्री जी जिला पंचायत के सदस्य हैं । आप दोनों पंचायती राज से आये हुये लोग हैं, इसलिये इन्होंने जो उपाय बताये हैं उससे आप सहमत हो जायें ।

श्री बालेश्वर साहू :- नहीं सर, मैं किसी पंचायत में धारा 40 लगवाने के या जांच कराने के पक्ष में नहीं हूँ । मेरे कहने का आशय यह है कि या तो क्षेत्र में सरपंच या सचिव इसके माध्यम से परेशान है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप चाहते क्या हो ?

श्री बालेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, इसमें नियम बनाना चाहिये । पंजीकृत कराना है या नहीं कराना है, वह क्लियर रहे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है । आप समझ गये । ठीक है बालेश्वर, ठीक है । वह बता देंगे ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनके बात से भी सहमत हूँ और चूंकि वर्ष 2013 में पंचायतों में क्रय नियम बने हैं, उसके पुनरीक्षण की आवश्यकता है, इस प्रक्रिया को भी विभाग ने प्रारंभ कर लिया है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल ।

<u>खैरागढ़ व राजनांदगांव जिलान्तर्गत प्रसूता महिलाओं के आवेदनों का निराकरण</u>

[श्रम]

4. (*क्र. 1270) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खैरागढ़ व राजनांदगांव जिले में माह - जनवरी, वर्ष 2020 से प्रश्नावधि तक प्रसूता महिलाओं के लिये कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही हैं? क्या संचालित योजनाओं के अंतर्गत अधिसूचना अनुरूप ऑनलाईन पोर्टल में आवेदिका द्वारा आवेदन करने एवं कार्यालय द्वारा आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया एक समान है? यदि हां, तो किये गये आवेदनों एवं निराकरण किये गये प्रकरणों की जानकारी देवें? **(ख)** क्या उपरोक्त योजना अंतर्गत श्रम निरीक्षकों द्वारा हितग्राहियों से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है?, यदि हां, तो प्रश्नांश 'क' अवधि में प्राप्त किये गये प्रतिवेदनों की जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांश 'क' के जिलों में लाभांवित प्रसूता महिलाओं की जानकारी वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) श्रम विभाग के अधीन संचालित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत प्रसूता महिलाओं के लिए

"मिनीमाता महतारी जतन योजना" तथा असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल अंतर्गत प्रसूता महिलाओं के लिए 03 योजनाएं क्रमशः "असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना", "सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना" एवं "महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना" संचालित है।उक्त योजनाएं खैरागढ-छुईखदान-गंडई व राजनांदगांव जिले में भी प्रभावशील है।जी हाँ, अधिसूचना अनुरूप श्रम विभागीय ऑनलाईन पोर्टल में आवेदिका द्वारा आवेदन करने पर आवेदन का निराकरण पोर्टल में ही सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाता है। उक्त योजना अंतर्गत किये गये आवेदन एवं निराकरण किये गये प्रकरणों की योजनावार मंडलवार जानकारी **संलग्न [4]प्रपत्र-'अ'** अनुसार है। **(ख)** उक्त योजना अंतर्गत श्रम निरीक्षकों द्वारा हितग्राहियों से कोई जांच प्रतिवेदन नही लिया जाता है। अपितु हितग्राहियों से ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेजों की वैधता की जांच श्रम निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। **(ग)** प्रश्नांश 'क'के जिलों में लाभांवित प्रसूता महिलाओं की मंडलवार वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र -'ब'** अनुसार है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आपको प्रणाम करती हूँ । अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय जी से है, उन्होंने अपने सवाल का यहां पर जवाब दिया है, इसमें तीन योजनाओं की बात कही है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बहुत लम्बे-लम्बे प्रश्न करती हो । अभी छोटे-छोटे प्रश्न किया करो । आप स्पेसिफिक क्या चाहते हैं, वह प्रश्न कर दीजिए ?

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, जो मैं चाह रही हूँ, वह मैं आपको बता रही हूँ । पहला क्वेश्चन यह है कि असंगठित योजना से पूरे राज्य भर में लंबित आवेदन का निराकरण कब तक होगा ? यह बता दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार समय कम पड़ गया था, मैं मंत्री बनने के बाद पहली बार खड़ा हुआ था और आज मुझे बोलने का अवसर मिला है। माननीय सदस्या ने पूछा है कि लंबित आवेदन का निराकण कब तक होगा। कांग्रेस सरकार के समय इस योजना में बजट नहीं दिया गया था, जिसके कारण यह लंबित है। अभी हमारा बजट प्रस्तुत हो गया है और हमको बजट मिलते ही हम जल्द से जल्द उसका निराकरण करके सबको उसका लाभ दे देंगे।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, इसमें यह भी प्रश्न है और मैं यह जानना चाहती हूं कि आपने इसमें कुल कितनी राशि देने का बजट में प्रावधान रखा है। आपने अपने उत्तर में बताया है कि इसमें महिलाओं के लिये जो तीन योजनाएं हैं, वह लंबित है। इसमें सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता

[4] परिशिष्ट "चार"

योजना, महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना। आपने कहा है कि यह योजनाएं संचालित हैं। इसमें हितग्राही महिलाओं को कितनी राशि दी जाती है ? यह महीने में कितनी राशि मिलती है और इनको प्रति माह राशि मिल रही है या नहीं ? आपने कहा है कि पिछले वर्ष इनको राशि नहीं मिली है परंतु पिछले वर्ष भी इनको राशि दी गयी थी परंतु कुछ महीनों की राशि अभी तक रूकी हुई है, उसकी जानकारी दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बताईये।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रसूता महिला को हर महीने राशि नहीं दी जाती। जब उनका बच्चा होता है तो उनको 20 हजार रूपये सहायता राशि दी जाती है और इस बार हम लोगों को भरपूर बजट मिल गया है। हम जल्द से जल्द इसका निराकरण कर देंगे।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रसूता की नहीं, श्रमिक महिलाओं की बात कही है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप कह दीजिये कि जानकारी उपलब्ध करवा देंगे।

श्री लखन लाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, ठीक है। इनको पूरी जानकारी दे देंगे।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- मंत्री जी, आपने इसमें यह नहीं बताया।

अध्यक्ष महोदय :- हां आप प्रश्न पूछिये।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि आपके बजट में है। क्या आप यहां पर यह घोषणा करेंगे कि आप लोगों के द्वारा प्रसूता श्रमिक महिलाओं को कितनी राशि दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी बोल रहे हैं कि जानकारी उपलब्ध करवा देंगे।

श्री लखन लाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, उनको 20 हजार रूपये देने का नियम है। हम उनको 15 हजार रूपये दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। बढ़िया है। श्री रोहित साहू।

<u>राजिम विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गौण खनिज मद से प्राप्त राजस्व</u>

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

5. (*क्र 1142) श्री रोहित साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (पंचायत) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजिम विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन खदानों से गौण खनिज मद में कितना राजस्व जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2023 तक प्राप्त हुआ ? कृपया पंचायतवार जानकारी देवें ?

(ख) उक्त अवधि में जिन-जिन पंचायतों से गौण खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है, उन्हें गौण खनिज मद से कितनी-कितनी राशि निर्माण कार्यों के लिये आवंटित की गयी है ?

उप मुख्यमंत्री (पंचायत) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी संलग्न **"प्रपत्र-अ"** अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न **"प्रपत्र-ब"** अनुसार है।

श्री रोहित साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा माननीय मंत्री महोदय जी से यह प्रश्न किया गया था कि राजिम विधान सभा क्षेत्रांतर्गत जनवरी 2020 से दिसंबर 2023 तक गौण खनिज मद से कितने राजस्व की प्राप्ति हुई थी। यह जानकारी चाही गई थी। जिसके उत्तर में यह बताया गया है कि उक्त अवधि में गौण खनिज मद से कोई भी राजस्व प्राप्त नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा और यह मेरी जानकारी में है।

अध्यक्ष महोदय :- आप जानकारी मत दीजिये। आप प्रश्न करिये।

श्री रोहित साहू :- अध्यक्ष महोदय, इसमें निरंक बताया गया है। मैं वही जानकारी बताना चाह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये कि आप मंत्री जी से क्या चाहते हैं।

श्री रोहित साहू :- अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय मंत्री जी बतायें।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, इसमें जानकारी निरंक नहीं दी गई है। मेरा खयाल है कि आपके पास भी जानकारी पहुंची होगी। इसमें 31 पंचायतों से 02 करोड़ 97 लाख रूपये प्राप्त हुआ है और प्रांरभ में उत्तर में निरंक दिया गया था परंतु बाद में माननीय सदस्य को संशोधित जानकारी दी गई है। उसमें 31 पंचायतों से 02 करोड़ 97 लाख रूपये राशि प्राप्त हुई है और उसको बाद में पंचायतों को वापस भी दी जानी होती है। जिस पंचायत से जो राशि प्राप्त होती है, लगभग वही राशि उन पंचायतों को वापस मिल जाती है। यह पूर्णत: प्रमाण-पत्र के आधार पर होता है। वर्तमान में 08 ग्राम पंचायतों को राशि दी गई।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्रश्न करिये।

श्री रोहित साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो जानकारी आयी थी, उसमें निरंक बताया गया है। मैं वहीं बोलना चाह रहा था कि उस समय रेत का जो अवैध काम चल रहा था। मेरे विधान सभा के बहुत सारे क्षेत्र में जैसे तर्रा, कोपरा, हथखोज, पोखरा, सरकड़ा, पितईबंद, कुटेना, पसौद, कोतोवतर, बारूका, उक्त स्थानों में रेत का अवैध कारोबार चला है। जिससे राजस्व की हानि हुई है। माननीय मंत्री जी, मैं आपको यही जानकारी बताना चाहूंगा कि उस समय जो रेत खदान का काम चला है, उसमें कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है। मैं यही जानकारी चाहता हूं।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मुझे पंचायतों के संदर्भ में जानकारी का अध्ययन है। पंचायतों के संदर्भ में है कि विभाग के माध्यम से गौण खनिज के रूप में जिला पंचायतों में मद एकत्रित होता है । मेरे पास उसकी जानकारी है और प्रश्न भी उसी का है । अब कितने माईनिंग के एरिया हैं और कितनी माईनिंग होकर राशि आयी है। यह जानकारी अन्य विभागों से प्राप्त करना होगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप माननीय सदस्य को पूरी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। आपको और कोई प्रश्न पूछना है?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। यह दरअसल ये खनिज विभाग का विषय है।

श्री रोहित साहू :- माननीय मंत्री जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) हेतु बजट प्रावधान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

6. (*क्र. 1155) श्री धरमलाल कौशिक : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** प्रदेश में नवम्बर, 2023 तक कितने ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है तथा कुल कितने स्थापित हुये हैं व कितने पार्क स्थापित किया जाना शेष है? वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कुल कितना बजट का प्रावधान/स्वीकृत किया गया है? कितना भुगतान किया गया है व कितना भुगतान किया जाना शेष है? **(ख)** कंडिका "क" अनुसार अवधि में औद्योगिक पार्को में क्या-क्या उपकरण, मशीन एवं अन्य सामग्री किन नियमों के तहत क्रय की गई है एवं कुल कितनी राशि की सामग्री क्रय की गई है एवं कितना-कितना अनुदान प्रदाय किया गया है? **(ग)** कंडिका "क" अनुसार अवधि में क्या-क्या उत्पादन, किन-किन पार्क में,कितना किया गया है तथा विपणन किस प्रकार से किया जा रहा है व कितनी मात्रा एवं राशि की उत्पादित सामग्री विक्रय की गई व कितनी राशि का शेष है? **(घ)** रीपा केन्द्रों हेतु विजन डाक्यूमेंट बनाने, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने व सर्वे इत्यादि के कार्य किन-किन संस्थाओं के द्वारा किए गए हैं और उनका चयन किस प्रकार किया गया है और कितना भुगतान किया गया है तथा कितना भुगतान किया जाना शेष है?

उप मुख्यमंत्री (श्री विजय शर्मा) : **(क)** प्रदेश में नवम्बर 2023 तक कुल 300 रीपा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था और 300 रीपा स्थापित किये गये हैं। कोई पार्क स्थापित किया जाना शेष नहीं है। वर्ष 2022-23 में 44175.39 लाख रूपये का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें राशि रू. 26001.70 लाख का भुगतान किया गया है। 13503.46 लाख रू. का भुगतान किया जाना शेष है। वर्ष 2023-24 में 22718.60 लाख रू. का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें राशि रू. 17505.19 लाख का भुगतान किया गया है। 11001.17 लाख रू. का भुगतान किया जाना शेष है। **(ख)** जानकारी **"पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ग)** जानकारी **"पुस्कालय में रखे प्रपत्र-"ब"** अनुसार है। **(घ)** जानकारी **"पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"स"** अनुसार है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) का मामला है और इसके मंत्री जी ने जवाब में यह बताया है कि कुल 300 रीपा स्थापित करने का

लक्ष्य रखा गया था और 300 रीपा बनाये गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि इसमें एक रीपा केन्द्र के लिए कितनी राशि इंवेस्ट की गई है और उसमें किस मद से राशि से राशि दी गई है?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में नवम्बर 2023 तक कुल 300 रीपा बनाया जाना था और उतना बनाया गया है। वहां अलग-अलग स्थानों पर आवश्यकता के अनुरूप, जिसमें उपकरण क्रय है उसका प्रोजेक्ट बनाना है, वहां काम शुरू करवाना है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है ऐसे अलग-अलग मदों के कारण हर स्थान पर एक जैसी राशि नहीं है। वह अलग-अलग राशि है, माननीय सदस्य को जिसकी पूरी सूचना, जानकारी प्रपत्र के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। इसमें प्रदेश में नवम्बर, 2023 तक कुल 300 रीपा स्थापित किये गये हैं और इसमें जो कुल राशि है, वह मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 में 44175.39 लाख रूपये का बजट स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 260 करोड़ रूपये का भुगतान हुआ है और बाकी शेष है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसमें बजट का पूछ रहा था कि रीपा में किस-किस मद से राशि दी गई है?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें विभिन्न मदों से मतलब डी.एम.एफ. भी है और अन्य जो विभाग हैं जिन्होंने रीपा के माध्यम से काम करना प्रारंभ किया। उनके माध्यम से भी राशि गई है। इसमें एक ही मद नहीं है, अनेक मदों से राशि गई है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ कि रीपा में किस-किस मद से राशि लगायी गई है उसमें लगभग 600 करोड़ रूपये की राशि है। आपने एक प्रश्न के जवाब में दिया है और उस 600 करोड़ रूपये की राशि में ..।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में 441 करोड़ रूपये कहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो इस साल की राशि है। पिछले साल जब यह लागू हुआ तब से मतलब वर्ष 2022-23 से लिखा है उसके पहले जो राशि लगी है वह लगभग 600 करोड़ रूपये है। अब 600 करोड़ रूपये में जो डी.एम.एफ. की जो राशि है इन्होंने उसे कैसे बनाया है मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि इसमें जो भ्रष्टाचार कैसे किया है। परिशिष्ट के पेज क्रमांक 29 में दंतेवाड़ा में भैरममन रीपा, परिशिष्ट के पेज क्रमांक 30 में दंतेवाड़ा में जो भण्डार क्रय नियम का जो पालन किया गया और इस नियम का पालन करने के बाद खरीदी की गई। यह उनके पास में है या पर्ची आ जाएगी । उसमें थोड़ा सा माननीय मंत्री जी बता दें कि उसमें एक पर्टीक्यूलर में कितनी राशि दी गई है ?

अध्यक्ष महोदय :- आप थोड़ा छोटा-छोटा प्रश्न करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दंतेवाड़ा जिला भैरममन रीपा केन्द्र में जो खरीदी की गई है, वह कितनी राशि की खरीदी की गई है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी बताईये ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसे एक बार देखना पड़ेगा। माननीय सदस्य दंतेवाड़ा रीपा केन्द्र की बात कह रहे हैं, वह किस विषय पर कह रहे हैं मुझे यह एक बार देखना पड़ेगा। आप मुझे कृपया चिन्हांकित करवा दें।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देता हूँ। वहां कुल कितनी राशि की सामग्री क्रय की गई। यह सामग्री क्या है पी.ए. मीटर, सील, भौतिक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, लॉमिना, प्रवाह कक्ष, अनुसंधान, माइक्रोस्कोप, रोटरी इत्यादि है, एल्युमिनियमट्रॉली, कार्यालय पेज, घूमने वाली, उसकी ये सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन जो कॉलम दिया गया है कि वहां कितनी राशि में सामग्री क्रय की गई तो कॉलम खाली है । उसको भुगतान कहां से हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ है, उधार में लाये हैं, मैं आपसे यही तो पूछना चाह रहा हूं। मैं आपको 5-7 उदाहरण दे सकता हूं।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य महोदय से कहना चाहता हूं कि जो भी विषय आपके ध्यान में होंगे, आप जरूर बतायें। अगर इसमें डेस है, उसमें कुछ नहीं लिखा है। उसका अर्थ यह है कि जो विभाग की जानकारी है, उस पर भुगतान नहीं हुआ है।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह भुगतान करने का नहीं है, खरीदी का है। रीपा के लिए खरीदी की गई है जो रीपा के लिए खरीदी के जो आइटम दिये गये हैं तो उसमें राशि का वर्णन होगा, राशि दी गई होगी न कि इतनी राशि है या अभी तक उधारी में चल रहा है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार मैं देख करके आपको स्पष्ट कर पाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और उदाहरण बता देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है। आपको जो-जो जानकारी चाहिए, उसको बता दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- दंतेवाड़ा के मैलाबाड़ा रीपा केन्द्र में 90 लाख की खरीदी की गई है। 90 लाख की खरीदी करने के बाद में इनका उत्पादन कितना हुआ, विक्रय कितना हुआ, उसमें बताया गया है कि इनके द्वारा एक नये पैसे का उत्पादित सामान का विक्रय नहीं किया गया है। यह उदाहरण बताने का मतलब यह है कि इसी प्रकार से लीपापोती की गई है। न मंत्री जी, न अधिकारी बताने की स्थिति में हैं। सरपंचों से जबरदस्ती दस्तखत करा लिया। अधिकारियों ने खरीदी कर लिया और अधिकारियों ने खरीदी करने के बाद में वहां मशीन भी नहीं लगाई है। जो मशीन बताई है वह चल भी नहीं रही है।

अध्यक्ष महोदय :- आप चाहते क्या हैं?

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह 600 करोड़ रुपये का मामला है, क्या माननीय मंत्री जी चीफ सेकेटरी की अध्यक्षता में संपूर्ण रीपा के मामले की जांच करायेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बैठिये। अजय चन्द्राकर जी। आखिरी में एक साथ जवाब दे देंगे। आपके प्रश्न का भी जवाब देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, विजन डाक्यूमेंट बनवाया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने एक साल का 441 करोड़ रुपये का उत्तर दिया है, दूसरे साल आपने 222 करोड़ रुपये शामिल किया है। वह 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का होता है। दूसरा इसमें डी.एम.एफ., मनरेगा, एस.बी.एम. और यहां तक रूरबन मिशन के भी पैसे का उपयोग किया गया है। यह पैसा उतना ही होता है, जितना इन्होंने बजट में दिया है, लगभग उससे थोड़ा सा कम है। आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई है, उसमें तो स्पष्ट रहा होगा कि कौन सा कार्य बजट से होगा, मनरेगा से होगा या कौन सा कार्य डी.एम.एफ., रूरल मिशन, एस.बी.एम. से होगा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कौन सा कार्य हुआ है। पहले आप इसका उत्तर दे दीजिए, फिर पूछता हूं।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रीपा के संदर्भ में मैं खुद भी इस दायित्व के बाद अनेक रीपा केन्द्रों पर जाकर देखा हूं। वहां पर जो चीजें समझ में आई हैं, वह यह है कि एक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, उसका उपयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि वह स्ट्रक्चर बन चुका है। उसमें अनेक उपकरणों की बातें हुई हैं, कुछ मिले, कुछ नहीं मिले। वह भी स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय :- इस प्रश्न में मूल प्रश्न यह आ रहा है कि क्या 300 रीपा का कभी भौतिक सत्यापन हुआ है ? इनके प्रश्न की मूल आत्मा यही है। आप इसका हां या नहीं में जवाब दे दीजिए। यदि नहीं हुआ है तो नहीं बोल दीजिए।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं जा करके वस्तुस्थिति को देखा भी है। उसके बाद ही मैं यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि उन केन्द्रों से जो अपेक्षायें थीं, उन केन्द्रों में वर्तमान स्थिति वैसी नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की अपेक्षा पूरी हुई या नहीं हुई, यह हमारा विषय नहीं है।

श्री विजय शर्मा :- पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, फिर आप जो बात कर रहे हैं, कहिये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जिन्होंने प्रश्न पूछा है, उनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, माननीय सदस्य महोदय, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बारी आ गई है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी किसके प्रश्न का उत्तर आ रहा है ?

अध्यक्ष महोदय :- आपका भी प्रश्न है, धरमलाल कौशिक जी का भी प्रश्न है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके प्रश्न का बाद में उत्तर दूंगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी किसके प्रश्न का उत्तर आ रहा है।

श्री विजय शर्मा :- अभी माननीय धरम लाल कौशिक जी ने जो कहा है, मैं उसी के संदर्भ में कह रहा हूं कि जो उनकी चिंता है जाकर देखने की ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी ने पहले मुझको पुकारा था।

श्री विजय शर्मा :- नहीं, आप दोनों का प्रश्न हो गया था।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, दोनों के प्रश्न का मिला-जुला उत्तर दीजिए।

श्री विजय शर्मा :- मैंने दोनों पूरा नहीं किया था।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। वह एक-एक करके जवाब देंगे।

श्री विजय शर्मा :- आप दोनों ने ही प्रश्न किया था, इसलिए मैं कह रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आपको अवसर मिलेगा।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह चिंता बिल्कुल जायज है। इन केन्द्रों का एडवोकेट जनरल के द्वारा ऑडिट होना ही चाहिए। वहां पर भौतिक सत्यापन होना ही चाहिए। सदस्य द्वारा विशेष रूप से चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से टीम बनाकर और भौतिक सत्यापन की बात कही गई है, वह भी बिल्कुल होना चाहिए। मैं समझता हूं कि हम लोग चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से हेडिंग करके जरूर करेंगे।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, मैं आपको दो बताना चाहता हूं। जशपुर में दो करोड़ रूपये का रीपा केन्द्र है। उस प्रोजेक्ट को बनाने में 80 लाख रूपये लगा है। 2 करोड़ रूपये की योजना में 80 लाख रूपये प्रोजेक्ट बनाने के लिये लिया गया है। कोरिया के जनपद पंचायत में 50 लाख रूपये लिया गया है। मतलब मैं कितनी अनियमितता की बात बताऊं? कुल 2 करोड़ रूपये की योजना है, उसमें 80 लाख रूपये प्रोजेक्ट बनाने का पैसा लगा है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी आपसे कहां असहमत हैं? उन्होंने तो बता दिया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बोल दिये हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- इतना बोलने से थोड़ी काम चलेगा।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने बोल दिया है। इससे ज्यादा वह और क्या बोलेंगे?

श्री धरमलाल कौशिक :- 50 लाख का प्रोजेक्ट रिपोर्ट।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि इसका ऑडिट ..।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, आप खड़े हो जाईये।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, 80 लाख का, 50 लाख का प्रोजेक्ट ।

अध्यक्ष महोदय :- आपको हो गया।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, 80 लाख का, 50 लाख का प्रोजेक्ट रिपोर्ट का है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी सबको जवाब दे रहे हैं । आप धैर्य रखिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को ही आगे बढ़ाया था कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आपने कंपनी, एन.जी.ओ. को तय किया था और उसके आधार पर खर्च तय हुए होंगे। उस खर्च में 2 साल का बजट लगभग 600 करोड़ रूपये का है। लगभग उतने ही पैसे अन्य मदों से हुए हैं तो आपने कौन-कौन से पैसे मनरेगा, डी.एम.एफ. या एस.बी.एम. में मद दिया है? कितने पैसे बजट से खर्च से होने थे? दूसरे मदों से कुल आपने कितने पैसा खर्च किया है और बजट से कितने रूपये खर्च किया है? यह क्लब है। इसका उत्तर नहीं आ सकता। इसका जांच ही एकमात्र उपाय है। आपने दो लोगों का उदाहरण दिया। मैं एक उदाहरण बिना देखे बोल देता हूं कि मेरे क्षेत्र में रूर्बन मिशन का पैसा उसमें 1 करोड़ 5 लाख रूपये बिना अनुमोदन लगा दिया गया है। यह तो कहीं का पैसा कहीं लाकर रीपा में घुसा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका मूल विषय जांच का है?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल जांच का विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने बोल दिया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी ने नहीं बोला है। हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि वह इस बारे में बोले या मंत्री जी, आप सीधा कह दीजिए कि ..।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैंन कहा है कि इसमें एडवोकेट जनरल से ऑडिट कराकर चीफ सेक्रेटरी के हेडिंग में समिति बनाकर इसकी जांच करायेंगे। मैंने इससे पहले आपको कहा है।

अध्यक्ष महोदय :- इससे ज्यादा और क्या हो सकता है?

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जांच करा दें, यह नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, हो गया। श्री ब्यास कश्यप।

श्री विजय शर्मा :- मैंने पहले ही कहा है।

अध्यक्ष महोदय :- इससे बड़ी घोषणा नहीं हो सकती।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, आप 6 महीने, 8 महीने में या कुछ समय-सीमा बताईये।

अध्यक्ष महोदय :- इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। एक प्रश्न पूरा हो चुका है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक और प्रश्न है।

श्री कवासी लखमा :- आप लोग कितना परेशान करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जनता ने (व्यवधान) है तो समय-सीमा में आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- बता रहे हैं। ठीक है। आप बैठिये। आप बैठेंगे तभी जवाब देंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय:- मोहले जी, बैठिये तो। एक मिनट। मंत्री जी, इसमें कोई समय-सीमा बताना संभव है?

श्री धर्मजीत सिंह :- साहब, एक मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका आप जवाब दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय:- एक मिनट।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, पहले मुझे अनुमति मिली है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। अच्छा चलिये, बोलिये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय मंत्री जी, जो रीपा में काम स्वीकृति की जाती है ? एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कितनी राशि लागत आती है ? दूसरा, क्या उन कार्यों का टेण्डर हुआ है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। धर्मजीत जी, आप पूछिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, पहली बात तो यह है कि यह आपसे संबंधित मामला ही नहीं है। यह पिछली सरकार से संबंधित मामला है, इसलिए आप टेंशन फ्री होकर जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें अभी तक बहुत सी राशि का भुगतान नहीं हुआ है। उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आगमन के पहले हमारे सरपंचों को दबाव डालकर शुरू करने के लिए उनका पैसा रूका हुआ है। किसी भी दिन कोई सरपंच आत्महत्या कर सकता है। तब आप लोग यह कहेंगे कि आत्महत्या हो रही है। साहब, मैं यह बता रहा हूं। न खाता, न बही । जो मंत्री और अधिकारी बोलें, उस समय वही सही चल रहा था इसलिये इसकी हाईलेवल इंक्वॉयरी करवाईये और सबसे पहले इसकी समय-सीमा हो । क्या आप पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन-जिन सरपंचों को पैसा भुगतान नहीं हुआ है और जो आत्महत्या करने की सोच रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप बोलेंगे तो मैं ग्राम पंचायत के नाम सहित बता दूंगा । किसी भी दिन वे लोग आत्महत्या करेंगे क्योंकि सरकार बदलने के बाद उनके पैसे का भुगतान खतरे में है और सरकार के समय में दबाव में उन्होंने काम किया ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका प्रश्न हो गया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से यह बोलवा दीजिये कि कम से कम सरपंचों का तो भुगतान करवा दीजिये और जांच करवा लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है । पहले जवाब आ जाये ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैंने स्वयं जाकर विभिन्न रीपा केन्द्रों को देखा है । उसके बाद यह निर्णय भी किया है । हमारे वरिष्ठ माननीय धरमलाल कौशिक जी ने जो कहा कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में समिति बनाकर इसकी समीक्षा होनी चाहिए । मैंने उसको भी पहले ही स्वीकारा है कि यह जरूर होनी चाहिए और चूंकि सरकार का इतना इंवेस्टमेंट हो गया है और इसलिये उसको आगे क्या करना है, इसका भी निर्णय करके इस पर आगे बढ़ेंगे । इसके साथ ही साथ यह जांच भी जरूरी है, इसको भी कराना होगा । इसमें दोनों-तीनों तरह के फाईनेंशियल ट्रांजेक्शन का भी और प्रोसेस का भी इन दोनों-तीनों तरह की प्रक्रिया में परेशानी है इसलिये इसका ऑडिट होना भी जरूरी है । मैं आपसे इसमें यही कहना चाहता हूं कि आंकड़े थोड़े से और दुरूस्त करने की जरूरत है । यदि आप यह देखेंगे कि विजन डॉक्यूमेंट में पूरे प्रदेश में कितनी राशि का खर्च हुआ है तो आपको आंकड़े और स्पष्ट हो जायेंगे, अलग मिलेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है । जांच के लिये सहमत हैं । (व्यवधान)

श्री विजय शर्मा :- हम जांच शीघ्रताशीघ्र जरूर संपन्न करेंगे । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी समय-सीमा बता दें । यह प्रदेश का बड़ा करप्शन है । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कोई भी समय बता दें। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कई रीपा में मौके में जो खरीदा गया सामान है वह है ही नहीं । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- मिलेगा ही नहीं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी चलकर दिखा सकता हूं । (व्यवधान) कांग्रेस के साथ ही चले चलते हैं । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरपंचों को पैसा दिलाउंगा यह तो कह दीजिये । सरपंचों का पैसा रूका है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- सरपंचों को पैसा देना बाकी है, सरकार बदल गयी है और इसलिये समय-सीमा में जांच करके सरपंचों को पैसा दें । (व्यवधान)

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की चिंता से बिल्कुल वाकिफ हूं और इसलिये मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि 3 महीने में इसकी जांच फाइनल करेंगे । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- अब समय भी हो गया, जांच भी हो गयी । मुझे लगता है कि आप सभी सहमत होंगे । व्यास कश्यप जी ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इसमें नहीं । बहुत हो गया । इसमें इतने प्रश्न आ गये हैं ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न इसी में लगा हुआ है । पीछे 25 नंबर पर है इसलिये एक मौका दे दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न हो गया और जवाब पूरा आ गया है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पाइंट ऑफ व्यू है । मैं दूसरे पाइंट ऑफ व्यू पर पूछना चाहता हूं, इनका तो हो गया । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें यही जानना चाहता हूं । चूंकि आपने जैसा रीपा में बताया, आपके उत्तर से यह समझ में आ रहा है कि रीपा के प्रोजेक्ट को आप लोग बंद करने के मूड में नहीं हैं, रीपा जैसा चल रहा है वैसा चलना चाहिए । कई जगह यह समस्या आ रही है कि जिन लोगों को एलॉट हुआ कि आप ढ़ाबा चलायेंगे, आप फ्लाईएश ब्रिक्स बनाने का सामान बनायेंगे । उन लोगों को जब से सरकार बदल गयी है तब से यह कहा जा रहा है कि अब आपको एन.ओ.सी. नहीं दी जायेगी । आप लोगों का यह काम नहीं होगा क्योंकि सरकार बदल गयी है, अब बंद कर दिया जायेगा । चूंकि माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह समझ में आया कि यह रीपा को भी बंद करने के उसमें नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये । ठीक है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आप सारे जिलों में यह इंस्ट्रक्शन देंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि कोई एक योजना लेकर सरकार आगे बढ़ती है तो बहुत विशेष यह होता है कि नीयत क्या है और रीपा में इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप हुआ है । व्यवस्थाएं और अच्छी खड़ी होनी चाहिए एवं और अच्छे तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इसलिये मैं बिल्कुल यह बताना चाहता हूं कि बंद होने वाली कोई बात नहीं है लेकिन इसको और पारिष्कृत करके आगे लागू किया जायेगा ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, क्या आप कलेक्टरों को इंस्ट्रक्शन देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- उमेश जी हो गया, उन्होंने बता दिया ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर वहां अलग बात कर रहे हैं । (व्यवधान) इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा यह निवेदन है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने बोल दिया, उसके बाद कलेक्टर क्या करेंगे ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, क्या आप कलेक्टरों को यह आदेशित करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- उमेश जी, मंत्री जी ने बोल दिया ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत उचित प्रश्न है कि कलेक्टर वहां कुछ दूसरी बात कर रहे हैं । माननीय मंत्री जी यहां कुछ और कह रहे हैं तो क्या आप उनको आदेशित करेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से वहां प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ है । जिस तरह से विभिन्न माध्यमों से भ्रष्टाचार दिखता है इसलिये मैं इसमें कहना चाहता हूं कि एक-बार समीक्षा की आवश्यकता है और समीक्षा करने के उपरांत उन जो संसाधनों को जहां सरकार का पैसा लग गया है उसका उपयोग अवश्य किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक, चलिये ।

जांजगीर चांपा जिले में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन

[श्रम]

7. (*क्र. 1502) श्री ब्यास कश्यप : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चांपा जिले में दिनांक 1 अप्रेल, 2021 से 31 दिसंम्बर, 2023 तक असंगठित एवं संगठित क्षेत्र के कितने श्रमिकों का पंजीयन किया गया है ? श्रमिकों का पंजीयन किन-किन माध्यमों से होता है? **(ख)** मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना अंतर्गत जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र के कितने श्रमिकों को लाभ मिला ?लाभान्वित श्रमिकों की वर्षवार संख्यात्मक जानकारी प्रदान करें ? **(ग)** मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना अंतर्गत जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र के लाभान्वित होने वाले श्रमिकों की वर्ष 2021 से 2023 तक की संख्यात्मक जानकारी वर्षवार प्रदान करें ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में 01 अप्रेल, 2021 से 31 दिसम्बर, 2023 तक छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत 4510 निर्माण श्रमिक, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत 23582 असंगठित कर्मकार तथा छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल द्वारा 4090 संगठित श्रमिकों का पंजीयन किया गया है।श्रमिकों के पंजीयन के माध्यम की मंडलवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** [5] अनुसार है। **(ख)** मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा दिनांक 01.03.2023 से संचालित है। योजना संचालन तिथि से वर्ष 2023 तक जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र में 23 निर्माण श्रमिकों को लाभ मिला है। **(ग)** मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना छ0ग0 भवन

[5] परिशिष्ट "पाँच"

एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा दिनांक 31.08.2023 से संचालित है। योजना संचालन तिथि से वर्ष 2023 तक जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र में लाभान्वितों की संख्या निरंक है।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे मैं संतुष्ट हूं लेकिन मेरे कुछ पूरक प्रश्न हैं । उस पूरक प्रश्न में मेरा यह कहना है कि बहन जी ने पूछा था कि महिलाओं को जो भगिनी प्रसूती योजना का लाभ हमारे जिले में 1500 लोगों का पंजीयन हो चुका है उनको दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, बैठ जाईये । प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :
12.00 बजे

सदन को सूचना

प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा मिलन समारोह एवं ब्रह्म भोजन का आयोजन

अध्यक्ष महोदय :- प्रजापिता ब्रह्मकुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा दोपहर 1.00 बजे स्नेह मिलन समारोह एवं ब्रह्म भोजन का आयोजन प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर, विधान सभा मार्ग, सड्डू, रायपुर में किया गया है, जिसका आमंत्रण पत्र माननीय मंत्रिगण एवं सदस्यगण को वितरित किया गया है।

माननीय मंत्रिगण एवं सदस्यों से अपेक्षा है कि वे यथा समय स्नेह मिलन समारोह एवं ब्रह्म भोजन में उपस्थित हों।

समय :
12.00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

बजट अनुमान वर्ष 2023-2024 के संदर्भ में प्रथम एवं द्वितीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार बजट अनुमान वर्ष 2023-2024 के संदर्भ में प्रथम एवं द्वितीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखता हूं।

समय :
12.01 बजे

पृच्छा

श्री धरम लाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंगेली जिला में पथरिया रामबोड़ में कुसुम स्पंज आयरन स्थित है। वहां पर पर्यावरण की अनदेखी की जा रही है। पूरे गांव में, तालाब में, कुएं में और उसके बाद में पूरे गांव की बस्ती में काला-काला धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है और काला-काला पड़ गया है। उसके कारण में लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। चर्म रोग की बीमारी भी आ रही है और इसको लेकर पूरे गांव में आक्रोश की स्थिति है। मैंने इसमें ध्यानाकर्षण दिया है। ध्यानाकर्षण को स्वीकार करें ताकि वे जो गांव वाले प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें बचाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय :- कश्यप जी, बोलिए।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नैला यार्ड में रेलवे के द्वारा माल ढुलाई के स्थान पर कोयला ढुलाई की व्यवस्था की जा रही है जो कि नगर-पालिका सीमा-क्षेत्र के अंतर्गत वह स्थान आता है और धरम भैया ने जो बात कही कि पूरे एरिए पर कोयले का भारी प्रदूषण हो रहा है। अनुच्छेद 21 के तहत् हम सब मानव को स्वास्थ्य के प्रति समान नागरिकता का अधिकार है। कृपा करके उस स्थल को चयन करके अन्यत्र स्थल पर रेक के माध्यम से कोयला ढुलाई करें, जिससे नगरवासी, शहरवासी, चूंकि सड़क भी प्रभावित हो रही है, प्रदूषण से भी परेशानी हो रही है। कृपा करके नैला यार्ड से उसको वहां से समाप्त करने के लिए राज्य शासन कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। उमेश पटेल जी।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों से लगातार जो पंप फीडर है, उसमें कटौती चल रही है। लगभग शाम 5.00 बजे से लेकर 11.00 बजे तक और किसानों ने इसके लिए आवेदन बिजली विभाग को दिया है और इससे उनको बहुत परेशानी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह सूचना विधान सभा में रखना चाहूंगा और सत्ता पक्ष से यह निवेदन करूंगा कि कटौती को अभी रोकें, क्योंकि अभी बहुत परेशानी है और किसानों के धान मढ़ने की स्थिति में भी हो रहा है और उसके साथ-साथ मेंटेनेंस के नाम से भी काफी देरी तक बिजली को बंद कर दिया जा रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, यही निवेदन है कि इसके जल्द से जल्द सुधारा जाये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, दिलीप जी।

श्री दिलीप लहरिया (मस्तूरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, नक्शा बटांकन के मामले में मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र के सभी किसान भाइयों सहित पूरे प्रदेश के किसान भाई परेशान हैं। आपकी सरकार के द्वारा एक-डेढ़ महीने हो गया, ये काम रोक दिया गया है और सिर्फ फोटो लगाने के चक्कर में। फोटो डिजिटल का जमाना है। आप फोटो जल्दी से जारी करिए और मेरा एक और निवेदन है कि फोटो जहां लगायी जा रही है, वहां माननीय सदस्यों की भी एक फोटो हो, जो हर विधान सभा में सभी पक्ष और विपक्ष का हो।

अध्यक्ष महोदय :- रामकुमार जी।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मोर क्षेत्र में एक टुंड्री से सक्ती रोड बनथे, जो हमर विधान सभा अध्यक्ष के सक्ती जिला ला जोडथे, एक ठक गोबरा से जैजेपुर ओमे बीच में मुआवजा के नहीं मिले के कारण ओमा अधिकारी के गलती के कारण ओ रोड बने नहीं हे, जेहा मुख्य मार्ग हे ओमा बड़े-बड़े गाड़ी-घोड़ा भी चलथे। कंपनी के ट्रक मन चलथे। ओला जल्दी-जल्दी बनाये जाये, क्षेत्र के जनता मन बहुत आक्रोशित हे, चूंकि ओला बहुत दिन होगिस ओहा नहीं बन पाथे। मैं आपके माध्यम से ध्यानाकर्षण देथव।

अध्यक्ष महोदय :- भोलाराम जी।

श्री भोलाराम साहू (खुज्जी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के बागनदी स्थित बैरियर में अभी 4 दिन पहले पशु तस्कर ने एक सिपाही जो स्टॉपर लगा रहा था उसको रौंदते हुए निकल गया, स्पॉट पर ही उस सिपाही की मृत्यु हो गई । पशु तस्करों पर रोक लगाई जाए । पुलिस विभाग का कर्मचारी उसमें दुर्घटनाग्रस्त होकर मौत का शिकार हो गया। ऐसी बड़ी-बड़ी घटनाएं खुज्जी विधान सभा और पूरे प्रदेश में हो रही हैं । इस पर रोक लगाई जाए ।

श्रीमती अंबिका मरकाम (सिहावा) :- अध्यक्ष महोदय, सिहावा नगरी से धमतरी आने वाले मार्ग पर महानदी में पुल की स्थिति बहुत जर्जर है और अत्यंत दयनीय स्थिति है, इसलिए उसका निर्माण कराया जाए ।

श्री विक्रम मंडावी (बीजापुर) :- अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में बिजली कटौती से किसान परेशान हैं । बिजली कटौती की समस्या आए दिन बढ़ती जा रही है । तीन-तीन, चार-चार घंटे बिजली कटौती हो रही है और किसान इससे चिंतित है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस पर अपनी बात रखें ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- अध्यक्ष महोदय, अभी भोलाराम साहू जी ने आपको पशुओं की तस्करी के विषय में अवगत कराया, वह आज न्यूज़ में भी आया है । एक गाड़ी रौंदते हुए निकली और यह हमारे खैरागढ़ मोहारा से डोंगरगढ़ होते हुए बागनदी में पकड़ाया । उसके लिए मैं एस.पी. साहब को भी बोल चुकी थी कि वहां चेक पोस्ट होना आवश्यक है क्योंकि डोंगरगढ़ विधान सभा से आगे महाराष्ट्र बॉर्डर पड़ता है । इस घटना को देखते हुए मैं गृहमंत्री जी से निवेदन करती हूं आगे इस पर ध्यान देकर वहां चेकपोस्ट स्थापित करवाएंगे ।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुंडरदेही) :- अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा में गौरैया एक धर्मस्थल है, प्राकृतिक पर्यटन का स्थल है । वहां राईस मिल निर्माण हो रहा है उस पर मैंने पूर्व में भी आपत्ति दर्ज की है । जहां पर मेला भरता है, वहीं पर बन रहा है । पर्यटन की जगह है, लोगों का आना-जाना है अभी माघी पुन्नी मेला में जहां हजारों लोग जाते हैं । जरूर इस बात को ध्यान में रखेंगे और जिसने भी अनुमति दी है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं ।

श्री जनक ध्रुव (बिन्द्रानवागढ़) :- अध्यक्ष महोदय, गरियाबंद जिला के अंतर्गत देवभोग के पास एक बेलाट नाला है जो काफी समय से लंबित है । वहां से गुजरकर 36 गांवों हैं, जहां लगभग 60 हजार लोग निवास करते हैं । उस समस्या के संबंध में लगातार आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है लेकिन पिछले 15 सालों से आज पर्यन्त नहीं बना है । इस पर मैं चाहूंगा कि त्वरित रूप से निर्माण कार्य प्रारंभ हो ।

श्री रिकेश सेन (वैशाली नगर) :- अध्यक्ष महोदय, वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र में फौजी नगर हाऊसिंग बोर्ड है जहां पर 50 हजार से ज्यादा की आबादी है, उस स्थान में अचानक उद्योग विभाग के

द्वारा जमीन आवंटित की जाती है और 3 महीने से लगातार पंडाल लगाकर 20 हजार से ज्यादा लोग आंदालनरत् हैं । उस जिले के कलेक्टर संवेदनशील हैं, इसलिए कोई न्यूसेंस पैदा नहीं हुआ है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा मामला है, वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र से धीरे-धीरे दुर्ग जिले में आग की तरह फैलता जा रहा है । वहां के लोगों को उस उद्योग से जान का खतरा बना हुआ है । मेरा निवेदन है संबधित उद्योग मंत्री जी से कि उसको तत्काल संज्ञान लेकर समाधान कराएं । क्योंकि इस विषय को लेकर सारे लोग विधान सभा की ओर कूच करने वाले हैं, 20 हजार से ज्यादा लोग हैं । मेरा निवेदन है कि उस पर गंभीरता से संज्ञान लिया जाए ।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा (खैरागढ़) :- अध्यक्ष महोदय, खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में छुईखदान ब्लॉक साल्हेवारा है जहां बारिश के दिन में तालाब फूटने से आदिवासियों के 80-85 घर बह गए हैं । उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है । लेकिन वहां तहसीलदार, पटवारी और पूरा प्रशासन लिखकर तो ले गए हैं लेकिन अभी तक उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है, वे लोग मुआवजा की मांग कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग करती हूं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- अध्यक्ष महोदय, कल रायपुर राजधानी में जो 100 गायों के साथ तस्कर पकड़ाया है । केवल तस्करी ही नहीं, 13 गौमाता की हत्या हुई है या मृत्यु, इसका कारण मैं चाहता हूं कि सदन में आए । यह छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सबसे बड़ी घटना है कि 100 गौमाता राजधानी के मुख्य सड़क से गुजर रहे हैं। 13 गौमाता की हत्या हुई है या मृत्यु हुई है, उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इसमें नीति बननी चाहिए, मानव के हत्यारे को जो सजा मिलती है, वही सजा गौमाता के हत्यारे को मिलना चाहिए। इस सदन में कानून बने, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- अध्यक्ष महोदय, दिसंबर माह में हम लोगों के यहां 37 गायों की मृत्यु हुई जिसमें पुलिस की रिपोर्ट में है कि उनको जहर दिया गया और उनको धारदार हथियार से मारा गया, उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ग्राम चंगोरी का मामला है। गांव वाले बहुत आक्रोशित हैं कि उसमें कोई न कोई सख्त कार्रवाई हो, अपराधियों को तत्काल पकड़ने की आवश्यक कार्रवाई हो।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े (सारंगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सारंगढ़ विधान सभा डबल फसल का क्षेत्र है। वहां लैंड की कटौती बहुत ही ज्यादा हो रही है तो इसमें मंत्री जी से निवेदन है कि तत्काल रोक लगाएं, लैंड कटौती न हो।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कबीरधाम जिला में पिछले 5, 6 दिन पहले ओलावृष्टि हुई जिससे चने की फसल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। चने के खेत पूरी

तरह से खराब हो चुके हैं, सर्वे हो रहे हैं, कलेक्टर से बात हुई है, लेकिन उनकी जो मुआवजे की राशि है, वह नहीं मिल पा रहा है। जो सर्वे है, वह प्रापर सिस्टम के थ्रू हो, क्योंकि कई बार पटवारी जाते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं, सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर उनको प्रापर मुआवजा नहीं मिलता। निवेदन है कि सर्वे प्रापर जांच के आधार पर हो और उनको जल्दी मुआवजा मिल सके।

श्री गजेन्द्र यादव (दुर्ग शहर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि यहां के हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल के बच्चे विभिन्न Competition exam दिलाने के लिए अन्य प्रदेशों में जाते हैं। कल सूरजपुर की घटना घटी, एक 9वीं का बच्चा जेईई मेंस में उनका चयन नई होने से वह बच्चा सुसाइड कर लिया। 12वीं के बाद बच्चा बाहर जाए, समझ में आता है। आजकल Competition exam के चक्कर में बच्चे 8वीं, 9वीं, के बाद विभिन्न राज्यों में चले जाते हैं। छोटे-छोटे रूम में 4-4, 5-5 बच्चों को ठूस-ठूक कर रखा जाता है। रात दिन पढ़ाई करते हैं, बिना कोई फिजिकल टेस्ट के मां, बाप से दूर रखकर उन बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। उसमें एक चर्चा होनी चाहिए।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी (भानुप्रतापपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे भानुप्रतापपुर क्षेत्र के चारामा ब्लाक में जो टाहका का पुल है, वह 15 सालों से लंबित है, अभी तक वह पुल नहीं बन पाया है, लोगों को आने जाने में बहुत असुविधा हो रही है। यह मांग जल्दी हो जाती तो बहुत अच्छा होता।

श्री बालेश्वर साहू (जैजेपुर) :- अध्यक्ष महोदय, इस साल जैजेपुर विधान सभा, सक्ती विधान सभा, चंद्रपुर विधान सभा में नहर में पानी नहीं मिल पाया है। किसानों की कर्जमाफी भी नहीं हुई है। 25 से 30 प्रतिशत किसान बोर या कुंए के माध्यम से तालाब के माध्यम से खेती किए हैं। अभी बिजली विभाग द्वारा शाम पांच बजे से 11 बजे तक बिजली कटौती की जा रही है। किसान 11 बजे के बाद रात में खेत में बोर चालू करने के लिए जाता है तो कहीं न कहीं करेंट लगने की भी संभावना है, सांप, बिच्छू कांटने की भी संभावना है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो बिजली कटौती है, उसे शाम 5 बजे से 11 बजे तक किया गया है, उसे घटाया जाए और घटाकर किसानों के हित में बंद किया जाए और नहर में पानी जल्द से जल्द चालू किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- एक ही सूचना काफी है। बाकी कल करेंगे।

श्री प्रबोध मिंज (लुण्ड्रा) :- अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में किसान गन्ने का उत्पादन करते हैं। केरता शक्कर कारखाना खुला हुआ है। लेकिन विगत् 4 वर्षों से गन्ना खरीदी केन्द्र मेरे विधान सभा क्षेत्र रघुनाथपुर में था, जिसको चार वर्ष पूर्व बंद कर दिया गया जिससे लुण्ड्रा, बतौली, सीतापुर, इन क्षेत्रों के जो किसान हैं, जो गन्ना उत्पादन करते थे, आज वे गन्ना को केरता कारखाना तक बेचने में असमर्थ होने के कारण उत्पादन एकदम कम हो जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस गन्ना खरीदी केन्द्र को तत्काल चालू किया जाए ताकि गन्ना के किसान अपना गन्ना बेच सकें।

श्री ललित चंद्राकर (दुर्ग ग्रामीण) :- माननीय अध्यक्ष जी, हमारे दुर्ग जिला में जो भारत माला रोड बन रही है उसमें किसानों के साथ भेदभाव हुआ है। हमारा जो दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र आता है, वहां पर मुआवजा का मामला है, मंत्री जी से निवेदन है कि उसमें किसानों को सही ढंग से मुआवजा मिले।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण सूचना। माननीय सदस्य डॉ. चरणदास महंत जी अपनी सूचना प्रस्तुत करेंगे।

समय :
12.15 बजे

<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

<u>(1) गोमर्डा अभ्यारण्य के अंदर युवा बाघ को करेंट से मार दिया जाना।</u>

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

वन विभाग, सर्वसाधन संपन्न विभाग है, जिसमें 100 से अधिक भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध हैं एवं वन के चप्पे-चप्पे पर वनकर्मी तैनात हैं, फिर भी एक बाघ जिस पर निरंतर ट्रेकिंग के जरिए नजर रखी जा रही थी, अचानक गायब हो जाता है और उसकी मृत्यु की जानकारी तब प्राप्त होती है, जब उसकी लाश सड़-गल चुकी होती है। बाघों के संरक्षण, संवर्धन आदि पर वन विभाग प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च करता है, फिर भी बाघों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है, जिसका जन स्वीकार्य कारण बताने में विभाग असफल रहा है। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर कनिष्ठ कर्मियों तक की घोर लापरवाही के कारण ही गोमर्डा अभ्यारण्य की सीमा में युवा बाघ को माह जनवरी, 2024 में ग्रामीणों के द्वारा मार दिया गया। राज्य में करेंट से बाघ को मारने की यह पहली घटना है। पूरे प्रदेश में अन्य प्रजाति के वन्यजीव तो करेंट से प्रतिदिन मारे ही जा रहे हैं, अवैध रूप से हुकिंग करके कवर विहीन तारों को फैलाकर वन्य जीवों का शिकार निरंतर किया जा रहा है। यह तथ्य वन विभाग के ऊपर से नीचे तक के अमले की जानकारी में भली-भांति होने के बावजूद जानबूझकर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करना निष्ठा को संदिग्ध बनाता है। बाघ वाली घटना से पूरे देश में राज्य की छवि धूमिल हुई है, परंतु राज्य सरकार ने अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। कुछ ग्रामीणों की गिरफ्तारी की गई है, परंतु विभाग साक्ष्य नहीं जुटा पाया। इस अपूरणीय क्षति के कारण वन्यजीव प्रेमियों को गहरा आघात लगा है तथा देश और प्रदेश की जनता में असंतोष एवं रोष व्याप्त है।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि सारंगढ़-बिलाईगढ़ वनमंडल के गोमर्डा अभ्यारण्य में आए बाघ पर निरंतर ट्रैकिंग के जरिए नजर रखी जा रही थी, परंतु इसके बावजूद उक्त घटना घटित होना अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु यह कहना सही नहीं

है कि उक्त बाघ अचानक गायब हो गया था और उसकी मृत्यु की जानकारी तब प्राप्त हुई है, जब उसकी लाश सड़-गल चुकी थी। यह भी कहना सही नहीं है कि गोमर्डा अभ्यारण्य में बाघों के संरक्षण, संवर्धन, विकास आदि पर वन विभाग प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये खर्च करता है फिर भी बाघों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है जिसका जन स्वीकार्य कारण बताने में विभाग असफल हो रहा है।

अपितु सत्य यह है कि वन विभाग द्वारा की गयी सतत् निगरानी, ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग के प्रयास से ही उक्त बाघ की मृत्यु की घटना प्रकाश में आई। यदि वन विभाग के द्वारा सतत् ट्रैकिंग तथा मुखबिर तंत्र को मजबूत नहीं रखा जाता तो संभवत: यह गंभीर मामला प्रकाश में नहीं आ पाता तथा आरोपीगण बिना सजा के स्वतंत्र रहते।

अपितु वास्तविकता यह है कि हाथी व अन्य वन्यप्राणियों को शिकार से बचाने के लिए विभाग द्वारा 9 वनमण्डलों में एन्टी स्नेयर वॉक, स्थानीय लोग/कर्मचारियों/एन.जी.ओ. के द्वारा माह फरवरी व मार्च, 2023 में किया गया। काफी संख्या में अवैध शिकार के फंदों को पकड़ा एवं शिकार की रोकथाम हेतु कर्मचारियों की ट्रेनिंग, जन-जागरूकता एवं वन क्षेत्रों में सुबह एवं शाम एन्टी स्नेयर वॉक आयोजित की गयी। इससे वन्यप्राणियों व हाथियों की सुरक्षा हुई एवं जन-जागरूकता बढ़ी एवं स्टॉफ प्रशिक्षित हुआ। इसी प्रकार माह दिसंबर, 2023 में 10 वनमण्डलों में यह कार्य शुरू किया गया है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ वनमण्डल में इलेक्ट्रोक्यूशन (अवैध विद्युत तार) द्वारा वन्यजीवों की मृत्यु के प्रत्येक प्रकरण में भलीभांति आवश्यक कार्रवाई कर नियमानुसार पकड़े गये आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर मई, 2023 को नवगठित हुए वनमण्डल में कुल 05 प्रकरणों में 26 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में लेकर जेल में दाखिल कराया गया। उक्त बाघ की मृत्यु के प्रकरण में भी मृत्यु के लगभग 10 दिन के अंतर्गत घटना की जानकारी प्रकाश में आने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा बाघ के अंग जैसे दांत, नाखून, हड्डियां तथा खाल को पोस्टमार्टम के दौरान सही सलामत बरामद किया गया । उपरोक्त कार्यवाही वन्य जीवों की अवैध बिजली के तार से अवैध शिकार के प्रकरणों में प्रभावी रोकथाम हेतु वन विभाग की तत्परता, सजगता एवं कर्तव्यपरायणता को प्रदर्शित करता है ।

भविष्य में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने हेतु योजनाबद्ध प्रक्रिया का संचालन वनमण्डल द्वारा किया जा रहा है । इसके अंतर्गत समस्त अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में स्थित विद्युत खम्भों की सर्वे उपरांत नंबरिंग (जी.पी.एस. रीडिंग सहित) किया जाकर प्रतिदिन निर्धारित समय पर अवैध हुकिंग की चेकिंग एवं क्रास चेकिंग कर तत्संबंध में दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त कर उसका संधारण किया जा रहा है ।

वन विभाग द्वारा अवैध शिकार से संबंधित प्रकरणों में रोकथाम की कार्यवाही तथा घटित अवैध घटनाओं में त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार किये जाने के लिए गांवों में समय-समय पर

बैठकें आयोजित कर सतत् प्रयास करने के कारण जनमानस के भीतर वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा तथा उनके बचाव के संबंध में जागरूकता में वृद्धि हो रही है ।

अत: देश और प्रदेश की जनता में असंतोष एवं रोष व्याप्त नहीं है ।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम यह स्वीकार किया है कि बाघ की मृत्यु हुई है, मगर वे यह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि अचानक मृत्यु हो गई और जानकारी नहीं थी । मुझे यह बता दें कि उस बाघ की ट्रेकिंग कब से शुरू हुई, तारीखवार बता दें और कितने तारीख के बाद वह बाघ दिखना बंद हो गया और कितने तारीख को यह पता चला कि वह बाघ मर चुका है ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष जी, नवम्बर के अंतिम समय में यह बाघ आया था और उसके पश्चात् लगभग जनवरी के मध्य में वह बाघ दिखना बंद हुआ । उसकी लगातार ट्रेकिंग हो रही थी और उस ट्रेकिंग के माध्यम से ही 19 तारीख को मुखबिर के माध्यम से यह पता चला कि एक तार में फंसाकर एक बड़े जीव को मारा गया है और उसके बाद विभाग सक्रिय हुआ और सक्रिय होकर उसकी पूरी जांच की गई । जांच करने के बाद जो दोषी थे, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की गई । यह वनमण्डल कोई बाघ का अभ्यारण्य क्षेत्र नहीं है । यह जो बाघ था, वह उड़ीसा से आया था और इसकी जैसे ही जानकारी मिली, वैसे ही जानकारी मिलने के बाद विभाग तत्काल सक्रिय हुआ, लेकिन जो घटना घटित हुई, वह दुर्भाग्यपूर्ण घटित हुआ क्योंकि यह कार्य शिकार करने के लिए किया गया था तो वह बाघ का शिकार करने के लिए नहीं था, बल्कि वहां पर जंगली सुअर एवं खरगोश को पकड़ने के लिए वहां पर तार बिछाकर किया गया था, जहां पर बाघ फंस गया, उसके बाद उसकी मौत हुई ।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विद्वान हैं । मैं बाघ के बारे में पूछ रहा हूं । बाघ उड़ीसा से आया, यह इनको पता चल गया ।

अध्यक्ष महोदय :- इसीलिए वह छत्तीसगढ़ी नहीं समझ पाया ।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह छत्तीसगढ़ी नहीं समझा, मगर छत्तीसगढ़ में कब आया, ट्रेकिंग की बात कब से शुरू हुई ? ट्रेकिंग तो पूरी ईमानदारी से आप एक-एक रास्ते में करते जाते हैं, वन विभाग के लोग बैठे होंगे, वे सुन रहे होंगे, वे जानते होंगे । किस तारीख से बाघ की ट्रेकिंग हुई, किस तारीख को ट्रेकिंग में दिखना बंद हुआ ? मैंने यह जानकारी चाही है । अगर मंत्री जी के पास जानकारी नहीं है तो बाजू वालों से जानकारी बुलवा लें ।

अध्यक्ष महोदय :- तारीखवाईस कब से ट्रेकिंग शुरू हुई, कब समाप्त हो गया और बाघ दिखना कब समाप्त हुआ, पूरी जानकारी उपलब्ध करा दें ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही अपने उत्तर में कहा कि नवम्बर के अंत में छत्तीसगढ़ में उस बाघ का प्रवेश हुआ और उसके पश्चात् लगभग दिसम्बर में हम लोगों ने

लगातार ट्रेकिंग की है । उस ट्रेकिंग में day wise जानकारी चाहिए तो मैं day wise जानकारी बता दूंगा कि वहां पर किस प्रकार से ट्रेकिंग की गई थी, किस तरह से जन-जागरण किया गया ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप आने वाले समय में डे वाइज ट्रेकिंग को नोट करके बतायेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि बाघ दिखना बंद हो गया। उसके बाद आपके विभाग के अधिकारियों ने क्या किया ? उसको खोजना बंद कर दिया, उधर देखना बंद कर दिया या ट्रेकिंग सिस्टम को बंद करके बैठ गये ? ऐसे कौन-कौन अधिकारी थे, जिन्होंने इसमें जानबूझकर पूरी लापरवाही की है ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने इसमें ट्रेकिंग सिस्टम के माध्यम से मुखबिरों को एलर्ट किया। जब बाघ दिखना बंद हुआ तब मुखबिरों के माध्यम से 19 तारीख को यह पता चला कि एक घटना घटित हुई है। उसने भी यह नहीं बताया कि उसमें एक बाघ की मृत्यु हुई है। उसने कहा कि किसी बड़े जीव की मृत्यु हुई है। 19 तारीख को घटना का पता चला तो विभाग वालों ने 23 तारीख तक जांच की और 23 तारीख के बाद यह पता चला कि वह शेर था। उसके पश्चात उसमें जो भी दोषी रहे, आज तक उसमें लगभग 9 दोषियों को पकड़ा गया है। उनके घरों की भी तलाशी ली गई, उनके घरों में कहीं पर कछुएं की छाल थी, कहीं पर पेंगुलिन की छाल थी। इस तरीके से उनके घरों में पाया गया है। तो ये जो शिकार करने वाले लोग हैं, उन्होंने शेर मारने के लिए जाल नही बिछाया था। उन लोगों ने छोटे जीवो को मारने के लिए जाल बिछाया था।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक अनुरोध है। वह शेर नहीं था, बाघ था। शेर गुजरात में मिलता है, जिसके लिए Lion शब्द का उपयोग होता है और यह Tiger है। तो मैं आग्रह करता हूं कि आगे इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें। नहीं तो नस्ल का ही फर्क हो जायेगा।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, यह बाघ था। यह वह वाला बाघ था, जिसका शरीर पीले-पीले रंग का होता है, वही वाला बाघ था। यह आपके विभाग के लोगों को बताईये बाघ और शेर में क्या अंतर है।

श्री धर्मजीत सिंह :- गुजरात वाले को सिंह बोलते हैं और इसको शेर बोलते हैं।

श्री अनुज शर्मा :- नहीं, इसको बाघ कहते हैं।

डॉ. चरण दास महंत :- बाघ और शेर में इधर-उधर मत जाईये।

श्री धर्मजीत सिंह :- पट्टे वाले को Tiger बोलते हैं, Bengal Tiger वही है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। Lion लंबे बाल वाला होता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- बाघ तो गिर में रहते हैं। बड़ा मुन्डी (सिर) वाला होता है।

डॉ. चरण दास महंत :- ठीक है, आपके साथ देखने जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह बाघ अचानक मर गया। इस बाघ को गांव वालों ने नदी के किनारे रेत में डाल दिया, उसमें इन लोगों ने जी भरके नमक भी डाल दिया। उसका पूरा शरीर गल गया। खाल भी नहीं मिला। पता नहीं वन विभाग वाले कहां से खाल निकालकर दिखा रहे हैं। उसका हड्डी और दांत बचा होगा, स्वाभाविक है। किस व्यक्ति ने इस बाघ का पोस्ट मार्टम किया, आपके विभाग वाले को उसका नाम, पता है ? मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। आप तो अभी-अभी आये हैं। मैं विभाग वालों को बोल रहा हूं। विभाग वाले शेड्यूल- 1 के जानवर को शेड्यूल-1 के महत्वपूर्ण विलुप्त होती प्रजाति को किस तरह से घुमा रहा है, विधानसभा में भी घुमाने की कोशिश कर रहा है, हम सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इसमें कुछ मदद करेंगे ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पोस्ट मार्टम किया गया है, पोस्ट मार्टम समिति द्वारा किया गया है। उसमें एन.टी.सी.ए. के प्रतिनिधि सामने थे और इसमें 4 डाक्टरों की समिति बनी थी, उनके द्वारा पोस्ट मार्टम किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी जो कह रहे हैं कि उसको गला दिया गया है, तो मैंने पहले कहा है कि वह शेर पकड़ने वाले नहीं थे। धोखे से उनके जाल में आ गया। उसके बाद उन लोग मामले को दबाने के लिए डर के मारे उसको गड्ढे में डाला और नमक डाल दिया, ताकि वह गल जाये। शेर को दबाने के बाद उसके नाखून, दांत आदि सब की पहचान हो गई और उसको जब्त भी किया गया है।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, दांत तो दांत है। बाल से पहचान हो जाती है कि शेर है या भालू है या कोलिहा है। मैं पहचान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि उस शेर को, बाघ को दबा दिया गया। आपने उस गांव के गरीब-गरीब लोगों को पकड़ लिया, 10 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, उसको अंदर कर दिया गया। एक भी किसी वन विभाग के कर्मचारी, बीट गार्ड, डी.एफ.ओ. के ऊपर कुछ कार्यवाही किया है ? आपने अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, यह बता दें ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इसमें वनपाल के ऊपर कार्यवाही की है, बीट गार्ड को हमने निलंबित किया है और एक को हमने शो-काज नोटिस भी दिये हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

डॉ.चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस पूरे भारत में बाघ के रिजर्वेशन को इतना महत्वपूर्ण समझा जाता है और आप लोग इसके लिये करोड़ों रूपये खर्च करते हैं, आपका वन विभाग इस बारे में इस तरह से निर्दयतापूर्वक व्यवहार कर रहा है, उसकी मुझे चिन्ता है और आपको भी होगी । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे थे कि टाईगर प्रोजेक्ट के लिये कुछ पैसा नहीं है । आपके वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2023-2024 के बजट में 23 करोड़ 73 लाख रूपये का प्रावधान रखा है और अन्य विभाग के प्राणियों के संबंध में जो जानकारी है तो 105 करोड़ की

व्यवस्था है । अध्यक्ष महोदय, 105 करोड़ रूपये क्या खाने के लिये है कि संरक्षण के लिये है ? इसमें वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, बीट गार्ड, फारेस्टर, इन सब लोगों की जवाबदारी बनती है । यह देखें कि कहां-कहां हुक लगा है, किस हुक से हाथी मर रहा है, किस हुक से हिरण का शिकार हो रहा है, किस हुक से कबूतर का शिकार हो रहा है या खरगोश का शिकार हो रहा है, कौन खाने के लिये कर रहा है, कौन बेचने के लिये कर रहा है, इस बात की जानकारी विभाग द्वारा जानबूझकर छिपाई जा रही है । इसमें वन विभाग भी दोषी है, यहां बिजली विभाग भी दोषी है और अन्य लोग भी दोषी हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करिये । प्रश्न ?

डॉ.चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपसे प्रश्न नहीं करता हूँ । मेरा निवेदन यह है कि यह बहुत गंभीर विषय है । आजकल हरेक चीजों पर जांच तो हो ही रही है, इसका भी विधायक दल द्वारा जांच करा दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा । चाहे छै: महीने में आये या तीन महीने में आये ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारे एनटीसीए के माध्यम से जो जांच नीयत है, उसके आधार पर इसकी जांच चल रही है और 60 दिनों तक यह जांच चलेगी । इसमें जो दोषी है, उससे पूछताछ भी किया जायेगा और स्वीकार भी किया है । वह जेल के अंदर भी है । अध्यक्ष महोदय, यह न्यायिक मामला है, इसमें कार्यवाही हो ही रही है । अध्यक्ष महोदय, इसमें किसी प्रकार से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

डॉ.चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, इसमें वाईल्ड लाईफ का जो पी.सी.सी.एफ.है, वह भी दोषी है । वह सीनियर मोस्ट आफिसर है । उससे बड़ा अधिकारी फारेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं है, जांच कौन करेगा ? नीचे वाले डी.एफ.ओ. करेंगे ? यह जांच में आ ही नहीं सकता है । यह छोड़ दिया जायेगा । पी.सी.सी.एफ. का दोष हमारे आपके सामने नहीं आ सकता । मैं इसलिये कह रहा हूँ कि विधायक दल की जांच समिति बनाई जाये और उसमें कराया जाये । अब तो बहुत सारी विधायक दल की जांच हो रही है । इसमें क्या दिक्कत है ?

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह मामला तो बहुत गंभीर है । मरने की घटना तो बहुत बड़ी चीज है, एक भी शेर यदि घायल हो जाये तो दिल्ली तक पूरा हिल जाता है । गोमार्डा मेरे ख्याल से सेंचूरी में हुआ, रिजर्व फारेस्ट है । अचानकमार टाईगर रिजर्व में भी ऐसे ही हो चुका है....।

डॉ.चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 3 टाईगर रिजर्व है । इन्द्रावती बीजापुर में, अचानकमार में मुंगेली और बिलासपुर, गरियाबंद और धमतरी उदन्ती, सीता नदी में है । मंत्री जी कह रहे हैं कि शायद बिहार से आया था...।

अध्यक्ष महोदय :- उड़ीसा ।

डॉ.चरणदास महंत :- उड़ीसा से । मेरी जानकारी में यह है कि गरियाबंद, धमतरी के आसपास घूमते हुये हिरण का शिकार करते हुये गया होगा और उस लालच में फंस गया होगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, शेर कम से कम 200 किलोमीटर का सफर कर लेता है । हमारे अचानक मार में भी कान्हा किसली से और दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में टाईगर रिजर्व फारेस्ट है । भोरमदेव में भी कान्हा का आ जाता है । वहां के बार्डर से आया होगा । प्रश्न आया है, उसको मार दिये, यह हुकिंग का प्राब्लम बहुत पुराना है । अध्यक्ष महोदय, हुक लगाकर मारने में जानवर तो मरते ही है, कई बार मैंने मेरे क्षेत्र में दोनों कटे टांग वाले आदमी को भी देखा है। वहां एक आदमी है जो हूक में फंस गया और उसके दोनों पैर कट गये। एक आदमी का तो एक हाथ और दोनों पैर भी कटे हुए हैं। उस आदमी का एक हाथ और शरीर खटिया में रखा है, आप बोलेंगे तो मैं उसको दिखवा भी दूंगा । क्या आप जरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से दो-तीन चीजों के लिये विचार करेंगे ? एक, आपके फॉरेस्ट क्षेत्र के अंदर से जो वायर निकलता है, क्या उसको केबल सिस्टम में करायेंगे ? ताकि कोई हूकिंग ही न कर सके। दूसरा, वहां आपके रेंजर उपस्थित नहीं रहते हैं। किसी भी जगह पर नहीं रहते हैं। मैं यह आरोप लगाने के लिये नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। वहां रेंजर नहीं रहते हैं। आपके पास पेट्रोलिंग के लिये गाड़ी नहीं है। यह सब कुछ की भी व्यवस्था हो जाये, तो आपके पास फॉरेस्ट के लिये विलेज रोड बनाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। उसके कारण पेट्रोलिंग नहीं हो पाती है और पेट्रोलिंग नहीं होने के कारण तमाम प्रकार के और दुनिया भर के अपराधी और शिकारी लोग यह कार्य करते हैं। कुल मिलाकर शेर मरे या जो भी हो, मरना वह गांव वालों का हो जाता है। वे लोग गांव से किसी को भी उठाकर बंद कर देते हैं। माननीय मंत्री जी, आप अभी मंत्री बने हैं, आप इसकी समीक्षा करिये। वहां पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी नहीं है। क्या डॉक्टर हैं ? आप बताईये तो कानन-पेंडारी में कौन डॉक्टर है ? कानन पेंडारी में तो कई शेर, कई चीते।

अध्यक्ष महोदय :- आपका जंगल के क्षेत्र में और भी कई मामलों में अनुभव है। आप लिखित में सुझाव दे दीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- साहब, मैं वही तो बोल रहा हूं कि वहां डॉक्टर होना चाहिए। वहां पर हूकिंग सिस्टम बंद करने के लिये केबल लगा देना चाहिए। वहां कैम्पा मद से रेंजर लोगों के लिये रहने की व्यवस्था बनाईये।

अध्यक्ष महोदय :- आप लिखित में सुझाव दे दीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप वहां रोड बनवाईये, ठीक से पेट्रोलिंग कराईये तब तो सब ठीक होगा, नहीं तो वहां शेर मरते रहेंगे। आपने शेर के मरने के कारण बेचारे बीट गार्ड को निलंबित किया है। पूरे वन अमले का जो स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे बेबस और लाचार बीट गार्ड होता है। वह एक डण्डे के सहारे

जंगल में जाता है और यह ऊपर वाले जितने लोग हैं, यह सब जिप्सी में जाते हैं, वह भी नई-नई जिप्सी में। उसके पीछे खाने-पीने का टिफिन भी रहता है। आपने बीट गार्ड को क्यों निलंबित किया, उसका क्या दोष है ? उनके ऊपर के अधिकारियों को निलंबित करिये। शेर मरा है, कोई चूहा नहीं मरा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपको इसमें जांच भी करानी चाहिए और किसी बड़े अधिकारी को जिम्मेदार बनाईये। मैं बहुत जानता हूं कि इसके पहले आपकी जो वाइल्ड लाईफ की कमेटी बनती थी, उसमें भी सब सिफारिश से मेंबर बनते थे। वह जो जगल का 'ज' नहीं जानते हैं, आप लोग उसको मेंबर बना देते थे। वह जो जंगल के बारे में जाने, जो समझे, जिससे आदिवासियों का जुड़ाव हो, ऐसे लोगों को मेंबर बनाईये। आप फॉरेस्ट रोड को बनाईये। मैं बोल-बोलकर, चीख-चीखकर पागल हो गया कि आप लोग रोड को बनवाईये तो आप दुनियाभर का नियम कायदा बता देते हैं। हम गेट बनाने की बात करते हैं कि खुड़िया में यहां से इंट्रेंस गेट बनाईये, तो आप ही के अधिकारी लोग दुनिया भर का, पूरा भारत का संविधान लाकर यहां मंत्री से बोलवा दिये थे। वह मंत्री वहीं पर बैठते थे, जहां आप बैठे हैं। यह सब चीज ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धर्मजीत सिंह जी, ठीक है।

श्री धर्मजीत सिंह :- साहब, अचानकमार में शेर जे.सी.बी. में दबकर मर गया, इससे ज्यादा अंधेर और क्या होगा ? आप बताईये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है, उसमें एक यह बात आई थी कि छोटे जानवरों को मारने के लिये वह तार लगाये गये थे। अमूमन यह हर जगह पर हो रहा है कि तार लगाकर छोटे जानवरों को मारा जा रहा है और बड़े जानवर लगभग समाप्ति की ओर है। इसमें ध्यान देना चाहिए और इसमें एक जांच समिति बने। जिसमें जहां-जहां जानवर की प्रजाति ही खत्म कर दी गयी है, उसमें जांच हो और उसमें जो अधिकारी दोषी पाये जाते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय:- आपका प्रश्न नहीं है। मैं आपको बाद में अवसर दूंगा।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं और आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्यमंत्री, श्री बृजमोहन अग्रवाल जी से भी निवेदन कर रहा हूं। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं और आप हर बात पर पूरी तरह से जांच के लिये तैयार रहते हैं। एक बाघ मर गया, उसमें वन विभाग के अधिकारियों ने लापरवाही की, विद्युत विभाग ने लापरवाही की। इस तरह से हमारे यहां शेड्यूल-1 के

जानवर मारे जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कह रहा हूं कि आप विधायक दल से इसकी भी जांच करवा लीजिये। संसदीय कार्यमंत्री जी, आप उनको सुझाव दीजिये कि विधायक दल से जांच कराना उचित होगा और मैं ऐसा मानता हूं कि आपके सुझाव को माननीय मंत्री जी मानेंगे और आपके आदेश में वह घोषणा करेंगे ।

एक मिनट, आखिर इसकी जांच होगी या नहीं होगी, यह तो बता दें। किससे जांच होगी क्या करेंगे इतना तो बता दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी। किस स्तर की जांच होगी बता दीजिये।

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अभी इसमें न्यायिक जांच चल रही है इसलिये इसमें अलग से कोई कमेटी गठित करने की आवश्यकता नहीं है। जांच की जैसी ही पूरी रिपोर्ट आयेगी। उसके बाद फिर मैं उसकी अलग से।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, जांच की रिपोर्ट का इंतजार है। अजय चन्द्राकर जी।

(2) प्रदेश में राजस्व अभिलेख कार्यों को ऑनलाईन किये जाने से हो रही असुविधा

श्री अजय चनद्राकर (कुरूद) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

राजस्व विभाग अंतर्गत होने वाले कार्यों की जटिलता से सभी वाकिफ हैं, जिसमें छोटी सी त्रुटि चाहे वह विभागीय क्यों न हो, उसके सुधार हेतु किसान एवं भू-स्वामी को राजस्व कार्यालयों के साथ-साथ एकाधिक अधिकारियों के पास सालों चक्कर काटना पड़ता है। राजस्व अभिलेखों के ऑनलाइन होने के बाद समस्याएं कम होने के बजाय और भी बढ़ गयी है, जिसके कारण किसान एवं भू-धारक की परेशानियां और भी बढ़ गयी हैं। यदि किसी भूमिस्वामी के राजस्व अभिलेख में खातेदार के नाम या पिता के नाम या जाति आदि में विभाग द्वारा हुई मानवीय या तकनीकी कारण से वर्तनीगत या मात्रात्मक त्रुटि की अवस्था में भू-धारक को उसे सुधरवाने के लिये सिर्फ एसडीएम न्यायालय के पास ही जाना पड़ता है, क्योंकि धरातल स्तर के अधिकारी/कर्मचारी से इसे सुधारने का अधिकार विभाग द्वारा वापस ले लिया गया है, जिसके कारण ग्रामीण अंचल के किसान व भू-धारक अब एसडीएम कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इसकी वजह से किसान व भू-धारक का समय व आर्थिक नुकसान हो रहा है एवं उसे मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ रही है। प्रदेश के अधिकतर किसान व भू-धारक आज इन्हीं समस्याओं से घिरे हुए हैं, जिसके कारण प्रदेश के किसानों व भू-धारकों में काफी रोष व आक्रोश व्याप्त है।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि राजस्व विभाग अंतर्गत जटिलता के कारण छोटी से छोटी त्रुटि या विभागीय चूक होने पर उसके सुधार के लिए किसान एवं भूमिस्वामी को राजस्व कार्यालय या अधिकारी के चक्कर सालों काटने पड़ते हैं। सही तथ्य है

कि विभागीय अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी 2024 के द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सभी राजस्व प्रकरण को शामिल कर लिया गया है, अविवादित प्रकरण के निपटारे के लिए 03 माह की समय-सीमा अधिसूचित की गई है एवं विवादित प्रकरण के निपटारे के लिए 06 माह की समय-सीमा अधिसूचित की गई है।

यह कहना सही नहीं है कि राजस्व अभिलेख ऑनलाईन करने के बाद समस्याएं कम होने की बजाए जटिलता बढ़ गई है या किसान एवं भू-धारक की परेशानियां बढ़ गईं हैं। सही तथ्य है कि राजस्व अभिलेख ऑनलाईन करने के कारण, भुंईयां के ऑनलाईन पोर्टल पर राजस्व अभिलेख का किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी स्थान से ऑनलाईन माध्यम से अवलोकन करने का विकल्प मिल गया है। ऑनलाईन पोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति अपलोड की गई है, इससे कोई भी व्यक्ति भूमि के अभिलेखों की हस्ताक्षरित प्रति ऑनलाईन माध्यम से बिना किसी कार्यालय या अधिकारी के पास पहुंचे, प्राप्त कर सकता है।

यह कहना सही नहीं है कि धरातल स्तर के अधिकारी/कर्मचारी का त्रुटि सुधारने का अधिकार विभाग द्वारा वापस ले लिया गया है जिसके कारण ग्रामीण अंचल के किसान व भू-धारक अब एस.डी.एम. कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हो चुके हैं या आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं। वास्तविक तथ्य यह है कि हल्का पटवारी या राजस्व निरीक्षक को त्रुटि सुधार का अधिकार कभी भी पूर्व में नहीं रहा है। अधिकार के बिना अभिलेखों में फेर-बदल किए जाने से अभिलेखों की शुद्धता पर विपरीत असर पड़ता है। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन दिनांक 4 मई 2022 के पहले, चालू खसरा में हुई गलतियों के सुधार का अधिकार धारा 115 एवं 116 के अंतर्गत तहसीलदार को था। वर्तमान में, धारा 115 के अंतर्गत चालू खसरा के साथ-साथ विभिन्न भू-अभिलेख में गलतियों के सुधार का अधिकार उपखंड अधिकारी को है। नवीन उपखंडों की बड़ी संख्या में गठन के कारण उपखंड अधिकारी के न्यायालय की भौतिक दूरी आम जनता के लिए अधिक नहीं रह गई है। तहसीलदार न्यायालय में नामांतरण, बंटवारा, अतिक्रमण, सीमांकन आदि के प्रकरणों में अत्यधिक संख्या में लंबित संख्या रहती है, इसलिए त्रुटि सुधार के प्रकरणों को उपखंड अधिकारी को दिया जाना प्रकरणों के निराकरण के दृष्टिकोण से उचित है। बिना अधिकार के अभिलेखों में जानबूझकर किए गए त्रुटि करने वाले पटवारी के विरूद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की अधिकारिता होने के कारण भी उपखंड अधिकारी द्वारा ये प्रकरण सुना जाना उचित है। प्रकरणों की सुनवाई में ई-कोर्ट पोर्टल के माध्यम से आगामी पेशी तारीख और किए गए आदेश की सूचना कहीं से भी ऑनलाईन प्राप्त की जा सकती है। बेहतर ऑनलाईन प्रक्रिया एवं समय सीमा के प्रावधान के कारण, त्रुटि सुधार के प्रकरणों के विषय में प्रदेश के किसान व भू-धारक में रोष या आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपखंड अधिकारी से आपका आशय S.D.M. है?

श्री टंक राम वर्मा :- S.D.M. है।

श्री अजय चन्द्राकर :- S.D.M. को उपखंड अधिकारी बोलते हैं। जिन-जिन छोटे-छोटे विषयों को मैंने ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया है, वर्तमान में भू-राजस्व संहिता की धारा 110, 115, 116 में संशोधन के पश्चात तहसीलदार या पटवारी के पास क्या-क्या अधिकार हैं, वह क्या काम करते हैं ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भी यह अधिकार आर.आई. या पटवारी के पास नहीं था, तहसीलदार नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन, त्रुटि सुधार का आदेश करने के बाद करते थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, मैंने यह कहा है कि तीनों धारा में संशोधन के बाद तहसीलदार के पास किसानों के अब क्या काम हैं ? मैंने यह छोटी-छोटी बातें ही उठाई हैं। भू-राजस्व संहिता की धारा 110, 115, 116 में संशोधन के बाद आज की तारीख में तहसीलदार के पास क्या-क्या अधिकार हैं ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके पास काम सभी हैं, लेकिन उनके लिए आदेश S.D.M. से लेना पड़ेगा। कई शिकायत आई कि पटवारियों के द्वारा रिकार्ड में, खसरा नंबर में छेड़छाड़ की गई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह अलग विषय है कि शिकायत आई है। आज की तारीख में किसानों को अपनी छोटी-छोटी समस्या के लिए S.D.M. ऑफिस ही जाना पड़ता है। कितने गरीब किसान हैं जो S.D.M. ऑफिस जायेंगे और S.D.M. के पास इन छोटे कामों के लिए समय नहीं रहता। आप यह चेक करवा लें कि इस तरह के मात्रात्मक त्रुटि सुधार के कितने प्रकरण हैं ? आप उपखंड अधिकारी कह रहे हैं, मैं S.D.M. कार्यालय में कह रहा हूं। यदि संशोधन के बाद इसमें तेजी से सुधार हो रहा है तो पूरे प्रदेश में सब डिवीजन कार्यालय में कितने प्रकरण लंबित होंगे ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नामांतरण, बंटवारा का अधिकार तहसीलदार को है। बस खसरा नंबर में संशोधन का अधिकार उनके पास नहीं है। संशोधन का अधिकार S.D.M. के पास है। उनकी अनुमति के बाद ही संशोधन कर सकते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय महोदय, मैंने आपसे जानना चाहा है कि इस तरह के कितने प्रकरण लंबित हैं, जिसका मैंने उल्लेख किया या संशोधन के बाद आपने S.D.M. को अधिकार दे दिया है तो पूरे प्रदेश में कितने प्रकरण लंबित है या कोई जिला का बता दीजिए कि कितने प्रकरण लंबित हैं ? जब इसमें संशोधन के बाद तेजी से निपटारे हो रहे हैं तो उस संशोधन का क्या फायदा हो रहा है और संशोधन के बाद कितने प्रकरण लंबित है ? आप लंबित प्रकरणों की जानकारी दे दीजिए ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी विगत एक वर्ष में त्रुटि सुधार के निराकरण के प्रकरण 11489 हैं, लंबित प्रकरण 17222 हैं जिसमें से समय-सीमा के भीतर 11766 प्रकरण निराकृत

किये गये हैं। इसका लंबित रहने का कारण यह है कि यह अभी 02 महीने चुनाव के कारण लंबित रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ईमानदारी की बात यह है कि गरीब किसान S.D.M. कार्यालय जा नहीं सकता। उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि 17222 मामले अभी भी लंबित हैं। अभी उसकी समय-सीमा पूछूंगा तो विषय लंबा होगा। मेरा आपसे यह आग्रह है कि क्या आप इन विषयों को फिर से तहसीलदार को देने के लिए विचार करेंगे ? दूसरा पंचायत को भू-राजस्व संहिता के तहत क्या-क्या अधिकार प्राप्त हैं ? जो अधिकार प्राप्त हैं, उसको क्रियान्वयन कौन करना है ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्री के समय क्रेता, विक्रेता दोनों पक्षों को पूछा जाता है कि आप नामांतरण किससे कराना चाहते हैं, तहसील से या ग्राम पंचायत से कराना चाहते हैं ? क्रेता, विक्रेता की सहमति के आधार पर नामांतरण उनके हिसाब से दिया जाता है। यदि वह तहसील में कराना चाहते हैं तो तहसील को या ग्राम पंचायत में कराना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत को दिया जाता है। ग्राम पंचायत को नामांतरण का अधिकार है। अभी बढ़ती हुई जो आवेदन की संख्या है, उसके निराकरण के लिए हमने तीन स्तर पर एक शिविर का आयोजन किया। राजस्व के प्रकरण निपटारे के लिए आई.आई. स्तर पर, तहसील स्तर पर पूरे प्रदेश में एक तारीख में और जिला स्तर पर भी एक शिविर का आयोजन किया गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, इसमें शिविर तो एक तत्कालिक हल है। स्थायी हल उनको अधिकार देना है, यदि आप देना चाहेंगे तो? यह शासन का निर्णय है, पर प्रकरणों की संख्या लगाता बढ़ रही है। मेरा बहुत छोटा-सा प्रश्न है। मैंने आपसे यह पूछा है कि भू-राजस्व संहिता में पंचायती राज को नामांकरण का अधिकार प्राप्त है। नामांतरण की प्रक्रिया को, जैसे दोनों को बुलाकर पूछा तो उसको संपादित कौन करता है? उसकी आई.डी. किसके पास रहती है और आई.डी. किसके पास रहनी चाहिए?

श्री टंक राम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आई.डी. पंचायत में ही रहती है और पंचायत को अधिकार है। अभी आप पूछ रहे हैं कि क्या इनके अधिकार को वापस किया जा सकता है? तो रकबा में छेड़छाड़, केवल रकबा को छोड़कर त्रुटिसुधार, नामांकन, बंटवारा, यह अधिकार तहसीलदार तक दिया जा सकता है।

श्री अजय चन्द्राकर:- नहीं, आप यह स्पष्ट कहिये कि दिया जा सकता है तो अधिकृत हो गया है। हम देंगे कहिये।

श्री टंक राम वर्मा :- तहसीलदार को अधिकार देते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- देने की घोषणा करता हूं, यह कहिए।

श्री टंक राम वर्मा :- रकबा को छोड़कर तहसीलदार को अधिकार देने की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका प्रश्न हो गया।

श्री अजय चन्द्राकर:- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अभी मेरा दो प्रश्न और हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, सिर्फ तहसीलदार का अविवादित नामांतरण का विषय है।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट। आप प्रश्न पूछ लेना। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि पंचायत में जो अविवादित प्रकरण करते हैं, उसका पंचायत को अधिकार प्राप्त है। लेकिन उसकी आई.डी. सचिव के पास रहती है। सचिव तो राजस्व संबंधी कोई मामला नहीं जानता है। यदि पटवारी को उसकी आई.डी. दी जाए तो वह राजस्व मामलों को जानता है। पंचायत सचिव राजस्व संबंधी मामला नहीं जानता है तो क्या आप राजस्व संबंधी आई.डी. को पटवारी को देंगे? यह आप बताने का कष्ट करें।

श्री टंक राम वर्मा :- इसमें पंचायती राज अधिनियम के अधिकार का उल्लंघन होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, वह उल्लंघन नहीं है।

श्री टंक राम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, इसका विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका बहुत प्रश्न हो गये।

श्री अनुज शर्मा (धरसीवा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक सवाल यह पूछना चाह रहा हूं कि प्राप्त शिकायतों का समय-सीमा के अंदर निराकरण का क्या प्रतिशत है ? जितने शिकायत प्राप्त होते हैं, उसमें कितने प्रतिशत शिकायतों का निराकरण हो पाता है? माननीय मंत्री जी, कृपया मेरी बात को थोड़ा ध्यान देंगे। माननीय मंत्री जी, क्या प्राप्त शिकायतों का समय-सीमा के अंदर निराकरण हो पाता है? उसका क्या प्रतिशत है? यदि समय-सीमा में निराकरण नहीं होता है तो समय-सीमा निर्धारित करने का क्या औचित्य रह जाता है? इस समय-सीमा में समस्या का निराकरण नहीं होने की स्थिति में क्या प्रावधान है? क्या इस स्थिति में अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होती है?

श्री टंक राम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जितने भी अविवादित प्रकरण हैं, जिसमें कोई विवाद नहीं है, उनका समय-सीमा तीन माह है और विवादित प्रकरण में समय-सीमा 6 माह है। इस सीमा के अंदर उस प्रकरण का निराकरण करना रहता है। इस सीमा के अंदर यदि प्रकरण का निपटारा नहीं होगा तो उसमें संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जावेगी।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मंत्री जी से पूछा है कि प्राप्त शिकायतों का कितने प्रतिशत का निपटारा कर पाते हैं? हमारे ऑफिसर्स को देखें तो कि वह कितने Efficient हैं, वह कितने प्रतिशत मामलों को निपटा पाते हैं?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपको प्रतिशत बता देंगे। आपको उसकी जानकारी उपलब्ध करा देंगे।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष, एक बार परीक्षण कराकर आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- भावना बोहरा जी।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भुंइया एप में छत्तीगढ़ में लगभग 8 से 10 हजार पटवारी हल्के हैं। जो आईक्लाउड स्टोरेज हैं, उसका सर्वर इसलिए डाउन होता है क्योंकि उनके एक्सेस का टाईम, जो पटवारियों का ड्यूटी टाईम है, वह एक ही रहती है। सर्वर की कैपिसिटी कम है तो क्या आईक्लाउड सर्वर के स्टोरेज के लिए आगे इसका कुछ प्लानिंग या निराकरण किया जा रहा है?

श्री टंक राम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, इसको दिखवा लेते हैं, इसके बाद इसमें भी कार्रवाई करेंगे। जो हो सकता है अच्छा करेंगे।

श्री राम कुमार टोप्पो :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण में आपका नाम नहीं है। ध्यानाकर्षण 3 का था। बोहरा जी, आप एक और प्रश्न पूछ सकती हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि ऑनलाईन नक्शा न्यायालय में साक्ष्य नहीं माना जाता है। भुंईया एप से जो नक्शा निकालते हैं, वह नक्शा सिर्फ अपने व्यक्तिगत जानकारी के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि न्यायालय में उसका साक्ष्य नहीं माना जाता है। जब न्यायालय में नक्शा प्रस्तुत करना पड़ता है, उसके पहले उसका सत्यापन कराना पड़ता है। तो क्या कोई प्रक्रिया आ गई है? क्या हम इसमें संशोधन के लिए उसमें आगे कुछ प्रस्ताव करेंगे? क्योंकि अभी बैंक में और रजिस्ट्री के लिए नक्शा ऑनलाईन उपलब्ध रहता है। उनको एक्सेस है, लेकिन न्यायालय में उस चीज का अभी तक एक्सेस नहीं है। तो क्या इसमें आगे संशोधन होगा?

श्री टंक राम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, भुंइया एप और भू-नक्शा एप में सभी रिकॉर्ड उपलबध हैं और इनको कहीं भी निकालकर, अपने मोबाईल से भी और च्वाइस सेंटर से भी नक्शा निकलवा सकते हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- मंत्री जी, न्यायालय में जाने से पहले उसका एस.डी.एम. के द्वारा सत्यापन कराया जाता है। अभी भी न्यायालय में कोई चीज प्रेजेंट करना है तो पहले उसका एस.डी.एम. से सत्यापन कराया जाता है। जबकि बैंक में और रजिस्ट्री के टाईम में उनको एक्सेस है कि उनको डायरेक्ट नक्शे को ले सकते हैं, लेकिन वह प्रक्रिया न्यायालय में नहीं है। तो क्या आगे इसमें विचार किया जाएगा और इसके लिए कुछ अनुशंसा लाई जाएगी?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एप में प्रतिहस्ताक्षरित रहता है उसमें अलग से हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती है । यदि ऐसा कुछ है तो मैं दिखवा लूंगा ।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय मंत्री जी, न्यायालय में यह प्रक्रिया है । न्यायालय में यह करना पड़ता है ।

श्री टंकराम वर्मा :- मैं दिखवा लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है ।

समय :
12.55 बजे **नियम 267 "क" के अंतर्गत सूचना**

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभाग को भेजा जायेगा :-

1. श्रीमती गोमती साय
2. श्री विनायक गोयल

समय :
12.55 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री लखेश्वर बघेल
2. श्री कुंवर सिंह निषाद

समय :
12.56 बजे **वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों पर चर्चा**

मांग संख्या	**20**	**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी**
मांग संख्या	**22**	**नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय**
मांग संख्या	**24**	**लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल**
मांग संख्या	**29**	**न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन**
मांग संख्या	**67**	**लोक निर्माण कार्य-भवन**
मांग संख्या	**69**	**नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण**
मांग संख्या	**76**	**लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं**
मांग संख्या	**81**	**नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता**

उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

अशोधित प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या - 20 **लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिये** - दो हजार छः सौ सतहत्तर करोड़, पचासी हजार रूपये,

मांग संख्या - 22 **नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिये** - चवालीस करोड़, चार लाख, साठ हजार रूपये,

मांग संख्या - 24 **लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिये** - तीन हजार चार सौ इकहत्तर करोड़, अड़तीस लाख, छियानवे हजार रूपये,

मांग संख्या - 29 **न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिये** - नौ सौ पच्चीस करोड़, इकसठ लाख, सतावन हजार रूपये,

मांग संख्या - 67 **लोक निर्माण कार्य-भवन के लिये** - एक हजार आठ सौ चवालीस करोड़, इकतालीस लाख, इक्यानवे हजार रूपये,

मांग संख्या - 69 **नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण के लिये** - दो हजार छियानवे करोड़, उनहत्तर लाख, बावन हजार रूपये,

मांग संख्या - 76 **लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिये** - पांच सौ पचहत्तर करोड़, बांसठ लाख, बत्तीस हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 81 **नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये** - दो हजार सात सौ पैंतालीस करोड़, तेईस लाख, चौरानवे हजार रूपये तक की राशि दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे । कटौती प्रस्तावों की सूची प्रथकत: वितरित की जा चुकी है । प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे ।

मांग संख्या - 20

<u>लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी</u>

1.	श्रीमती अनिला भेंडिया	1
2.	श्री कुंवर सिंह निषाद	1
3.	श्रीमती शेषराज हरवंश	1
4.	श्री बालेश्वर साहू	1

मांग संख्या - 22

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय

1.	श्री लखेश्वर बघेल	1
2.	श्री दिलीप लहरिया	3
3.	श्री ब्यास कश्यप	1

मांग संख्या - 24

लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल

1.	श्री लखेश्वर बघेल	19
2.	श्री दिलीप लहरिया	10
3.	द्वारिकाधीश यादव	5
4.	श्री इंद्रशाह मण्डावी	10
5.	श्री कुंवर सिंह निषाद	8
6.	श्रीमती शेषराज हरवंश	4
7.	श्री ब्यास कश्यप	7
8.	श्री इंद्र साव	1

मांग संख्या - 29

न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

1.	श्री दिलीप लहरिया	1

मांग संख्या - 67

लोक निर्माण कार्य-भवन

1.	श्री लखेश्वर बघेल	1
2.	श्री दिलीप लहरिया	4
3.	श्री द्वारिकाधीश यादव	1
4.	श्री इंद्रशाह मण्डावी	3
5.	श्री कुंवर सिंह निषाद	11

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मांग संख्या - 69

<u>नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण</u>

1. श्रीमती अनिला भेंडिया 1

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी । श्री दलेश्वर साहू ।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही भोजनावकाश के लिये अपराह्न 2 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित ।

(अपराह्न 1.00 से 2.31 बजे तक अंतराल)

समय :

2.31 बजे **(सभापति महोदय (सुश्री लता उसेंडी) पीठसीन हुए)**

सभापति महोदय :- श्री दलेश्वर साहू जी।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों पर विरोध..।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- क्या अरूण भैया, आप अकेले हो गये हैं। आप पूरा पीछे घुमाकर तो देखिए। यहां तो है।

उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव) :- अपने पीछे भी देख लीजिए।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मांग संख्या 20, 22, 24,29, 67, 69, 76, 81 की मांगों के विरोध में अपनी बात रखना चाहता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- इधर का तो रहना जरूरी है, इनका समर्थन तो मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है ट्रेजरी बेंच में।

श्री दलेश्वर साहू :- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग और नगरीय प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी हमारे माननीय अरूण साव जी को मिली है। हमें विश्वास है और भरोसा भी है कि अपने कर्त्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की लोगों के बीच बहुत जिम्मेदारी है। आने वाले महीने मार्च के बाद मई, सब जनप्रतिनिधियों के लिए क्रिटिकल दिन होता है। एक-एक समय बीतना और जिस हिसाब से ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का जो दायित्व है, वह बड़ा महत्वपूर्ण है। पेयजल, लोगों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी साव जी को है, जिसमें पूरे ग्रामीण अंचलों या चाहे शहरी

क्षेत्र हो, चाहे वह नगर-निगम हो, नगर-पालिका हो, चाहे पंचायतों की बसाहटों तक उनकी भूमिका अहम होती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- दलेश्वर जी, कल पहला डिमांग मांग में पहला अभिभाषण हुआ तो पूरा मंत्री जी ने सदस्यों ने जो मांगा, वह घोषणा कर दी। आप ये विरोध का चक्कर छोडिए। आप मेरे सामने धरना में बैठे थे। आपको याद है न?

श्री दलेश्वर साहू :- अगर काम नहीं होगा तो आज भी बैठूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसलिए आपको पी.डब्ल्यू.डी. से, स्थानीय शासन से मांगना है, वह मांग कर मैं समर्थन करता हूं बोलकर बैठिए। ये विरोध करने और मैं असहमत हूं, बोलकर कुछ नहीं मिलने वाला है।

श्री दलेश्वर साहू :- अपने दायित्व का निर्वहन तो करूंगा न।

श्री अजय चन्द्राकर :- कहां ये भूपेश बघेल सरकार के लफड़े में पड़े हो। समझ रहे हैं न। आपको बना बस तो दिये थे, पैसा की स्वीकृति एक भी नहीं हुई।

श्री दलेश्वर साहू :- चन्द्राकर जी, बिना कुछ किये या बिना उंगली किये घी भी नहीं मिलता।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो चाहिए मांग लीजिए, बोलना बंद कीजिए।

श्री दलेश्वर साहू :- ऐसा नहीं है। आसान तरीक से नहीं होता। मैं कई बार..।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- आडवानी जी के लफड़े में भगवान राम 30-40 साल पड़े रहे। अभी-अभी ही कुछ हुआ है। आडवानी जी का लफड़ा उधर है, इधर नहीं है।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, जब ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे तो मैं इन्हें बार-बार बोलता था कि मैं विधायक हूं। विधायक के गांव की सड़क नहीं बनी। एक बार बोला, दो बार बोला। मुझे कमीज उतारकर गर्भगृह में जाना पड़ा, यह दुर्भाग्य है कि मुझे अपनी कमीज उतारकर गर्भगृह में जाना पड़ा । इसके बाद भी आप कहते हो तो आसान तरीके से काम हो जाएगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बना या नहीं बना ?

श्री दलेश्वर साहू :- जब मैंने हरकत किया, तब आपने बनाया । उसके पहले तो आप कलम भी नहीं चला रहे थे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जान गए थे कि वह काम स्वीकृत हो गया है, इसलिए आप नाटक कर रहे थे ।

श्री दलेश्वर साहू :- ऐसा नहीं है । घी निकालने के लिए मथना पड़ता है, बेलना पड़ता है । साव जी भी इतनी आसानी से नहीं करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वो सज्जन आदमी हैं । तैं बोलबे अऊ दिही तेखर सेती समर्थन करके बइठ ।

श्री दलेश्वर साहू :- आखिरी में मांग तो करहूं, विपक्ष के नाते ।

श्री अजय चन्द्राकर :- विपक्ष के नाते करबे, दिल से मत करबे ।

श्री दलेश्वर साहू :- लोगों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी साव जी की है । ग्रामीण नलजल योजना, सामूहिक नलजल योजना, नगरीय जल प्रदाय योजना ये विभाग की जिम्मेदारी है । इन योजनाओं के माध्यम से जन-जन तक इसका लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है । जिसने भी जल जीवन मिशन की कल्पना की, मुझे लगता है कि उसने बहुत अच्छा किया । उसकी जिम्मेदारी केन्द्र लेवल पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर यहां तक कि पंचायत स्तर पर, पंचायत को भी जब मैंने कहा कि पेमेंट नहीं मिल रहा है, पेमेंट नहीं मिल रहा है, यहां पर काम बंद है तो सरपंच को भी एग्रीमेंट में शामिल किया गया है । किंतु सरपंच को पता नहीं है, वह वही रोना रोता है कि मेरे यहां का काम बंद है, ठेकेदार पेमेंट नहीं दे रहा है । एग्रीमेंट में तो सरपंच की भूमिका शानदार है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, कल इसी सदन में आदरणीय भांचा जी ।

सभापति महोदय :- आप सदस्य को बोलने दें, अपनी बात रखने दीजिए ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आदरणीय भांचा जी, आप विद्वान हैं वरिष्ठ हैं, आपकी बातों केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्यप्रदेश ।

श्री उमेश पटेल :- आपने ठीक कहा, विपक्ष ही इनको विद्वान मानते हैं, इनकी पार्टी वाले तो विद्वान मानते ही नहीं हैं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- वही कह रहा हूं । आपने कहा था कि सदन की गरिमा उपस्थिति से होती है । यहां प्रथम वक्ता बोल रहे हैं, माननीय मंत्री जी, आपके अतिरिक्त कोई भी मंत्री नहीं हैं और 54 सदस्यों में से कितने बैठे हैं ? 4 या 5 पांच सदस्य हैं । मैं आपकी बातों के महत्व को बढ़ाने के लिए बोल रहा हूं और कोई बात नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपका समर्थन कर रहा हूं, अभी वोटिंग मांग दोगे तो हम हार जाएंगे ।

श्री उमेश पटेल :- लेकिन एक चीज तो बताओ कि आपको आपकी पार्टी वाले विद्वान् क्यों नहीं मानते ?

सभापति महोदय :- कृपया आपस में चर्चा न करें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने कब कहा मैं विद्वान् हूं ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उपस्थिति होनी चाहिए, विद्वान सदस्य ने जो कहा था वह सही है ।

श्री उमेश पटेल :- आपने पिछले पांच सालों में विधान सभा में जो दिखाया, उसके कारण उनको मौका मिला, आपको ही पीछे कर दिये, बताओ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पिछले पांच साल में मैंने अच्छा दिखाया है तो मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे दूंगा ।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, जल जीवन मिशन की जो रूप रेखा तैयार की गई है । राष्ट्रीय स्तर पर निदेशालय के रूप में उनकी जिम्मेदारी है, राज्य स्तर पर विभाग के सचिव की जिम्मेदारी है, जिला स्तर पर कलेक्टर और कार्यपालन अभियंता और लोक स्वास्थ्य अधिकारी के ऊपर है । ग्राम पंचायत पर जल स्वच्छता की भी जिम्मेदारी है । नोडल विभाग है । एक संयुक्त एजेंसी भी है, जो यूनीसेफ की है, गैर सरकारी संगठन की भी भूमिका है । इतने सारे विभाग, कलेक्टर से लेकर डायरेक्टर से लेकर, सचिव से लेकर, कार्यपालन अभियंता जैसे प्रमुख के रूप में, यहां तक सरपंच को भी निविदा के समय कराया गया है । पर जिस रूप से काम दिखना चाहिए । काम गुणवत्ताहीन दिखाई दे रहा है । उससे हम सब लोगों की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह उठता है । खास तौर पर मैं कहूंगा कि यह जो योजना है, यह तभी सफल होगा। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार देखा कि ठेकेदार पाईप को निकालकर घर ले जा रहा था, गड़े हुए पाईप को निकालकर घर ले जाना, समय में पेमेंट न होना, अभी सत्ता परिवर्तन होने के बाद दिखाई दे रहा है। मैं अरूण साव जी से भी निवेदन करूंगा कि यह एक अच्छी योजना है, इसका धरातल पर अच्छा सा दृश्य दिखाई दे। अलग-अलग क्षमता की पानी टंकी बन रही है, आज भी उस टंकी में तराई का नाम नहीं, उसमें प्रोसेस के हिसाब से ढलाई करते हैं, पानी टंकी का निर्माण करते हैं, उस ठेकेदार के पास सामग्री नहीं होने के कारण अभी भी पानी डालोगे तो नीचे तरफ से रिसने की कई घटनाक्रम देखेंगे। मंत्री जी यह आपके लिए चुनौती है। आप इस चुनौती को कैसे स्वीकार करोगे, इसको कैसे पटरी पर लाओगे, यह आपकी भूमिका पर, आपके कर्तव्य पर, आपकी निष्ठा पर रहेगा। अभी बहुत सारे विधायकों ने इसी पर प्रश्न लगाया है, उस सिस्टम को सुधारने का प्रयास जनप्रतिनिधियों ने किया है। यह जनप्रतिनिधि की आशा के अनुरूप आपके दायित्व का भागीदारी कैसे होगा, वह समय बताएगा। अभी आपके पास बहुत कम समय है इसलिए मैं ज्यादा टिका टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर आप चाहेंगे, आपकी भावना, आपकी नीयत, इस योजना को सफल बनाने में रहेगी तो कर भी सकते हैं। हर आदमी की काम करने की प्रमाणिकता जीवन में होना चाहिए। आपका मंत्री बनने का सपना रहा, आपका सांसद बनने का सपना रहा, अगर उस उद्देश्य को लेकर जल जीवन मिशन जो गांव-गांव के घर में पानी पहुंचाने का उद्देश्य है तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। आपके कर्मों के आधार पर, आपकी निष्ठा के आधार पर, आपकी नीयत के आधार पर, आपकी नियति के आधार पर यह सफल होगा। ऐसा मैं मानता हूं।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, क्या इसके पहले नीयत ठीक नहीं थी ?

श्री दलेश्वर साहू :- मैं अभी बताता हूं ना, आपने क्या किया है, अभी बताऊंगा, मैंने तो अभी शुरूआत की है।

श्री राजेश मूणत :- शुरूआत की है तो कम से कम शुरूआत में सही-सही बोलिए। जो पांच साल नीयत थी, पूरे प्रदेश का जल आवर्धन योजना का क्या हाल है? सड़कों की क्या स्थिति रही है ? जरा उसको भी बताईए।

श्री दलेश्वर साहू :- मुझे याद नहीं आ रहा था। डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैं तो डॉ. रमन सिंह का का पड़ोसी विधायक हूं। ढीरी में जल आवर्धन के लिए उन्होंने 15 साल में पहली स्वीकृति प्रदान की। उसको चालू हमारे शासनकाल में हमने कराया है। 15 साल बीतने के बाद भी एक जल आवर्धन योजना चालू नहीं करा पाए।

श्री राजेश मूणत :- अच्छा, एक चीज बताईए। 15 साल में डोंगरगांव के अंदर कितना काम हुआ है और 5 साल में क्या हुआ ? ईमानदारी से बताईए। नहीं तो मैं एक-एक चीज गिनाऊंगा।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, आपकी जितनी भी बड़ी योजना है। पुनरीक्षित, यह जल आवर्धन योजना की बड़ी स्कीम है, यह सामूहिक रूप में हो, चाहे बड़ी योजना हो, उनके कारण शासन को कितना नुकसान हुआ। पुनरीक्षित बजट फिर से मांगने की क्या जरूरत है ? मैं यही ढीरी की बात कर रहा हूं। जो 15 साल में नहीं हुआ उसको भूपेश सरकार ने अपने कार्यकाल में उस योजना को सफल बनाया है, आज वहां पानी मिल रहा है। एक बार चिंतन करिए, हर योजना में कितनी लागत लगी होगी। आपके ही प्रतिवेदन में इस योजना में पुनरीक्षित, पुनरीक्षित लिखा है। आपने कितने पैसे को बर्बाद किया है, क्या आप इस सिस्टम को सुधारेंगे ? आप इस सिस्टम को सुधारने के लिए जब तक ठेकदार को, कार्य एजेंसी को टाईट नहीं रखोगे तो मैं सोचता हूं कि यह पुनरीक्षित होता रहेगा, शासन का पैसा, समय अवधि खराब होता रहेगा। यह पुनरीक्षित का खर्च शासन में बढ़ती जाएगी। दूसरी बात, मैं लोक निर्माण विभाग के बारे में बात कर रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- ले न भई गे हो गे।

श्री दलेश्वर साहू :- महाराज, अइसे नहीं होए। मैं आराम से बोलहूं। तें बोलबे तो सही अऊ हम बोलबो तो गलत। तें ऊही-ऊही शब्द ला रिपीट करथस। हम नहीं बोलन, तेखर मतलब थोड़ी न।

माननीय सभापति महोदय, आपके हाथ में लोक निर्माण विभाग का भी दायित्व है। इसमें केन्द्रीय सड़क निधि, राष्ट्रीय राजमार्गों की जानकारी, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों हेतु विशेष योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत भवन निर्माण, RPCWERRP मद के माध्यम से अनेक सड़कों के निर्माण कार्य के संचालन का दायित्व P.W.D. का है। विदेशी सहायता प्राप्त योजना-परियोजना भी हैं, जिसके तहत् छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास परियोजना (E.D.P.) की सहायता प्राप्त बहुत सारे सुधार कार्य, उन्नयन कार्य, सड़क-पुल-पुलिया निर्माण कार्य, ओव्हर ब्रिज निर्माण कार्य, रेलवे ओव्हर ब्रिज तथा अंडर ब्रिज तथा फ्लाई ओव्हर निर्माण कार्य, संधारण का कार्य तथा स्थानीय स्तर के मरम्मत के कार्य का दायित्व आपके

विभाग को मिला है। जिसकी जिम्मेदारी का निर्वहन आप अपने कार्यकाल में किस ढंग से करेंगे, यह आपके लिए चुनौती है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे इस प्रतिवेदन को पढ़ते-पढ़ते एक अच्छी चीज लगी। निश्चित रूप से जो अच्छी चीज है उसकी मैं तारीफ करूंगा और जो गलत है उसकी मैं आलोचना करूंगा। आपने दृष्टि नाम की एक योजना बनाई है। मैं देख रहा था कि किस दिनांक को कौन सी योजना है। दिनांक के बिना तो पता नहीं चलेगा। उप मुख्यमंत्री जी, आपने कार्यों की जियो टेकिंग तथा कार्य प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए दिनांक 17.01.2024 को उसे P.W.D. दृष्टि योजना नाम दिया है। इसके द्वारा फील्ड में चल रहे कार्यों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इस ऐप से विभागीय अधिकारी-कर्मचारी फील्ड में चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने जाएंगे। उसी स्थान से कार्य की फोटो खींचकर मोबाईल ऐप में अपलोड करेंगे तथा टीप भी अंकित कर सकेंगे। इस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं शासन के माध्यम से इसकी जानकारी तत्काल उपलब्ध हो सकेगी। किन-किन अधिकारियों के द्वारा कार्य का निरीक्षण किया जा रहा है, इसके लिए आपने यह अच्छा प्रयास किया है। आप इस योजना को धरातल पर कितना उतार पाएंगे, यह आपके दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर है। आपने अपने दृष्टिकोण का नाम तो बहुत अच्छा दिया है परंतु आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, यह तो समय बताएगा कि आपका दृष्टिकोण किस रूप में सार्थक होगा। यह एक अच्छी शुरूआत है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की एक अभिनव योजना हमारे लोगों और नौजवान साथियों के लिए कितनी सार्थक रही है, उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। कार्य की लागत 5 करोड़ रूपये से अधिक होने पर P.Q. दस्तावेज के अनुसार इंजीनियरों की नियुक्ति किया जाना। यह हमारे सरकार की योजना है। 100 लाख से अधिक कार्यों में एक ग्रेजुएट इंजीनियर और 20 लाख से 100 लाख तक के कार्यों में डिप्लोमाधारी इंजीनियर की नियुक्ति की गई है। डिप्लोमाधारी इंजीनियर को प्रतिमाह 15,000 रूपये और डिग्रीधारी इंजीनियर को प्रतिमाह 25,000 रूपये और प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रतिमाह 50,000 रूपये की दर से वेतन दिया जाता है। इस नियम के तहत् माननीय भूपेश बघेल जी ने ठेके के द्वारा 311 प्रोजेक्ट मैनेजर और 3,598 डिग्रीधारी इंजीनियर तथा 1,642 डिप्लोमाधारी इंजीनियर को रोजगार उपलब्ध कराया है। आपने मुख्यमंत्री सड़क योजना को प्रतिवेदन से ही गायब कर दिया है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय, इस योजना को भूपेश बघेल जी ने प्रारंभ नहीं किया है। यह पहले से चली आ रही है। डिप्लोमा इंजीनियर योजना, P.W.D. के अंदर 20 लाख रूपये तक ठेका की प्रथा से लेकर राजमिस्त्री तक को किसी ने रोजगार दिया तो पूर्व सरकार डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने रोजगार दिया । आपके भूपेश बघेल जी ने नहीं किया । भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है, वह खाली नारियल फोड़कर चले गए । आप नोट कर लीजिए और उत्तर दे सकते हो तो दे देना । रायपुर में वाई शेप का फ्लाई ओवर का अभी तक टेण्डर नहीं हुआ । भूमि पूजन करके, नारियल फोड़कर चले गए ।

खारून नदी में रिवर फ्रंट के लिए अभी तक डीपीआर नहीं बनी, पानी के अंदर जमीन प्राईवेट है, उसका भूमि पूजन किया गया और चले गए । रायपुर के तात्यापारा का चौड़ीकरण किया जाना था, उसका भूमि पूजन किये, लेकिन सर्वे नहीं हुआ, चले गए । पांच साल तक खाली पीटने का काम किये हो । जरा उस पर भी कुछ बोलिए ।

श्री उमेश पटेल :- राजेश जी, वे बोल क्या रहे हैं और आप उनसे क्या पूछ रहे हैं ? वे बोल रहे हैं कि जो बेरोजगार लड़के थे, उनको नौकरी देने का काम किया । आप कहां फ्लाई ओवर में चले गए ।

श्री राजेश मूणत :- उमेश जी, मैं पहले बता रहा हूं, उसको सुन लीजिए । डिप्लोमाधारी जितने भी बेरोजगार नौजवान थे, उनको पीडब्ल्यूडी ने 2008 से 20 लाख रूपए तक का काम देना चालू किया । उस समय जो बेरोजगार इंजीनियर बी.ई. पास थे, उनको काम देना चालू किया । राजमिस्त्री थे, उनको काम देना चालू किया। दलेश्वर जी तो यह योजना भूपेश जी की गिना रहे हैं, तभी तो मैंने कहा ।

श्री उमेश पटेल :- यह योजना यहां पिछले 5 साल में कारगर हुई ।

सभापति महोदया :- आपस में संवाद न करें ।

श्री राजेश मूणत :- आप फिर कन्फ्यूज़ हैं ।

श्री उमेश पटेल :- राजेश जी, कन्फ्यूजन नहीं हैं । यह काम उसी समय शुरू हुआ । आपने भले ही 2008 में नियम बना लिया होगा ।

श्री दलेश्वर साहू :- इसमें दिनांक लिखा हुआ है, वह मैं बताऊं ?

श्री राजेश मूणत :- हां, बताओ न ।

श्री दलेश्वर साहू :- दिनांक 31.7.2020 लिखा है । उस समय किसकी सरकार थी ? इसमें लिखा है कि 31.7.2020 में अनुबंध के कार्य की लागत के अनुसार इंजीनियर नियुक्त किये जाने का प्रावधान रखा गया है ।

श्री राजेश मूणत :- पहले क्लीयर कर लो ।

श्री दलेश्वर साहू :- यह तिथि है ।

श्री राजेश मूणत :- उसके पहले से यह योजना चल रही है ।

श्री उमेश पटेल :- प्रतिवेदन किसने निकलवाया ? आप प्रतिवेदन में बदलवा दो । आपने प्रतिवेदन में तारीख दी है ।

श्री दलेश्वर साहू :- आप प्रतिवेदन बदलवा दो । मैं उसी चीज को बोलूंगा, जो बोलने के लायक स्थिति में हो । इसमें लिखा है कि 31.7.2020 के अनुबंध में कार्य की लागत के अनुसार इंजीनियर नियुक्त किये जाने का प्रावधान रखा गया है । मैं जब भी बोलूंगा, तारीख सहित बोलूंगा । आप फिर से तिथि लिख लीजिए । 20.1.2023 और पत्र क्रमांक बोलोगे तो उसको भी बोल दूंगा । विभाग द्वारा कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हेतु ठेकेदारों को अधिक ध्यान देने हेतु परफारमेंट गारंटी अवधि में सुधार किया

है । यह आपने भी किया है । मैं तिथि बता रहा हूं । इसमें पुलों, भवन, बिटुमिनस, बेस कोर्स, सील कोट एवं कांक्रीटीकरण की सड़कों एवं अन्य संयुक्त सड़कों की मूल कार्य की अवधि कार्य पूर्ण होने के पश्चात् परफारमेंस की गारंटी अवधि 60 माह या 5 वर्ष निर्धारित की गई है । जब आपका कार्यकाल था और आपने ऐसा किया होगा तो तिथि बता दीजिए । आप तो लोक निर्माण मंत्री रहे हैं साहब ।

श्री राजेश मूणत :- क्या चीज ?

श्री दलेश्वर साहू :- मैं परफारमेंस गारंटी की बात कर रहा हूं ।

श्री राजेश मूणत :- परफारमेंस गारंटी तीन साल भी थी, पांच साल भी थी । अलग-अलग प्रोजेक्ट में अलग-अलग समयावधि थी । पांच साल में आपकी सरकार तो यह निर्णय नहीं कर पाई कि एक्सप्रेस वे में क्या है ? आपकी सरकार उसका उद्घाटन आजतक नहीं कर पायी । आप किस मुंह से बात कर रहे हैं ।

श्री दलेश्वर साहू :- मूणत जी, मैं तो तिथि सहित बता रहा हूं ।

श्री राजेश मूणत :- मैं भी तिथि सहित बता रहा हूं ।

श्री दलेश्वर साहू :- आप भी तिथि बता दीजिए ।

श्री राजेश मूणत :- रायपुर का एक्सप्रेस वे बनकर पड़ा है, 5 साल में उसका लोकार्पण नहीं कर पाये हो ।

श्री दलेश्वर साहू :- उस पर भी कहूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- दलेश्वर साहू ह कुछ नहीं जानय, वह सीधा-साधा आदमी हे । चल तै शुरू कर । जेन करे-धरे हे, तेन तो गायब हे ।

श्री राजेश मूणत :- करथौ न । केवल बिटूमिन्स कार्य के साथ निष्पादित सड़क नवीनीकरण के कार्य के मामले में जिसमें जो मोटाई है, वह 40 मिलीमीटर तक के लिए परफारमेंस गारंटी की अवधि 36 माह या 3 वर्ष निर्धारित की गई है । यह भी हमारे शासन के कार्यकाल में हुआ है । यह मैं आपको डेटवाईस बता रहा हूं ।

सभापति महोदया, स्नातक इंजीनियर को 25 लाख से अधिक तथा 50 लाख तक के एक कार्य को एक वर्ष कुल रूपये दो सौ लाख तक कार्य का आवंटन, डिप्लोमा इंजीनियर को 15 लाख से अधिक 25 लाख तक के कार्य एवं वर्ष भर में कुल सौ लाख रूपये तक कार्य का आवंटन, राजमिस्त्री को 15 लाख तक के भवन निर्माण हेतु एक कार्य तथा एक वर्ष भर में 60 लाख तक कार्य का आवंटन, बेरोजगार इंजीनियर, राजमिस्त्री के माध्यम से निविदाओं के माध्यम से कार्य का बंटवारा, बेरोजगार स्नातक डिप्लोमा इंजीनियर सिविल/इलेक्ट्रिकल मिस्त्री को जो काम देने का प्रयास किया गया था, वह हमारी सरकार ने किया था।

सभापति महोदय, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रारंभ किया था, लेकिन इसका प्रतिवेदन में बिलकुल भी उल्लेख नहीं है। यह योजना आज भी कारगर है और योजना अभी संचालित है। अभी आपने योजना को कैबिनेट में विलोपित नहीं किया है, उस योजना को बंद नहीं किया गया है। परन्तु कम से कम इस प्रतिवेदन में उसका उल्लेख तो होना चाहिए।

श्री उमेश पटेल :- क्या राजेश भईया, क्या कर दिए हो ?

श्री दलेश्वर साहू :- अब आप बोल रहे हो कि हमारी नीयत, दृष्टि कहां चला गया ? प्रतिवेदन में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का जरा भी उल्लेख बता दो, इस प्रतिवेदन में इसका उल्लेख नहीं है। यह दुर्भाग्य है, आपकी कौन सी दृष्टि है, समझ में नहीं आ रहा है।

श्री राजेश मूणत :- सुगम होगा तो ही बतायेंगे न।

श्री उमेश पटेल :- मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, जो साहू जी बता रहे हैं, आप उसको निकलवा लीजिये। कितने किलोमीटर सड़क बना है।

श्री राजेश मूणत :- मुझे मालूम है, आप काहे के लिए उलझ रहे हो ?

श्री उमेश पटेल :- बहुत सारा सड़क बना है, जहां पहुंच मार्ग नहीं होते थे, वहां बना है।

श्री राजेश मूणत :- सुगम कौन सा ?

श्री दलेश्वर साहू :- सरकारी भवनों में, हाईस्कूल में। आपको पता ही नहीं है साहब, आपको उस योजना के बारे में पता ही नहीं है।

श्री राजेश मूणत :- सुगम क्या है ? यह तो बताओ ?

श्री दलेश्वर साहू :- मैं बता रहा हूं, आप बैठिये। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का मतलब है कि जहां किसी सरकारी जगह में कोई अस्पताल हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे तहसील हो, ऐसे कार्यालयों में एवं स्कूलों में हमारे बच्चों के बारह महीने जा सके, उसके लिए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना प्रारंभ किया गया था। करोड़ो रूपये की लागत से सडकें बनी थीं। हर विधायक के क्षेत्र में बना है, आप लोगों को भी मिला होगा, 15 लाख, 20 लाख , 25 लाख की सड़क वहां तक जाने के लिए बनवाया गया था। राजेश मूणत जी, यह हंसने की बात नहीं है। आप हमारे बनाये हुए चीजों को स्वीकार नहीं कर रह हो, आप उसे इस प्रतिवेदन से गायब कर रहे हो।

श्री उमेश पटेल :- क्या है राजेश भइया, वह अभी आपको मंत्री समझ रहे हैं। हम सबकी यही इच्छा थी। लेकिन क्या करें, आप पीछे हो गये।

श्री राजेश मूणत :- ना मैं पीछे हुआ, ना मैं आगे हुआ। दलेश्वर की चिंता करो, वह अपना पुराना साथी है। हमारे कार्यकाल में उनके यहां बहुत काम हुआ था, दलेश्वर भईया 5 साल के काम के बारे में बाहर बैठकर बात करेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- मूणत भईया, हमर बबा मोहले जी बैठे हे, ओखर 5 साल मुआवरा बहुत चलय, लेकिन अभी जब मंत्री नइ बने हे तो वह कंठ खाय बैठे हे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मोर बात ला नइ सुने हस का ? आंख ला मूंदे रहथस का ?

श्री उमेश पटेल :- तै सुन ना, बंद-चालू (माईक को) मत करबे।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, प्रतिवेदन में बाइपास सड़कों की सूची है। कार्य बंद है और कारण भू-अर्जन नहीं होना है। बहुत बड़ी-बड़ी योजना है, मैं चाहता हूं कि अब आपके कार्यकाल में यह जो भू-अर्जन की प्रक्रिया है, उसमें शिवरीनारायण बाइपास 8 किलोमीटर कार्य बंद, भाखरा बाइपास मार्ग धमतरी ओर से 4 किलोमीटर कार्य बंद, कोण्डागांव बाइपास मार्ग 8 किलोमीटर कार्य बंद, आप पूरी सूची को देखोगे तो लगभग भू-अर्जन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण हमारी जो बड़ी-बड़ी कार्य बंद दिखाई दे रहा है और यह आपके प्रतिवेदन में है। तो ऐसी जो बड़ी-बड़ी योजना है, इसलिए इसकी बैठक लेकर भू-अर्जन की प्रक्रिया को पूरा करें।

सभापति महोदय, पदोन्नति, आपके विभाग में एक लाईट एण्ड मशीनरी, अलग-अलग विभाग है । लाईट एण्ड मशीनरी का जो विभाग है, उसमें बहुत सारे पदों की कमी है । कार्यपालन अभियंता का सिविल में भी है, जिसमें कार्यपालन अभियंता, विद्युत यांत्रिकी की कमी होने के कारण, जहां तक सड़कों में बिजली स्थापन, नया बिजली खंबा लगाना, बहुत सारे बिजली का काम होना, मैं सोचता हूँ कि आप उनका भी समीक्षा करेंगे । सभापति महोदय, मैं इसी मामले को लेकर ध्यानाकर्षण भी लगाया हूँ । पांच साल से सड़क बनी हुई है, सब कुछ हो गया है, आज भी वह प्रकियाधीन है । डिमांड लेटर उनको दे दिया गया है । खंबे का विस्थापन किस कारण से नहीं हो पा रहा है, नया खंबा क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, मैं इस पर ध्यानाकर्षित करना चाहता हूँ ।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, दलेश्वर भाई फिर बोलेंगे कि पांच साल, वह खुद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ । उस सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच साल में खंबा नहीं लगा पाये हैं और बड़े-बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं ?

श्री दलेश्वर साहू :- यह दृष्टि जो लाये हो ना....।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, अपने विधान सभा में पांच साल में खंबा नहीं लगवा पाये, खुद की सरकार थी । चिंता मत करो, मुख्यमंत्री जी आपकी बात को सुन रहे हैं, वह लगाकर दे भी देंगे । अभी से ताली बजा दो ।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मेरे यहां आपके ही कार्यकाल का है, मैं उसे बताऊंगा । मेरे नगरी क्षेत्र में एक फोरलेन की स्वीकृति हुई है, स्वीकृति होने के बाद वर्ष 2007 में शायद आप रहे होंगे, उस समय चौड़ीकरण के लिये सड़क निर्माण हुआ, किन्तु कुछ राजनीतिक कारणों से वह सड़क नहीं बन पाया है और नहीं बन पाने के कारण उस पैसे को वहीं पर वापस कर दिया गया या बन्द कर दिया गया,

मैं उसे गहराई से तो नहीं जानता । मुझे मालूम था कि इस तरफ नाली बना है, इस तरफ नाली क्यों नहीं बना ? इतने लोगों के मरने की थाने में शिकायत दर्ज है, मैं नाम उल्लेख करता हूँ। एक बशीर खान का उस फोरलेन के चक्कर में डेथ हो गया, सड़क चौड़ीकरण नहीं हुआ । श्री आलिद खान, उनके परिवार में बच्चे को खोना पड़ा। श्री राजेश पटेल, मटिया । कृष्णा पटेल रामटेके । ऐसे कम से कम 8 से 15 परिवारों के व्यक्तियों का खो जाना, हमने फिर से देखा कि जो पहले स्वीकृत था, वह क्यों नहीं बन पाया, राजेश मूणत क्यों नहीं बना पाया, इसका हमने चिन्तन किया । आपको दलों के कुछ व्यक्तियों ने राजनीतिक कूप्रभाव के चलते वापस करवा दिया गया, इसके बारे में थोड़ा चिन्तन करना चाहूंगा । सभापति महोदय, भूपेश सरकार से हमने कहा कि यह मरने की जो संख्या है, यह लगातार हो रही है, इसका थाना में रिकार्ड भी दर्ज है तो हमने वर्ष 2022-2023 में नगरी क्षेत्र में फोरलेन सड़क चौड़ीकरण, उन्नयन का कार्य 3.60 की स्वीकृति दी है, जिसका टेंडर हुआ, काम चालू हो गया । सभापति महोदय, जैसे ही सरकार चेंज हुआ, फिर वही कूराजनीतिक प्रभावशील व्यक्ति, कुछ व्यापारियों का, वहां पर सांठगांठ होके फिर से सड़क को रोकने का प्रयास, मैंने फिर से इसमें ध्यानाकर्षण लगाया है । यह सरकार बदलने के बाद हुआ है । अधिकारियों को धमकी देना, अगर इसको नहीं बनाओगे तो ट्रांसफर कर दूंगा, ध्यानाकर्षण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अधिकारियों का गलती नहीं हे । आपके परिवार के जुड़े हुये व्यक्तियों के कारण से उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री राजेश मूणत :-सभापति महोदय, अब मेरे नाम का उल्लेख किया है। आप सुन तो लो ना ? आप अपने कार्यकाल में तो डोंगरगांव के अंदर चौड़ीकरण का काम नहीं करा पाये हैं, वर्ष 2022-2023 में प्रस्ताव लेकर आये, तब तक क्या कर रहे थे, तब तक क्यों नहीं करा पाये ? अपनी कमी को क्यों नहीं समझ पाये ? श्री अपने समय तो करा नहीं पाये और दूसरे को कहते हो कि करो ? वहां के लोग सहमत हैं, माननीय मंत्री जी उसका उत्तर दे देंगे । लेकिन मान्यवर मेरे नाम का ही उल्लेख क्यो ?

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, आपके कार्यकाल में स्वीकृति दिया ।

श्री राजेश मूणत :- वहां की जनता नहीं चाह रही है, आप और हम दोनों क्या करेंगे, आप चार साल तक क्या किये ?

श्री दलेश्वर साहू :- स्वीकृति करा लिया, कार्य प्रारंभ भी करवा लिया,, आचार संहिता नहीं होता तो बनकर भी तैयार हो जाता ।

श्री राजेश मूणत :- चार साल तक नहीं करा पाये ? चुनाव के तीन महीने पहले वोट लेने के लिये काम चालू कर रहे हैं, बता रहे हैं और क्या ?

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदया, अब जैसे ही मैंने ध्यानाकर्षण लगाया तो फिर से आदेश हुआ और काम चालू हो गया, काम चल रहा है। मैंने इसलिये इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया है कि शायद आपके ऊपर फिर से आपके कुछ दो-चार स्वार्थी तत्व के लोगों का राजनीतिक दबाव आ जाये। वह

दो-चार लोग हैं, ज्यादा नहीं है। मैं इस सभा के माध्यम से चाहता हूं कि वह जो दो-चार प्रभावशील व्यक्ति हैं, उनके लिये इस प्रोजेक्ट में मुआवजा की राशि का प्रावधान नहीं है। यदि आप इसमें दो-चार लोगों के लिये मुआवजा की राशि का प्रावधान कर दें, जिससे उनका जीवनयापन भी प्रभावित न हो क्योंकि उनमें से किसी की कपड़ा दुकान है, किसी की किराना दुकान है। वह ज्यादा नहीं है, मैं सोचता हूं कि वह आधा किलोमीटर है या आधे किलोमीटर से भी कम होगा। वह लोग आज भी कहीं न कहीं आपके पास भी आयेंगे, सांसद महोदय के पास जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर प्रावधान कर दीजिये और उनको भी मुआवजा राशि दे दीजिये। वह उस अलग व्यवस्थापन के तहत दुकान भी खोल लेंगे और जो सड़क बनने की जो प्रिक्रया है, जिसमें वह लोग कूदा-फांदी कर रहे हैं और नेताओं के पास जाकर उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकारी स्वतंत्र रूप से काम भी कर लेंगे और सड़क बनाने के लिये उसके अनुबंध के अनुरूप भी काम हो जायेगा, मैं ऐसा मानता हूं।

सभापति महोदया, विद्युतीलाईन के विस्थापन बिनकापार से खैरवार, पटपर मार्ग से झण्टा तलाव, दीवान टोला से नवा टोला, लमानिन भाठा से हरनसिंघी, जामरी से राखा, चिर्चारी से पीटेपानी, पिपरखार मार्ग बुड़हान छापर के लिये हमने टोटल राशि लगभग 1 करोड़ 66 लाख 300 रूपये इस विद्युत ग्राम यांत्रिकी को ट्रांसफर कर दिया है। परंतु वह प्रकरण कहां पर, कौन से स्तर पर लंबित है ? मैं इसमें ध्यानाकर्षण कराना चाहूंगा कि हमने नई स्ट्रीट लाईट, नया विद्युतीकरण, विद्युत स्थापन के कार्य के लिये और सुपरविजन के लिये 05 लाख रूपये भी दे दिये हैं। कहीं न कहीं कुचक्रों के कारण, निष्क्रियता और हठधर्मी के चलते समय पर कार्य नहीं होने से लोगों में नाराजगी और आक्रोश व्याप्त है। मैं मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करते हुए यह चाहूंगा कि इसमें आगे बढ़ेंगे।

सभापति महोदया, निर्माण कार्य की पूर्णता तिथि अनुबंध अनुसार समाप्त होने के बावजूद जो पेनाल्टी समय पर लगना चाहिए, उसमें पेनाल्टी की जो देरी है, जिसको हम कंडिका 27.1 के परिकल्पना में कार्यवाही करते हैं। मैंने अभी एक प्रश्न लगाया है, उसका जवाब आता है कि वह प्रक्रियाधीन है, वह प्रक्रियाधीन है। वह लोग अनुबंध के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं, तो पेनाल्टी लगा दीजियेगा। यदि वह लोग समय मांग रहे हैं तो आपको उसका निराकरण कर देना चाहिए। आप उसमें पेनाल्टी भी नहीं लगा पा रहे हैं और विभागीय तौर पर वह प्रक्रियाधीन में अटका हुआ है। यह निर्माण पर समय वृद्धि का जो प्रकरण है, वह बताना उचित है, मैं सोचता हूं कि आप इस पर भी समीक्षा करेंगे। विधान सभा में लगे प्रश्नों का केवल यह प्रक्रियाधीन है कहकर उत्तर दे देना, शायद मैं समझता हूं कि यह प्रक्रिया उचित नहीं है।

सभापति महोदया :- दलेश्वर साहू जी, जल्दी समाप्त करियेगा।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, ज्यादा नहीं है, बस एक विभाग बचा हुआ है। निर्माण कार्य में जो समय का प्रकरण है, उस पर निविदा लगी हुई है। यदि किसी निर्माण कार्य की निविदा हो गई।

यदि निविदा में कोई एक ठेकेदार ने भाग लिया, दूसरे ठेकेदार ने भाग लिया और यदि किसी तीसरे ठेकेदार ने निविदा में भाग नहीं लिया तो नियमानुसार वह निविदा नहीं खोली गई। ऐसी स्थिति में एक वित्तीय निर्देश 42, वर्ष 2023 के परिपालन में निविदा की कार्य अवधि लंबित रखी गई है। सभापति महोदया, मैं समझता हूं कि यदि समय रहते तीसरे ठेकेदार ने निर्माण कार्य के लिये अपनी निविदा ही नहीं भरी और कई कार्य ऐसे पेंच में फंस गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसमें जो वित्तीय निर्देश, 42 है, उस पर भी आप वित्त विभाग से अनुरोध करें। अभी सदन में माननीय मंत्री जी तो नहीं हैं। हम उनसे यह कहते कि यह कार्य पहले से स्वीकृत है, एक ही ठेकेदार होने के कारण, ऐसे कई प्रकरण लंबित हैं, आप इस पर ध्यान देंगे।

सभापति महोदया :- अब आप समाप्त करें।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदया, मेरा एक विभाग नगरीय प्रशासन बच गया है। मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूँ। हमारे मंत्री जी को नगरीय प्रशासन का दायित्व है, जिसमें नगरीय विभाग में संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन नगरीय निकायों को अनुसूची "12" के दर्शित दायित्वों का निर्वहन किया जाना है। नगरीय व्यवस्था के प्रबंधन एवं दायित्व के निर्वहन हेतु 243 संहिता के अधीन प्रत्येक नगरीय निकाय हेतु जनता द्वारा चुनी गई नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत की व्यवस्था इनके दायित्व में है। नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संबंधी कार्य, नगरीय क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए विशिष्ट योजना तैयार करना, उनके परिप्रेक्ष्य में चुंगीपूर्ति, क्षतिपूर्ति करनिधि के द्वारा वहां जो स्थानीय व्यवस्था है या उनके जो कार्यरत कर्मचारी की व्यवस्था चुंगीपूर्ति, क्षतिपूर्ति के माध्यम से उनको निर्वहन करने का दायित्व उस विभाग को है। संपत्तिकर, समकेति कर, जल कर ऐसे निर्यात कर ऐसे प्रावधान के तहत राज्य प्रवर्तित योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना...।

सभापति महोदया :- माननीय साहू जी, आप समाप्त करें। अभी काफी सदस्य हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि जो अधोसंचरना राज्य प्रवर्तित योजना के तहत हमने जितनी भी स्वीकृति करा ली है। वहां कहीं न कहीं कुछ वजह से रोक लगा दी गई है। मैंने बताया कि ठेकेदारों की कमी के कारण से, कुछ वित्तीय कारण से निर्माण पर रोक लगा दी गई है। मैं चाहूंगा कि ऐसे कामों को प्राथमिकता देते हुए, उनको पुन: स्वीकृत कर अनुमति प्रदान करेंगे। मैं माननीय अरूण जी से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गार्डन की स्वीकृति प्रदान हुई है। उस गार्डन का स्वरूप बन गया है हमने लगभग उसका लोकार्पण भी कर दिया है, पर वह जिस स्वरूप में दिखना चाहिए और वहां बहुत सारी चीजों की जरूरत है ।

सभापति महोदया :- अब आप समाप्त करें। आपसे अलग से भी बैठकर चर्चा कर लेंगे।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदया, माननीय चन्द्रकार जी ने कहा है कि ऐसा लिखकर देने से कुछ नहीं होता है। मैं यह चाहूंगा कि माननीय अरूण साव जी उस पर जरूर ध्यान देंगे। हमारे पास विभाग में जो शेष राशि बची है, जो बिलो की राशि है अगर उन्हीं की स्वीकृति कर देंगे तो हम उसके स्वरूप को एक अच्छे परिदृश्य दिखाने में कारगर साबित हो सकते हैं।

माननीय सभापति महोदया, मैं दूसरी बात और कहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी डोंगरगांव गये हुए थे। वहां पर एक पुराना रेस्ट हाऊस है। आपके लोक निर्माण विभाग का रेस्ट हाऊस है। हमने उस रेस्ट हाऊस के लिए स्वीकृति भी करा ली। दूसरी जगह पर 50 से 60 प्रतिशत बनना चालू हो गया है, वहां बन भी गया है, पर वहां पर जो स्थल है हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने उनको नया बाजार हाट का स्वरूप देने के लिए घोषणा की थी। उनका जो सपना था, जो गांव की मंशा है और हमारी भी यह मंशा है कि वह अधूरी की अधूरी रह जाएगी। क्या आप उस पर काम करेंगे। मैं माननीय अरूण साव जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसमें नगर पंचायत के लिए एक बड़ा काम करें, यह लोगों के लिए है। वह डोंगरगांव के हृदय स्थल में है । वहां लोगों की मांग है कि वह रेस्ट हाऊस तो चला गया और वहां बन भी रहा है। वह Dismantle योग्य भी है। मैं चाहूंगा कि वहां बाजार हाट के स्वरूप के लिए साढ़े 3, 4 करोड़ रूपये का प्रपोजल भी गया है। मैं चाहता हूँ कि वह इस पर स्वीकृति प्रदान करेंगे।

माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदया, मैं, उप मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांग संख्या 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मांग संख्या -22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय, मांग संख्या -24 लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल, मांग संख्या -29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन, मांग संख्या -67 लोक निर्माण कार्य-भवन, मांग संख्या -69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण, मांग संख्या 76 लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं, मांग संख्या 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता, इन मागों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में जल जीवन मिशन से अपनी बात शुरू करता हूं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की स्थिति के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि उस विभाग की क्या स्थिति रही है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इन सब बातों पर विचार करते हुए कि पानी का महत्व क्या है, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हर घर तक पहुंचे, यदि इस बात पर विचार किया गया और इस पर समुचित रूप से फोकस करके एक नया जल शक्ति मंत्रालय गठन करके पूरे हिन्दुस्तान में सभी घरों में नल टेप के द्वारा पानी पहुंचाया जा सके, यदि इसके लिए कोई वृहद योजना बनाई तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। उनके द्वारा एक-एक घर में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए लाल किला की प्राचीर से 15 अगस्त

2019 को घोषणा की गई। उसके बाद में इस योजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राशि दी गई और इस योजना के लिए राशि देने के बाद में यहां पर जो कार्य प्रारंभ होना था। सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसका आनन-फानन में जो टेंडर किया गया और टेंडर करने के बाद में पूर्ववर्ती सरकार में जब यह टेंडर की फाईल गई, उसके बाद में केबिनेट के द्वारा उसको निरस्त किया गया। उसी दिन से इसमें पूर्ववर्ती सरकार द्वारा भ्रष्टाचार शुरू हो गया। माननीय नरेन्द्र मोदी जी चाहते हैं कि स्त्रोत बना करके, सामूहिक नल जल योजना से, नदी से ला करके घर-घर में पेयजल की व्यवस्था पहुंचनी चाहिए। लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा जिस प्रकार से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाना था..।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आदरणीय हमारे साथी जी कह रहे हैं यह योजना छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्य में भी पहुंची है।

श्री धरमलाल कौशिक :- पूरे हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान में हम लोग इस योजना के संचालन में सबसे आखिरी नंबर पर हैं, मैं आपको बता देता हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, प्रतिवेदन में दिया गया है कि 75 प्रतिशत जगह कार्य पूर्ण हुआ है, लेकिन यहां सर्वे करवाया जाये तो हर जगह में 50 प्रतिशत ही काम पूर्ण हुआ है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं इसी बात को तो बोल रहा हूं कि 50 प्रतिशत ही काम पूर्ण हुआ है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 85 प्रतिशत और.. ।

श्री धरमलाल कौशिक :- कहां से 85 प्रतिशत हो गया ? जब यहां हमारे मंत्री जी आये और मंत्री जी आ करके समीक्षा किये तो हम लोग पूरे हिन्दुस्तान में 30वें नंबर पर थे। उन्होंने प्रेसवार्ता ली और इस बात को बताया कि छत्तीसगढ़ इस योजना के संचालन में इस स्थान पर है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यह सिर्फ ऊपर-ऊपर है। अगर हम ग्रामीण स्तर में जमीनी स्तर में पहुंचे तो ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- उस राशि का उपयोग करने के बजाय, उस सरकार के द्वारा कैसे उसका स्वार्थपूर्ण बंटवारा किया जाये, यह पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा किया गया और यह उसी का परिणाम है। आप लोग यह बताते हैं कि हम लोगों ने घर-घर पानी पहुंचाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, उस समय भूपेश बघेल जी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री थे और उनके द्वारा यह कहा गया कि आप अपने क्षेत्र के केवल एक गांव का नाम बताईये, हम जहां पर नल जल योजना को ले जायेंगे। एक गांव का नाम बताईये। हर विधान सभा में 200, 250, 300 गांव हैं और उसमें इनकी इतनी तेजी रही कि एक गांव का नाम बताईये। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं

कि यदि इसके लिए किसी को धन्यवाद देना चाहिए तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को देना चाहिए जिन्होंने घर-घर नल जल योजना को पहुंचाने का काम किया।

श्री उमेश पटेल :- कौशिक जी, 2001 की बात करेंगे तो बहुत सारी बातें आयेंगी। तब का बजट कितना था, अभी का बजट कितना है, उस समय क्या प्रावधान था, अभी क्या प्रावधान है ? 20 साल पहले की बात करेंगे तो फिर उस प्रकार से बात होगी। एक गांव के नाम से क्या हुआ ?

श्री धरमलाल कौशिक :- 05 साल पहले की बात कर रहा हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने 20 साल पहले की बात की है।

श्री उमेश पटेल :- नल जल मिशन चालू हुआ, आप यहां नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। आप यह भी बता दीजिए कि बजट कितने का है, कितना सेन्ट्रल का और कितना स्टेट का बजट है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- सब लिखा हुआ है। शेयर आपको करना है, शेयर हम कर रहे हैं। मैं उस बात में आगे आ रहा हूं, लेकिन यह बताना जरूरी है।

श्री उमेश पटेल :- नई सरकार को भी दीजिए, पुरानी सरकार को भी दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं आपको बता दूं कि मैं नई सरकार को और हमारे उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गत वर्ष की तुलना में दोगुना प्रावधान किया और हमारे नई सरकार के द्वारा 5 हजार 47 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, मैं इसके लिए हमारे अरूण साव जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल :- अच्छा, इसके लिए बधाई और पहले के सरकार को बधाई नहीं देंगे।

श्री धरम लाल कौशिक :- आपने जो भट्ठा बैठा दिया था, उसके लिए बजट में दोगुना राशि की प्रावधान किया गया है।

श्री उमेश पटेल :- भैया, आप यह तो सुनिये कि पहले सरकार ने जो बजट का प्रावधान किया है, आप उसके लिए तो बधाई दीजिए।

श्री धरम लाल कौशिक :- पहले सरकार ने तो उसमें वाट लगाने का काम किया है, आप उनको कहां से बधाई देने की बात कर रहे हैं? यदि आप एक जगह बोलेंगे कि किसी को बधाई दे दें। आपके क्षेत्र में ही नल-जल योजना चालू नहीं है तो आप बाकी जगह की क्या बात करते हैं?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत सारा काम किया है।

श्री राजूश मूणत :- उमेश भाई।

श्री उमेश पटेल :- एक मिनट। चूंकि खरसिया की बात आ गई है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मेरे साथ चलिए, वहां 80 प्रतिशत नल-जल योजना चालू स्थिति में है।

श्री आशा राम नेताम :- लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मेरे साथ घूमने करने चलिए। चलिये, मैं जाने के लिए तैयार हूं।

श्री उमेश पटेल :- 80 प्रतिशत नल-जल योजना चालू है।

श्री आशा राम नेताम :- आप नल-जल योजना चालू करवा कर तो बताईये। हमारी केन्द्र सरकार ने 60 प्रतिशत दिया है, 40 प्रतिशत नहीं दिया है। आपने पूरा पैसा खा दिया। आप बस्तर में नल-जल योजना चालू करके दिखाईये। कहीं चालू नहीं है। आपने ऐसी टांग दिया है। सिंटेक्स हवा में उड़ कर जा रहा है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय उमेश जी, दादी बोल रहे हैं कि नल में पानी नहीं आ रहा है, पाईपलाईन तो बिछ गई, टंकी नहीं बनी तो पानी कहां से आएगा? दादी जी बोल रहे हैं, उसका भी तो आप लोग दर्द सुन लीजिए।

श्री कवासी लखमा :- आप इतना असत्य बोल रहे हैं। मैंने आपको इतना ही बोला कि आप मंत्री नहीं बने। आप सिर्फ योगी साहब को बधाई देते हैं, मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं, आप मंत्री को बधाई क्यों नहीं देते हैं? यह मैंने बोला है।

श्री उमेश पटेल :- यह हमारे बोलने के बाद आपको बधाई दिये हैं। नहीं तो पहले वह भूल गये थे।

श्री राजेश मूणत :- दादी बोल रहे हैं कि नल में पानी नहीं आ रहा है।

श्री कवासी लखमा :- लोकल यह काम कर रहे हैं और बधाई इनको देते हैं और उल्टा आप बोलते हैं कि पानी नहीं आ रहा है। वह इतना असत्य बोल रहे हैं। (हंसी)

श्री राजेश मूणत :- अच्छा, आपके नल में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है?

श्री कवासी लखमा :- आप गेट के अंदर इतना असत्य बोल रहे हैं तो आप गेट के बाहर जाने के बाद क्या बोलेंगे? (हंसी)

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, आज जिन घरों में नल-जल योजना के अंतर्गत पानी नहीं पहुंच रही है, ऐसे अभी लगभग 12,54,692 परिवारों को नल-जल योजना के माध्यम से पानी पहुंचाने की आवश्यकता है। जो पैसा हमको केन्द्र से मिला है और उसके लिए जो राज्यांश की राशि है, वह राज्यांश की राशि 4500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि हर घर में प्रधानमंत्री जी की जो अपेक्षा और इच्छा रही है और उसके अनुरूप उसको गांव के हर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है और मैं समझता हूं कि उसमें तेजी आई है।

एक माननीय सदस्य :- आप अनुमान लगा रहे हैं।

श्री धरम लाल कौशिश :- अनुमान नहीं लगा रहे हैं। हम लोगों ने देखा है। सभापति महोदय, पिछले समय ठेकेदारों की जो स्थिति रही है और जिस प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा प्रेशर बनाकर केवल इतने ही काम कराया जाता था कि आप अपना पैसा लगाओ और पैसा लगाकर प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिए कि हमको केन्द्र की राशि मिल जाए। उतना ही काम हुआ है। इसके कारण में नल-जल योजना के अंतर्गत उस समय जो कार्य हुए हैं, जिस स्तर का कार्य होना चाहिए था, उसमें जो गुणवत्ता होना चाहिए था, वह गुणवत्ता विहीन रहे हैं । मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इसकी समीक्षा करने की आवश्कता पड़ेगी, क्योंकि जब इतनी लागत लग गई है, टंकी बन गई है, पाईपलाईन बिछ गई है और पाईपलाईल बिछने के बाद में टोटी लग गई है, लेकिन टोटी से पानी निकलना चाहिए। लेकिन टोटी से पानी निकलने के बजाय आप टोटी खोलेंगे तो आपको वह सुखा दिखेगा। इसिलए इस योजना की एक बार पूरी समीक्षा करने की आवश्यकता है।

श्री कवासी लखमा :- कौन सी टोटी? माननीय सभापति जी, आज ..।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति जी, धरम जी, आप बताईये कि टंकी बन गई, पाइपलाईन बिछ गई, टोटी लग गई। अब दादी की टंकी में पानी नहीं आ रहा है, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा?

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, मेरी आपत्ति है । नये-नये उपमुख्यमंत्री हैं । एक लाईन को छोड़ दिया । पूरा मंत्रिमण्डल गोल । एक भी वरिष्ठ मंत्री नहीं है । सामने वाली ट्रेजरी बेंच खाली है । इतना झगड़ा क्यों ? दो महीने हो गये हैं लेकिन मंत्रिमण्डल ठीक नहीं है । एम.एल.ए. नाराज । यहां क्या चल रहा है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- उधर देखिये ।

श्री कवासी लखमा :- सब हैं । एक ही तो नहीं है, पीछे देखो । मस्त सो रहे हैं। (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- उनका मन नहीं लग रहा है, लगातार गायब हैं । माननीय सभापति महोदय, केवल इतना ही नहीं बल्कि जो पानी की व्यवस्था है । हमारे जो स्कूल, आंगनबाड़ी, आश्रमशाला, ग्राम स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन हैं । इन सब स्थानों में सहजता के साथ पानी पहुंच सके । इसके लिये इसमें जो प्रावधान किया गया है और लगातार हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं । मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो बचे हुए हैं उन संस्थाओं में भी हमारी पानी की व्यवस्था उपलब्ध हो जायेगी । इसके साथ ही बहुत सारी जगहों में जो नल-जल लगे हुए हैं, उसमें जो एक दिक्कत आ रही है, वह यह है कि उसका संचालन कौन करे ? बिजली का बिल कौन पटाये ? उसकी देखरेख इसलिये इस नल-जल की मॉनिटरिंग के लिये डेश बोर्ड, राज्य पोर्टल का निर्माण, शिकायत निवारण एवं नये कनेक्शन हेतु ऑनलाईन आवेदन की व्यवस्था, जल की गुणवत्ता, ऑनलाईन मॉनिटरिंग की जायेगी इसकी आपने जो व्यवस्था की है । वास्तव में बहुत सारी जगह जो समस्या आ रही है । जो हेण्डओवर होना चाहिए, पंचायत को जो लेना चाहिए लेकिन पंचायत उसे नहीं ले रही है,

विभाग वालों ने काम करके उसको दे दिया है । यह जो दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को भी दूर करने की आवश्यकता पड़ेगी कि जब तक उसको पंचायत लेकर नहीं चलायेगी तब तक आपका यह बना हुआ तो रहेगा लेकिन बनने के बाद उसका संचालन नहीं होगा तो आने वाले समय में उसको फिर मरम्मत की आवश्यकता पड़ेगी और अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी इसलिये उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो बन गया है, हम उसको जल्दी से जल्दी चालू करवायें और हेण्डओवर करके उसमें लोगों को पानी मिलने लगे । हमको यह प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी ।

माननीय सभापति महोदय, आपने बहुत सारी जगह में नगरीय निकाय में और बाकी जगहों में उसके लिये बजट में प्रावधान किया है कि जल आवर्धन योजना के अंतर्गत जहां नगर है वहां पानी मिल सके और पाईपलाईन द्वारा उन लोगों तक पानी पहुंचाया जा सके इसके लिये आपने इसमें बहुत सारा प्रावधान किया है । मैं अलग-अलग बताना नहीं चाहता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जल है तो कल है और जल है तो सब सुरक्षित हैं । इसका जो महत्व है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है और इसलिये इस योजना को लेकर पूरी गंभीरता के साथ जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है उसके अनुरूप राज्य सरकार के द्वारा अब मॉनिटरिंग की व्यवस्था के लिये जो सिस्टम बनाया गया है । आगे चलकर हम इस योजनांतर्गत लोगों को...।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, पी.एच.ई. की पूरी फाईल ही जल गई । पूरा कम्प्यूटर जल गया । मंत्री जी के यहां पर पूरी की पूरी आग लग गयी थी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- उस समय क्या एप्रूवल किया है, आपको आज उसकी फाईल नहीं मिलेगी ।

श्री राजेश मूणत :- पी.एच.ई. का तो पूरा मायने ही खत्म हो गया । पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही जल गया तो अब उसमें आगे क्या होगा ?

श्रीमती रायमुनी भगत :- माननीय सभापति महोदय, हमारा जशपुर पहाड़ी क्षेत्र है । माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि बहुत जगह पाईप तो बिछ गयी हैं, टंकी लग गयी है और टंकी नीचे गड्ढा में है और पहाड़ के ऊपर टोंटी लगाकर छोड़ दिये हैं। ऐसा पिछली सरकार ने काम किया है तो उसे सुधारना पड़ेगा। वो पहाड़ में टोटी लगाये हैं तो वहां कैसे पानी आयेगा? इसकी भी चिंता करनी पड़ेगी।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, टोंटी लगाने में सालभर थोड़ी न लगेगा।

श्रीमती रायमुनी भगत :- वो तो पिछली सरकार में होगे भैया।

श्री दलेश्वर साहू :- टोंटी लगाने में साल भर लग गया।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- पिछली सरकार में टोंटी ही नहीं था, इसलिए नहीं लगाये।

श्रीमती रायमुनी भगत :- वह सब काम पिछली सरकार में था।

श्री दलेश्वर साहू :- पानी ऊपर चढ़ जायेगा।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदया, अब जितना विस्तार हुआ है, उसके अनुरूप उसमें वर्कर की भी जरूरत पड़ेगी और इसमें 42 पद स्वीकृत हैं और इसमें जो भरे हुए पद हैं, वह 1506 है। रिक्त 1836 है। 5 साल में उसे नहीं भर पाये। और 5 साल इसी के कारण सब झंझट में पड़े रहे।

श्री कवासी लखमा :- 15 साल का है।

श्री धरम लाल कौशिक :- 15 साल का नहीं है। अभी पिछले समय का है। रिटायर होते गये, आपने भर्ती किया ही नहीं।

श्री उमेश पटेल :- कौशिक जी, एक बार वर्ष 2018 की स्थिति बता दीजिए।

श्री धरम लाल कौशिक :- किसमें?

श्री उमेश पटेल :- इसी में। कितने रिक्त थे? आप वर्ष 2018 की स्थिति बताइए न।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं आपको देखकर बता दूंगा।

श्री उमेश पटेल :- आपको तो 15 साल का मौका मिला था।

श्री धरम लाल कौशिक :- हमने किया। कितने रिटायर हुए। एक भी भर्ती 5 साल में नहीं हुई और 5 साल में एक भर्ती नहीं हुई, इसके कारण रिक्त दिखाई दे रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- ये आपकी आदत है न। ये जो आपकी आदत है कि हर चीज को इस 5 साल पहले की सरकार पर डाल दो। कौशिक जी, 15 साल आप लोगों को मौका मिला। 15 साल।

श्री धरम लाल कौशिक :- यह 15 साल का नहीं है, यह 5 साल का है। रिक्त पद को आपने भरा ही नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- आप वर्ष 2018 की स्थिति को बताइए।

सभापति महोदय :- उमेश जी। उमेश जी।

श्री उमेश पटेल :- आप वर्ष 2018 की स्थिति को बताइए।

श्री धरम लाल कौशिक :- तो जो भरे नहीं हैं..।

श्री उमेश पटेल :- आप वर्ष 2018 की स्थिति बताइए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, जी 15 साल में हम लोग पुल-पुलिया के लिए तरसते रह गये और हमारे पड़ोसी विधान सभा में पूरा नहर-नाली में भी सी.सी. रोड है वहां पर, उस समय हमारा बहुत ज्यादा माइनस किये थे, इस बार जोड़वा दीजिए।

समय :

3:32 बजे **(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)**

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय। पहली बार पीठासीन हुए हैं। आप उनका स्वागत कर दो। प्रबोध मिंज पहली बार बैठे हैं न।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, आप जारी रखिए।

श्री धरम लाल कौशिक :- नहीं-नहीं, आपका स्वागत करेंगे। ताली बजाकर स्वागत करिए न। अब बैठना शुरू कर दिए हैं। माननीय सभापति महोदय, नगरीय निकाय के अंतर्गत हमारा जो नगर-निगम, नगर-पालिका, नगर-पंचायत है और उसके लिए बजट में जो प्रावधान किये गये हैं, वह 1 हजार 2 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें मुख्य रूप से नगरीय निकाय में जो गरीब परिवार हैं, उनके शहरी आवास को लेकर माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा योजना प्रारंभ की गई और योजना प्रारंभ करने के बाद आज लगभग सभी नगरीय निकायों में जिनका आवास नहीं था, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और ऐसे लोगों का खुद का मकान कैसे बने, इसकी चिंता देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा चाहे ग्रामीण आवास हो, चाहे नगरीय निकाय में जो आवास की सुविधा दी गयी है, आज बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ की सरकार उप मुख्यमंत्री जी को इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। पिछले समय दो समस्या आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, नगरीय निकाय की बात कह रहे हैं तो 5 साल में बहुत सारे आवास आये हैं, लेकिन उनके पट्टे नहीं होने के कारण डोंगरगढ़ के बहुत सारे आवास रूके हुए हैं और उनका पट्टा नहीं होने के कारण उन्हें आवास नहीं दिया गया है तो आपके ध्यान में लाना चाहती हूं। जब आवास आ गया है तो उन्हें मिल जाये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, पिछले समय की दो समस्याएं थीं । कांग्रेस की सरकार के गठन के समय बिलासपुर के सीवरेज का मामला और रायपुर के स्काय वॉक का मामला सामने आया । स्काय वॉक का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस की सरकार इतनी तेज गति से चली और एक कमेटी बनाई गई । लेकिन आज वह समस्या ज्यों की त्यों बरकरार है । जो कमेटी बनाई गई आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया और उसमें विधायकों की कमेटी बनाई गई । कमेटी ने परीक्षण किया और आखिरी में उसका प्रतिवेदन आया, उसमें यह बताया गया कि स्काय वॉक को तोड़ना नहीं है, उसके बचे हुए काम को पूरा करना है । जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा उसको रोकने का काम किया गया, आज पांच साल में उसकी लागत कितनी बढ़ गई है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं । मैं समझता हूं कि इसका निराकरण होना चाहिए ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, वह रायपुर के लिए बहुत गंभीर समस्या है । आम आदमी ओखर नीचे मा रेंगथे तो सोचथे, रायपुर के बारे में सोचे के पहिली ओखर बारे में सोचथे कि एमा का

रेंगेथे, एला काबर बनाए हे ? स्काय वॉक बहुत चिंता के विषय हो गे हे । ओला बोलथे तो गंभीरतापूर्वक ओला कुछु बना देव या तोड़वा दो ।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, एक तो स्काय वॉक का निर्णय उप मुख्यमंत्री जी को लेना है । दूसरा जो बिलासपुर के सीवरेज का मामला है, इस मामले में भी कमेटी का गठन हुआ था । लेकिन उन दोनों कमेटियों के अध्यक्ष आज इस विधान सभा में चुनकर नहीं आए, उपस्थित नहीं हैं । बिलासपुर के सीवरेज की रिपोर्ट क्या आई, यह मुझे नहीं मालूम । लेकिन ऐसा मैं समझता हूं कि सीवरेज के मामले का भी निराकरण होना चाहिए ।

श्री अजट श्रीवास्तव :- सभापति महोदय, बिलासपुर के सीवरेज का पैसा था 400, 500 करोड़ वह तो दफन हो चुका है, उसमें एक बूंद पानी भी नहीं जा रहा है । जांच कमेटी का क्या हुआ, आज तक पता नहीं चल पाया और पूरा का पूरा 500 करोड़ रूपया दफन हो गया, उसकी जांच की जाए कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- उसके लिए कमेटी बनाई गई थी ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- तो कहां है रिपोर्ट ?

श्री धरमलाल कौशिक :- मुख्यमंत्री जी के द्वारा कमेटी बनाई गई थी । कमेटी बनाकर उसका परीक्षण करने की बात हुई कि आगे चलकर उसका क्या करना चाहिए ? लेकिन न उस कमेटी की रिपोर्ट आई और न ही उस कमेटी के अध्यक्ष यहां चुनकर आ पाए । अभी मसला लंबित है और उसका परीक्षण होना चाहिए कि कहां तक पहुंच गए हैं, अभी तक कितनी सफलता मिली है और शेष कितना बचा हुआ है, कितने दिनों में सीवरेज का काम पूरा हो जाएगा ? इस बात को लेकर उप मुख्यमंत्री जी चिंता करेंगे । मैं समझता हूं जिस भावना के साथ उस काम को शुरू किया गया था, उसको आगे बढ़ाकर उसको पूर्ण किया जाना बिलासपुर की जनता के हित में है।

सभापति महोदय :- धरमलाल जी 22 मिनट हो गए हैं, थोड़ा जल्दी करिएगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति जी, जब हम गांव की आबादी और शहरों की आबादी की बात करते थे तो हम यह मानकर चलते थे कि 80 प्रतिशत से ऊपर की आबादी गांव की है । लेकिन अब धीरे-धीरे शहरों पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है कि शहरों में 20 परसेंट, 25 परसेंट की आबादी हो गई है । शहर में दबाव बन रहा है और इस कारण आज इस बात की आवश्यकता है कि शहर की स्थिति अन्बैलेंस हो रही है । उसके कारण जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, चाहने के बाद भी वे सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं । अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं, खासकर शहरी क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर जिस तरह से किया जा रहा है तो जो व्यवस्था बनाई जाती है, उससे हटकर काम हो रहा है । आने वाले समय में और दिक्कत आएगी इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उप मुख्यमंत्री जी इस बात को ध्यान में रखेंगे। सभापति जी, बिलासपुर में नगर निगम के क्षेत्र में विस्तार किया गया इसके बाद 15

पंचायत और 3 नगर पंचायत और नगरपालिका को शामिल किया गया। उसको बनाने के लिए हम लोगों ने उस समय भी मना किया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। जो नगर निगम एरिया है, आप वहां ही उसका विकास ठीक से करें लेकिन उन्होंने उस समय जबर्दस्ती जिद में बनाया। उसको बनाने के बाद वहां पर जो ग्रामीण एरिया जुड़ा हुआ है, पहले पंचायतें थी तो मनरेगा की राशि मिल जाती थी, मनरेगा की राशि से वहां पर 2 करोड, 3 करोड़, 4 करोड़ रूपए का काम हो जाता था, आज उससे भी वंचित हो गये हैं। मैं पिछले पांच साल का अनुभव बता रहा हूं, वह अछूता ही रह गया है। वहां पर न तो रोजगार गांरटी से विकास का काम हुआ, न अन्य योजना से कोई काम हुआ। यहां पर आज भी 15 पंचायतें और तीन नगरीय निकाय उसी स्थिति में हैं बल्कि उससे खराब और बद्तर स्थिति हो गयी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उस एरिया पर विचार करना चाहिए और विचार करके तिफरा, सिरगिट्टी, सकरी हो गया, ऐसी जो एरिया है, उस एरिया को अलग निकालकर या तो अलग नगर निगम बना दिया जाए या उसको अलग नगरपालिका की स्थिति में है तो नगरपालिका बना दिया जाए, उससे ज्यादा विकास होगा। इस पर मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आगे इस पर विचार करें।

सभापति महोदय, यहां पर केन्द्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी योजना प्रस्तावित है। इस स्मार्ट सिटी योजना में रायपुर को शामिल किया गया है। अटल नगर नया रायपुर को शामिल किया गया है और उसके साथ बिलासपुर को भी शामिल किया गया है।

श्री रामकुमार यादव :- भैया, हमर सीनियर नेता ए, हम ओला बहुत दिन से देखत आत हन, हमन छोटे रेहेन तब ले विधायक मंत्री बनत आत हे। स्मार्ट सिटी कहिस ता मोला सुरता आ गे। देश के प्रधानमंत्री जी बोले रिहिस हे, भाईयों और बहनों मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, ओमे हमर रायपुर, बिलासपुर के नाम भी रिहिस हे लेकिन आज तक स्मार्ट सिटी के नाम से दू झोला सीमेंट घलो नई डालिस हे। ए मन का बात करथे ? एखर बारे में कोई कहे झन, करके दिखाए बबा हो। अउ हमन सुनत-सुनत थक गे हन।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति जी।

सभापति महोदय :- इसको जारी रहने दीजिए। लंबी सूची है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, एक मिनट से उपर नहीं लूंगा। नेता जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं और हर भाषण में जब भी आपको अवसर मिलता है तो आप बिलासपुर की चिंता जरूर करते हैं और यह अच्छी बात है करनी भी चाहिए लेकिन बिलासपुर में स्मार्ट सिटी जो काम कर रही है, आप सार्वजनिक रूप से सदन में बताईए कि आप उससे संतुष्ट हैं ? स्मार्ट सिटी ने बिलासपुर में बहुत अच्छा काम किया है या नहीं। आप यह थोड़ा सा बताईए।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप बोलेंगे तो मैं जांच के लिए बोल देता हूं कि उसकी जांच करा ली जाए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हां, मैं वही चाह रहा हूं। मैं जांच ही चाह रहा हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसकी जांच करा ली जाए। 5 साल में स्मार्ट सिटी में जो काम हुए हैं, उसकी जांच करा ली जाए। किस मापदंड से कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए उनकी जांच करानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- स्मार्ट सिटी के कार्य एजेंसी के नियंत्रण के लिए ही बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, आजकल बड़े आदमी के कोनो जांच होए हे का मोला बतावव। आप इतिहास देख लो। जांच करे में गाड़ी घोड़ा के डीजल सिराथे, आए जाए में समय सिराथे। अंडा बटे पराठा कुछ नहीं मिलने वाला।

श्री सुशांत शुक्ला :- अऊ भ्रष्टाचार करे मा देश के डॉलर बढ़ जाथे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जांच छोड़िए, अब स्मार्ट सिटी बना देंगे ना ? अब तो बन जाही ना।

श्री धरमलाल कौशिक :- स्मार्ट सिटी बन जाएगा नहीं, वह तो बना हुआ है। जो शहर बना हुआ है, स्मार्ट सिटी में पार्ट को लिया हुआ है। उसमें बिलासपुर के 14 पार्ट को लिया गया है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, हमारे इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, अगर वह कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में जांच होना चाहिए तो लगभग 600 करोड़ का मामला है, स्मार्ट सिटी का पैसा कहां लगा, कौन लगाया, एडवाइजरी बोर्ड ने क्या किया ? आदरणीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं तो बोल रहा हूं कि जांच कराई जानी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि उसकी जांच कराई जानी चाहिए।

(श्री रामकुमार यादव, सदस्य द्वारा बैठे-बैठे बोलने पर)

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, मंत्री जी सुन रहे हैं, अपनी बात रखेंगे।

श्री कवासी लखमा :- सभापति जी, हमारे वरिष्ठ विधायक हैं, विधान सभा अध्यक्ष भी थे, हम लोगों ने देखा है लेकिन इनके उपर कोई सुने तब तो। बार बार बोल रहे हैं कि जांच कराईए। मोदी जी ने कौशिक जी को अध्यक्ष से हटा दिया। अभी मंत्रिमंडल में आए तो नाम ही नहीं आया। वे बताएंगे तो कहां से सुनेंगे। काम ही नहीं होने वाला है। चिल्ला-चिल्ला के बोले पड़े हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, नगरीय निकाय के अंतर्गत बहुत सारी योजना है। उसमें केन्द्र सरकार की बहुत सारी योजना है। जिसमें लाभ देने का, काम करने का और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसके लिए जो स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हुआ है। हिंदुस्तान में काई यह कल्पना नही कर सकता था कि हिंदुस्तान भी सुंदर दिखेगा। लोग विदेश जाते थे तो मूंगफली के छिल्के को जेब में रखते थे और फिर बाद में डस्टबिन में डालते थे। लेकिन हम लोगों ने यहां पर देखा था कि

लोग यहां पर पान ठेला के पास पाउच को फाड़कर खाने के बाद उसे डस्टबिन के बाहर फेंकते थे। यह स्थिति रही है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस स्वच्छता अभियान को शुरू किया। इस स्वच्छता अभियान को शुरू करने के बाद आज जो स्वच्छता सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, ऐला महात्मा गांधी जी शुरू कर हें । नरेन्द्र मोदी जी सिर्फ लूटे के काम करत हें । ओहा ओमे चश्मा के फोटो ला दीस हें अऊ महात्मा गांधी जी के फोटो ला छोड़ दीस हें । चश्मा के का करही ? यदि देना हे तो महात्मा गांधी जी के चश्मा वाले फोटो ला दो । आप ए अतका कन झन बोलो । देश में स्वच्छता अभियान ला महात्मा गांधी जी हा शुरू करे रहीस हें । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- आप लोगों के द्वारा फैलायी गई गंदगी को साफ करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने पिछले 10 सालों में यही अभियान तो शुरू किया है कि आपकी सरकार के द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- इस देश के खजाना को बाहर ले जाने का काम नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- यह वही नरेन्द्र मोदी जी हैं जो कहे रीहिस हें - न खाऊंगा और न खाने दूंगा। नीरव मोदी हा हजारों करोड़ रूपये ला लेके ओखर गोड़ तरी ले बूलक के भाग गे। न खाऊंगा और न खाने दूंगा वाले हा का अइसने होथे ?

सभापति महोदय :- कौशिक जी, आधा घण्टा हो चुका है। अभी बहुत सारे सदस्य शेष हैं। आप लोग शांत रहिये। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- एक परिवार जमानत पर है और आप भ्रष्टाचार का नाम ले रहे हैं। आप पहले अपने गिरेबान में झांकर देखिये। (व्यवधान)

श्री जनकराम ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, स्वच्छ भारत अभियान के तहत् उन्होंने ऐसे शौचालय बनाये हैं, जहां पर पानी नहीं है। मैदान के पास शौचालय बनाये हैं, तालाब के पास नहीं बनाये हैं। यह नरेन्द्र मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, इन लोगों ने घर-घर शौचालय बनाने की बात कही थी। आज लोग शौचालय की मांग रहे हैं, लेकिन उनके घर में शौचालय नहीं बना है। यह अधूरे-अधूरे कार्य करते हैं। आप उसी कार्य को पूर्ण कीजिए और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को चमकायें। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, यहां पर मोदी जी नहीं हैं और वह सुन भी नहीं रहे हैं। यह केवल मोदी-मोदी कह रहे हैं। यहां पर मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। आप मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में बात कीजिए। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- मोदी जी हा कोरोनाकाल में सबले ज्यादा हमन ला बेवकूफ बनइस। थारी पीटो तो कोरोना भागेगा। का थारी पीटे ले कोरोना भागही ? लेकिन का करतेन ओखर डर में लोग थारी पीटीन। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- एक मिनट, आपको लोक सभा में जाना है तो मैं आपकी घटना बता रहा हूं। अभी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी आये थे तो अंबिकापुर और कोरबा की सभा में राहुल गांधी जी और खड़गे जी के द्वारा सवा घण्टा में 45 बार नरेन्द्र मोदी जी का नाम लिया गया। न्याय यात्रा में मोदी जी को छोड़कर कुछ नहीं है। 45 बार मोदी जी का नाम लिया गया है। मैं तो अभी 45 में पहुंचा नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- धरम भैया, वह अन्याय यात्रा है। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- जिससे देश पीड़ित चल रहा है उसका नाम तो लेंगे ही।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- दिल्ली के बाहर जो आदमी बैठा हुआ है, आप उस पर भी कुछ बोल दीजिए। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर मंत्री मन बिगड़त हवें। दिल्ली के सरकार में मंत्री मन ला निकले बर सोचेल लगत हें। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- आज 20,000 किसान दिल्ली को.. कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा निकालकर 5 साल तक लोगों के साथ अन्याय करती रही। न्याय यात्रा आज निकल रही है। आपने जो 5 साल तक अन्याय किया, उसको भी बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- किसान मन तुंहर मंत्री मन ला चारों तरफ ले घेरे हें। तुंहर मंत्री मन ला जाए बर सोचेल लगत हें। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सुशांत जी, संगीत जी, रामकुमार जी, बैठिये। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, जब आदरणीय मोदी जी बजट भाषण देते हैं तो उसमें 5-7 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- उन्होंने मोदी जी का 45 बार नाम लिया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मोदी जी अपने हर भाषण में कांग्रेस का नाम लेते हैं। उनके हर भाषण में कांग्रेस का नाम रहता है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- उनका नाम लिया तो क्या हुआ ? यदि वह गलत करेंगे तो वह बोलेंगे ही और उनका नाम तो आएगा ही।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यगण, यह तरीका ठीक नहीं है। जब टोका-टाकी करना बहुत जरूरी हो, तब आप करें। विषय और अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। धरम जी, आपको आधा घण्टा से ज्यादा हो गया है। अभी बहुत सारे सदस्य शेष हैं इसलिए आप जल्दी से जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मुझे जितना समय हुआ है, आप उसमें से आधे समय को इनके में निकाल दीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महोदय जी, चंद्राकर जी को उठाइये।

सभापति महोदय :- आप बैठिये।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर भाषण ला सुन के ओखर सुध भुलात हें।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण होने से आज छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत सुधरी है। आज हम देख रहे हैं कि यदि आप गांव की गलियों, तालाब और अन्य जगहों पर जाएंगे तो वहां पर स्वच्छता दिखाई देगी। यह केवल मोदी जी के कारण संभव हुआ है। उस समय लोग हंस रहे थे कि स्वच्छता के नाम पर इसमें बजट नहीं है, यह नहीं है तो हम कैसे करेंगे? लेकिन आज वह स्वच्छता दिखाई देने लगी है। आज स्थिति यह है कि यदि किसी के साथ बच्चे चल रहे हैं तो उस समय केला खाकर छिलका फेंकने की किसी की हिम्मत नहीं है और यदि किसी ने फेंक दिया तो दूसरे दिन उसका बच्चा टोंकेगा कि पापा यह ठीक नहीं है कि आपने केले के छिलके को सड़क पर फेंक दिया। ये बात लोगों की जुबान पर आ गई है । (मेजों की थपथपाहट) स्वच्छता को लेकर इतनी जागरूकता आई है ।

माननीय सभापति महोदय, वार्डों में जो क्लीनिक चलाई जा रही है । मैं समझता हूं कि उसकी मानीटरिंग करके जितनी अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, वह किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को उसका लाभ मिले । प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में पहले 10 हजार रूपए बिना गारंटर दिया जाता है । आपने उसको वापस किया तो फिर 20 हजार रूपए और 20 हजार के बाद में 50 हजार रूपए दिया जाता है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो क्लीनिक की बात की है, वह कौन से क्लीनिक की बात की है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- किसी की सरकार बोलूं या न बोलूं, वह बात नहीं है। वह अच्छा काम है तो अच्छा काम है ।

सभापति महोदय :- धरम लाल जी, आप अपनी बात इधर रखिए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य कहना चाहते हैं कि हाट बाजार क्लिनिक में अच्छा काम हुआ है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 50 हजार रूपए दी जा रही है, उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार का अवसर मिला और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को भागीदारी मिले, हम लोग यह चाहते हैं ।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में 10 हजार स्वच्छता दीदी काम कर रही हैं । उनके माध्यम से जो सफाई व्यवस्था हो रही है, वह हम देख रहे हैं । आज 10 हजार स्वच्छता दीदी ने काम किया है, मैं इस विधान सभा के माध्यम से उन स्वच्छता दीदी को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी सफाई में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है और आपकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण छत्तीसगढ़ का परिदृश्य बदला हुआ दिखाई दे रहा है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, आप सफाई कर्मियों की बात कर रहे हैं । अभी हमारे प्रदेश के बहुत सारे सफाई कर्मी हड़ताल में बैठे हुए हैं, उनको चार महीने से वेतन नहीं मिल रहा है । उनको जल्दी से जल्दी मानदेय दिलवा दीजिए, ताकि उनको सुविधा हो सके । वे भी गरीब हैं । सफाई कर्मियों का वेतन जल्दी करवा दीजिए ।

श्री धरम लाल कौशिक :- हम लोग पिछले 5 साल में उनके पास बहुत गए हैं, अब आप लोगों की बारी है, आप लोग उनके साथ जाकर बैठना शुरू करिए । इस बार कुछ-कुछ सुधार के लिए हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देव जी की सरकार में जो बजट आया है, उससे इस प्रदेश के 168 नगरीय निकायों में ई-गर्वनेंस के तहत बजट एवं एकाऊंटिंग मॉड्यूल स्थापित किया जाएगा और 17 निकायों में प्रापर्टी सर्वे किये जाने हेतु जी.आई.एस. आधारित साफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा । इससे प्रापर्टी टैक्स में पारदर्शिता आएगी और इन कार्यों के लिए 30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । इसमें हमेशा जो तकलीफ होती है, वह तकलीफ हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और पारदर्शिता के साथ में जो टैक्स है और बाकी जो चीजें हैं, वह लोगों को मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं । शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अमृत मिशन योजना में 795 करोड़ रूपए का प्रावधान है । मैं बताना चाहूंगा कि पहले अमृत मिशन योजना में नगर निगम को शामिल किया गया था और नगर निगम को शामिल करने के बाद जितने हमारे निकाय हैं, उन सभी को शामिल किया गया है और उसके लिए 795 करोड़ और अधोसंरचना विकास मद में 700 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, हम सब चाहते हैं कि हमारे शहर में अच्छी लाईब्रेरी होनी चाहिए और उस लाइब्रेरी के लिए नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की तर्ज पर सेन्ट्रल लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण किया जाएगा । इस हेतु 148 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । निश्चित रूप से

शहरवासियों को और पढ़ने-लिखने वाले खासकर जो हमारे छात्र हैं, जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं, ऐसे लोगों द्वारा समुचित रूप से इसका उपयोग किया जाएगा ।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय, पढ़ने-लिखने वाले मन का शहर में ही निवास करथें, ग्रामीण क्षेत्र में निवास नहीं करय ?

श्री धरम लाल कौशिक :- अभी शहर के नगरीय निकाय की बात चल रही है।

श्रीमती चातुरी नंद :- मैं वही ह बोलथौ कि हमर बड़े भैया ह शहर के तर्ज में शहर के लईका मन बर करे हे ।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं बताता हूं, आप अपने क्षेत्र के पंचायत में जाना। जब अजय चन्द्राकर जी पंचायत मंत्री थे, उस समय उनके द्वारा स्वामी आत्मानंद वाचनालय हर पंचायत में खोला गया है, जिसका रख-रखाव आप लोग नहीं कर पाए। उसको हम लोग क्यों करें ? आप अपने पंचायत में जाकर देखिए, वहां पर वाचनालय है, लेकिन उसका समुचित उपयोग होना चाहिए, वहां पर जाना चाहिए, देखना चाहिए। यदि कोई कमी है तो उस कमी को दूर करने के लिए सुझाव देना चाहिए ।

श्रीमती चातुरी नंद :- कोई भी पंचायत में अभी तक व्यवस्था नहीं होही ।

श्री धरम लाल कौशिक :- आपके मद में जो राशि है, उस राशि से नये पुस्तक और लाईब्रेरी बढ़ाने व उसकी सुविधा के लिए आपको उसके लिए राशि देनी चाहिए, आपकी क्षेत्र की जनता आपको धन्यवाद देगी ।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, स्वामी आत्मानंद वाचनालय की कार्यवाही इनके कागज में भले ही हुआ होगा, हम भी गांव में रहते हैं, कहीं पर स्वामी आत्मानंद वाचनालय नहीं दिखा । स्वामी आत्मानंद स्कूल माननीय बघेल साहब के द्वारा बनाया गया है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- किसी पंचायत के स्वामी आत्मानंद वाचनालय गए आप गए हैं, किस गांव में गए हैं, मुझे एक गांव बताईए ?

श्री दिलीप लहरिया :- मैं हर गांव में गया हूं। मैं गांव में रहता हूं।

श्री धरम लाल कौशिक :- गांव में रहने से क्या होता है ?

श्री दिलीप लहरिया :- आपके बिल्हा का कैसा है, मैं वह भी बता देता हूं। आप जहां रहते हैं, आप किस स्वच्छता की बात कर रहे हैं। आप माननीय वरिष्ठ नेता हैं। हम भी बिल्हा जाते हैं। आप नगर निगम का कितना विकास किए हैं, मैं जानता हूं। बिलासपुर को बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आपका भी नंबर है। आपको बोलने का अवसर मिलेगा। आप अपने समय में बोलियेगा। कृपया उनके समय को ध्यान रखिये। बहुत सारे सदस्यों को बोलना है। धरम लाल जी, कृपया समाप्त कीजियेगा।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, बस छोटा-छोटा सा और बोल लेता हूं।

श्री दिलीप लहरिया :- वहां शौचालय का भी पता नहीं है। 12 हजार रूपये वाला शौचालय बना था, आज तक एक भी शौचालय का पता नहीं है। आप माननीय वरिष्ठ नेता हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- 12 हजार रूपये के शौचालय में क्या रखते हो ? लकड़ी छेना रखते हो क्या ?

श्री दिलीप लहरिया :- हां, लकड़ी छेना ही रखा गया है, और क्या ?

श्री धरम लाल कौशिक :- आप जैसा आदमी रहेगा तो वैसा ही करेगा।

श्री रामकुमार यादव :- शौचालय के बात करत हस, बने मोटहा आदमी ला खुसार देहा तो उहां ले निकलय नहीं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- स्वच्छता में पूरा गांव स्वच्छ हो जा रहा था।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं और ये लोटा लेकर जा रहे हैं। अगर ये लोटा लेकर जायेंगे तो विकसित भारत कैसे बनेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। यह शौचालय लकड़ी-छेना रखने के लिए नहीं है।

श्री दिलीप लहरिया :- हम मान रहे हैं टायलेट बनना चाहिए। लेकिन मैंने उस 12 हजार रूपये को बढ़ाने का निवेदन किया था। 12 हजार रूपया दिया गया था। लेकिन आज तक 12 हजार रूपये में शौचालय बन सकता है क्या ? नहीं बन सकता। उसको 50 हजार रूपया करना था। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, चलिये कोई बात नहीं है। नहीं बना तो कोई बात नहीं, अभी बजट को बढ़ा दिया जाये। अब हर घर में शौचालय रहना चाहिए।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- माननीय सभापति महोदय, पूरे गांव के प्रत्येक घर में 12 हजार रूपये में शौचालय बना है। आप गांव-गांव में घूम-घूमकर देखिये।

श्री दिलीप लहरिया :- इतना असत्य मत बोलिये, कहीं नहीं बना है, कहीं नहीं बना है।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- 12 हजार रूपये में बना है और केन्द्र सरकार के सहयोग से बना है। आप प्रत्येक गांव में जाईये, आपको दिखाई देगा। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- पिछले 5 साल तक मौन थे, पांच साल तक चुप थे। पिछले 5 साल तक मौन समर्थन करने वाले आज बड़े मुखर हो रहे हैं। आप लोग पिछली सरकार में 5 साल तक क्यों मौन थे ? तब मांग करनी थी। आज अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि चर्चा को निरंतरता दें। जबरन रोक-टोक ना करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, लोग आज भी शौचालय के लिए आवेदन देते हैं। आपकी सोच है तो उनको शौचालय के लिए राशि लाकर दें।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं। सबको नियम प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी है। आपस में चर्चा ना करें।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, एक मिनट। यदि अभी भी आपकी जानकारी में नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। अभी भी जिनके यहां शौचालय नहीं है तो आप उसके लिए ग्राम पंचायत में आवेदन लगायें। आवेदन लगाने के बाद जियो टेगिंग करेगा। आपको शौचालय बनाना है और उसका सत्यापन कराना है। हमारे केन्द्र सरकार द्वारा 12 हजार रूपये आपके खाते में आयेगा। इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप शौचालय बनवाईये। पैसा आपके खाते में आयेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, यदि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो लोग आवेदन लेकर घूमते हैं। लेकिन उनको शौचालय के लिए पैसा नहीं दिया जाता है। यह आप गलत बोल रहे हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- आप लोग 5 साल में क्या किए ? आप लोग शौचालय क्यों नहीं बनवाये ? जब केन्द्र सरकार पैसा दे रही है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- हमारे भी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को शौचालय के लिए पैसा नहीं दिया गया।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- दीदी, आपको नहीं मालूम। ये पांच के दौरान फार्म लेकर घूम रहे हैं। उसके पहले बना था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- बताया जाता है कि यह योजना बंद हो चुकी है।

श्री धरम लाल कौशिक :- यह योजना कोई बंद नहीं हुआ है। मैं उसको बता रहा हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- चलिये, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में सर्वे करवाकर भिजवा दूंगी, आप करवाईये।

श्री धरम लाल कौशिक :- चलिये, सर्वे करवाओ। माननीय सभापति महोदय, लोगों को त्वरित न्याय मिले। इसके लिए हमारी सरकार द्वारा बीजापुर में सत्र न्यायालय खोलने के लिए 1.45 करोड़ का प्रावधान किया गया है, इससे बीजापुर में सत्र न्यायालय की स्थापना होगी। (मेजों की थपथपाहट) इसके साथ ही 40 व्यवहार न्यायालय, 10 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना के लिए 21 करोड़ रूपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। मैं उसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो पहले वकालत करता था। जब मैं वकालत करता था, हमने उस समय देखा है कि उस समय लोग कितनी दूर-दूर से आते थे और वहां आकर दिन भर बैठे रहते थे। उसके बाद शाम को अपने घर जाते थे। अभी हमारी सरकार के द्वारा लगातार प्रयास हो रहा है कि आपके एरिया के जितना नजदीक हो सके, वहां पर व्यवहार न्यायालय खोल रही है। वहां पर व्यवहार

न्यायालय खोलकर उन लोगों को त्वरित न्याय मिल सके, इसके लिए जो व्यवस्था की जा रही है, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। लोगों को समय पर न्याय मिलना चाहिए। यदि एक निश्चित समय के पहले न्याय नहीं मिला और देरी होती है तो उस न्याय का मतलब नहीं है। इसलिए लगातार प्रयास हो रहा है। सभापति महोदय, मैं मोहले जी को बधाई देना चाहता हूँ कि मोहले जी बोल रहे थे कि फार्स्ट ट्रैक क्या है ? फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के लिये 33 फास्ट लाख ....

श्री पुन्नूलाल मोहले :- फास्ट ट्रैक कोर्ट खुला है बोल रहा हूँ ।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, उसके लिये प्रावधान किये हैं कि उसको जल्दी न्याय मिल सके, उसमें संदर्भों को लेकर जल्दी सुनवाई हो सके, जिससे जजमेंट जल्दी से जल्दी हो और त्वरित न्याय मिले, इसके लिये व्यवस्था की गई है ।

सभापति महोदय :- धरमलाल जी, 45 मिनट हो गये हैं, जल्दी समाप्त करे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- 45 में आधा इनका ले लीजिए । कटघोरा जिला कोरबा में परिवार न्यायालय की स्थापना के लिये 19 पदों का सृजन एवं 50 लाख का प्रावधान किया गया है । इसी प्रकार से महासमुंद और जगदलपुर न्यायालय भवन तथा 24 स्थानों पर व्यवहार न्यायालय जो भवन नहीं था, कुल मिलाकर 26 ऐसे न्यायालय के लिये भवन व्यवस्था हेतु हमारी सरकार द्वारा 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे बहुत शीघ्र ही भवन की व्यवस्था होगी और समुचित रूप से हमारे वकीलों को, हमारे पक्षकारों और निर्णय देने के लिये जजों की व्यवस्था की जायेगी । माननीय सभापति महोदय, पी.डब्लू.डी. और सड़कों के बारे में जो हमारी अवधारणा है कि जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह होता है, रक्त का प्रवाह करने के लिये जो धमनी का महत्व है, उसी प्रकार से प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने के लिये हमारे सड़कों का महत्व है ।

श्री उमेश पटेल :- सुनिये तो, टोटल बजट का कितना परशेंट सड़कों को दिया गया है, यह बता दीजिए ? परशेंट में बता दीजिए ।

सभापति महोदय :- उमेश जी, आसंदी इधर है, आप सीधे बात कर रहे हैं । आप सीनियर सदस्य हैं ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मैं उनसे इतना ही पूछ रहा हूँ कि कितना परशेंट इन लोग एड किये हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- आप लोग जितना किये हैं, उससे ज्यादा । मैं बता दिया ना कि आप लोग जितना करते थे, उससे ज्यादा । आप लोगों की सड़कें एक जिले में बनती थी । केवल एक जिला में । (व्यवधान) आपकी सड़कें दो विधान सभा में बनी । जितना पैसा मिला दो विधान सभा में समा गया ।

श्री उमेश पटेल :- आपके लिये बजट नहीं दिया गया है । आपको ठगा गया है । यह जो बोल रहे हैं ना रक्त वाहिनी हुई है, बिल्कुल सही है । हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, अगर अगली बार ज्यादा बजट लेकर आयेंगे ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपकी सरकार में तो 8 हजार दिया गया है, कम दिया गया है ।

सभापति महोदय :- धरमलाल जी, आगे बढ़िये ।

एक माननीय सदस्या :- डबल इंजिन की सरकार ए, तभो ले आप मन करे हव ।

श्री उमेश पटेल :- 5 परशेंट भी नहीं निकलेगा ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, पी.डब्लू.डी विभाग महत्वपूर्ण विभाग है । उसमें चाहे भवन निर्माण की बात हो, चाहे उसमें सड़क निर्माण की बात हो, चाहे सेतु निर्माण की बात हो, उसके लिये जो बजट का प्रावधान किया गया है, निश्चित रूप से इस प्रदेश को गति मिलेगी । पिछले पांच सालों में हमने देखा कि हमने जो 15 सालों में सड़कें बनाई थी, उन सड़कों का नया नहीं, उस सड़कों का पेंच रिपेयर करने की स्थिति में ...।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी,..

श्री धरमलाल कौशिक :- उन सड़कों का पेंच रिपेयर करने की स्थिति में यह कांग्रेस की सरकार नहीं रही है और एक सड़क का पेंच रिपेयर पिछले पांच सालों में नहीं हुआ है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, झूठ बोल रहे हैं....(व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सभापति महोदय, 15 साल में आपने दो सड़के बनाई थी, वह इतना जर्जर था कि ...(व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- 5 साल लूट की दुकान चलाने वाले...(व्यवधान) घोटालों की बारात थी..(व्यवधान)

श्री प्रणव कुमार मरपची :- सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहे हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- उमेश जी, बैठिये, बैठिये ।

श्री मोतीलाल साहू :- झूठ बोलना बंद करें ।

सभापति महोदय :- मरपची जी, प्लीज बैठिये। देखिये, यदि आप लोग इस तरह से टोका-टाकी करेंगे तो यह उचित नहीं है। आप व्यवस्था के हिसाब से चले।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, यह लोग असत्य पे असत्य बोले जा रहे हैं। जबकि हमारी सरकार ने तो जर्जर पुल का निर्माण कराया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोगों का समय आयेगा तो आप लोग भी बोलिये। आपका भी नाम है। बहुत सारे सदस्यों का नाम है, जिनको कहना है। वह बाद में अपनी बात कह सकेंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वरिष्ठ नेता जी से निवेदन कर रहा हूं कि आपने डामर नहीं लगाया है, बल्कि सरकार के ऊपर आरोप लगाया है। आप चीफ सेक्रेटरी की कमेटी बनाईये, विधायक दल की कमेटी बनाईये। मैं आपको गांवों में ऐसी भी सड़कें दिखा दूंगा, जिसका निर्माण यह सरकार द्वारा मुआवजा देकर किया गया है। चलिये, आप जांच करा लीजिये।(व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, आजादी के (व्यवधान) पूरे प्रदेश में (व्यवधान)।

सभापति महोदय :- अटल जी, बैठिये। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, आपने बजट में सड़कों के लिये 5 प्रतिशत भी राशि नहीं दी है। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति जी, 05 साल तक मौन धारण करके बैठने वाले लोग (व्यवधान)। आप तो ट्रेजरी बेंच में बैठे थे। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सुशांत शुक्ला जी, बैठिये। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, यह कह रहे हैं कि जांच करा दीजिये। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय सबसे वरिष्ठ सदस्य यहां पर बोल रहे हैं। यह पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमेंट ने अपना डाटा दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि पिछले 05 सालों में कितनी सड़कें बनाई गई, कितनी सड़कों का (व्यवधान) किया गया। यह उसके बाद भी यहां सदन में खड़े होकर असत्य बोल रहे हैं। यह तो गलत बात है। इनके डाक्यूमेंट बता रहे हैं कि हमने कितनी सड़कें बनाई हैं।

श्री उमेश पटेल :- झूठ बोलने की क्या जरूरत है?

श्री अटल श्रीवास्तव :- सभापति महोदय, यह डॉक्यूमेंट में है कि कितनी सड़कें बनाई गई।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप चलिये ना। मैं ग्रामीण सड़कों को दिखाऊंगा।

श्री रामकुमार यादव :- यह झूठ बोले के मठाधीश हे। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- (व्यवधान) आप इसकी तारीफ कर दीजिये।

श्री उमेश पटेल :- क्या आप यह बात को मानते हैं कि मंत्री जी इस प्रतिवेदन में असत्य लिखवाये हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, मैं तो उस विषय पर चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। मैं जिस पर चर्चा कर रहा हूं।

श्री उमेश पटेल :- क्या आप यह बोल रहे हैं कि मंत्री जी प्रतिवेदन में असत्य लिखवाये हैं ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- उमेश जी, बैठिये। देखिये यह तरीका एकदम ठीक नहीं है कि आप लोग आपस में एक दूसरे को संबोधित कर रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, हम रायपुर से निकलते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग में चलते हैं। वहां से जाकर उमेश जी घर पहुंच जाते हैं। हमारे द्वारिकाधीश यादव जी, यह महासमुंद वाले हाईवे से निकल जाते हैं। यह हाईवे में चले हैं और इनको लग रहा है कि उस सड़क को हम बनाये हैं। (मेजों की थपथपाहट) (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, (व्यवधान) आप विश्वास कीजिये कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सड़क बनाई है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- सच्चाई को दबाने के लिये यह पूरे के पूरे सदस्य खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, गरीब आदमी इलाज कराने जाथे। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- मंत्री जी, आप प्रतिवेदन को ले जाईये, वापस कराईये और फिर से पटल पर रखवाईये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापित महोदय, इस प्रतिवेदन पर सवाल किया जाये। (व्यवधान)

श्री जनक ध्रुव :- सभापति महोदय, जो सड़क 15 सालों में नहीं बनी थी, वह 5 सालों में बनी है। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपके वरिष्ठ ही आपके प्रतिवेदन को गलत बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, इनको यह बोलना चाहिए कि यह (व्यवधान)

सभापति महोदय :- उमेश जी। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यह प्रतिवेदन गलत है। (व्यवधान) भी होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आपके द्वारा बनाये गये (व्यवधान)।

श्री सुशांत शुक्ला :- आप जो चाहते है कि (व्यवधान)।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, यह हमारा किया हुआ कार्य है। आप हमको विश्वास दिलाये और यह प्रतिवेदन को वापस कराया जाये। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- पुन्नूलाल जी, बैठिये। आप लोग बैठिये। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सुशांत जी, बैठिये। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, इसमें जांच करवाई जाये। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- कृपया शांति रखिये। सुशांत जी, बैठिये। (व्यवधान) आप लोग कृपया शांति से बैठिये।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

मैं खड़ा होकर आप सब को कह रहा हूं कि आप सब लोग बैठिये। सुशांत जी बैठिये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- यह प्रतिवेदन गलत है।

सभापति महोदय :- प्लीज, आप बैठिये। सदन की कार्यवाही चलने दीजिये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सभापति महोदय, प्रतिवेदन को वापस लिया जाये। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिये वरना मुझे आगे की कार्यवाही करनी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यह गंभीर बात है।

सभापति महोदय :- मैं इस सदन को 5.00 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(4.10 से 4.33 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय

4.33 बजे **(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)**

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, हम लोगों को बहुत दु:ख हुआ कि पूर्व मंत्री जी ने जो लिखकर लाया है, उसे कहते हैं कि यह नहीं लिखा है। अगर विधान सभा चलाना है। यह हम लोगों को मंजूर है यह आपको भी मंजूर है। माननीय वरिष्ठ विधायक विधान सभा अध्यक्ष रह चुके हैं, वह माननीय नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं इस तरह की बात करने से हमें बहुत दु:ख पहुंचा है। अगर माननीय सदस्य खेद व्यक्त करेंगे कि मेरे मुंह से गलत बात निकली है। तब हम लोग विधान सभा चलने देंगे। नहीं तो हम लोग विधान सभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, पहले आप यह निर्णय करिये कि यह प्रतिवेदन सही है या नहीं है? क्योंकि माननीय वरिष्ठ सदस्य ने इस विभागीय प्रतिवेदन पर अविश्वास जाहिर किया है। अगर यह विभागीय प्रतिवेदन सही नहीं है तो हम लोग कोई इस प्रतिवेदन पर चर्चा में भाग नहीं लेंगे। आप इसे वापस लीजिए, इस प्रतिवेदन को सही करिये । जब यह प्रतिवेदन सही हो जाएगा तब हम लोग इस पर चर्चा में भाग लेंगे।

माननीय सभापति महोदय, अगर यह प्रतिवेदन सही नहीं है तो इस पर चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए आप इस बात का निर्णय लीजिए कि यह प्रतिवेदन सही है तब हम लोग चर्चा में भाग लेंगे । माननीय वरिष्ठ सदस्य इसके लिए खेद व्यक्त करें, माफी मांगे। तब हम लोग चर्चा में भाग लेंगे। अगर यह प्रतिवेदन सही नहीं है तो इस चर्चा का कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम लोग किस प्रतिवेदन पर बात करेंगे। इस प्रतिवेदन का जो डाटा है जिस पर हम लोग चर्चा करने के लिए खड़े हुए हैं उस चर्चा का कोई मतलब नहीं होगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, आप मेरे पूरे भाषण को निकलवा लीजिए। माननीय सदस्य जिस प्रतिवेदन की बात कर रहे हैं, उस पर अविश्वास की बात कर रहे हैं। यह अपने मन से जोड़ने से नहीं चलेगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप निर्णय लीजिए। यह प्रतिवेदन सही है तभी हम चर्चा में भाग लेंगे। अगर ये प्रतिवेदन सही नहीं है तो इसमें चर्चा में भाग लेने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, यह प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बनाया। इनको मंत्री नहीं बनाये तो यह ऐसी बात कर रहे हैं, हमको क्या नुकसान है? इनको मोदी ने मंत्री बनाया है, वहां मोदी जी को जाकर बोलें। यहां जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं?

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, पहले यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह प्रतिवेदन सही है या फिर उनकी बात गलत है।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, वरिष्ठ सदस्य ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि उनके भाषण को निकलवा कर देख लिया जाये तो प्रतिपक्षी सदस्यों की आपत्ति नाजायज है। यह आपत्ति खारिज करते हुए चर्चा शुरू रखनी चाहिए।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, आप बैठिये। देखिये, यह जो विषय आया, धरमलाल कौशिक जी, अपनी बात रख रहे थे, मैंने दो-तीन बार अपनी व्यवस्था दी कि यदि कोई सदन में अपना भाषण दे रहा है तो अनावश्यक टोकाटाकी न करें। उस व्यवस्था के बावजूद लगातार टोकाटाकी होती रही है और कई बार मैंने इस बात को कहा। उनको पढ़ने में, कहने में या इस विषय में भले कुछ बात को कहा होगा, लेकिन जो प्रशासकीय प्रतिवेदन है जो शासन द्वारा वितरित किया गया है, वही अधिकृत शासकीय प्रतिवेदन है। मैने कार्यवाही से पूरे अंश देख लिये हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए सदन को आगे चलने दें।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने इस प्रतिवेदन पर अविश्वास जाहिर किया है। अविश्वास इस तरह से जाहिर किया गया है कि उस प्रतिवेदन में साफ-साफ लिखा हुआ है कि पिछले दो साल में क्या-क्या काम हुए हैं, कितना बजट एलोकेट हुआ है। इन्होंने कहा कि कोई काम नहीं हुआ है, एक ढेला का काम नहीं हुआ है, पेच रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ है। अगर आप चाहें तो प्रतिवेदन की कापी एक बार फिर दिखवा लें। इसे ही अविश्वास कहते हैं। अगर प्रतिवेदन सही नहीं है, मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि यह व्यवस्था का प्रश्न है, आप इसमें व्यवस्था दें कि अगर ये प्रतिवेदन सही नहीं है तो हम लोगों का इसमें चर्चा में भाग लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर प्रतिवेदन सही है तो माननीय वरिष्ठ सदस्य आप हमसे इस बात के लिए खेद व्यक्त करें या माफी मांगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मेरे भाषण को निकाल लिया जाये और पढ़ लिया जाये। मैंने कौन सी आपत्तिजनक बात कही है और उसमें कौन सी बात आपत्तिजनक है ? यह जो प्रतिवेदन की बात कर रहे हैं, प्रतिवेदन शब्द तो मेरे मुंह से एक बार भी आया ही नहीं है। आप मेरा पूरा भाषण निकाल लीजिए। मैने आरोप लगाया है। ... (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति जी, वह प्रतिवेदन गलत नहीं है। आप प्रतिवेदन देखकर ही चर्चा में भाग ले रहे हैं। .. (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिये। मैं बता रहा हूंऍ ... (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं यहां बैठा हूं और पूरी जवाबदारी से बोला हूं।... (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, इस पर व्यवस्था दीजिए। अगर इस पर व्यवस्था नहीं आयेगी तो चर्चा का कोई मतलब नहीं रह पायेगा।

श्री मोतीलाल साहू :- आप लोग चर्चा से मत भागिये, चर्चा में भाग लीजिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, प्रतिवेदन सही है या नहीं, पहले इस पर व्यवस्था आनी चाहिए। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय :- कृपया सदस्यगण बैठ जायें। मैं आपको व्यवस्था के विषय में बता रहा हूं। सदस्यगण शांत रहें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, पहले आप इस पर व्यवस्था दीजिए कि प्रतिवेदन सही है या गलत है? संसदीय कार्य मंत्री जी, अगर प्रतिवेदन गलत है तो इस चर्चा का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अगर प्रतिवेदन सही है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- आप बैठिये, मैं आपका जवाब दे देता हूं।

श्री उमेश पटेल :- मैंने व्यवस्था सभापति जी से मांगी है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मै जवाब दे देता हूं।

श्री उमेश पटेल :- मैंने व्यवस्था मांगी है।... (व्यवधान) जब तक व्यवस्था नही आयेगी, इस बात की चर्चा नहीं होगी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुझे व्यवस्थाओं के प्रश्न पर बोलने का अधिकार है।

श्री उमेश पटेल :- आप सभापति जी से अनुमति लीजिए, आप अपनी बात रखिये। मैंने व्यवस्था सभापति जी से मांगी है। सभापति जी, आप व्यवस्था दीजिए।

सभापति महोदय :- उमेश जी, मैंने व्यवस्था की बात कही है। धरम लाल जी ने जो बात कही है और हमने इसकी कार्यवाही के अंश देखा है, उसमें धरम लाल जी ने कहा है कि उन सड़कों पर पैंच

रिपेयर करने की स्थिति में या कांग्रेस की सरकार नहीं रही है और एक सड़क का पेंच रिपेयर पिछले पांच सालों में नहीं हुआ है और मैंने ..।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, इसमें गलत क्या है?

श्री उमेश पटेल :- प्रतिवेदन में सारी चीजें नहीं हैं। यदि प्रतिवेदन में अविश्वास जताया है तो उसमें चर्चा का क्या मतलब है?

एक माननीय सदस्य :- भाई, प्रतिवेदन में कहां उल्लेखित है? (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यही तो बात है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, यदि प्रतिवेदन सही नहीं है तो माननीय सदस्य इस पर माफी मांगे और यह गलत बोल रहे हैं तो चर्चा हो ही नहीं सकती।

श्री सुशांत शुक्ता :- सभापति महोदय, वरिष्ठ सदस्य जनता के विरूद्ध मांग कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह जो प्रतिवेदन है, यह इस सदन में reference के लिए होता है। किसी सदस्य को उस प्रतिवेदन के आधार पर बोलना आवश्यक नहीं है। कोई भी सदस्य अपनी बातों को इस सदन में रख सकता है और उसको रखने से कोई रोक नहीं सकता है। सदस्य गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, यह उसके भाषण का कोई आधार नहीं है। उसको स्वतंत्र रूप से बालने का आधार है। इसलिए इसके ऊपर में कोई चर्चा का विषय नहीं है और इसके लिए एक नियम-प्रक्रिया है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, हम प्रतिवेदन पर किसी भी तरीके से बात करने पर नहीं लगा रहे हैं। यह किसी भी तरह की बात करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम लोग reference लेकर चर्चा कर रहे हैं, वह प्रतिवेदन सही है या नहीं है, इसका आप निर्णय करें। यदि सही है तो हम इस चर्चा पर भाग लेंगे और यदि सही नहीं तो इसको वापस लीजिये। इसको सही करिये, उसके बाद पटल पर रखिए, उसके बाद चर्चा शुरू होगी।

सभापति महोदय :- उमेश जी, बैठिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मुझे इस सदन में काम करते हुए 35 साल हो गये हैं। प्रतिवेदन में क्या छपा है, क्या नहीं छपा है, यह सरकार के विवेक पर है, परंतु माननीय सदस्य जो कहता है, वह अपने विवेक से कहता है। इसलिए वह प्रतिवेदन के आधार पर बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, यह सदन में चर्चा का विषय नहीं है और यदि प्रतिवेदन में कोई गलत छपा है तो यहां पर नियम-प्रक्रिया है कि विधान सभा के पटल पर मंत्री जी ने जो रखा है, उसमें यह गलत छपा है, वह लिखित में दे दे। विधान सभा की जो समिति है, वह उसके ऊपर में जांच कर लेगी।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, यदि यह प्रतिवेदन सही है तो ..। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय उमेश जी। मेरी बात सुनिये।

एक माननीय सदस्य :- सभापति जी, वह विधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, उन्होंने आरोप लगाया है। यदि प्रतिवेदन सही है तो बिल्कुल चर्चा होगी।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप बेतुका बात कर रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- हम कोई बेतुका बात नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग इधर देख कर बात करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, आप कार्यवाही निकलवाकर दिखवा लीजिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- कृपया बैठिये। आप लोग शांत रहिये।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों के द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

(4.44 से 4.50 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

4.50 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, जो स्थिति बनी है उसको समाप्त करना है । वरिष्ठ सदस्य हम लोगों को कभी भी चिढ़ाने का जो काम करते हैं इसीलिये हमने छोटी सी मांग रखी है कि वे खेद व्यक्त करें । हमें भी विधानसभा की कार्यवाही चलानी है, आपको भी चलानी है । अभी शाम हो रही है और अभी बहुत दिन चलना है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, आपकी व्यवस्था आ गयी है कि प्रतिवेदन का कहीं उल्लेख नहीं है । केवल इतनी ही बात है । आपने व्यवस्था दी तो व्यवस्था आने के बाद उस पर और चर्चा करने की क्या आवश्यकता है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, इसमें यही बात है कि जिस तरह से इनका भाव था उसमें यह स्पष्ट झलक रहा है कि प्रतिवेदन पर उनका अविश्वास है । अगर प्रतिवेदन पर अविश्वास है तो उस प्रतिवेदन पर चर्चा कैसे हो सकती है ? अगर चर्चा नहीं हो सकती और अगर वह प्रतिवेदन सही है तो यह खेद व्यक्त कर लें, चर्चा आगे होगी । यदि प्रतिवेदन सही नहीं है तो मंत्री जी उस प्रतिवेदन को वापस ले लें, उस प्रतिवेदन को सही कर लें । वे वापस से पटल पर रखें फिर चर्चा हो जायेगी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, इस सदन के सभी सदस्य बराबर हैं । सदस्य को स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार है । प्रतिवेदन में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है वह अपनी जगह है क्योंकि जो प्रतिवेदन है वह हमारे भाषण का हिस्सा नहीं है । प्रतिवेदन हमारे सहयोग के लिये है, भाषण के लिये है । मेरे पास यह कार्य संचालन प्रक्रिया की किताब है, इस किताब में प्रतिवेदन का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है । मध्यप्रदेश के जमाने से एक परंपरा है कि माननीय सदस्यों को बोलने में सहयोग करने के लिये विभाग के द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया जाता है इसलिये जब प्रतिवेदन हिस्सा नहीं है और सदस्य प्रतिवेदन के खिलाफ भी बोल सकता है । प्रतिवेदन में जो नहीं लिखा है वह भी बोल सकता है । जो लिखा है वह भी बोल सकता है इसलिये यह जो विषय है । मुझे लगता है कि माननीय सदस्यों के द्वारा जो उठाया जा रहा है इस विषय का कोई महत्व नहीं है । हमारी जो संसदीय कार्य-परंपरा, नियम है उसके अनुसार भी इसका कोई औचित्य नहीं है इसलिये माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं उनके भाषण को कंटीन्यू किया जाये । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- उमेश जी एक मिनट । आप सब लोग सुनें । मैंने सबकी बातें सुनी हैं । वरिष्ठ लोगों की बातें भी सुनी हैं । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, प्रतिवेदन को ही आधार मानकर हम लोग बहस करते हैं । (व्यवधान) हम कैसे बहस करेंगे ? (व्यवधान) आधार तो वही है न । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, हम इसी से भाषण की तैयारी करते हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, अगर यह प्रतिवेदन नहीं रहता तो हम कहां से लायेंगे ? हम किसमें तैयारी करेंगे ? हमारे पास बेस तो रहना चाहिए ।(व्यवधान)

सभापति महोदय :- मैंने आप सबकी बातें सुनी हैं । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, जो कार्ययोजना स्वीकृत हुई है उसी कार्ययोजना के आधार पर हम लोग मांग करते हैं । (व्यवधान) यदि इस प्रतिवेदन को ही असत्य मान लिया जाये तो उचित नहीं है । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, इसी के अनुसार हम तैयारी करते हैं । (व्यवधान) क्षेत्र का ज्ञान इसी से होता है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप ही लोग बोलियेगा या मुझे भी कुछ बोलने दीजियेगा।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आपका विषय और है । आपको आगे बोलना है ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, कौन चाहता है कि सदन नहीं चले, हम लोग भी चाहते हैं । हम लोग लगातार 7-8 दिनों से वरिष्ठ लोगों की बात को सुन रहे हैं । जब भी बात होती है तो बोलते हैं कि 5 साल में कुछ नहीं किया, 5 साल में कुछ नहीं किया । इनका यही भाव रहता है ।

सुश्री लता उसेंडी :- नहीं किया है तभी तो बोल रहे हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- पहिली सुन ले ।

सभापति महोदय :- आप इधर बोलिये, उधर क्यों बोल रहे हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, उसके बाद में तुरंत यहां को छोड़कर सीधे दिल्ली चले जाते हैं । 75 साल में कुछ नहीं किया, 75 साल में कुछ नहीं किया । इनका भाव केवल इतना ही रहता है । इनको बनाये हैं तो कुछ करने के लिये बनाये हैं कि 5 साल तक केवल कोसने के लिये बनाये हैं । इनका भाव हमेशा वही रहता है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब इनकी सरकार थी तो यह केवल हमारे 15 साल को कोसते थे । अभी सरकार बने हुए 2 महीने हुए हैं । अगर इसमें चर्चा होगी तो आपके 5 साल की सरकार की ही चर्चा होगी । अभी तो हमने काम शुरू नहीं किया है और आपको सुनने का माद्दा रखना चाहिए । (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, हमारा बस यही कहना है कि प्रतिवेदन जो हमें रिफरेंस के लिए मिला है, वह सही है या नहीं है? अगर सही है तो हम लोग चर्चा करेंगे। अगर सही नहीं है तो उसको सही कर लिया जाये। उसके बाद चर्चा करेंगे। बस इतना ही है। आप व्यवस्था दे दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ा जायेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- और मैंने तो सार्वजनिक रूप से कहा है। आप रिफरेंस के बारे में भी सुन लें। आप रिफरेंस के बारे में भी सुन लें। आपको नगरीय प्रशासन विभाग, पी.एच.ई., पी.डब्ल्यू.डी. की आपको एक बजट की पुस्तिका मिली है, वो बजट की पुस्तिका के ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं। रिफरेंस आप कहीं से भी लाकर दुनिया में कहीं से भी लाकर आप रिफरेंस को बोल सकते हैं और माननीय किसी सदस्य के बोलने पर आप यहां पर आपत्ति नहीं ले सकते, जब तक वह असंसदीय नहीं हो और धरम लाल कौशिक जी तो इस विधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्हें क्या आप मजबूर करेंगे कि आप जो चाहें वही बोलें। (शेम-शेम की आवाज)

श्री उमेश पटेल :- हम लोग उन्हें मजबूर नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, हम लोग मजबूर नहीं कर रहे हैं। जो मांग में उल्लेखित है, उस बात को आधार मानकर कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप लोग जो चाहेंगे, ये वही बोलेंगे क्या ? और इस प्रकार से सदन में व्यवधान उत्पन्न करना संसदीय परंपराओं के विरूद्ध है। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, हमने सिर्फ यही कहा है कि प्रतिवेदन सही है या नहीं है? प्रतिवेदन जिसे लेकर हम लोग रिफरेंस लेकर इतने देर से चर्चा कर रहे हैं, यह प्रतिवेदन सही है या नहीं है? (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय..।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, प्रतिवेदन सही है या नहीं है, यह संक्षिप्त जवाब दें तो हम लोग भाग लेंगे। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- आप बता दीजिए कि प्रतिवेदन सही है या नहीं है। अगर वह सही है तो हमें बता दीजिए। हम आगे बढ़ जायेंगे। अगर वह सही नहीं है तो आप फिर आप उस हिसाब से मूल्यांकन कर लीजिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- देखिए..। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप लोग सुन लीजिए। आप लोग सुन लीजिए। ये प्रतिवेदन सही है या नहीं है, वह धरम कौशिक जी को बताने का नहीं है। वह नहीं बतायेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- इनसे यह सवाल है ही नहीं। यह तो हम लोग आपसे पूछ रहे हैं। अगर यह प्रतिवेदन सही नहीं है तो उसे हम लोग रिफरेंस लेकर जो चर्चा कर रहे हैं, वह भी गलत हो जायेगी। इसलिए मैं यही बोल रहा हूं कि अगर उसे सही कर लिया जाये या आप लोग कह दें कि वह सही है तो हम लोग आगे बढ़ जायेंगे। आप ही बता दीजिए। ये जो जितनी बातें हो रही हैं, वह सही है। हम आगे बढ़ जायेंगे।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा है। इसमें प्रतिवेदन पर अभी जो भाषण हो रहा है। सुनिए, इसमें जो भाषण हो रहा है, ये भाषण क्या केवल सत्ता पक्ष के सदस्य ही देंगे? आप भी देंगे न? जब आप भाषण देंगे तो वह अगर सही है तो आप उसके पक्ष में बोलिए और विपक्ष के सदस्यों को जो बोलना है, वे अपने पक्ष में बोलेंगे, इसलिए आप मजबूर नहीं कर सकते और अगर मजबूर करेंगे तो यह संसदीय परंपराओं का उल्लंघन होगा।

समय :
4.56 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठसीन हुए)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मजबूर नहीं कर रहा हूं। इन्होंने क्या वक्तव्य दिया है इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम इस बात पर आपत्ति कर रहे हैं कि जो रिफरेंस हमें दिया

गया है, प्रतिवेदन जो दिया है, क्या उसमें किसी तरह का जिस तरह से इन्होंने कहा कि वह सही है या नहीं है, वह हमें एक बार बता दिया जाये। उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसका निर्णय माननीय अध्यक्ष महोदय करेंगे और अध्यक्ष महोदय ने अपना निर्णय दे दिया है। जब उन्होंने अपना निर्णय दे दिया है तो उसे आप मानिए।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। सबसे वरिष्ठ हैं। हम लोग भी सीखने आये हुए हैं। आपने जितना बजट प्रस्तुत किया, अनुदान मांगों पर आप हमें जितना पेपर उपलब्ध करा रहे हैं, हम उन्हीं के आधार पर बोलते हैं। अगर कोई पेपर सदन में गलत प्रूफ करता है, ये गलत है, इनके आंकड़े गलत हैं तो हम किन आंकड़ों पर बात करेंगे? हम तो पहली बार चुनकर आये हैं। हम इन्हीं आंकड़ों के आधार पर तो आपसे बातचीत कर रहे हैं। अगर आप यह व्यवस्था नहीं देंगे कि कोई गलत बात यहां पर करे तो हम किन बातों पर बात करेंगे? फिर हमें ये कागज देने का मतलब क्या है? फिर तो 147 करोड़ का बजट भी गलत होगा। मेरा आपसे यही निवेदन है कि कोई सदन में एकदम से असत्य न बोलें कि ये पूरी चीजें गलत है, ऐसा कोई काम नहीं हुआ। कम से कम चर्चा के दौरान तो ये बातें न हों, मैं आपसे इसके संबंध में व्यवस्था चाहता हूं।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय धरम लाल कौशिक जी ने कभी यह नहीं कहा कि प्रतिवेदन गलत है। उसके बारे में टिप्पणी हुआ ही नहीं। प्रतिवेदन शब्द उनके मुंह से नहीं निकला है। ये सच्चाई से भाग रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, ठीक है। मैं व्यवस्था देता हूं। विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन सदस्यों को विभागीय बजट पर चर्चा में सहायक हो, इस दृष्टि से वितरित किया जाता है। मैंने कार्यवाही का अंश निकालकर देख लिया है। इसमें माननीय सदस्य श्री धरमलाल कौशिक जी द्वारा प्रतिवेदन के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है। आपकी आपत्ति को मैं अमान्य करता हूं। कार्यवाही कृपया चलने दें। बजट के महत्वपूर्ण विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है और आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी है। अब मुझे लगता है कि कार्यवाही आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, धरम लाल जी आप संक्षिप्त करें। आपका 40 मिनट हो गया है।

श्री धरम लाल कौशिक :- 5 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रदेश में अधोसंरचना विकास के लिए और पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए लोक निर्माण विभाग के द्वारा 8 हजार 17 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग तरस गये थे कि हमारे क्षेत्र में भी 5 साल में सड़क हो, इसी विधान सभा में हम लोग रहे हैं, लेकिन मुझे आज इस बात की खुशी है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1690 नवीन निर्माण कार्य को इस वर्ष के बजट में

नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है । मैं इसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । राज्य में कुल 1268 सड़क निर्माण कार्य हेतु 737 करोड़ इस वर्ष के बजट में नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है । अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है, पिछले चुनाव के समय, ठीक चुनाव के पहले पूरे प्रदेश की पूरे प्रदेश की सड़कों की खस्ता हालत से मुख्यमंत्री जी इतने नाराज हुए, इतने नाराज हुए कि उन्होंने ई.एन.सी. का ट्रांसफर किया कि यह व्यक्ति पेंच रिपेयरिंग ठीक से नहीं करा पा रहा है, यह बड़े बड़े समाचार पत्रों में छपा कि ई.एन.सी. पेंच रिपेयरिंग कराने की स्थिति में नहीं है । उसके बाद दूसरे ई.एन.सी. को बैठाया गया, उसके बाद भी कोई प्रगति नहीं आई और उसी का परिणाम है कि ये यहां बैठकर बड़ी बड़ी बात करने वाले आज यहां पहुंचे हैं, इनकी कथनी और करनी के अंतर के कारण यहां पहुंचे हैं । अध्यक्ष महोदय, इसमें खासकर रायगढ़ में लोक निर्माण विभाग अंतर्गत नवीन संभागीय कार्यालय, विद्युत यांत्रिकी कार्यालय के सृजन हेतु बजट में 50 लाख का प्रावधान किया गया है । निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी के साथ बढ़ेगा, उसके साथ हमको हैंड्स भी चाहिए, ऑफिस भी चाहिए । उसके लिए रायगढ़ में, रायपुर अटल नगर, मोहला-मानपुर में लोक निर्माण विभाग के 2 नवीन उप संभागीय कार्यालय सिविल के सृजन हेतु बजट में 50 लाख का प्रावधान किया गया है । इससे हमारे कार्यों में विस्तार होगा और सड़कों की स्थिति सुधरेगी और उसका निर्माण त्वरित होगा । मैं आज के इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि सड़कों को लेकर जो निराशा का दौर आ गया था और लगता था कि यहां केवल राष्ट्रीय राजमार्ग ही बचेगा बाकी ग्रामीण सड़कें ध्वस्त हो गई हैं लेकिन आज नई सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से बजट में प्रावधान किये गये हैं, उससे लोगों को उम्मीद है कि नवीन मद के साथ उनकी सड़कों में भी सुधार होगा और सडकों का रिन्यूवल भी किया जाएगा । प्रदेश में जो विकास की गति थम गई थी, इन सड़कों के निर्माण से विकास को गति मिलेगी । मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांगों पर सहमति व्यक्त करते हुए, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को और उप मुख्यमंत्री अरूण साव जी को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद् ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों के विरोध में खड़ा हूं । एखर खातिर के हम पहिली बजट जा देखत रहेन, अउ अभी के बजट ला मिला के देखेन कि कौन बजट मा ज्यादा पइसा हे । पहिली के हमर बजट 1 लाख 10 हजार करोड़ से ऊपर लगभग रहिस हे, ओखर 10 परसेंट पीडब्ल्यूडी विभाग ला पइसा मिले रहिस । अउ ए दारी लगभग 1 लाख 25 हजार करोड़ रूपया के 5 परसेंट होत हे । ए दोनों के तुलना किये जाए तो हमर उप मुख्यमंत्री जी ला पीडब्ल्यूडी विभाग मा कम पइसा मिले हे । अध्यक्ष महोदय, जब सन् 2000 मा छत्तीसगढ़ बनिस ओखर पहिली हमन मध्यप्रदेश मा रहेन । मध्यप्रदेश के रोड ला देखन अउ छत्तीसगढ़ के रोड ला देखन ता हमन ला बहुत दुख लागय । ओ समय हमन लइका रहेन, हमन ला

हमेशा लागय कि मध्यप्रदेश मा बड़े बड़े रोड बनत हे अउ छत्तीसगढ़ मा नइ बनत हे । लेकिन जइसे ही छत्तीसगढ़ बनिस, छत्तीसगढ़ मा लगातार 3 साल कांग्रेस के सरकार रहिस, ओ अपन तरफ ले प्रयास करिस । ओखर बाद आप मुख्यमंत्री रहेव आप अच्छा काम करेव । ओखर बाद माननीय भूपेश बघेल जी 5 साल मा जो काम करिस । अउ पांच साल के पइसा मा तुलना करत हन तो हमर पीडब्ल्यूडी विभाग फेल हो गिस । कोई भी प्रदेश के विकास ला देखना हे तो रोड हा आईना होथे । जैसे अपन चेहरा ला आईना में देखथन, उसी प्रकार से ओ प्रदेश के आईना रोड होथे। आईना बर ही एमन कम पैसा रखे हे। मैं कहां मेर ले शुरू करव कहां मेर ले खत्म करव। फिर भी मैं ए कहना चाहत हौं, जोन भी पईसा सरकार अपन पी.डब्ल्यू.डी. विभाग में ले हे, हमर मंत्री जी, बहुत ही सीनियर हे, बहुत ही बुद्धिमान हे, बहुत बड़े उप मुख्यमंत्री जी हे, मैं ओला कहना चाहत हौं, अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ी में कहावत हे, भरे ला भेर जुच्छा ला ढरकाय। जब ओ पईसा ला आप जारी करिहा तो पहली गांव से शुरू करिहा। काबर हम शहर के रोड ला देखे हन, शहर के रोड में कुकुर बिलई तलोक पक्की रोड में किंजरत रथै, अउ गांव में जा के देखिहा, ओ दूर अंचल गांव में वहां के लोग लईका मन पढ़े ला जाथै तो माड़ी भर के चिखला में जाथै। इस प्रकार से मैं कहना चाहत हौं, आप भी गांव के रहने वाला ओ, भरे ला भरे जुच्छा ला ढरकाय मत करिहा। हम छोटे-छोटे रहेन ता शहर ले तुलना करन, काबर हमन गांव ले बस में चढ़ के आए रेहेन, इहां थोकन डामर उसलत रहाय त ऐती ले लगे के शुरू ओत रहाए। ओ बरोबर डामर उसले नई रहाय अउ गांव में एक पुरूत के डामर नई लगे रहाय। ए कहां के न्याय ए। लेकिन आपसे निवेदन हे, जिस प्रकार से ओ समय माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहिस हे, सुगम सड़क योजना चलाईस। जइसे बड़े-बड़े डी.पी.एस. स्कूल हे, बड़े-बड़े इंटरनेशनल स्कूल हे, ऊहां के लोग लईका मन पक्की सड़क में अपन स्कूल से घर तक में खुसरथे। लेकिन हमर गांव के लोग लईका मन पढ़े ला जाथे, रोड तो रथे, ब्लाक से ब्लाक जोड़ने वाला, लेकिन जइसे ही कॉलेज में, स्कूल में जब जाय बर रथे तो लईका मन अपन पैंट ला सकेल करके स्कूल में जाथे। महोदय जी, ओ दुख ला हमन देखे हन। आपके माध्यम से मैं कहना चाहत हौं, पी.डब्ल्यू.डी. में जो भी पईसा मिले हे, जब आप जारी करिहा तो वही भूखा प्यासा जेला सही में जरूरत हे, वहीं से शुरू करिहा। मोर आपसे निवेदन हे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ा के बात नई करौं। मैं ज्यादा आंकड़ा ला नई जानव, मे जेला देखे रथौं ओला गोठयाथव। हमर आंकड़ा वाला पीछे में बैठे हे, आंकड़ा में बात करिहा ता ऐति कर लिहा। हम एक ठन अउ देखे हन, जब गांव में रोड बने रथैं, कोई शरारती व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अइसने हे कि अपन सुविधा बर पानी पलोना हे, अउ कुछु करना हे तो जा के रापा मा, गैती मा, रोड ला तोड़ देथे। छोटे अकन रोड टूटथे ताहन टूटत-टूटत हमर मन के व्यवस्था हा बिगड़ जाथे। ओमे अइसे कुछ व्यवस्था बनाए जाए कि अतके सुंदर सरकार के पैसा लगे रथे, ओला कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से ज्यादा जरूरी न हो तो ओला तोड़ फोड़ मत करे। एखर लिए भी मोर एक ठन छोटे से सुझाव हे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पी.एच.ई. विभाग में मैं ज्यादा नई गोठयाव। बस एक दो ठन मोर सुझाव हे तेला कहना चाहत हौं। पानी कोन ला नई चाहिए। पानी सब ला चाहिए। लेकिन आज गांव-गांव में देखत हन, पानी भी नई आत हे, ओ कम्प्लीट भी नई होए हे, अउ गांव में सी.सी. रोड कहूं मेर ला सांसद मद से, विधायक मद से आपके आशीर्वाद से बना दे हन ओखर बीचो बीच ला सब ला मुसवा कस खन दे हावए। ए सब क्षेत्र के बात ए। पानी भी नई आत हे, अउ पी.एच.ई. विभाग के ओ ठेकेदार मन..।

सुश्री लता उसेंडी :- अभी तो आपके सहयोगी मन बतात रिहिन हे कि छत्तीसगढ़ में 80 प्रतिशत काम हो गे हे करके। ओखरे सेती तो खोदरा मेर पानी नई आत हे।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- काम हो गे ना।

श्री रामकुमार यादव :- बहिनी काम होए हे। ओ ठेकेदार मन ला कहत हौं, ओ ठेकेदार काखरो नो ए। ए ठेकेदार तुमन अपन हे कहत हौं तो भूला जाओ। हमू मन पांच साल सरकार में रेहेन ना ता ओ ठेकेदार मन हमर मन कस गोठयाय। अभी हमन ला देख के अंते मुंह करके भागत हे। ओ मन काखरो नो ए, ओ मन सिर्फ देखिहा, ठेकेदारी शुरू करथे, ता एक ठन ट्रैक्टर ला, एक ठन ट्रक ले शुरू करथै, पांच साल के बाद में ओला जा के देखिहा, ता ओ ठेकेदार हा दो करोड़ के मर्सिडीज कार में चढ़त रथे। ओ काखरो नो ए। बल्कि विधायक बेचारा ओखरे मन कर उधार मांगत किंजरत रथे। मैं आपसे कहना चाहत हौं, ओ ठेकेदार मन बर अच्छा से कानून बनावव। काबर आप वकील भी हो। अउ वहू हाईकोर्ट के वकील ओ। अइसे कानून बनावव ताकि कम से कम ओखर ले सुंदर झन बनाए। पहल रहे तेखरे कस तोप देवए। एखर बर आपसे निवेदन हे, आप कानून के ज्ञाता भी हो।

दूसरी बात मैं कहना चाहत हौं। पानी अइसे हे कि बड़े आदमी मन ला ज्यादा जरूरत नई हे। कई जगह गांव में जा के देखिहा कि वहां जल स्त्रोत हा नीचे चले गे हे। पहले जमाना में 200 फीट, 300 फीट में पानी निकल जाए, अभी 500, 700 फीट में धुररा निकलत हे। अइसे गांव बर आप महानदी के पानी, अरपा नदी के पानी, बहुत सारा नदी हे, ऊहां ले आप गांव-गांव तक पहुंचाव। शहर में पहुंचात हौ। मैं कई ठन शहर में देखे हौं कि महानदी के पानी ला छान के आप हमर और तुहर सही बड़े-बड़े विधायक अऊ मंत्री के बंगला में पहुंचात हों, लेकिन आप गरीब मन बर घलो पहुंचाओं। मोर आपसे निवेदन हे कि अइसे योजना भी बनना चाहिए। मैं अपन क्षेत्र के मांग कर लेथो। आप आथो ता मोला बड़ बल लगथे।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपने क्षेत्र की मांग को जल्दी से संक्षिप्त में रखिये।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपन क्षेत्र के मांग कर लेथो। चंद्रपुर हा चंद्रहासिनी मां के दरबार हे। अइसे कोन मुख्यमंत्री हे जो मुख्यमंत्री बने के बाद ओखर आशीर्वाद ले बर नहीं जाए। अइसे कोन अधिकारी हे जेखर रायपुर और जांजगीर-चांपा जिला के कलेक्टर पद में पोस्टिंग होथे तो ओखर दर्शन करे बर नहीं जाए। लेकिन ओ माता भी हांसत होही, काबर कि ऊंहा के स्थिति हा

वइसने के वइसने पड़े हे। ओ समय के हमर तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मैं मांग करके ऊंहा मरीन ड्राइव, स्टेडियम ला पास कराए रहे हव। ओखर स्वीकृति मिल गेहे। मोर आपसे निवेदन हे कि ओमा दूजा भावना करते हुए ओखर काम ला चालू करा देवो, काबर कि ओ हा मां के दरबार हे। मोर क्षेत्र में A.D.B. रोड ला ओ समय कंपनी वाले मन तोड़ देहे। मैं खुद विधायक हो तो मैं अपन दिल के बात ला कहत हो कि मोला खुद ला लाज लगथे कि मोर सही अतका कन सब मंत्री अऊ विधायक कर जाके जी-हुजूरी करने वाला हा एक ठन रोड ला नहीं बना सकत हो। ओ रोड हा मुआवजा के नाम से वइसने के वइसने पड़े हे। आप ओला बनवा दीहौ तो जनता मन आपके जुग-जुग ले नाम लीही। आप ए दारी उप मुख्यमंत्री बने हों तो आप ला अइसने आशीर्वाद दे देतीन कि ए दारी दिल्ली में अऊ कुछ बन जतेव। मोर बहुत सारा अऊ मांग हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय हा समाप्त करे बर बोल देहे। मैं आप ला लिखके दे दुहूं। लेकिन मैं जइसे गोठियात हो, आप वइसने करिहूं। लिखके देहे करके नहीं करो झन कहिहूं। एखरे साथ मैं अपन वाणी ला विराम देथो। धन्यवाद।

श्री राजेश अग्रवाल :- रामकुमार जी, आप स्वीकार करो कि तुंहर मुख्यमंत्री हा खाली स्टेडियम दीन अऊ पइसा नहीं दीन।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर कुर्सी ला बदलेल लागही। आप अभी बइठो।

अध्यक्ष महोदय :- राज्य के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के नये कैम्पों एवं उसके आसपास के ग्रामों के विकास कार्यों की योजना के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी वक्तव्य देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी।

समय :

5.12 बजे

<u>वक्तव्य</u>

<u>नियद नेल्लानार योजना के संबंध में</u>

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में संवेदनशील क्षेत्र विशेषकर बस्तर में लगातार नये सुरक्षा कैम्प स्थापित हो रहे हैं। नये सुरक्षा कैम्प स्थापित करने का मतलब है कि कैम्प के 5 किलोमीटर के रेडियस में वहां के लोगों को सरकार की सभी सुविधाएं पहुंचे। लेकिन दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि वे सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ की सरकार एक नई योजना लागू कर रही है। वहां की लोकल बोली में उस योजना का नाम है - नियद नेल्लानार योजना। जिसका हिन्दी में अनुवाद है - आपका अच्छा गांव। उसमें छत्तीसगढ़ की सरकार जो कार्य करने जा रही है, मैं इस वक्तव्य के द्वारा सदन को उससे अवगत कराना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्य के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के नये कैम्पों एवं साथ ही आसपास के ग्रामों में विकास कार्यों हेतु योजना के विषय में सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थापित लगभग 14 नये कैम्पों में नवाचार के रूप में इसके आसपास के 5 ग्रामों की मूलभूत आवश्यकता की दृष्टि से अधोसंरचना विकास एवं परिवारों के सम्यक विकास हेतु कार्रवाई की जावेगी। इन ग्रामों में सभी परिवारों को विशेष पिछड़ी जनजाति के समान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् आवास सुविधा, सभी का राशन कार्ड, सभी को मुफ्त चावल, चना, नमक, गुड़ और शक्कर, उज्जवला योजना के तहत् 4 मुफ्त गैस सिलेंडर, आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक शाला, किसानों को सिंचाई हेतु बोरवेल सहित सिंचाई पम्प, हैण्डपंप/सोलर पम्प, हर ग्राम में खेल मैदान, मुफ्त बिजली, बैंक सखी/ए.टी.एम., कौशल विकास, वन अधिकार पट्टा, मोबाईल टावर, डी.टी.एच. एवं टी.वी., हेलीपैड तथा ब्लॉक मुख्यालय तक बस सुविधा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सभी ग्रामों को बारहमासी सड़क से जोड़े जाने का भी लक्ष्य रखा गया है।

यहां शासन की 32 व्यक्तिमूलक योजनाओं के सेचुरेशन के साथ नियद नेल्लानार अर्थात् आपका अच्छा गांव योजना में 25 से अधिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए इस बजट में इन ग्रामों में जन सुविधा शिविर में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे तथा स्थल पर ही इसका निराकरण किया जाएगा। इसके लिए शासन ने 20 करोड़ रूपए तक के अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की है । यदि भविष्य में केन्द्र एवं राज्य से और बजट की आवश्यकता होती है तो सरकार वह भी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है । योजनाओं के सतत लाभ के मूल्यांकन और मानीटरिंग के लिए डैश बोर्ड तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इसकी सतत् समीक्षा की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी परिवार इस योजना का लाभ उठाने से वंचित न रह पाये । (मेजों की थपथपाहट)

श्री इन्द्रशाह मण्डावी :- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है । यह योजना सिर्फ बस्तर के लिए है । मोहला-मानपुर भी बस्तर से ज्यादा घोर नक्सली प्रभावित एरिया है ।

अध्यक्ष महोदय :- कोई नया कैम्प खुला है क्या ?

श्री इन्द्रशाह मण्डावी :- अध्यक्ष महोदय, नये कैम्प बहुत सारे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी कोई कैम्प खुला है क्या ?

श्री इन्द्रशाह मण्डावी :- अध्यक्ष महोदय, अभी एक नया थाना खुला है ।

अध्यक्ष महोदय :- थाना में नहीं । चलिए, आगे बढ़िए ।

श्री कवासी लखमा (कोंटा) :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई योजना लाई है । ऐसा लग रहा है कि यह योजना हमारे बस्तर के लिए अच्छी होगी क्योंकि नया कैम्प खोलने से आजु-बाजु सड़क नहीं होने के कारण जो पुलिस बल है, वह दूर नहीं जा सकती ।

अध्यक्ष महोदय :- आप स्वागत कर रहे हैं न ?

श्री कवासी लखमा :- जी । इसलिए उस कैम्प के आजु-बाजु के गांव और पारा तक इस रोड़ को जोड़े । वहां की जनता डरी रहती है । समय पर सड़क नहीं होती है तो उनके पास तक पुलिस नहीं पहुंच पाती और अंदरूनी क्षेत्र में आकर बोलते हैं कि हमें रोड़ चाहिए, हमें रोड़ चाहिए । यह योजना मुझे अच्छी लग रही है, इसमें अच्छा करें । बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में किनारे-किनारे कल ही हमारे विधान सभा क्षेत्र में गोंडेरास नामक एक कैम्प खुला है । उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं । (मेजों की थपथपाहट) मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव है, 25 साल हो गए, वह मेरा इलाका है, लेकिन मैं वहां गोंडेरास में नहीं गया हूं, देखा नहीं हूं । वहां हड़ताल में दो साल से बैठे हैं, लेकिन कोई सड़क नहीं बन रही है । अभी बीच में पुलिस वालों ने उनको कुछ नहीं बोला, वे लोग खाना खाकर सो रहे थे । वे लोग घेराव करके उस सड़क को बना दिए तो लोग बहुत खुशी मना रहे हैं कि अच्छा हो गया।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही हॉस्पिटल की भी सुविधा हो, पीने के पानी की सुविधा हो, तब वे लोग मुख्य धारा में जुड़ेंगे और लड़ाई करने के लिए हमारे पुलिस वालों को ताकत मिलेगी । वहां सड़क बनाना बहुत जरूरी है, तभी उनको सफलता मिलेगी । सड़क बनाए बिना पुलिस लड़ नहीं सकती, कमजोर पड़ती है । धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस पर दो शब्द कहना है । यह योजना इस सरकार की सबसे अच्छी उपलब्धियों में से एक हो सकती है । (मेजों की थपथपाहट) क्योंकि कैम्प खुल जाने के बाद आसपास लोगों के विश्वास जागना बहुत जरूरी है । उसके साथ ही साथ विकास करने की जरूरत है जैसे आदरणीय कवासी लखमा जी ने भी कहा कि जब तक हम लोगों तक पहुंचने के लिए बारहमासी सड़क नहीं बनाएंगे, पुल-पुलिया नहीं बनाएंगे, लाईट की व्यवस्था नहीं करेंगे, लोगों के स्वरोजगार की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक उनको नक्सलाईटों के साथ जाने से रोका नहीं जा सकता है । इस क्षेत्र में सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वह बहुत ही प्रशंसनीय कदम है, लेकिन इसमें एक कमी हमेशा महसूस की जाती है । मैं प्रशासनिक अनुभव के आधार पर कहना चाहूंगा कि जो प्लान तैयार कर लिया जाता है, उस प्लान को एक परमानेंट प्लान के रूप में वहां के लिए चिह्नांकित कर देना चाहिए, वरना जब भी कलेक्टर और एस.पी. बदलते हैं तो उस प्लान के साथ छेड़छाड़ हो जाती है और फिर इसका प्रभाव आना चाहिए, वह नहीं आ पाता है । मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं और यह परमानेंट प्लान के रूप में रखना चाहिए ।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, हम लोग पिछले साल जगरगुण्डा, गोल्लापल्ली में आश्रम ले गए । अब पईसाकावा में डाबाकोंटा, पीड़मेल में आश्रम बनाना बचा है, ज्यादा नहीं, उस गांव में 7-8 आश्रम पहुंचाना है । ओकोभेज्जी से केरलापार एक सड़क है और आपने अभी बड़े चट्टी में कैम्प खोला है, उस कैम्प में 10 करोड़ रूपए का टेण्डर हो चुका है, लेकिन खुला नहीं है । अगर यह दो सड़कें बन

जाएगी तो उस कैम्प में जाने के लिए अच्छा रहेगा । उधर तो सड़क बन गई है, लेकिन मेन रोड़ तरफ सड़क नहीं बना है ।

अध्यक्ष महोदय :- कवासी जी, आप तो हमेशा सलाह दे सकते हैं । जब भी चाहें, सलाह दे सकते हैं, आपको जानकारी भी है । मैं सदस्यों से एक आग्रह करूंगा कि माननीय अरूण साव उप मुख्यमंत्री जी के विभागों से संबंधित मांगों पर चर्चा हो रही है। चर्चा हेतु 3 घण्टे का समय निर्धारित है। अभी तक केवल 3 सदस्यों द्वारा अपने विचार रखे गये हैं। अभी लगभग 21 सदस्यों द्वारा अपने विचार रखा जाना है। मैं वक्ता सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि वे 5-5 मिनट, 10-10 मिनट में अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में मांग रखें और चर्चा में हिस्सा लें। धन्यवाद। श्रीमती गोमती साय जी।

<u>वित्तीय वर्ष 2024 - 2025 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)</u>

श्रीमती गोमती साय (पत्थलगांव) :- अध्यक्ष महोदय बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हमारे उप मुख्यमंत्री जी के विभागों की अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। निश्चित ही यह अनुदान मांग छत्तीसगढ़ को विकसित करने में मील का पत्थर साबित होगा। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में अधोसरंचना विकास एवं पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए लोक निर्माण विभाग के लिए 8017 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस पैसे से सड़क का भी निर्माण होगा, पुल-पुलियां भी बनेंगे और जहां लायब्रेरी खोलना है, वहां लायब्रेरी भी खुलेगा, ऐसा इस बजट में प्रावधान है। पूरे छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए यह अनुदान मांग आया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी लोग बोल रहे थे और मैं सुन रही थी। मैं लगातार 4 साल तक सरगुजा के विकासखण्डों का दौरा करती थी। सड़क आईना है। पिछले साढ़े चार सालों में सरगुजा के विकासखण्डों की सड़कों की स्थिति जिस तरह खराब थी, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूं। यह जो बजट है, वह सब जर्जर सड़कों को बनाने का काम आयेगा और नवीन सड़क बनाने में भी यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। रही बात जलजीवन मिशन की है, यह राशि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का सपना है कि घर-घर में शुद्ध पेयजल पहुंचे। इसी बजट के अन्तर्गत, इसी बजट से हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम करेगी। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, यह बजट हमारे छत्तीसगढ़वासियों को सुदृढ़ करने, शहरी विकास, ग्रामीण विकास में भी निर्माण का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, हम लोग सपना सदियों से देखते आ रहे थे, अटल बिहारी बाजपेयी जी ने सपना देखा कि एक सुन्दर छत्तीसगढ़ बनाना है। यह वही बजट है, जो छत्तीसगढ़ को सुन्दर बनायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि समय कम है। मैं अभी जिस क्षेत्र से चुनकर आई हूं, मैं उसके बारे में पहले भी बोली थी और मैं आज भी वही बात बोल रही हूं कि लगभग 93 सड़क बजट में जुड़ा है। जिसमें से 44 सड़क, जिसको हम लोग देहाती में गयाडगरी बोलते

हैं। बरसात में उस सड़क में चलना भी मुश्किल होता है। ऐसे सड़क के निर्माण के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मांग करती हूं। ऐसे 10 पुलिया हैं, जहां से आने-जाने में दिक्कत होती है। ऐसे जो गांव है, वहां पुलिया देने की कृपा करेंगे। यह बजट पिछले 5 वर्षों से प्रदेश के रूके हुए विकास को तीव्र गति से बढ़ाने वाला बजट है। यह बजट डबल इंजन की सरकार का बजट है। यह बजट मोदी जी की गारन्टी का बजट है। यह बजट प्रदेश को विकास की नई ऊचांईयों पर पहुंचायेगी। सड़कों का जाल बिछाने वाला बजट है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत साधुवाद और धन्यवाद भी देती हूं और हमारे उप मुख्यमंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव के लिए लोक निर्माण विभाग को जितनी भी सड़क बताई हूं, उसको पूरा करने की कृपा करेंगे। मैं इतना ही कहकर माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- कवासी जी ।

श्री कवासी लखमा (कोन्टा) :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट में विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ । यह एक महत्वपूर्ण विभाग है...।

अध्यक्ष महोदय :- विरोध करोगे, पैसा मांगने जाओगे कि नहीं ?

श्री कवासी लखमा :- उस समय तो देखेंगे । (हंसी) हमारे धर्म का भी तो पालन करना पड़ता है । लेने जाने की उत्सुकता है ।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तारीफ कर रहे थे और अब तुरन्त विरोध में उतर गये, यह समझ में नहीं आया ।

श्रीमती गोमती साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विषय था मैं बोलना भूल गई थी । आप ही के विभाग से तहसील बागबार में सर्किट हाऊस और कोदबा नगर पंचायत में भी सर्किट हाऊस हो जाये । मैं आपसे यह मांग रखती हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- कवासी जी शुरू करें ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का विभाग जनता से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विभाग है । इसमें देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नल-जल मिशन का भी जोर है । यह योजना बहुत से राज्यों में कहीं पूरा हुआ है, कहीं आधा हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ छोटा राज्य होने के बावजूद भी पीछे चल रहा है । जंगल में रहने वाले आदिवासी चाहे सरगुजा हो, चाहे बस्तर हो, शहर में तो पहले ही अपने पैसे से नल लगाये हैं, सब कुछ किये हैं । अध्यक्ष महोदय, खासकर पंचायतों में, जहां पानी पहुंचा है, वहां खुशी है और अंदरूनी क्षेत्रों में जहां पानी नहीं पहुंचा है, मंत्री जी को वहां ध्यान देना चाहिये । चाहे वह बीजापुर का क्षेत्र हो या दंतेवाड़ा जैसे सुदूर अंचलों में इस योजना की बहुत

आवश्यकता है । अध्यक्ष महोदय, बस्तर में होता यही है कि योजनायें कागजों में सिमट जाती है और उसका लाभ नहीं मिलता । बोर खनन हो या ट्यूबवेल, बिजली लगाना हो, सब कार्य अधूरे रह जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह आवश्यक है कि इसके लिये गांव के सरपंच, पटवारी या अधिकारियों को जवाबदारी सौंपनी होगी कि वहां नल कनेक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पानी की आपूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, तभी यह योजना सफल होगी । मैं उस क्षेत्र में 25-30 साल से विधायक हूँ, मैं अपने ब्लॉक गोंडूरास नहीं देखा हूँ । ठेकेदार कोई रायपुर का होता है, कोई तेलंगाना का होता है, इन लोग कोई गांव के पटेल के यहां लगा दिये, सरपंच के यहां लगा दिये और कह देते हैं कि पूरे गांव में लाईट लग गया है । अध्यक्ष महोदय, बड़ा बोर खोदने वाला ठेकेदार वहां बैठा रहता है, यहां एक ही राज्य के लोग नहीं रहते हैं । नल-जल योजना जैसे धर्म का काम अधूरा नहीं होना चाहिये । हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि पानी पैसे से मिलेगा । बस्तर का महुआ दारू 15 रूपया में मिलता है और पानी 20 रूपया बॉटल मिल रहा है ।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची के पद क्रम 5 के उप पद (1) के कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये । मैं समझता हूँ कि सभा इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

वित्तीय वर्ष 2024 - 2025 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री कवासी लखमा:- अध्यक्ष जी, मैं पुन: कहना चाहूंगा कि यह धर्म का काम है । यह योजना बस्तर के हर ग्राम तक पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह प्रयास होना चाहिये, उसके साथ-साथ आपके पास पी.डब्लू.डी. विभाग है । मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि कहा है कि यह नई योजना है । अध्यक्ष महोदय, विभाग का वहां पहले से बहुत काम पेंडिंग है । मेरे ही विधान सभा में 20-20 करोड़ का टेंडर पड़ा है और भी बाकी टेंडर हुआ है । उसके साथ हमको तेलंगाना राज्य से जोड़ने वाली सड़क किस्टाराम से दरपेंटा और दरपेंटा से जगरगुंडा और जगरगुंडा से दंतेवाड़ा बननी चाहिए। वह सड़क पूरी नहीं बनने के कारण वहां की पुलिस को और आम आदमी को आने-जाने में बहुत दिक्कत होती है। अभी एक महत्वपूर्ण सड़क है, जो आवापल्ली से सिलगेर, टेकलगुड़ा होकर जगरगुंडा पहुंचती है। वह सड़क 14-15 किलोमीटर बननी बची है, वह सिलगेर से टेकलगुड़ा तक पहुंची है। हम लोगों ने पिछले समय में भी उसको बनाने की कोशिश करके देखा, लेकिन वह नहीं बन पायी। मेरे जीवन में अभी तक नक्सलाईड से लड़ने से पहले, मैं उस क्षेत्र में जीवन अर्पण करता हूं। आप सड़क के बिना उनसे नहीं लड़ सकते। उनको वहां की भौगोलिक

स्थिति, पहाड़, नाली, के बारे में पहले से पता है। यदि हमारे नये पुलिस वाले गश्त के लिये जायेंगे तो वह नाली में, पत्थर में फंस जायेंगे। इसलिये सड़क बनने से नक्सलाईड अपने आप कमजोर हो जायेंगे। सड़क बनने से पुलिस कहीं से जाकर कभी-भी उन लोगों को पकड़ लेगी। इसलिये मेरे खयाल से उनसे लड़ने से पहले सड़क को ठीक करना चाहिए। हमारे देबोकोंटा से बुरूमलंका, बुरूमलंका में उनका हॉस्पिटल चलता है, वहां उनका बाजार लगता है। उनका रमरकोंटा और किस्टाराम में कैंप है। वह 15-20 किलोमीटर का हिससा है, यदि आप उस सड़क को बना देते तो उनके गढ़ का जो हिस्सा है, वह खत्म हो जाता। यहां तो पी.डब्ल्यू.डी. वाले सड़क बनाते हैं, उधर पी.डब्ल्यू.डी. वालों की सड़क बनाने की हिम्मत ही नहीं है। वहां जितनी भी सड़कें बनती है, उसे पुलिस बनाती है। सी.आर.पी.एफ. नहीं रहेगी तो सड़क ही नहीं बनेगी। वे लोग तो बहुत कैंप खोले, उनका कहां-कहां पीछा करेंगे। सड़क बनाते बनाते उनको वही लगा दें। उनसे कहिये कि जाकर खड़े रहे। वह मशीन वाला काम है इसलिये अब खोदना तो नहीं है। इसलिये यह सड़क बनेगी।

अध्यक्ष महोदय, श्रीलंका में आतंकवादियों का जिला जाफना है। हमारे हिंदुस्तान में नक्सलाइडों का जिला यदि कोई है तो वह सुकमा और बीजापुर है। यह हमारा हिंदुस्तान का जाफना है। उसको कैसे खत्म करना है ? इसमें जब विवाद पैदा होता है कि कोई तेंदूपत्ता तोड़ने वाले को पुलिस वाले मार दिये, कहीं घर में जाकर घुसकर कुछ चोरी कर दिये। हम कांग्रेस और बी.जे.पी. वाले लोगों को मन नहीं करता है कि हमें इनका सपोर्ट करना है। अगर गांव वालों का नुकसान होता है तब हम लोगों को मजबूर होकर खड़ा होना पड़ता है और थाना का घेराव करना पड़ता है। यदि वह आदिवासी सुरक्षित रहेंगे, गांव वाले सुरक्षित रहेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ ही साथ कल हमारे गोरका में एक लड़का जहां-जहां लाईट लगनी थी, डेली वेजेस में लाईट लगा रहा था। वह आदिवासी गांव में साईकिल में जाता रहा। वह बल्ब और लाईट लगा रहा था। उसको दिन दहाड़े पकड़कर काट दिये। एक मामला छोटे डोंगर, नारायणपुर जिला का है। आपके दुर्ग का कोई मुसलमान लड़का उधर किसी के ठेकेदारी में डेली वेजेस में नल जल योजना में काम कर रहा था, उसको छोटे डोंगर की सड़क में पकड़े और तुम गांव-गांव में जाते हो, पुलिस के मुखबिर हो बोलकर सीधा काट दिये। हम फोटो में देख रहे हैं तो पूरी सड़क में खून फैल गया था। ऐसा होने से खूब अखरता है। चाहे नौजवान हो, जवान हो, हम लोग कैसे जीते हैं, यह हम लोगों को ही पता है। मैं अभी 10 तारीख को भूमकाल में गया था, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी गये थे, आपके मंत्री केदार कश्यप जी भी गये थे, वहां के विधायक भी गये थे। वहां भूमकाल में तो काम है बोलकर यह लोग चले गये, मैं वहां थोड़ा भाषण देने के लिये रूक गया। वहां गांव में आदिवासी लोगों की अच्छी भीड़ थी। वहां पहले तो जा नहीं पाते थे, अभी अच्छी सड़क बनी तो जा रहे हैं। (अस्पष्ट) की मूर्ति लगी थी। एक केबिनेट मंत्री बाई कार से जा रहे हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि जा रहे हैं। इन लोगों के जाने के बाद मैंने कहा कि मैं बाद में आऊंगा। मैं वहां थोड़ा ढोल में नाचूंगा कहकर रूक गया। वहीं भीड़ में आकर

नक्सलाईड लोग नाच रहे थे। मैंने एस.पी. को फोन करके खूब चमकाया। यह क्या हो रहा है ? माननीय मंत्री जी तो चले गये। मैं भी उनके पीछे-पीछे चला गया। यह क्या हो रहा है? वहां आपके पुलिस की क्या सुरक्षा है। वहां कहीं न कहीं हमारी पुलिस कमजोर है। ऐसी जगह में पहले जनप्रतिनिधियों का प्रोटोकाल जाएगा। वहां पर मैं, जगदलपुर के विधायक और आपके प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, दंतेवाड़ा वाले मंत्री भी थे उन लोग थोड़े-आगे पीछे गये, मनीष कुंजाम भी आए थे। तो उस दिन इस प्रकार हम लोग बचे हैं, ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। खासकर इस मुद्दे में जोर देकर वहां की सड़कों को ठीक करना है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की कुछ मांगे हैं। वहां जगरगुण्डा में रेस्ट हाऊस नहीं है। वहां पहले विश्राम गृह था उसे नक्सलाईटों ने उड़ा दिया। वहां गोलापल्ली में भी विश्राम गृह नहीं है, पहले वन विभाग वाला था। अगर वहां पर जगरगुण्डा में वन विभाग का रेस्ट हाऊस बन जाता। अब जगरगुण्डा तहसील हो गया है, लेकिन वहां पर रेस्ट हाऊस नहीं है। दोरनापाल नगर पंचायत है वहां भी रेस्ट हाऊस की कमी है। उस समय आप लोग दौर में गये थे तो आपने देखा होगा कि हमारे 3 ब्लॉक हैं कोंटा, सुकमा और सीतगढ़। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सीतगढ़ ब्लॉक है, लेकिन वहां रेस्ट हाऊस नहीं है। वहां पर इन तीनों जगहों में रेस्ट हाऊस का काम कर देते तो यह ठीक रहेगा। नगर पालिका, नगर निगम में कोंटा, सुकमा में पिछले साल हमारे कोंटा में तो बहुत आवास मिले, लेकिन सुकमा में लोगों को आवास नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) जिसमें लोगों को आवास मिलता है, उसे वहां देने की कृपा करें। उसके साथ-साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कोंटा से उड़ीसा जाने के लिए 32 करोड़ की लागत का पुलिया दिया था, वह पुलिया अब बनकर तैयार हो गई है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उसका उद्घाटन कर दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहकर, अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रस्तुत सभी मांगों पर समर्थन देते हुए, अपनी बात रखता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 5 हजार 47 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है इसके लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। जल जीवन मिशन योजना में 12 लाख 94 हजार 692 ग्रामीण परिवारों को नलजल के कनेक्शन देने के लिए राज्यांश राशि का 4 हजार 500 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद् देता हूँ। जल जीवन मिशन मेल्टिंग डेटा बेस एवं राज्य पोर्टल का निर्माण

शिकायत निवारण, नये कनेक्शन हेतु ऑनलाईन आवेदन व्यवस्था हेतु, गुणवत्तायुक्त ऑनलाईन मेल्टिंग के लिए व्यवस्था की गई है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा । अगर मैं उदाहरण के लिए मुंगेली विधान सभा क्षेत्र की बात करूं। मुंगेली शहर के एरिया में 22 लाख में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए खुड़िया बांध से पक्के पाईप लाईन के द्वारा पानी देने की योजना थी। पिछले आपके शासनकाल में पास हुई थी, वह आज तक अपूर्ण हैं। मैं माननीय मंत्री जी को अवगत करना चाहूंगा कि वहां extension होना चाहिए, जिससे उस क्षेत्र के लोग वंचित हैं। अगर मैं पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं । यहां झुग्गी झोपड़ीविहीन शहर हैं उन शहरों में गरीबों को पक्के मकान देने की योजना है, यह योजना लागू तो हुई है क्योंकि इनकी सरकार के समय कम कार्य हुआ। हमारी सरकार के समय ज्यादा कार्य हुआ है इसके लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि आप झुग्गी झोपड़ीविहीन शहरों में राशि का प्रावधान तो है। आपने अब राशि की व्यवस्था कर दी है, पर जिन लोगों के पास जमीन हैं उनको तो दिया जा रहा है लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है, पट्टे नहीं है, उनका नजूल क्षेत्र एरिया है आप ऐसा एरिया के लिए राशि निर्धारित करेंगे। आप ऐसे लोगों को पट्टा दें या वन टाईम सेटलमेंट है उससे व्यवस्था करें जिससे लोगों को कम कीमत में मिले। यदि उनके पास पैसे हैं तो उन्हें नि:शुल्क पट्टा दिया जाये, जिससे उनको राशि मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए प्रत्येक परिवार को ढाई लाख रूपये मिलता है जिससे वह अपने मकान बनायें। सरकार से यह आशा है कि आप उन्हें प्रधानमंत्री आवास देंगे। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास दिया गया है । इस तरह शहरों में भी आवास की योजना है, इन योजनाओं को लागू करने के लिए चरणबद्ध कार्य करेंगे, मैं आप लोगों से ऐसी आशा करता हूं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास मकान, भूमि भी नहीं है तो एक अतिरिक्त जगह चिन्हित करके जैसे शहर एरिया में डबल, तृतीय मंजिल आवास बनाकर दिया है, ऐसे ही गरीब लोगों के लिए आवास बनाकर दिये जायें। इससे आम लोगों को सुविधा मिलेगी और सरकार के प्रति विश्वास जगेगा। हम जेनेरिक दवाई की बात करें, गरीब क्षेत्रों के लोगों के देने के लिए स्लम एरिया में दवाई देने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था है, उसमें दवाई देने के लिए स्थान चिन्हित करके दवाई देने की व्यवस्था करें, क्योंकि मेडिकल स्टोर में दवाई मिलती है, पर वहां समय के अनुसार दवाई नहीं मिलती है। उनके लिए पर्याप्त दवा की व्यवस्था हो। आम लोगों को दवाई में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। उसमें टोकन सिस्टम होता है। उस टोकन सिस्टम को समाप्त किया जाये। बडे-बड़े अस्पतालों में जेनेरिक दवाई को नहीं लिखते और गरीब लोग दवाई नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए डॉक्टरों को यह हिदायत दी जाये कि जेनेरिक दवाई ही लिखें, लोगों के लिए अधिकतर जेनेरिक दवाई को बढ़ावा मिले और कम खर्च में गरीबों का इलाज हो। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख से 10 लाख तक राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ शहरी

क्षेत्र में कम मिलता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जाये या इसकी निगरानी की व्यवस्था हो। इसकी निगरानी की व्यवस्था नहीं होने से आम लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मैं ग्राम पंचायत की बात करूं। नगरपालिका में मैं मुंगेली शहर की ही बात बता रहा हूं। अन्य क्षेत्र में क्या होता है, जैसे कई लोगों ने विरोध किया। पूर्व की सरकार में पक्ष के लोगों को ज्यादा राशि दी जा रही थी और विपक्ष को अनदेखा किया जा रहा था। हमारी सरकार में सभी को राशि दी जा रही है। आपके पिछले कार्यकाल में नगरपालिका क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये 8 महापुरूषों की प्रतिमा बनाने के लिए पास हुआ था, वह अभी तक नहीं बना है। 5 करोड़ रूपये की राशि भी आई, अभी हमारी सरकार बनने के पहले प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध को हटायें। अन्य कार्य हैं, सी.सी. रोड का कार्य, गली का कार्य, नाली का कार्य है, इन कार्यों को देखें। शहर में लाईटिंग की व्यवस्था होती है। शहर में हाईमास्क लाइट लगाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त राशि है। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे शहरों में जहां आवास तो है लेकिन उन आवासों में लाईट की या हाईमास्क लाईट की व्यवस्था नहीं है, इन आवासों में लाईट की व्यवस्था करेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। शहर में घनी आबादी है, लोगों के लिए अतिरिक्त शौचालय की व्यवस्था हो, जिससे वहां के लोगों को इसकी सुविधा मिले। जरहागांव में, बरेला में नई ग्राम पंचायत, नगर पंचायत स्वीकृत हुई है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं लेकिन उसके लिए अभी तक राशि नहीं दी गई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इनके लिए पर्याप्त राशि दें। मैं विधि विधायी विभाग की बात करना चाहता हूं। मुंगेली के लिए आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्वीकृति दी है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं जिसके कारण गरीब लोगों को जल्दी से समय में न्याय मिलेगा। मैं लोक निर्माण विभाग की बात करना चाहता हूं। जिला बिलासपुर से मुंगेली होते हुए डोंगरगढ़ तक तक आपके समय में केबिनेट में रेलवे लाईन पास हुई थी। पिछली सरकार ने अपनी राशि का हिस्सा नहीं दिया । एम.ओ.यू. हो गया था और एम.ओ.यू. होने के बाद भी अपने हिस्से की राशि नहीं दी। माननीय मंत्री जी द्वारा इस मार्ग को जोड़ने के लिए रेलवे लाईन की नई पटरी बिछाने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिससे रेलवे लाईन का कार्य तीव्र गति से आगे बढ़े। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि मुंगेली क्षेत्र में पीने के पानी से लेकर, आवास की सुविधा है, लेकिन लोगों के लिए आवागमन की सुविधा नहीं है। आवागमन की सुविधा के लिए मैंने पिछले समय ध्यानाकर्षित किया था और मैंने लगभग 40 रोडों का ध्यानाकर्षित कराया था। उसमें आपने जवाब दिया कि मरम्मत होगी। पर मरम्मत होने के कारण उन सड़कों में गढ्ढे हो गये हैं, सड़कें खराब हो चुकी हैं, सड़कें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, पर ऐसे रोडों की निर्माण के लिए नवीनीकरण, डामरीकरण का कार्य हो। अगर मैं प्रधानमंत्री रोड की बात करूं तो प्रधानमंत्री रोड

पूरे क्षेत्र में 10 साल के लिये बन जाती हैं, पर 10 साल के बाद उन रोडों के रखरखाव की व्यवस्था नहीं होगी। केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजने पर नई रोड बनती है, पर यहां रोड में मरम्मत करने की व्यवस्था नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि 10 साल से ज्यादा समय से रोड बन चुके हैं। प्रधानमंत्री और उनके रख-रखाव की बेहतर नीति है। पांच साल से बने हुए रोड में उनके पास 5 प्रतिशत की राशि आज भी ठेकादारों के पास या सरकार के पास जमा होती है। उन सड़कों का भी नवीनीकरण करें, गड्ढा पटे या नया काम हो, जिससे रोड में व्यवस्था हो।

अध्यख महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री सड़क में भी बहुत से मुख्यमंत्री सड़क ऐसे हैं, जो खराब पड़े हैं, उसमें गड्ढे हैं, उन सड़कों की स्थिति दयनीय है। ऐसे सड़कों को भी नया करें। ऐसे बहुत से रोड हैं, जो 20 किलोमीटर बन गए, जिसमें 2 किलोमीटर कम है। जहां ऐसे गेप है, जहां रोज आवागमन होती है, जो मिट्टी वाला क्षेत्र है, ऐसे बहुत से रोड है, मैं उसकी जानकारी आपको उपलबध करा दूंगा। आप इनको भी ध्यान देंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वह आपके पड़ोसी हैं। आप उनसे रोज मिलते हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इन बातों से आम लोगों को सुविधा मिले, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं आपके समय से बताऊं, क्योंकि आप उस समय मुख्यमंत्री थे और आप अभी अध्यक्ष हैं। मैं आपसे यह चाहूंगा कि 5 रोड सिटी बस के लिए पास हुआ था। मुंगेली से लोरमी, मुंगेली से पथरिया, मुंगेली से परभट्ठा, मुंगेली से चारभाठा और मुंगेली से सेतगंगा सीटी बस चले, उसका राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है, जिसको मैं अवगत कराया हूं। उसी में आप स्वकृति दे दीजिए। लोग सीटी बस चढ़ेंगे और सीटी बस से लोगों को लाभ मिलेगा। लोगों को कम खर्च में इसकी सुविधा का लाभ उठायेंगे। मैं ऐसी आपसे आशा करता हूं। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मंत्री जी, आपसे एक और निवेदन है। मेरे क्षेत्र में चार ऐसे रोड हैं, जिसमें आवागमन की सुविधा अवरूद्ध है। आपने रोड में कम बजट दिया है तो मैं दो-तीन रोड का नाम बताऊंगा। मुंगेली से घोठेली से, नवागांव मार्ग मजगांव में लगभग 3 किलोमीटर है। सेमरसेल से झतपुरी मार्ग 2 किलोमीटर है, गोपतपुरा बिझौरी 2 किलोमीटर और इधर 1 किलोमीटर बन गया है। मात्र 1 किलोमीटर बनना बाकी है। ऐसे रोड को आप बनावायेंगे। एक भालापुर से अचानकपुर का जो रोड उखड़ चुका है, वह मुख्यमंत्री रोड है, उसमें डामरीकरण के लिए आदेशित करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, एक चीज में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने नल-जल योजना में सवाल लगाया था। मेरे पास जो डेटा आया है, उसमें पूर्णता का जो सर्टिफिकेट है, उन गांवों में जब मैंने सर्वे कराया तो ऐसे 22 गांव हैं, जहां पर कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। कहीं पर ठेकेदार चला गया है, कई टंकियों में पानी नहीं है। इस तरह का जहां पर बात हुई है, वहां पर कम से कम जो ठेकेदार है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, उन पर एक्शन लेते हुए कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करायें, यह मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। श्री द्वारिकाशी यादव। द्वारिकाधीश जी, थोड़ा संक्षेप में अपनी बात रखेंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री अरूण साव जी द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में मांग संख्या 20 में जो प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मैं भाग लेने के लिए और उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि एक समय छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान में ऐसा भी रहा है कि गांवों में, शहरों में पानी की टंकी और शहर में निवासरत लोग नल से पानी भरते थे। जब ग्रामीण की हमारी माताएं-बहनें जब शहर आती थीं तो उनको शहर में पानी का टंकी देखने के लिए मिलता था और जब हमारे बड़े बुजुर्ग सम्धी के घर जाते थे तो वहां सुबह वह लोग नल में पानी भरते थे, लेकिन आजादी की इतने वर्षों के बाद बदलाव तो हुई। अब गांवों में वह केवल और केवल पानी टंकी को नहीं देख रहे हैं। शहर में ता गली में पानी भर रहे हैं। अब गांवों में अपने आंगन में भी पानी भर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ी तो केवल और केवल अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर करने की सोच ही नहीं थी, सोच यही थी कि हिंदुस्तान में केवल और केवल दिल्ली और रायपुर के निवासरत लोग नल के पानी भरे, दिल्ली के निवासरत लोग 500 फीट के सड़कों में चले और ग्रामीण लोगों को चलने के लिए नई सड़क मिले। वह चाहते थे एक दिन हिंदुस्तान ऐसे ही समय देखें और हिंदुस्तान में ऐसा समय आए कि गांवों में स्कूल भी हो, पानी भी हो, सड़क भी हो और और वह दिन आज हुआ है। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की योजना लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि इस योजना में छोटे भाई और बड़े भाई के जैसी ही बात है । 60 परसेंट दिल्ली की सरकार, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार और राज्य सरकार का 40 परसेंट है । पूर्व में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस क्षेत्र में काम किया है । पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के समय जब मनरेगा की नीति आयी उस समय छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो आपके भी साथी, आपके विधायक कई मनरेगा के निर्माण कार्यों में भी अनुशंसा छपवायी कि मेरे प्रयास से हुआ तो अगर हम लोग भी यह बोलते हैं कि हमारी सरकार में नल-जल योजना में काम हुआ है तो शायद इसे आपत्ति के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात । नल-जल योजना में जब से सदन शुरू हुआ है तो बार-बार यह बात आती है कि नल-जल योजना में सही काम नहीं हुआ । बहुत खराब काम हुआ है तो मैं कहीं न कहीं यह बोलना चाहूंगा कि कहीं-कहीं पर अच्छे भी काम हुए हैं । हमारे महासमुंद जिले में अच्छे काम हुए हैं तभी आपने यह जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसमें जो तस्वीर है वह महासमुंद की है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि नल-जल योजना में पी.एच.ई. विभाग ने सही काम किया या नहीं ? चूंकि यह गरीब से जुड़ा हुआ मामला है । माननीय मंत्री जी, कहीं-कहीं पर यह व्यवस्था भी है कि नल कम्प्लीट हो चुका है, पानी टंकी बन चुकी है, नल कनेक्शन हो गये, पाईपलाईन बिछ चुकी हैं लेकिन उस विभाग का जो प्राक्कलन तैयार किया । 2 करोड़ रूपये में सारी चीज की व्यवस्था लेकिन प्राक्कलन में डेढ़ लाख में नये मोटर की कहीं व्यवस्था नहीं दी गयी । निश्चित रूप से उनकी घोर लापरवाही है । जिसके चलते आज कई गांव ऐसे हैं जहां पर 6 महीने पहले हो सकता था कि वे नल से पानी पी लेते लेकिन उनकी गलती की वजह से चूंकि यह गलती तो हुई है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश के इतिहास में उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव जी बने, एक-बार विभाग में इसी तरह की परिस्थिति बनी कि गलती हुई, गलती हुई । मैं तो कहता हूं कि अच्छा हुआ है लेकिन एक-साथ 370 सब-इंजीनियर कहीं पर सस्पेंड हुए, निलम्बित हुए तो मध्यप्रदेश में ऐसा हुआ । यदि सही हुआ है तो यह बात सदन में बार-बार नहीं आनी चाहिए क्योंकि सदन का समय भी महत्वपूर्ण है और यदि गलत हुआ है तो आप दिल्ली सरकार में भी उस सदन में रहे हैं और आज आप उप मुख्यमंत्री हैं । मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने आपको स्वतंत्र रूप से काम करने अधिकार दिया है तो यदि गलती हुई है तो उसी तर्ज पर होना चाहिए । मैं यह कहना चाहता हूं कि आप एक-बार छत्तीसगढ़ में भी इतिहास रचिये । पी.एच.ई. विभाग दलगत राजनीति का शिकार न हो, चूंकि यह गरीब का मामला है । अभी निकट भविष्य में गर्मी आ रही है, दो दिन पहले यदि उनके नल में सारे खर्चे हो चुके हैं, धनराशि खर्च हो चुकी है और उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो नल-जल योजना तत्काल शुरू हो सकती है । चूंकि आपने समीक्षा बैठक ली है तो निश्चित रूप से आपकी समीक्षा में भी बहुत सी बातें आयी होंगी । पी.डब्ल्यू.डी. की बात है तो निश्चित रूप से आपको जितनी धनराशि चूंकि 1 करोड़ 47 लाख रूपये का बजट कोई छोटा बजट नहीं है । देश के कई प्रांतों में इस बजट को, छत्तीसगढ़ के बजट को देखकर वे आश्चर्यचकित भी हो रहे होंगे लेकिन आपको वास्तव में बजट ज्यादा मिलना था क्योंकि सड़क आवश्यक है । मेरे भतीजे रामकुमार ने बताया है, इस बात को जरूर याद रखियेगा कि शहर में और गांव में अंतर न आये। सड़क आवश्यकता है। सड़क आने-जाने के लिए महत्वपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार गंभीर है। हर सरकार की और हमारी भी सरकार की ये प्राथमिकता रही है कि पूंजीगत व्यय ज्यादा हो, लेकिन माननीय मंत्री जी आप तो सरकार की पूंजीगत

व्यय बढ़ाने की सोच रहे हैं, लेकिन सड़क बनने से केवल और केवल आने-जाने के अतिरिक्त उस सड़क के किनारे छत्तीसगढ़वासी की जिस भी भाइयों और बहनों की जमीन है, उस जमीन की दर बढ़ती है तो निश्चित रूप से आपकी सरकार..।

अध्यक्ष महोदय :- अपने क्षेत्र में आ जाइए न।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- जी-जी। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, पुराने रायपुर जिला में आप सर्वे करा सकते हैं। पुराने रायपुर जिला बोल रहा हूं, केवल महासमुंद जिला नहीं। सबसे ज्यादा कच्ची सड़क होगी तो खल्लारी विधान सभा में है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। मैंने 16 सड़कें दी थीं और मैं मिलकर आपको दूंगा। आप अपने प्रशासनिक तंत्र से बात मैं बोल रहा हूं, वो बात आप दिखवा लीजिए। पुराने रायपुर जिले में सबसे ज्यादा अगर कच्ची सड़क देखनी हो तो मैं आपको खल्लारी विधान सभा में आमंत्रित करता हूं और उम्मीद करता हूं, निवेदन करता हूं कि आपके कार्यकाल में सबसे कम कच्ची सड़क हो तो खल्लारी विधान सभा हो, उस दिन मैं जरूर आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। नगरीय प्रशासन में माननीय मंत्री जी, निश्चित रूप से उसमें भी बजट मिलना चाहिए, क्योंकि नगर भी प्रदेश की आभूषण होती है और मेरा बागबहारा नगर-पालिका है, वहां पर लाइटें कम लग पायी हैं। लगवाये तो जरूर। मेरा मानना है दिन में शहर की सड़क और साफ-सफाई से और रात में शहर का आभूषण तो लाइट ही होता है तो मेरे बागबहारा शहर को आभूषण प्रदान करेंगे। बागबहारा नगर-पालिका में बहुत पुरानी बस स्टैण्ड है। माननीय मंत्री जी, बहुत छोटा सा है। नगर-पालिका है, लेकिन जब आप बस स्टैण्ड को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कोई कस्बा या सड़क किनारे 2-3 मिनट के लिए बस रूक जाती है। उसी परिस्थिति में है। जो नये मॉडल के बस स्टैण्ड हो रहे हैं वो बस स्टैण्ड भी देते तो बहुत अच्छा होता। लालपुर तालाब के सौंदर्यीकरण की भी आवश्यकता है और श्मशान घाट भी जैसे होना चाहिए, वैसा नहीं है। व्यवहार न्यायालय तो अभी अभी हमारी सरकार में अभी प्रारंभ हो चुका है, लेकिन महाविद्यालय की पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि व्यवहार न्यायालय न्यायालय जैसा हो। सुंदर भवन हो और वहां पर हमारे क्षेत्र के लोगों को न्याय मिले। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे निवेदन को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मंत्री पूरे प्रदेश के हैं और आपके अनुभव का लाभ मिलेगा। आप दिल्ली में भी रहे और छत्तीसगढ़ दोनों के अनुभव का लाभ आपके विभाग में दिखेगा और मेरे खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में दिखेगा। इसी विश्वास के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती शकुंतला पोर्ते।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते (प्रतापपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को इस बजट के संबंध में धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अपनी बात रखना चाहती हूं। माननीय महोदय, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में अधोसंरचना विकास एवं पूंजीगत व्यय

को प्रोत्साहित करने के लिए लोक निर्माण विभाग के लिए 8 हजार 17 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में कुल 1 हजार 268 सड़क निर्माण-कार्य हेतु 737 करोड़ इस वर्ष के बजट में नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देती हूं ।

समय

6.00 बजे

महोदय, सन् 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ उसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही और अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे । 2003 में भाजपा की सरकार बनी, अध्यक्ष महोदय, उस समय आप मुख्यमंत्री थे । सरकार के सामने तमाम चुनौतियां थीं, जिनमें खराब सड़कें, पुल-पुलियों का अभाव भी उनमें से एक था । हमारी भाजपा सरकार ने चुनौतियों का समाना करते हुए खराब सड़कों को बनाकर छत्तीसगढ़ में नई सड़कें बनाकर कीर्तिमान् स्थापित किया । सड़कों के सुधार होने में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी जी की भी रही है । जिन्होंने अपने स्वर्णिम कार्यकाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की थी । इसके लिए देशवासी उनके सदा आभारी रहेंगे । जितनी सड़कें हमारी भाजपा सरकार में बनी उन्हें उखाड़ने का काम पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ । इनके कार्यकाल में रेत खनन का कार्य खूब फलाफूला । इसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में बनी सड़कें ओवर लोड ट्रकों द्वारा बालू ढुलाई के कारण उखड़ गईं, लगातार छत्तीसगढ़ की मुख्य सड़कों का कोई सुधार नहीं हुआ । जनता खराब सड़कों की परेशानी झेलती रही । महोदय, मैं जिस विधान सभा से निर्वाचित हुई हूं, वहां के पूर्व विधायक शिक्षा मंत्री हुआ करते थे । जिनसे एक बार वाड्रफनगर की एक सार्वजनिक सभा में एक कार्यक्रम के दौरान जनता ने खराब सड़कों के सुधार हेतु पूछा तो उनका जवाब था कि अच्छी सड़कें होने से गाड़ियों की रफ्तार अधिक होती है और दुर्घटना होती है । सड़कों में गड्ढे रहेंगे तो दुर्घटनाएं कम होंगी । हमारी सरकार की लाईनें है - हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। ये बजट इन लाईनों की सच्चाई को प्रकट करता है । राज्य में कुल 1,268 सड़क निर्माण कार्य हेतु 737 करोड़ इस वर्ष के बजट में नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है । 349 वृहद एवं मध्यम पुल निर्माण हेतु 175 करोड इस वर्ष के बजट में नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- अपने विधान सभा क्षेत्र से संबंधित बातें ज्यादा कीजिए।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- जी, मैं अपने ही विधान सभा क्षेत्र के बारे में बात करती हूं । महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूं एवं मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद् ज्ञापित करती हूं । नई नगरीय जल प्रदाय योजनान्तर्गत वाड्रफनगर आवर्धन जल प्रदाय योजना प्रारंभ की जाएगी । इस हेतुबजट में 1 करोड़ 82

लाख का प्रावधान किया गया है । नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में सबके लिए आवास योजनान्तर्गत नगरीय क्षेत्र के गरीब परिवार के लिए आवास हेतु 1002 करोड़ का बजट प्रावधान किया है । रायपुर एवं बिलासपुर में स्मार्ट सिटी के लिए 404 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रतापपुर में नगर पंचायत में नालों के प्रदूषण से बचाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम एवं सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जाएगी । इसके लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं । माननीय मंत्री जी, आग्रह है कि मेरे क्षेत्र में प्रतापपुर नगरीय क्षेत्र व्यापारिक दृष्टि से बहुत विकसित है। दुकानों की अधिकता होने से आवागमन की बहुत समस्या बनी रहती है बार-बार जाम की समस्या होने से आमजन को काफी संकट का समाना करना पड़ रहा है । अत: प्रतापपुर नगर में बायपास मार्ग बनाने की कृपा करेंगे । वाड्रफ नगर में बायपास रोड कार्य की स्वीकृति भाजपा कार्यकाल में ही हो चुकी थी । पिछली सरकार के उदासीन रवैये के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है । उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वाड्रफनगर के बायपास कार्य को तत्काल प्रारंभ कराया जाए । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् देना चाहती हूं । प्रतापपुर में न्यायालय भवन बन सकेगा, जिसके लिए 7 करोड़, 22 लाख का प्रावधान किया गया है । गौरतलब है कि प्रतापपुर में 20 साल से भी ज्यादा समय से व्यवहार न्यायालय के साथ अन्य न्यायालय संचालित हैं लेकिन इनका भवन नहीं था । वकील लम्बे समय से इस मांग को उठाते रहे हैं । अधिवक्ता संघ की तरफ से भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद् ज्ञापित करती हूं । महोदय, मेरी कुछ छोटी-छोटी मांगें हैं । बनारस रोड मुख्य मार्ग चंदौरा से देवरीपखनी जाजौर मार्ग की लम्बाई लगभग 25 किलोमीटर है, जो बहुत ही खराब है, इसे बनाने की कृपा करेंगे । प्रतापपुर में लोक निर्माण विभाग से रेस्ट हाऊस निर्माण की कृपा करेंगे । ग्राम पंचायत भरदा जो कि हाथी प्रभावित क्षेत्र है । सन्मन्दर नाला में पुलिया निर्माण की कृपा करेंगे । ग्राम पंचायत बगड़ा, नौवा, झोरकीनाला में पुलिया निर्माण की कृपा करेंगे । इतना ही कहकर मैं अपनी बात को विराम देती हूं, धन्यवाद् ।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी की मांग संख्या 20, मांग संख्या 22, मांग संख्या 24, मांग संख्या 29, मांग संख्या 67, मांग संख्या 69, मांग संख्या 76 और मांग संख्या 81 के अनुदान मांगों की चर्चा में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे उप मुख्यमंत्री के लिए जो बजट है, उसमें देखते हैं तो जितने कार्य स्वीकृत हैं, अगर छत्तीसगढ़ राज्य को देखते हैं, उसके अनुसार उप मुख्यमंत्री जी को और बजट चाहिए। मैं निवेदन करती हूं कि आप सरकार से और बजट लाईए जिससे हमारी मांग पूरी हो सके। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि चाहे इस साईड बैठे हों, चाहे आपके साथ बैठे हों, उन सभी को उनकी आवश्यकता है। मैं यह बात कहना चाहती हूं, अगर हम किसी भी राज्य में जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, चाहे हम उड़ीसा जाएं, चाहे आंध्रा

जाएं, कहीं भी किसी भी राज्य में जाते हैं तो सबसे पहले उनकी सड़कें देखी जाती हैं। हम किसी भी राज्य में जाते हैं तो उस राज्य की सड़कें देखते हैं और उस राज्य की सड़कें देखकर अंदाजा लगा लिया जाता है कि वहां राज्य की सरकार कैसी है। उनके मुख्यमंत्री कैसे हैं, अगर सड़कें बहुत अच्छी है तो उस मुख्यमंत्री की तारीफ होती है, जहां सड़कें उबड़, खाबड़ गड़बड़ दिखी वहां उस सरकार की बुराई होना शुरू हो जाता है। हमने इस चीज को देखा है। छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम किया है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि हमको भविष्य देखना है, हमको जनता को देखना है। पूर्ववर्ती सरकार ने जो कार्य किया है, वह बहुत अच्छा कार्य किया है। जबकि मैंने यह महसूस किया है, हम विधान सभा क्षेत्र में जाएं, अपने क्षेत्र में जाएं तो मैं अपने क्षेत्र की बात करती हूं, 15 साल से आप लोगों का राज था। मेरे विधान सभा में एक चोरहा नाला है, वह चोरहा नाला भानपुरी में है, जब बारिश होती है तो वह एक टापू के रूप में हो जाता है, वह टापू बन जाता था। पूरी ओर से पानी से घिर जाता था, बच्चे एक सप्ताह, 15 दिन तक स्कूल नहीं जा पाते थे, वहां की जो गरीब महिलाएं हैं, जो दूसरे गांव में काम करने जाती थी, उनके लिए अवरूद्ध पैदा हो जाता था। हमारी सरकार ने पहली बजट में उस नाले को शामिल किया और हमने वह पुल बनवाया। ऐसी बहुत सी पुल, पुलिया, सड़कें हैं, जिसको पूर्ववर्ती सरकार ने पूरा किया है। हमारी सरकार के लिए बहुत आवश्यक है कि आप पुल, पुलिया पर ध्यान दें। मैं उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि हमारी कुछ-कुछ मांगें थी, उसको पूरा किया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाह रही हूं, मेरा प्रश्न भी लगा था, हमारी सड़कें पास हो चुकी हैं, आ चुकी है, उनका टेंडर रोक दिया गया है, कृपा करके पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के टेंडर को फिर से चालू करवा दें तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के लिए बहुत कृपा होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं गांव से आती हूं, मैं अपने विधान सभा की बात करूं तो सड़कें बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर नार्मल गांव में घूसते हैं तो सबो झन के बात करत हौं, काखरो घर अगर लड़की-लड़का देखे ला जात हन तो अगर रोड नई रही ता ओखर यहां से बहू नई मांगन। ये एकदम सही बात ए। मैंने महसूस किया है। मैं एक मंगचुआ गांव में गयी, वहां सड़कें नहीं गयी थी, मैं विधान सभा चुनाव दरमियान वहां गयी तो वहां के लड़कियों की गांव की गांव शादी हो रही थी। मैंने कारण पूछा कि यहां की लड़कियों की शादी बाहर क्यों नहीं हो पा रही है, यहां की लड़कियों को बाहर क्यों नहीं ले जाया जा रहा है तो उन्होंने बताया, यहां पर सड़क नहीं पहुंच पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सड़कें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर छत्तीसगढ़ राज्य का विकास देखना है तो सड़क और पुल निर्माण होना ही चाहिए। अगर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के बोहारा नाला में उच्च स्तरीय पुल की मांग कर रही हूं, अभी बजट पास हुआ नहीं है, इसमें अगर थोड़ी बहुत बजट दे देते तो अच्छा होता। मेरी यह मांग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोहारा में जो पुल है, उसमें से अगर हम गुजरते हैं, अभी तो कैसे भी साधारण व्यवस्था बना लिए हैं, अगर बारिश होती है तो उस पुल में बारिश का पानी भर जाता

है। अगर उस पुल से बच्चे को स्कूल जाना है, अगर वहां पर सोसायटी और गौठान है। तो उनको हर कार्य के लिए उस पुल के दो से ढाई किलोमीटर तक घूमना पड़ता है। मैं उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि आप इसी बजट में बोहारा में उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के लिए प्रावधान करे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरे यहां मनचुआ में करकाभाट मार्ग 5.5 किलोमीटर है और मरकाटोला कंकालीन मुख्य मार्ग, नकबेलडीह तक पहुंच मार्ग है। कंकालीन हमारे देवी-देवताओं का मंदिर है और वहां पर 17 परिवारों का एक नकबेलडीह गांव है। हम लोग उस दिन वहां पर गये थे तो मैंने देखा कि वहां पर सभी सुविधाएं जैसे - पानी, लाइट की व्यवस्था हो गयी है। मैं वहां पर सभी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करा चुकी हूं, लेकिन वहां पर रोड का अभाव है। मैं चाहती हूं कि यदि आप जंगल में रहने हमारे 17 परिवारों की छोटी-छोटी चीजों को ध्यान देकर वहां पर रोड की व्यवस्था कर देंगे तो बहुत कृपा होगी। रोड की व्यवस्था इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि P.W.D. अपना कार्य कर देता है लेकिन वहां पर समस्या वन विभाग से होती है। हमें वन विभाग रोकता है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप दोनों सामंजस्य बैठाकर उस रोड का निर्माण का निर्माण करें। NH-30 में जगतरा, बिच्छीबाहरा, साल्हेभाट 7 किलोमीटर है, मैं उसके लिए भी आपसे निवेदन करती है। मेरी बहुत सारी मांगें हैं, जिन्हें मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी।

अध्यक्ष महोदय :- आप उप मुख्यमंत्री जी को लिखकर दे दीजिएगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इस बार का निवेदन है कि यदि आप बोहारा नाला का निर्माण कार्य कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। आवास के बारे में हमारे पूर्व साथियों ने बहुत सारी बातें कही हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके क्षेत्र में बहुत सारे नालों और पुल की जरूरत है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आयी कि पिछली सरकार ने इनके क्षेत्र में चोरहा नाला क्यों बनवाया ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मोर क्षेत्र में चोरहा नाला अऊ बहुत सारा पुल के निर्माण हो हे। मैं चोरहा नाला बर एखरे सेती बोलथो काबर कि ओ पूरा द्वीप बन जाए। हमन 15 साल से ओखर मांग करत रहे हन।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- नहीं, चोरहा नाला बनाने का उद्देश्य क्या था? चोरहा नाला क्यों बनाया गया ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ओला बोलना हे करके बनाये हे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर शौचालय की बात हुई तो जब हम इसकी बात करते हैं तो यह स्पष्ट कह दिया जाता है कि शौचालय निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है और इसमें राशि नहीं आ रही है। अब जब शौचालय निर्माण के लिए राशि आ रही है तो मैं वाकई में चाहती हूं कि हमारे ग्रामीण स्तर के लोगों को उसका फायदा दिलाऊं। मैं

आपसे निवेदन करती हूं कि आप शौचालय निर्माण के नियम को स्पष्ट कर दें। यदि उसकी राशि लानी है तो किस तरीके से लानी है ? यदि उप मुख्यमंत्री जी इसे स्पष्ट बता देंगे तो बहुत कृपा होगी। अध्यक्ष महोदय, नल-जल योजना की बहुत बड़ी-बड़ी बातें हुईं। हम सबको पता है कि उसमें कितना काम हुआ है। मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहती हूं कि आपने जो वायदा किया है उसको पूरा कीजिए। यदि आप अपने वायदे को पूरा करेंगे तो आपको क्षेत्र की जनता का सम्मान प्राप्त होगा और क्षेत्र की जनता खुश होगी। इसके लिए जितनी राशि मिली है, वह सही नहीं है। इसलिए आप इसके बजट को बढ़ाइये और क्षेत्र की जनता की मूलभूत सुविधा का ध्यान रखिये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- सुशांत शुक्ला जी।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- अध्यक्ष महोदय, नमस्कार। आज नगरीय निकाय विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और विधि विभाग के बजट पर चर्चा हो रही है। वर्तमान में देश अमृतकाल के दौर से गुजर रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य 2047 है तो उस विषय में नगरीय-निकायों के उन्नयन और उसकी अधोसंरचना की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होना बहुत जरूरी है। वर्ष 2024-25 के नये कार्यों के प्रस्ताव के रूप में हमारी सरकार 14 रेलवे ब्रिज, 3 अंडर ब्रिज, 1 अंडर पास, 101 वृहत पुल, 1 फ्लाई ओव्हर, 5 ओव्हर पास, 2 रेलवे ओव्हर अंडर ब्रिजों का उन्नतिकरण करती है। जवाहर सेतु योजना के तहत् 9 पुलों का निर्माण करती है। 122 किलोमीटर के 11 राज्य मार्गों का निर्माण, जिला एवं अन्य मार्गों के सुदृढ़ीकरण के कार्य में लगभग 548 किलोमीटर के 54 मार्गों का निर्माण सुनिश्चित करती है तो यह अपने आप में स्पष्ट तौर पर सुशासन के संकल्प को प्रस्तुत करता है। केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 7 रेलवे ओव्हर ब्रिज, भू-अर्जन यूटिलिटी लिफ्टिंग-सिफ्टिंग और निर्माण कार्य, जिले की मुख्य सड़कों के निर्माण के अंतर्गत 565 किलोमीटर के 5 मार्ग, 1325 किलोमीटर के 125 ग्रामीण मार्ग का निर्माण। 833 किलोमीटर का निर्माण, शहरी क्षेत्र की सड़कों के निर्माण के अंतर्गत 21 मार्ग 116 किलोमीटर का निर्माण, रोड़ सेफ्टी के अंतर्गत 40 कार्य सुनिश्चित किया जाना इस बजट में तय हुआ है । वर्ष 2024-25 के नये कार्यों के प्रस्ताव में आदिवासी क्षेत्र में सड़कें, पुल कार्य, वृहद पुल के अंतर्गत 107 वृहद पुल और दो रेल्वे ओव्हर ब्रीज का निर्माण किया जाना भी सुनिश्चित हुआ है । जब हम यह देखते हैं कि जल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है । अमृत मिशन योजना और पेय जल आवर्धन योजना के तहत बहुत से कार्य इस बजट में सुनिश्चित हुए हैं । समस्त नगरीय निकायों में पेयजल उपलब्ध कराने हेत सतही स्त्रोत आधारित योजनाओं में 135 लीटर प्रतिदिन और नलकूप स्त्रोत आधारित योजनाओं में प्रति व्यक्ति 70 लीटर प्रतिदिन के मान से गणना कर योजना तैयार की गई है । अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत 38 नगरीय निकायों में पाईप लाईन, निजी नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने का भी प्रस्ताव हमारे बजट में है । योजना के

अंतर्गत एक लाख से अधिक निजी जल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे । अमृत मिशन योजना 2.0 के अंतर्गत 5 नगरीय निकायों में कुल 300 एम.एल.डी. क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी किया जाना प्रस्तावित है ।

अध्यक्ष महोदय :- अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताईए ।

श्री सुशांत शुक्ला :- जी । अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र नगरीय निकाय, बिलासपुर के अधीन 18 वार्ड आते हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था के 12 पंचायतों को सम्मिलित करके पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा गलत परिसीमन करते हुए सम्मिलित किया गया और आज वह विकास की अधोसंरचना से दूर है । ऐसे 12 ग्राम पंचायतों से निर्मित हुए 18 नगरीय निकाय के वार्डों में मूलभूत अधोसंरचना की कमी के कारण मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि ऐसे 18 वार्डों में विशेष पैकेज के तहत अधोसंरचना के विकास कार्यों की सुविधा दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे । चूंकि बिलासपुर नगर निगम बढ़ता नगर निगम है और 70 वार्डों के साथ है तो हमारे बिलासपुर के बढ़ते शहर को देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए नया फायर स्टेशन स्थापित किया जाना बहुत आवश्यक है । बेलतरा जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां से नगरीय निकाय में आने के लिए नगरीय प्रशासन, बिलासपुर द्वारा सिटी बस का संचालन किया जाता है, उसके लिए तीन नए रूट स्वीकृत किए जाएं, ऐसा मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है । राजकिशोर नगर एक बड़ी बस्ती है, उसके बीच में स्मृति वाटिका एक बड़ा उद्यान है, जो बेलतरा क्षेत्र और बढ़ते बिलासपुर के क्षेत्र में सबसे बड़ा उद्यान है । उसके उन्नयीकरण के रख-रखाव के लिए भी इस बजट में प्रस्ताव करने की मांग आपके माध्यम से है । नालंदा परिसर की स्थापना किये जाने का बजट में प्रस्ताव आया है, जो स्वागत योग्य है, लेकिन यूथ हॉस्टल के साथ इसके निर्माण की जो स्वीकृति आई है, उसकी राशि बहुत कम है । उस राशि को बढ़ाकर 40 करोड़ का प्रावधान दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे वह योजना अच्छी तरीके से बन सके । माननीय अध्यक्ष महोदय, अमृत मिशन योजना के तहत एक विषय आया है कि अमृत मिशन के तहत बिलासपुर में खूंटाघाट के बाद अरिहन नदी से जो पानी आ रहा है, उस नदी के बीच में पुल के ऊपर से अरपा नदी में पाईप लाईन बिछा दी गई है । चूंकि वह बहुत ऐतिहासिक पुल है, उसके अतिरिक्त पाईप लाईन का बिछाव हुआ है, वह डी.पी.आर. के तहत नया पुल बनाकर किया जाना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग के संबंध में भी मेरी कुछ मांग है । आमतरा लछनपुर मार्ग जो 30 साल से लंबित था, वह मांग इस बजट में पूरी की गई है, जो स्वागतयोग्य कदम है । वैसे ही गोंदैया कलमीटार की 40 सालों से सड़क की मांग थी, जो मेरे क्षेत्रवासियों के लिए अपने आप में एक उपलब्धि है, परन्तु इस बजट में कुछ मांगें नहीं आ पाई हैं । मेरे द्वारा संबंधित मंत्री जी से मांग भी की गई थी । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अग्रेसित है । आर.के. पेट्रोल पम्प से रपटा होते हुए साईंस कॉलेज तक की सड़क जो पी.डब्ल्यू.डी. के अधीन आती है, इसके चौड़ीकरण की

मांग आपके माध्यम से अग्रेसित है । राजकिशोर नगर चौक से मोपका होते हुए लगरा पुल तक चौड़ीकरण की मांग आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की तरफ अग्रेसित है । भरत चौक से भारतमाता चौक, विश्वकर्मा चौक होते हुए अपोलो हॉस्पिटल तक की सड़क चौड़ीकरण की मांग आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की तरफ अग्रेसित है । साईंस कॉलेज में बन रहे प्रगति मैदान के अधीन आडिटोरियम 2018 से अपूर्ण पड़ा हुआ है । उस आडिटोरियम के निर्माण की पूर्ति के लिए 10 करोड़ रूपए की राशि स्थानीय विभाग द्वारा मांगी गई है, जो कि इस बजट में नहीं जोड़ी गई है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस मांग को भी पूरा किया जाये । अध्यक्ष महोदय, बहतराई खेल परिसर जो आपके कार्यकाल में दिया गया था, वह अब जीण-शीर्ण है और जिला खेल परिसर का उन्नयन करने का काम पी.डब्ल्यू.डी. के अधीन है । आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि बहतराई खेल परिसर और जिला खेल परिसर के उन्नयीकरण का काम भी पी.डब्ल्यू.डी. करे । बिलासपुर का एयरपोर्ट वर्तमान समय में विकास कार्य की अवधारणा से वंचित रहते हुए यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है । बिलासपुर का एयरपोर्ट पी.डब्ल्यू.डी. के अधीन है और उसके अन्तर्गत होने वाले सभी निर्माण कार्य जो यात्री सुविधाओं के दृष्टिगत हो, उसे जल्द से जल्द पूर्ण करते हुए बिलासपुर में हवाई यातायात सुविधा उपलब्ध कराई जाये, अध्यक्ष महोदय, ऐसी आपके माध्यम से मेरी मांग हैं।

अध्यक्ष महोदय, विधि विभाग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की न्यायिक राजधानी है। न्यायिक राजधानी होने के नाते उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। परन्तु देखने में आता है कि ट्रिब्यूनल्स के मामले में बिलासपुर के साथ हमेशा अन्याय हुआ है।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, अभी बिलासपुर से जो हवाई जहाज उड़त हे ना, तेला हमन उड़ाय रहेन। ठीक हे, हमन दिल्ली तक करे रहेन, तुमन 4-5 शहर जोड़े के काम करवा देवा।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने आपत्ति की है। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि आपने ऐसा किया था कि कोई भी गड्डी आन दी छलांगा मार दी करते जाये और एयरपोर्ट में घुस जाये, ऐसी तो इन्होंने व्यवस्था दी है।

श्री रामकुमार यादव :- हमन शुरूआत तो करेन भाई। तुमन ओला संवारे के काम करा।

श्री सुशांत शुक्ला :- संवार तो रहे हैं। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, यह आप स्पष्ट समझ लीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- शुरूआत हमन करे हन।

श्री सुशांत शुक्ला :- हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, स्पष्ट समझ लीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- शुरूआत हमन करे हन।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विधि विभाग की कुछ व्यवस्थाओं के बारे में कहना चाहूंगा। डेब्ट रिक्व्हरी ट्रिब्यूनल (डी.आर.टी) की स्थापना बिलासपुर में होना ही चाहिए। कैट (केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल) बिलासपुर में स्थापित हो। जी.एस.टी. का ट्रिब्यूनल बिलासपुर में स्थापित हो। रेल्वे क्लेम ट्रिब्यूनल अभी भोपाल से संचालित होता है। रेल्वे जोन, बिलासपुर में है और ट्रिब्यूनल भोपाल में है, इस कारण बहुत सारी विसंगति आती है। एन.जी.टी. का ट्रिब्यूनल भी बिलासपुर में हो। क्योंकि अब छत्तीसगढ़ माइनिंग का हब होते जा रहा है। एन.जी.टी. के माध्यम से बहुत सारी चीजें प्रक्रियाधीन होने के कारण व्यवस्थाएं वंचित हो जाती हैं। कस्टम एक्साइज एण्ड सर्विस टैक्स ट्रिब्यूनल बिलासपुर में स्थापित हो। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको आई.टी.ए.टी. कहते हैं, बिलासपुर में उसकी स्थापना की जानी चाहिए। यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास में सूर्योदय के रूप में स्थापित होगा। आने वाले समय में जनहितैषी योजनाएं विकास के रथ में बढ़कर गतिशील होंगी, ऐसी मेरी मान्यता है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री कुंवर सिंह निषाद। थोड़ा संक्षिप्त में बोलेंगे। अपने विधानसभा क्षेत्र में ही सीमित रहिये। प्रदेश की चिंता कम करिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी चिंता कर लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रदेश की चिंता करने वाले बहुत लोग हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी चिंता कर लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- लोगों ने बहुत चिंता कर लिया। आप अपने क्षेत्र तक सीमित रहिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 20, 22, 24, 29, 67, 69, 76 एवं 81 के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हर घर नल और घर-घर जल, यह जीवन मिशन का उद्देश्य है। हमने एक मापदण्ड तय किया है कि प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन के हिसाब से 55 लीटर पानी मिले। पूर्व में हमारी सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में जलजीवन मिशन के तहत स्वीकृति हो चुकी थी। कुछ जगह के कार्य बच गये थे। वह ठेकेदार की लापरवाही के कारण या टेण्डर में देरी के कारण बचे हुए हैं। हमारी सरकार ने पूरी सजगता के साथ कि लोगों को पानी मिले, हमने प्राथमिकता के आधार पर काम को पूरा करने का प्रयास किया था। अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी ढिंढोरा पीटते हैं कि पूरा काम केन्द्र सरकार के द्वारा हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बराबर के अनुपात से काम हो रहा है। जितना केन्द्र सरकार का अंश होता है उतना ही राज्य सरकार का भी अंश होता है। अब बचे हुए कार्यों को पूरा करना आपका काम है। क्योंकि जनमत आपको मिला है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठेकेदार को भी निर्देशित करें कि समय सीमा के अंदर काम हो। क्योंकि लगभग सभी जगह काम प्रारंभ हो चुके हैं और कई जगह अधूरे पड़े हुए हैं। तो ये काम केवल और केवल ठेकेदार की लापरवाही की भेंट चढ़े हुए

हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि राजनीति से हटकर हम जनता को कैसे सुविधा प्रदान करे, जनता को कैसे पानी दें, यह हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पंचायतों में जहां जहां पर पाईप लाईन बिछाने के लिए गड्ढे खोदे गये हैं, वहां सरपंचों को पता नहीं है कि ठेकेदार को वह काम पूरा करना है तो सरपंच उनको नहीं बोल पाते हैं। तो प्रशासन स्तर पर हर ठेकेदार को जानकारी हो जाये। आप अधिकारियों को निर्देशित करें कि वह ठेकेदार को निर्देश दें कि वह काम जल्दी पूरा करें। यदि पाईप लाईन टेस्टिंग का काम पूरा हो गया है, नल का काम पूरा हो गया है, खुदाई का काम पूरा हो गया है तो वह काम पूरा कर दें ताकि जनता को सुविधा मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी बहुत से ऐसे ग्राम हैं, जहां पानी की बहुत दिक्कत है। वहां सूखा होने के कारण पानी नहीं मिलता है। बोर खनन तो होता है, लेकिन जल स्त्रोत नहीं मिल पाता है। मैं सीधा-सीधा अपने क्षेत्र और जिले की बात पर आ जाता हूं। तो मेरे विधानसभा आदिवासी अंचल में बहुत से ऐसे गांव आते हैं, जहां पानी की बहुत समस्या है। बोर खनन होता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। देवरी क्षेत्र में राघव नवागांव, सिर्राभाठा, संबलपुर, मुड़िया, गिना, बुंदेली, नवागांव एक ऐसा क्षेत्र है, जो आधा गांव आपके विधान सभा में आता है और आधा गांव मेरे विधान सभा में आता है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजनांदगांव के आधे तरफ तो पानी मिल रहा है, आपका आधा तो राजनांदगांव जल जीवन मिशन से पानी आ जाता है और आधे जो बचे हैं, उन लोग उधर देखते रहते हैं कि बगल का पड़ोसी पानी भरता है और इधर वाला देखते रहता है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृपा चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी के माध्यम से जो परियोजना है, वह इस तरफ भी ला दें, उस गांव का पूरा पानी मिल जाये, मैं यह आपके माध्यम से चाहता हूँ । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गुंडरदेही ब्लॉक में हीरूखपरी एक ऐसा गांव है, जहां पर लोग चुनाव का बहिष्कार किये थे, वहां पर बहुत मन्नत के बाद लोग वोट डाले और मतदान में भाग लिये । वहां कैसे भी करके प्रयास किये और आज वहां के लोगों को पानी मिल रहा है, ऐसी दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिये । जहां कभी पानी नहीं पहुंच पाता है, वहां हमने पानी पहुंचाने का काम किया है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ गांव ऐसे हैं, कसौंदा, हरिसिंगी, परसवानी, परनागुड़िया, मटेवा, महुदा, आदि ग्रामों में पानी की समस्या है, वहां पानी नहीं मिल पाता है । आसपास जहां नदी है, जलाश है, उनके माध्यम से यदि पानी ले आयें तो उस गांव को पानी मिल सकता है । अध्यक्ष महोदय, आपके बजट में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है । योजनाबद्ध तरीके से यदि इसमें काम किया जाये तो निश्चित रूप से वह काम पूरा कर सकते हैं । इसमें इच्छाशक्ति होनी चाहिये, यदि हमने कई रूकावटों के बाद कार्य पूर्ण किया है, कहीं न कहीं हमारी सरकार में इच्छाशक्ति थी और उसके कारण हमने यह कार्य किया है । अध्यक्ष महोदय, अब आपके बजट में कितना बोर खनन का लक्ष्य होगा, कितने ग्रामों की स्वीकृति होगी, कब तक पूर्ण करेंगे, इस बात का कहीं पर स्पष्ट उल्लेख नहीं है । अध्यक्ष महोदय, नगरीय प्रशासन विभाग

में नगर विकास की परिकल्पना को पूर्ण करने के लिये सरकार अधोसंरचना मद से परियोजना बनाती है, ताकि नगरीय क्षेत्र में निवासरत् सभी जनता को सुविधा का लाभ मिल सके । अध्यक्ष महोदय, पूर्व में हमारी सरकार ने नगरों में रहने वाले नागरिकों के लिये बहुत सारी योजनायें संचालित की थी, जिसके लिये केन्द्र सरकार ने कई बार पुरस्कृत किया है । चाहे शहरी आवास की योजना हो, स्वच्छता पर हो, शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना की बात हो, मोदी जी की सरकार ने उल्लेखनीय कार्य के लिये पुरस्कृत किया था । यह हक छत्तीसगढ़ की सरकार को था, जो कि मोदी जी की सरकार ने उसे देने का काम किया है । अध्यक्ष महोदय, नगर क्षेत्र में निवासरत् हर जरूरतमंद को आवास, बिजली, पानी देने का पूरा प्रयास किया गया था । स्वच्छता के तहत घर-घर जाकर कचरा उठाने का काम माताओं और बहनें करती है । शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना के माध्यम से वार्डों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर ईलाज किया जाता है, जो चलकर अस्पताल नहीं आ पाते हैं, उन्हें मोबाईल यूनिट के माध्यम से यह स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलता है । अध्यक्ष महोदय, धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से आज ऐसे बहुत से परिवार हैं, जो अपने परिवार के ईलाज तो करा लेते हैं,लेकिन दवाई का खर्च नहीं उठा पाते हैं, उनके लिये यह जो धन्वंतरि मेडिकल स्टोर्स खोला गया है, मैं चाहता हूँ कि उसे और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिये यह सरकार नई सोच के साथ जो 60 प्रतिशत दवाई का रेट कम मिलता है, वह अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध हो, ताकि लोग अपने परिवार का ईलाज बहुत अच्छे से करा सके । अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत घर-घर लोगों को सेवा प्रदान की गई है । चाहे वह जन्म प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड हो, लायसेंस एवं पेन कार्ड बनाना हो, टोल फ्री नंबर के माध्यम से यह सुविधायें दी गई है । यह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शिया और सोच का परिणाम है । अध्यक्ष महोदय, हमने नगर निगम, नगर पंचायतों, नगर परिषदों को मांग के अनुरूप धनराशि देने का प्रावधान किया था तथा नगरीय क्षेत्र में रहने वाले सभी समाज को सामाजिक भवन निर्माण के लिये राशि उपलब्ध कराना उनकी उदारता का परिणाम है । अध्यक्ष महोदय, लेकिन वर्तमान सरकार के बजट में इस संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं है और न ही नगरीय निकाय में रहने वाले लोगों के लिये कोई कार्ययोजना बनी है । यह केवल अधोसंरचना एवं 15 वित्त के माध्यम से कार्य को पूरा करना चाहते हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो नगर पंचायत आते हैं, एक गुंडरदेही और एक अर्जुन्दा आता है । गुंडरदेही में पूर्व में स्वीकृत कार्य लगभग 2.5 करोड़ की है और अर्जुन्दा नगर पंचायत का 3 करोड़ 80 लाख की स्वीकृति हो चुकी है, टेण्डर लग चुके हैं, जिसमें छोटे-छोटे समाज का भी भवन बनना है । मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि टेंडर की प्रक्रिया के कारण हो या किसी भी कारण हो, उसे रोक दिया गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अतिशीघ्र उसे स्वीकृति प्रदान करें ताकि छोटे-छोटे समाज के लोगों के लिये जो भवन के लिये पैसे दिये गये हैं, उससे वहां पर समाज के भवन बन सके। नगर पंचायत गुण्डरदेही और नगर पंचायत अर्जुदा को भी अमृत मिशन 2.0 की स्वीकृति मिली है।

दोनों जगहों की 31-31 करोड़ रूपये की स्वीकृति है। गुण्डरदेही में राशि आ चुकी है, अर्जुंदा में टेंडर लग चुका है, उसमें केवल साईन नहीं हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह अमृत मिशन 2.0, जो एक बड़ी परियोजना है, बहुत जल्दी उसे पूरा करें और जब हम आस-पास के लोगों से हर घर नल, हर घर जल की बात करते हैं तो उनको वह पानी की सुविधा मिले।

अध्यक्ष महोदय, साथ ही लोक निर्माण विभाग का मामला सीधा जनता से जुड़ा हुआ है। अभी हमारी माननीय विधायक, संगीता जी चोरहा नाला की बात कह रही थी तो श्याम भैया ने बढ़िया तल्ख से बात की और सही बात है। सड़क नहीं होने से बहुत से ऐसे रिश्ते हैं, जिसके लिए लोगों को सोचना पड़ता है। अरूण भैया, अब गांव के रहवइयन हन तो कई ठन बात आथे। तोर डहान के रास्ता नइ बने हन का, हमन कइसन करबो ? लड़की ला देबो तो जायेच बर सोचे बर पड़ही। ऐसी स्थिति निर्मित न हो। यदि कहीं की सड़क छूट गई होगी तो आप मानवीयता के नाते उस सड़क को या उस पुलिया को बनाने का जरूर प्रयास करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने आपके माध्यम से प्रस्ताव दिया था। मैंने ज्यादा नहीं लगभग 10-12 सड़कों का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आपने केवल 03 सड़कों के निर्माण कार्य की स्वीकृति के लिये बजट में प्रावधान रखा है, बाकी सड़कें छोड़ दी गयी है। यह केवल ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। मेरा गुण्डरदेही विधान सभा इतना बड़ा है। आप देखें कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में डौंडीलोहारा विकासखण्ड और गुण्डरदेही विकासखण्ड, दो-दो विकासखण्ड आते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो सड़कें बनना छूट गई हैं, मैं आपको फिर से पत्र के माध्यम से उनकी जानकारी दे दूंगा, ताकि उसके निर्माण के लिये आपकी स्वीकृति हो।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, बस दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। कुछ ऐसी सड़कें हैं जो मेरे विधान सभा में बनी है, मैंने जिसकी परिकल्पना सपने में भी नहीं की थी लेकिन आज उनका निर्माण हुआ है। घीना से गड़नडीह एक ऐसी सड़क है जो धरसा था, धरसा से लोग आना जाना करते थे। आज वह सड़क बनकर तैयार है, आजादी के बाद आज वह सड़क बनी है। मनकी से फड़गहन, वह सड़क भी आजादी के बाद बनी है। तेलीटोला से केवटनुआ गांव तक की सड़क भी आजादी के बाद बनी है। ऐसी बहुत सी सड़कें हैं, जिसके निर्माण के लिये तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी थी और आज वह सड़क बनकर तैयार है। मुझे भी प्रसन्नता होती है कि मैं जिस सड़क में बचपन में साईकिल में चला करता था, आज उसमें मोटरसाईकिल वाले बेखौफ चला करते हैं। हमारी सोच राजनीति से हटकर सर्वांगीण सोच की होनी चाहिए कि हम जनता को कैसे सुविधा दिला सके और आवागमन की सुविधा प्रदान कर सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा में बहुत से पर्यटन स्थल हैं। अभी आप जब उस रोड से आते हैं तो वहां नर्मदा धाम, सुरसुली है। उसके लिये भी एक स्वीकृति हुई है लेकिन उसके जस्ट पीछे

वाला गांव छूट जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि सुरसुली वाला जो एक मार्ग है, उसे भी पूरा करने का प्रयास करें। महोदय, देवरी और अर्जुंदा प्रमुख जगह है। वहां पिछले कार्यकाल में विश्रामगृह की स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन दुख और तकलीफ इस बात की है कि जिस अधिकारी को यह जिम्मा दिया गया था, उसने दो साल तक केवल मिट्टी परीक्षण किया। अब पता नहीं वह मिट्टी को अमेरिका भेजे हैं या फ्रांस भेजे हैं या लंदन भेजे हैं या ब्रिटेन भेजे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज तक उसके परीक्षण का रिजल्ट नहीं आया है, जिसके कारण वह बजट से बाहर हो गया। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने कैसे भी करके इनकी स्वीकृति के लिये बजट में प्रावधान किया है। मैं चाहूंगा कि अब ऐसे अधिकारी को कार्य मत दे, जिससे वह फिर से टेस्टिंग के चक्कर में तीन साल तक दुबई भेजेंगे कि न्यूजीलैण्ड भेजेंगे कि ऑस्ट्रेलिया भेजेंग। उसका दो-तीन साल पहले परीक्षण हो चुका है। उसे तत्काल निर्माण कराने का आदेश करें ताकि आप जैसे माननीय मंत्रीगण आये या कोई सरकारी गेस्ट आये या कोई नेतागण आये तो हमको उन्हें सीधे घर ले जाना पड़ता है, जहां कोई सुविधा नहीं है। कम से कम एक विश्रामगृह अर्जुंदा और एक विश्राम गृह देवरी के लिये बना दीजिये ताकि उससे जनता, कर्मचारी और अधिकारी को सुविधा हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी बहुत-सी सड़कें हैं, जिनका मैंने जिक्र किया है, उसको जरूर पूरा करें। एक टटेंगा से कसीमार का पुल निर्माण है, वह बहुत जरूरी है। लोग भरदाकला से सिपदी आते हैं और मेन राजनांदगांव वाली सड़क पकड़ते हैं। जो भरदा नाला है वह उच्च स्तरीय पुल के लिये आज भी अपनी बाट जो रहा है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उस निर्माण कार्य को जरूर पूरा करें और साथ ही मेरे विधान में ए.डी.बी. के माध्यम से जो सड़क बन रही है। इस सड़क का निर्माण लगभग दो साल से हो रहा है। माननीय मंत्री जी, यह सिरसिदा- गोरकापार-सकरोद मार्ग है, इसमें आज भी 02 किलोमीटर तक बीच का पेंच केवल एक व्यक्ति के तानाशाही रवैये के कारण रूका हुआ है । मैंने माननीय कलेक्टर जी से भी अनुरोध किया है कि जो हमारी सीमा है, जो माप के अंतर्गत है, उसमें निर्माण काम कर दीजिए। वहां विरोध कर रहे हैं तो वहां पर विरोध के चक्कर में सड़क बची हुई केवल 2 किलोमीटर की सड़क ऐसी लगती है कि टाट का पैवंध हो, तो वह निर्माण कार्य प्रारंभ हो। इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि ए.डी.बी. से जामगांव रनचिरई मार्ग बन रहा है वह सड़क अंदर से बननी चाहिए, उसके लिए लोगों ने बहुत विरोध किया था। आपके विभाग के कारण थोड़ा सा उसमें डेढ़ करोड़ रूपये ऊपर का बजट आ रहा है यदि आप स्वीकृति दे दें तो वह सड़क अंदर से बन जाएगी। वहां लोगों की एक बहुप्रतिक्षित मांग है, वह भी पूरी हो जाएगी। मैं ऐसा आपने निवेदन करता हूँ और इसके लिए दो से तीन बार अधिकारी स्तर पर बैठक भी हो चुकी है। इस बात को अधिकारी भी जानते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि फिर एक बार बैठक करके, यह मसला हल कर लें ताकि जनता को सुविधाएं प्रदान हों।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इन्हीं बातों के साथ दो लाईनें समर्पित करते हुए, कहना चाहूंगा कि :-

"हमसे मत पूछिए कि अब किधर जाएंगे
अभी कहां थके हैं जो घर जाएंगे
कितने प्यासे हैं हम, यह बता दें अगर
बहते धारे नदी के ठहर जाएंगे।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- अभी भी 11 सम्माननीय सदस्य बोलने के लिए बाकी है। माननीय मंत्री जी का जवाब आएगा। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आप अपने विधान सभा क्षेत्र तक सीमित रहें। यदि आप 5-5 मिनट में अपनी बात रखें तो सबको बोलवाया जा सकता है। मगर यदि लम्बा खिचेंगे तो 9-10 बज जाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रबोध मिंज (लुण्ड्रा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद्।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आज माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी के विभागों के अनुदान मांगों के समर्थन में बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मांगें हैं हमारा जो बजट आया है और इस बजट की चर्चा में ज्यादा भूमिका बांधने की आवश्यकता नहीं है। पहले ही काफी लोगों ने समय ले लिया है। मैं बहुत ज्यादा उस ओर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात को जरूर कहूंगा कि यहां सभी सदस्यों ने सड़कों के मामलों में कहा। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने भी हमेशा उस बात की तारीफ की कि किसी भी राज्य के विकास का पैमाना सड़कों को देखकर मापा जाता है, उससे उसके विकास को मापा जाता है। इस सदन में सबने उस बात की चिंता की, लेकिन मैं इस छत्तीसगढ़, पूरे देश भर के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद् करूंगा, जिन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से पूरे देश के गांव, देहात, जंगल, पहाड़ों और हर आबादी तक पहुंचाने के लिए सड़कों का जाल बिछाया तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की योजनाओं से पहुंची है। यह उसी का परिणाम है कि पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे सरगुजा, बस्तर जैसे आदिवासी अंचलों में जहां आदिवासी परिवार उन पहाड़ों में रहने वाले लोग जो आवागमन से वंचित रहते थे। पहले वह कहीं आने जाने के लिए तरसते थे, न वहां गाड़िया पहुंच पाती थीं, न वहां पर शासन की योजनाएं पहुंच पाती थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप मुख्यमंत्री थे, उस समय शुरूआत हुई और तब उन सारी योजनाओं का लाभ मिला। चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हो या अन्य जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हों, उसके बाद उसका

क्रियान्वयन हुआ है। चाहे शौचालय निर्माण की बात हो, उज्जवला योजना की बात हो, चाहे आवास योजना की बात हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात हो, जल जीवन मिशन योजना की बात हो, यह सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि से पूरे देश को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरे देश के विकास के लिए योजनाएं शुरू कीं। इसके चलते हर राज्य उस काम को करने के लिए बाध्य हुआ है। हम विकास की दिशा में बढ़े हैं। आज हम सब लोग लोक निर्माण विभाग की चर्चा कर रहे हैं जो अधोसंरचना विकास के लिए 8 हजार 17 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक हजार 690, नवीन कार्यों का किया है। इस बजट में सभी संबंधित विभागों के लिए बड़ी-बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है, लेकिन मैं ज्यादा न कहते हुए, हम सब लोगों ने भी इस बजट में राशि प्रावधान के लिए अपने-अपने विषय दिये थे, खासकर मेरे लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्र जो अंबिकापुर आधा शहरी नगर निगम क्षेत्र है और मेरे साथ वहां के विधायक राजेश अग्रवाल जी भी बैठे हैं, लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्र के साथ मेरा जो ग्रामीण क्षेत्र है ।वह ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में आता है, वहां भी जो जंगल पहाड़ के क्षेत्र हैं मैंने वहां सड़कों का जाल बिछाने, वृहद पुल-पुलिया के लिए इस बजट में शामिल करने के लिए पत्र दिया था, माननीय मंत्री जी ने उसमें कुछ काम जोड़े हैं, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। कुछ जो बहुत जरूरी चीजें थीं, पोणीखुर्द से पर्री तक घुनघूट्टा नदी पर बृहद बड़ा पुलिया है, साढ़े 8 करोड़ रुपये का प्रस्ताव विभाग से भी आया हुआ था, वह छूट गया है। वहां उस पुलिया के न बनने के कारण दोनों तरफ के लोगों को आवागमन में परेशानी होती है और 25 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा कि उसको भी यदि इस बजट में शामिल करेंगे तो उस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत सुविधा होगी।

अध्यक्ष महोदय, लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्र नाम जरूर है, लेकिन लुण्ड्रा में गांव, ब्लाक है, पुलिस स्टेशन है, सारी कुछ चीजे हैं। लुण्ड्रा नाम की विधान सभा है लेकिन वहां आज तक एक विश्राम गृह नही बन पाया है। वहां अधिकारी और आम जन जाते हैं, वहां रूकने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर एक विश्राम गृह बनवा दीजिए। एक ऐसे ही कुन्नी क्षेत्र है जो एकदम जंगल पहाड़ का क्षेत्र है, लगभग 40 किलोमीटर इंटीरियर है, वहां जंगल, पहाड़ सब है। वहां प्राथमिक सवास्थ्य केन्द्र, चौकी है और अन्य छोटी-मोटी सुविधाये हैं। लेकिन उस क्षेत्र का विकास रूका हुआ है। वहां कोई डॉक्टर तक उपलब्ध नहीं है। उनके रूकने तक की व्यवस्था नहीं है। वहां भी एक विश्राम गृह का निर्माण हो जाये तो उस क्षेत्र के आवागमन के लिए रूकने का साधन होगा। अधिकारी, कर्मचारी और सारे लोगों को भी वहां काम करने में सुविधा होगी।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बहुत सारे काम की स्वीकृति हुई है। लेकिर बकमेर से केराकछार तक अंबिकापुर विकासखंड की 03 किलोमीटर की सड़क है, जिसके चलते लोगों को बहुत दिक्कत है। यहां भी उसको यदि बजट में जोड़ पायेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसी तरह

से पौडीखुर्द से मुख्य सडक में पंचायत भवन तक की एक सड़क है, वह भी यदि बजट में आ जाये, मेरा निवेदन है कि इनको भी शामिल कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के बारे में बहुत बड़ी-बडी बातें हुईं। हमारे उमेश पटेल जी ने कहा कि उसका 80 प्रतिशत क्रियान्वयन हो गया है। हम सब लोग सरगुजा जैसे रिमोट क्षेत्र में देखते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी प्रधानमंत्री नल जल योजना आज तक चालू नहीं हो पाई है। ऐसे-ऐसे क्षेत्रों में यह योजना चालू की गई है, जल जीवन मिशन के जो काम होना चाहिए। जिस उद्देश्य से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है, उनके घरों तक शुद्ध पानी पहुंचे। लेकिन ऐसी-ऐसी जगहों में पाईपलाईन बिछाने का पहला टेंडर हुआ। पाईलपाईन बिछाने का इसलिए टेंडर हुआ कि ठेकेदार जे.सी.बी. लगायेगा, पाईप बिछायेगा, बिल बनेगा और पैसा ले जायेगा। उसके बाद टंकियों के लिए टेंडर हुए, टंकी बनायेंगे। उसके बाद पेयजल की व्यवस्था के लिए बोर किया जायेगा, उसका अभी तक पता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वह ऐसे-ऐसे क्षेत्र हैं, वहां पेयजल की उपलब्धता ही नहीं है। हमारा जो भू-जल का स्तर है, उस क्षेत्र में पानी की संभावना ही नहीं है। वहां पानी कैसे आयेगा? इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दे रहे हैं, टंकियां बन जा रही हैं, पाईप बिछ जा रहे हैं, लेकिन पानी कहां से आयेगा, उसका अता-पता नहीं है। ऐसे में वहां के लोगों को पेयजल मिलने का हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, वह कहां से पूरा हो पायेगा। ऐसी जगहों को चिन्हांकित करके वहां पर दूर से कैसे पानी लाया जा सकता है, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा सकता है या किस तरह से वहां के लोगों को पानी पहुंचायें। वह जो जंगल, पहाड़ के क्षेत्र हैं, छोटे-छोटे पारा, टोला में बसे हुए हैं, जहां तक यह व्यवस्थायें नहीं हैं। अभी रायमुनी भगत जी कह रही थीं कि पहाड़ में स्टैण्ड लगा दिया गया है, लेकिन पानी वहां कहां जायेगा, उसका पता नहीं है। इस पूरी योजना की समीक्षा करके 05 वर्षों में जो पूर्ववर्ती सरकार ने काम किया है, मुझे लगता है कि दिशाहीन काम हुआ। जो योजनाबद्ध तरीके से काम होना चाहिए ताकि उसको धरातल पर उतारा जा सके, वह काम नहीं हुआ। उसको क्रियान्वित करके उन क्षेत्रों में उसको देखकर उन कामों को भी बढ़िया से क्रियान्वयन हो, उसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। उसके लिए अलग से टीम बनाकर या और किसी तरह से उसका क्रियान्वयन करके पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाये, उस दिशा में यदि बजट में प्रावधान हो तो उस कार्य को करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरीय प्रशासन विभाग भी है। मैं अपने क्षेत्र के नगरीय निकाय के सबंध में कहना चाहता हूं। मेरा भी क्षेत्र रहा है और मैं पूर्व में महापौर भी रहा हूं। जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने उस शहर को गोद भी लिया था। उस समय से बहुत सारे विकास के काम हुए, बहुत सारी योजनाओं पर काम हुआ। अंबिकापुर शहर सफाई के क्षेत्र में भी पूरे देश में पहले नंबर पर भी आया है। ऐसा अंबिकापुर शहर का नाम हुआ था। लेकिन आज पानी की स्थिति में पूरा शहर परेशान है। पेयजल के लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं। वहां केन्द्र की अमृत मिशन योजना के तहत पानी की सुविधा के लिए

1 अरब की योजना आई थी। वह 1 अरब की योजना पर भी काम हुआ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि केवल पाईपलाईन बिछाने का काम हुआ, सब चीज हुआ, ट्रीटमेंट प्लांट बना, घुनघुट्टा बांध में वह ट्रीटमेंट प्लांट बना है। वहां हमारे शहर में केवल 21 एम.एल.डी. पानी आ रहा है। जो घुनघुट्टा प्लांट है, उसमें केवल 17 एम.एल.डी. की क्षमता है और उसके पूर्व हम जो शहर में चलाते थे। वहां जो बाकी डेम है। वहां 17.5 एम.एल.टी. का दो-दो प्लांट लगा है। वहां से पूरी शहर को पेयजल की आपूर्ति होती थी, लेकिन आज बाकी बांध की स्थिति यह है कि उसमें पानी ही नहीं है। गर्मी तक वह पानी सुख जाएगा। हम अभी वहां से केवल केवल 6 एम.एल.टी. पानी ला पा रहे हैं। यदि वह बांध गर्मी में सुख गया तो पूरा अंबिकापुर शहर पेयजल के लिए तरस जाएगा और त्राही-त्राही मच जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आने वाले समय के लिए पूरे अंबिकापुर शहर के लिए विषम स्थिति पैदा हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा हमारा जो बाकी बांध है, जो बाकी डेम है और जो बाकी नदी में बांध है, वह सुख गया है। उसका केचमेंट एरिया एकदम नहीं है। वहां तक यदि पेयजल लाने की व्यवस्था कर पायेंगे, उस बांध को यदि भर पाने की स्थिति में रहेंगे तो वहां पर 17.5 एम.एल.टी. के जो दो-दो ट्रीटमेंट प्लांट पड़े हैं, वहां तक हम उसका उपयोग कर पायेंगे। नहीं तो ट्रीटमेंट प्लांट भी बैठ जाएगा और वह खतम हो जाएगा और पूरे शहर में दिक्कत होगी। चाहे अमृत मिशन-2 में या किसी तरह से या राज्य सरकार की बजट से उसमें प्रावधान करके उस बांध को जिंदा करें ताकि हमारा अंबिकापुर शहर में सब लोगों को पेयजल के लिए दिक्कत है, आने वाले भविष्य में चिंतित है, उसका समाधान किया जा सकें। आज के इस अवसर पर चूंकि अनुदान मांगों के संबंध में मैं इस विभाग का समर्थन करते हुए, बजट का समर्थन करने के लिए आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेश अग्रवाल (अम्बिकापुर) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट के लिए बोलना चाह रहा हूं। पिछले वर्ष भी अंबिकापुर शहर में पेयजल की बहुत ज्यादा समस्या थी। मैंने भी माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया है कि इस वर्ष किसी भी हाल में एक तो बाकी बांध का नेचुरल रिर्सोसेस खत्म हो गया है, उसको हमको ढूंढकर या दूसरे बांध से कनेक्टर करके करना है और मैंने कुछ मांग दिया है। अगर पेयजल की व्यवस्था के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे तो शहर में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जो हम सबके लिए बहुत परेशानी का कारण रहेगा। इसलिए उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। चूंकि मेंमर्स ने भी अपना ज्यादा समय ले लिया है। इसलिए मैं अपना विषय अकलतरा विधान सभा की ओर ही केन्द्रित रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अकलतरा एक ऐतिहासिक जगह रही है, जहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर बहुत से शुरू से स्कूल, अस्पताल और बाकी सारी सुविधाएं हमेशा मुहैया रही हैं। हम लोगों के यहां पानी की और कुछ समस्याएं बहुत पुरानी है। लेकिन अभी कुछ समय से हम लोगों के क्षेत्र के आसपास पावर प्लांट, राईस मिल, क्रेशर्स और सीमेंट प्लांट लगने की वजह से ट्रकों का मूवमेंट बहुत ज्यादा है। रात में ट्रकों का मूवमेंट है, दिन में धान के राईस मिलर्स का मूवमेंट है, क्रेशर से गिट्टी का मूवमेंट है। अकलतरा में हम लोगों की बहुत समय से एक बाईपास की बहुप्रतीक्षित मांग रही है क्योंकि अभी जितनी सारी ट्रकें हैं, यह कहीं न कहीं शहर के बीच से जा रहे हैं। लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। शहर में भय का माहौल रहता है। आप रात में 11 बजे से 12 बजे तक तो शहर के अंदर जा ही नहीं सकता। यह वर्ष 2021-2022 के बजट में शामिल किया गया था, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल पाई। इसलिए फिलहाल अभी यह शुरू नहीं हो पाया है। मैंने जब आदरणीय वित्त मंत्री से भी बात की, जब वहां पर वह तत्कालीन कलेक्टर थे तो उन्होंने बड़ा सरप्राइस होकर पूछा कि अच्छा, अभी भी नहीं हो पाया है क्या□? यह जनता की एक बहुप्रतीक्षित मांग है और बहुत जरूरी मांग है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इसका बजट में जरूर हम लोगों को प्रावधान दे ताकि आने वाले समय में बाईपास हो जाता है तो कम से कम वहां एक्सीडेंट की संख्या कम होगी। बलौदा बाईपास का वर्ष 2017 से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। कुछ 6-7 परिवारों का मुआवजा का प्रकरण है, इसकी वजह से बहुत समय से काम रूका हुआ है। स्थिति लगभग वहां भी वही है। वहां ट्रकों का मूवमेंट बहुत ज्यादा है, वहां पर सकरी सड़कें हैं और वहां पर एक्सीडेंट की संख्या संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। पिछले समय वहां एक साल में ही बहुत बार सड़क जाम होने की स्थिति आई कि किसी की मृत्यु हो गई और उसकी वजह से वहां पर हम लोगों को काम रोकना पड़ा। इसके लिए वित्तीय स्वीकृति के अभाव में यह काम आगे नहीं हो पा रहा है। प्रगति रूकी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यह बहुत जरूरी मांग है और इसको जल्द से जल्द वह स्वीकृत करें। विधान सभा अकलतरा की कुछ और पहरिया से खरमोरा मार्ग, तेलई से मुड़पार, जावलपुर से रसोटा, बेलटुकरी खैजा, चंदनिया से ढ़ोरला । इसको मैंने लिखित में दे दिया है

समय :
6.50 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि यह ज्यादातर वह मार्ग हैं जहां पर स्कूली बच्चों का आवागमन है और सड़क नहीं होने की वजह से चूंकि

यह बहुत लंबे मार्ग नहीं हैं । लेकिन मार्ग नहीं होने की वजह से वहां पर बच्चों को आने-जाने में बहुत असुविधा होती है तो हमें इसको प्राथमिकता में रखना चाहिए ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके संज्ञान में यह डालना चाहूंगा कि अकलतरा में पानी की समस्या बहुत पुरानी है, कोई नयी नहीं है । एक समय यह था, जब हम लोग सुना करते हैं कि वहां पर तालाब में गड्ढ़े खोदकर छोड़ा जाता था कि रातभर पानी रिसकर आयेगा और वहां पर सुबह उस पानी को लेकर जाते थे तो वहां से स्थिति बदली कि अब बोर में धीरे-धीरे और पानी आने लगा और अब बोर में कुछ पानी था लेकिन विगत् पिछले एक साल में वहां बड़ी भयावह स्थिति बनी हुई थी । पिछली गर्मी में रात में कभी 12, कभी 1, कभी 3-3 बजे तक महिलायें पानी के लिए बैठी रहतीं थीं । वहां पर बोर बहुत जल्दी सूख रहे हैं । उस समय वर्ष 2019 में 27 करोड़ रूपये सेंक्शन थे और अभी मैं आपके प्रतिवेदन में देख रहा था कि वह 40 करोड़ के ऊपर का लगभग हो चुका था । वहां पर जल आवर्धन का जो काम किया गया, वह पास के परसाहीं नाला से पानी लाना था । लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी आप कृपया इसको थोड़ा सा दिखवायेंगे चूंकि यह काम विगत् 3 सालों से ठप्प पड़ा हुआ है । जो ठेकेदार था या कोई बाहर का था ? वह छत्तीसगढ़ का नहीं था । उसने केवल कुछ एरिया में पाईप बिछाई । उसने एक लम्बा पेमेंट लिया और उसके बाद से वह गायब है । मैंने जब वहां पर लोकल पूछा भी कि यह काम क्यों बंद है तो उन्होंने बताया कि विगत् 2-3 सालों से यह काम बंद है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बिल्कुल इसकी जांच करवायें और दिखवायें कि आखिर यह क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे यहां लगातार पानी की समस्या बढ़ी हुई है ।

माननीय सभापति महोदय, अभी फिलहाल हमारे यहां नरियरा को जुलाई, 2023 में नगर पंचायत का दर्जा दिया गया था लेकिन उसके बाद से वह क्रियान्वयन वहां कुछ आगे नहीं बढ़ पाया है, सेटअप और बाकी चीजें हैं । मैं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि नरियरा को और कोटमीसोनार को चूंकि 8000 से ऊपर आबादी वहां पर है अत: इनको नगर पंचायत का दर्जा देने की कृपा करेंगे ।

माननीय सभापति महोदय, बलौदा नगर में व्यवहार न्यायालय की स्थापना की मांग बहुत समय से चल रही है लेकिन इसकी कोई व्यापक शुरूआत नहीं हो पायी है तो मैं आपके माध्यम से इसका भी निवेदन आदरणीय मंत्री जी से करूंगा क्योंकि हमारा बलौदा आदिवासी बेल्ट है और जितने आदिवासी भाई-बहन हैं या तो उनको अकलतरा या कुछ को जांजगीर जाना पड़ता है तो उन लोगों को वह बहुत दूर पड़ता है । यदि यहां व्यवहार न्यायालय की स्थापना हो जाती है तो उन लोगों को बहुत ज्यादा आसानी होगी ।

माननीय सभापति महोदय, मैंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में एक सवाल भी लगाया था । जिसमें 179 कार्यादेश में 57 पूर्ण, 122 अपूर्ण और 1 अप्रारंभ । लगभग सभी सदस्य अपने विधानसभा की यह

बात उठा रहे हैं कि कहीं टंकी बनी है, कहीं पाईप डली हुई है, टंकी है लेकिन पानी नहीं आ रहा है । यह जो पूर्ण कार्य हैं यह लगभग कुछ तो मेरे अपने जहां मैं रहता हूं वहां आसपास गांव के नाम हैं । यह पूर्ण कार्य ठेकेदारों की तरफ से बताया जा रहा है लेकिन अभी भी इतनी कमियां हैं कि ग्रामवासी इसको ग्राम पंचायत हैण्डओवर नहीं ले रहे हैं तो हम लोगों को जरूरत है कि हम लोग इसको दिखवायें कि यह आखिर कब तक खत्म होगा ? चूंकि यह पानी की समस्या लगभग हर जगह बनी हुई है । नरियरा का राजपत्र में, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि वर्ष 2023 में जुलाई में आया था उसके अलावा उस क्षेत्र के जितने भी नगर पंचायत बनने हैं, वहां पहले से जो एस्टीमेटेड थे और जो राजपत्र में आये, वहां पर कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ है इसलिये आपसे निवेदन है । मैं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर ध्यान दें और आने वाले समय में अकलतरा में एक अच्छा विकास होगा और पानी की समस्या जो हम लोग कई दशकों से झेल रहे हैं । मंत्री जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस गर्मी के पहले कम से कम कुछ निजात मिल जाये कि हमारी महिलाओं को रात के 2 बजे या 3 बजे पानी के नल के सामने न खड़ा होना पड़े कि आखिर पानी कब आयेगा और हम ले पायें । मैंने कलेक्टर साहब से भी बात की थी और मैं आपके संज्ञान में भी डाल रहा हूं कि वहां पर कुछ टेम्परारी व्यवस्था करनी होगी ताकि वहां पर दोबारा यह स्थिति निर्मित न हो । माननीय सभापति महोदय, इतनी बात कहकर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया और कृपया मेरे विधानसभा में यह सब जुड़ेंगे बस इतना कहकर आप सभी को मैं बहुत-बहुत प्रणाम करता हूं । धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री नीलकंठ टेकाम ।

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं बजट के समर्थन में बोलूंगा। सबसे पहले तो नगरीय क्षेत्र में बहुत बड़ा बजट लिखा गया है, इसमें उप मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि नगर-पंचायतों में जमीन एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी भी नगर-पंचायत क्षेत्र में जमीनों का नजूल में उसकी गिनती नहीं होती है और बस्तर जैसे क्षेत्रों में तो बहुत सारे नगर-पंचायतें जो हैं, वे बड़े झाड़ के जंगल और छोटे झाड़ के जंगल में लिखे हुए हैं, जिसके कारण शहर की जितनी भी योजनाएं हैं, वे सब के सब लंबित रहते हैं। तो राजस्व विभाग के साथ सामंजस्य करके सबसे पहले इन सारी जमीनों को शहरी जमीन कराया जाये ताकि विकास की योजनाएं ठीक से यहां पर प्रारंभ हो सके। दूसरा, महोदय, हमारे जितने भी बड़े-बड़े बाजार स्थल वाले गांव हैं और जो मेन रोड पर हैं, उन सारे मेन रोड पर सार्वजनिक शौचालयों की बहुत ज्यादा जरूरत है। खासकर जहां पर साप्ताहिक बाजार भी लगते हैं। बस स्टैण्ड हैं, उन जगहों पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विश्रामपुरी, बांसकोट, बड़ेडोंगर, धनोरा ऐसे अनेकों कस्बाई गांव हैं, जहां पर सुलभ शौचालय अगर बन जाता है तो लोगों को इसका फायदा हो सकता है। यह बहुत जरूरी है। महोदय, हमारे फरसगांव नगर-पंचायत का एक मामला है, जहां पर जल आवर्धन योजना पिछले 8 सालों से संचालित हो रहा है, लेकिन अभी तक नगर-पंचायत

में इसका हैण्ड-ओवर नहीं हो पाया है तो इसे तत्काल नगर-पंचायत इसे हैण्ड-ओवर में ले ताकि आम जनता को इस वर्ष गर्मी से पहले पेयजल की सुविधा हो सके। पी.डब्ल्यू.डी. के विषय में महोदय मेरा निवेदन है कि एक तो हमारा जो केशकाल घाट है, ये केशकाल घाट जो मध्य भारत को दक्षिण भारत के साथ जोड़ने का एकमात्र रास्ता है, अगर आपको नागपुर से चलकर या भोपाल से आकर या रायपुर से जाकर के विशाखापट्टनम जाना है, हैदराबाद जाना है, जगदलपुर होकर जाना है तो इसी रास्ते से जाना पड़ता है। जो हमेशा घाट में जाम की स्थिति बनी रहती है। मेरा निवेदन ये है कि ये 12-13 किलोमीटर का जो हिस्सा है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, हमर भइया ला पहली तो नमस्कार करथव।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, उनको बोलने दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, एक मिनट।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, समय का अभाव है। बहुत सारे सदस्य बचे हुए हैं। आपको अवसर मिला था, आपने अपनी बात को रख लिया है।

श्री नीलकंठ टेकाम :- मैंने तो सरकार की प्रशंसा में बात ही नहीं किया है। मैं सीधे-सीधे अपनी मांगों पर ही बात कर रहा हूं।

श्री रामकुमार यादव :- कलेक्टर रहव तो ओमा करत नहीं बने का।

सभापति महोदय :- नीलकंठ जी, बोलिए।

श्री नीलकंठ टेकाम :- तोला बाद में बताहूं अउ तोर जवाब दूहूं । महोदय, तो ये जो 12-13 किलोमीटर का हिस्सा है, जिसमें घाट भी शामिल है, इसे पी.डब्ल्यू.डी. को अपने अधीन ले लेना चाहिए। क्योंकि एन.एच. के माध्यम से इसका संधारण सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है और यह ऑलरेडी केशकाल घाट के लिए बाईपास स्वीकृत है, जिसका काम अभी लंबित है। प्रचलन में है। तो आज नहीं तो कल ये स्टेट पी.डब्ल्यू.डी. को आयेगा ही तो मेरा निवेदन है कि ये जो 12-13 किलोमीटर है, इस रास्ते को केशकाल नगरी क्षेत्र सहित इस घाट को 12-13 किलोमीटर को स्टेट पी.डब्ल्यू.डी. को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। महोदय, नेशनल हाइवे से लगभग सारे अर्धशासकीय जो सैनिक बल हैं, पैरा मिलिट्री फोर्स हैं, उनके कैंप शिफ्ट हो चुके हैं। इसके बावजूद भी हमारे केशकाल का, पंचवटी का, पी.डब्ल्यू.डी. का गेस्ट हाउस है, यहां पर अभी भी सी.आर.पी.एफ. के कुछ स्टाफ वहां पर बने हुए हैं। मैं पी.डब्ल्यू.डी. के हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय को आग्रह करना चाहूंगा कि तत्काल इस रेस्ट हाउस को अपने नियंत्रण में लेकर इसे फिर से एक पर्यटन के रूप में इसकी जो पहले से महत्ता रही है, उसके रूप में इसे विकसित किया जाये और एन.एच. के ऊपर जितने भी कैम्प चल रहे थे जो कैम्प अंदरूनी क्षेत्रों में चले गये हैं, वो बिल्डिंग ज्यादातार पी.डब्ल्यू.डी. के बिल्डिंग हैं। कहीं पर स्कूल चल रहे थे। कहीं पर हॉस्टल चल रहे थे तो वो सारे भवनों को फिर से जिस विभाग का भी है, उसे वापस करने की जरूरत है ।

समय :

7.00 बजे

इसे साथ ही साथ मैं दो-तीन कामों के बारे में आग्रह करना चाहूंगा । बैजनपुरी से रावसवाही की सड़क है, जो सीधे विश्रामपुरी क्षेत्र से कांकेर के मार्केट को जोड़ता है । वहां से सैकड़ों की संख्या में लोग बाजार जाते हैं । अगर ये रोड बन जाता है, पुलिया बन जाती है तो लोगों को 27-28 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इसी प्रकार बड़े राजपुर से कोपरा एक सड़क है, इसमें एक पुलिया की सख्त आवश्यकता है । ये सड़क बन जाने से वहां पर लोगों को सुविधा होगी, अभी बारिश के दिनों में ये सड़क बाधित हो जाती है । इसी प्रकार से पलना में एक पुलिया की मांग इस वक्तव्य के साथ रखना चाहता हूं, यह मांग भी बहुत आवश्यक है । एक अंतिम मांग के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा । बस्तर में हाई कोर्ट के एक लिंक कोर्ट की बहुत आवश्यकता है । बस्तर से चलकर लोग बिलासपुर आते हैं, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और दूर दराज से लोगों को 10 घंटे से भी अधिक का सफर करना पड़ता है । इस समय न्यायदान के क्षेत्र में हमारी सरकार की बहुत अच्छी भूमिका चल रही है । अगर इसके बारे में प्रयास किया जाता है । अगर बस्तर में हाईकोर्ट का लिंक कोर्ट खुल जाता है तो आम जनता को सुविधा होगी ।

सभापति महोदय :- नीलकंठ जी लम्बा है तो मंत्री जी को लिखकर दे देंगे । अब समाप्त करिये ।

श्री नीलकंठ टेकाम :- सभापति जी, मैंने भूमिका तो बांधा ही नहीं है । इसलिए मैं अपनी बातों को धन्यवाद् के साथ समाप्त करता हूं । मैं यही कहना चाहूंगा कि यह जो बजट है चारों विभागों का बजट इसमें उल्लेखित किया गया है । यह हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के विकास के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद् ।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद् देना चाहूंगा कि नैला के 345 यार्ड फाटक संख्या पर ओव्हर ब्रिज के लिए अपनी सहमति दी है । गेमन पुल जो हमारी पुरानी प्रचलित मांग थी, जो62 वर्षों से पुराना है, वहां भी नया के लिए और घुमती नाल जो कि बरसात के दिनों एन.एच. होकर भी वह दब जाता था । तीन-तीन, चार-चार दिनों तक वर्षा ऋतु में बाधित होता था और नवागढ़ जो हमारा ब्लॉक मुख्यालय है वहां रेस्ट हाऊस की स्वीकृति के लिए धन्यवाद् देना चाहता हूं । मैं पी.एच.ई. से प्रारंभ करूंगा । मैंने अनुभव किया है कि वर्तमान में पी.एच.ई. के द्वारा जो नलजल योजना स्वीकृत की गई थी । वास्तव में निर्माण तो हुआ है, मगर निर्माण अभी भी अधूरा प्रतीत होता है, टंकी बन गई है तो पाईप लाईन नहीं है, पाईप लाईन है तो बोर नहीं है, बोर हो गया है तो बिजली की समस्या है । समय रहते, आने वाली ग्रीष्म ऋतु के पूर्व वे सभी काम पूर्ण कर लिए जाएं । मेरी एक योजना बहुत पुरानी, जब इस विषय में मैंने एक पी.एच.ई. के ठेकेदार से चर्चा हुई थी तो मेरा अनुभव कहता है कि अलग-अलग गांवों में जबरदस्ती हम बजट व्यय न

करके एक समूह नलजल योजना बनाएं और चूंकि मेरे विधान सभा में हसदेव नदी के किनारे जितने भी गांव पड़ते हैं, उन गांवों में पेयजल की भारी समस्या रहती है । स्नान वगैरह के लिए तो बारहों मासी हसदेव नदी पर है, किंतु हसदेव नदी के जितने गांव हैं उसमें सब ड्राईबोर हो जाता है । वहां तकलीफ होती है । काम जरूर हुआ है परंतु अभी भी पेयजल की समस्या है । मैं चाहूंगा कि जांजगीर चांपा विधान सभा के हसदेव नदी के चाहे पीथमपुर हो, पिसौद हो या बिरगहनी जहां पर जल आवर्धन योजना नगर पालिका के लिए लागू हुआ है, उसी इंटकवेल के माध्यम से, टंकी के माध्यम से उन गांवों में पानी पहुंचाया जाए, यह मेरी विशेष मांग है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49, अभी भैय्या राघवेन्द्र सिंह जी थे । अकलतरा, चांपा और रायगढ़ जो कि बिलासपुर से चालू होकर फोर-लेन का निर्माण है । यह वर्तमान में सिंगल सड़क है, जिसको फोन लेन निर्माण के लिए मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि वे केन्द्रीय बजट में इसका प्रस्ताव भेजें ताकि अलकतरा से लेकर रायगढ़ तक यह फोरलेन निर्माण हो जाए, चूंकि यह औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे अकलतरा हो, जांजगीर हो, चांपा हो, रायगढ़ हो, यह मार्ग अगर डबल लेन हो जाएगा तो हम सब लोगों को सुविधा होगी। माननीय सभापति जी, मैंने विधान सभा क्षेत्र में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का प्रस्ताव दिया था, रोगदा बिरगहनी मार्ग, जांजगीर पिथमपुर मार्ग, जांजगीर केरा मार्ग, नैला बलौदा मार्ग, नैला पंतोरा मार्ग और एन.एच. 49 से पिथमपुर तक एक नया मार्ग की जरूरत है, चूंकि पिथमपुर हमारा पर्यटन और धार्मिक केन्द्र है। कल माननीय बृजमोहन भैया ने आपके माध्यम से उसको स्वीकृति प्रदान करने की बात कही है। मेरा आग्रह है कि इन सब चीजों को शामिल किया जाए। एक सरखो औराईकला नहर पार होते हुए पाली तक मुख्य मार्ग जोड़ देते तो बेहतर होता। महन्त बस्ती में आज तक एक हजार की आबादी उस बस्ती में निवास करती है, परंतु कोई सड़क निर्माण नहीं है। महन्त से महदुली पहुंच मार्ग, सेन्दरी से घुटीया तक निर्माण र्का की जरूरत है, चूंकि मैं उस स्थान की बात कर रहा हूं जहां पर मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है, आवागमन की सुविधा नहीं है तो अभी से अगर सड़क निर्माण हो जाएगा तो बेहतर रहेगा। सिवनी के मुख्य केनाल में तीन पुलिया मार्ग है जो कि अकलतरा विधान सभा और जांजगीर विधान सभा को केनाल से जोड़ती है, इसमें आवागमन असुविधाजनक है, अगर इस पर सड़क बन जाएगी तो पूरे क्षेत्रवासी इससे लाभान्वित होंगे। जांजगीर से गेमनपुल तक फोरलेन का निर्माण करना है। माननीय डॉ. रमन सिंह जिस समय मुख्यमंत्री थे, जांजगीर के लोक महोत्सव में इसकी घोषणा किए थे पर आज तक यह नहीं हो पाया है, मैं चाहूंगा कि जांजगीर से गेमन पुल चांपा तक फोरलेन का निर्माण हो जाए। हमारे यहां कुधरी बैराज बना है, हनुमान धारा चांपा से कुधरी बैराज होकर मड़वा मुख्य मार्ग तक अगर जुड़ जाएगा तो यातायात में भी सुगमता होगी, यह पर्यटन स्थल भी है, इसका लाभ हम सबको मिल पाएगा।

सभापति महोदय :- संक्षेप करिए।

श्री ब्यास कश्यप :- जी। हमारे यहां मुख्य रूप से जांजगीर शहर में जब 2002-2003 में मैं नगरपालिका का उपाध्यक्ष था, नगर निवेश ने शहर का मास्टर प्लान तैयार किया था, शहर के मास्टर प्लान में बाईपास निर्माण की भी बात हुई थी। परंतु एक भी बाईपास नहीं होने के कारण यातायात का लगातार दबाव बना रहता है, वह दवाब खत्म होगा और जांजगीर एन.एच. पुरानी सड़क से नैला मुक्तिधाम चूंकि मुक्तिधाम के आवागमन के लिए सड़क आज भी अधूरा है, जब शिव डहरिया जी मंत्री थे तो 68 लाख की स्वीकृति कराए थे, उसको पुन: स्वीकृति आपकी तरफ से होनी चाहिए। बनारी शाखर नहर में हमें जमीन अधिग्रहण नहीं करना पड़ेगा, नहर पर आज भी 40, 50 फीट जगह है, अगर हम उसको सड़क बना दें तो नैला और बाईपास का काम आएगा।

सभापति महोदय, नगरीय प्रशासन के विषय में बोलना चाहता हूं। नगर पंचायत जांजगीर नैला की जल आवर्धन योजना है, इसमें 36 करोड़ 20 लाख की स्वीकृति 7 वर्ष पूर्व हुई थी। परंतु ठेकेदार इस काम को अभी तक अधूरा छोड़कर चला गया है, वह पता नहीं कहां गायब हो गया है, लापता की स्थिति में है। मैं चाहूंगा कि इस बजट में कहीं पर रकम की कमी होगी तो उसको पूर्ण करके इस काम को कराया जाए।

सभापति महोदय, नगर पालिका नैला में सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता है। जिस समय मध्यप्रदेश था, उस समय जांजगीर और देवास में दो सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और नाली निर्माण के लिए स्वीकृत हुई थी। देवास कहां से कहां तक बन गया परंतु जांजगीर में आज भी सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और नाली का अभाव है। बरसात के दिनों में हमारा शहर दबावपूर्ण रहता है तो मैं चाहूंगा कि सिवरेट ट्रीटमेंट प्लांट बाद में बनाएं लेकिन नाली को प्राथमिकता देते हुए नाली के लिए बजट उपलब्ध कराए। डॉ. रमन सिंह के शासन के समय सीटी बस की व्यवस्था की गयी थी, उस सीटी बस को पुन: चालू कराया जाए जिससे शहर एवं आस पास के ग्रामीणों को भी उसका लाभ हो। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री गजेन्द्र यादव (दुर्ग शहर) :- माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट अनुदान पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुतबहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री और हमारे माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी, हमारे मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। आपने लोक निर्माण विभाग के लिए 8017 करोड़ का प्रावधान किया। सभापति महोदय, इस राशि में आपने अधोसंरचना में पूरे प्रदेश की जिलों को लिया है। उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे मन में एक भय था क्योंकि पिछले 5 सालों में केवल दुर्ग जिले की 2 विधान सभा क्षेत्रों में पूरे प्रदेश की राशि गई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो जाए कि इस बार दुर्ग को किसी भी रूप में छोड़

न दिया जाए। लेकिन आपने विशाल हद्य से दुर्ग को विकास में जोड़ा, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, आपने इस बजट में राज्य के कुल 1 हजार 267 सड़क निर्माण के लिए 737 करोड़ रूपये जारी की है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस बजट में आपने दुर्ग जिले की 6 विभिन्न सड़कों को लिया है, जिसमें 2 फोर लेन, 3 छोटी सड़कें और 1 टू लेन शामिल हैं। उनको आपने बजट में शामिल किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं। चूंकि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने मेरे आग्रह पर इसे बजट में लिया है। खैरागढ़ से दुर्ग आने वाली एक प्रमुख सड़क है तो यदि हम दुर्ग के उरला फाटक से एक सड़क निकालेंगे तो उरला, गिरधारी नगर, शंकर नाला होते हुए सीधे संतरा बाड़ी में मिल सकते हैं। दुर्ग शहर की एक बहुत बड़ी आबादी और दुर्ग शहर के अलावा नगपुरा, नगपुरा रोड से जालबांधा और खैरागढ़ के लोग दुर्ग के लिए आते हैं। उनके लिए वह सड़क बहुत ही कारगर साबित होगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आप इस सड़क को भी बजट में जोड़ने के लिए निर्देशित करेंगे तो बहुत कृपा होगी।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने 349 वृहत और मध्यम पुल निर्माण के लिए 175 करोड़ रूपये प्रावधानित किया है। दुर्ग में छत्तीसगढ़ का पहला पुल हुआ करता था। जब नागपुर रेल मण्डल में हावड़ा-मुंबई रेल लाईन जाती थी तो वह नागपुर रेल मण्डल के अधीनस्थ आता था। आज से 33 साल पहले सन् 1989 में दुर्ग से धमधा नाका के लिए ओव्हर ब्रिज का निर्माण हुआ था। उस पुल को बने हुए 34 साल हो गये हैं। 34 साल पहले और वर्तमान में शहर की परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। सड़क बहुत संकीर्ण हो चुकी है और बहुत जर्जर अवस्था में है। मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि आप वहां पर एक नये ओव्हर ब्रिज निर्माण को बजट में शामिल करें। आपने उसको भी बजट में शामिल किया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। 34 साल बाद दुर्ग में एक नया ओव्हर ब्रिज बनेगा, इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ हमारा दुर्ग जिला दुर्ग संभाग का मुख्यालय है, आपने उसकी चिंता करते हुए मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, दुर्ग परिक्षेत्र के लिए एक नयी बिल्डिंग की राशि बजट में प्रावधानित की है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं आपसे एक और आग्रह करता हूं कि जिस स्थान में यह बिल्डिंग प्रस्तावित है, वहां पर P.W.D. का मुख्य कार्यालय है और वह P.W.D. शहर के मध्य में स्थित है। पुराना रेस्ट हाऊस, जिला अस्पताल, पुराना बस स्टैण्ड, नया बस स्टैण्ड जैसी सारी बिल्डिंग उस स्थान के आसपास स्थित हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उसे केवल क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालय ही नहीं बल्कि एक कम्पोजिट बिल्डिंग के रूप में बनायें। ताकि वहां पर P.W.D. के C.E., A.C.E. बैठ सकें और सेतु निगम के अधिकारी जो दुर्ग के अलग-अलग स्थानों में बैठते हैं, वह एक स्थान में कम्पोजिट बिल्डिंग के तहत् बैठें। भारतीय जनता पार्टी और डॉ. रमन सिंह

जी की सरकार में दुर्ग में जो सर्किट हाऊस की व्यवस्था की गई, जहां पर इंडियन कॉफी हाऊस, मिटिंग हॉल और सारी चीजें उपलब्ध हैं। वह दुर्ग शहर का हद्य स्थल है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, चूंकि उस बिल्डिंग से रेस्ट हाऊस लगा हुआ है तो आप उसको कम्पोजिट बिल्डिंग सह सर्किट हाऊस, इंडियन कॉफी हाऊस और कॉन्फ्रेंस हॉल के रूप में परिवर्तित करें। इससे दुर्ग में हमें बैठक व्यवस्था के लिए एक बड़ा स्थान मिल जाएगा। आपने इसकी चिंता की है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, साथ ही साथ नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। जब से मैं विधायक बना हूं, तब से मुझे नगर-निगम के पार्षदों और अधिकारियों की एक चिंता रहती है कि नगर-निगम में प्रतिदिन हमारी स्वच्छता दीदियों द्वारा जो कचरा एकत्रित किया जाता है, उसे कहां डम्प किया जाए ? डम्प यार्ड एक बहुत बड़ी समस्या है। यह सिर्फ दुर्ग की समस्या की नहीं है बल्कि यह संपूर्ण नगर-निगमों की समस्या है। किसी भी वार्ड या किसी भी स्थान में जब हम डम्प यार्ड में कचरा को फेंकने के लिए जाते हैं तो उस वार्ड, गांव या आसपास के लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। आपने इस बजट में कचरा निष्पादन की बात रखी है उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हर साल के बजट में Solid Waste Plant की चिंता की जाती है लेकिन कहीं न कहीं वह मूर्त रूप नहीं ले पा रहा है। मैं चाहता हूं कि इजराइल पैटर्न में कचरा निष्पादन किया जाए। यहां बहुत सारे लोग इसकी व्यवस्था करते हैं। वह कचरा को भी लेते हैं, उसको डिस्पोजल भी करते हैं और उससे गैस एवं बिजली बनाते हैं । आप उनको प्राथमिकता दें, ताकि हमारा नगर निगम का जो कचरा है, वह कचरा दुर्ग क्या सारे नगर निगम से वह कचरा हटे, यह मैं आपसे आग्रह करता हूं ।

सभापति महोदय :- गजेन्द्र जी, अब आप समाप्त करें । आपकी कुछ मांग होगी तो मंत्री जी को दे दीजिए ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, मेरी दो तीन मांग और है । आपने इस बजट में डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से मंगल भवन की कल्पना की है । शहरों में बच्चों की वैवाहिक, मांगलिक, सुख-दुख एवं सभी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए भवन की आवश्यकता होती है । आपने डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से मंगल भवन की परिकल्पना की है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी ने दुर्ग में भी एक मांगलिक भवन के लिए प्रावधान किया है, उसके लिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, भैया, तोरे बर हे, तोर सामने में कोई नहीं हे । 13वां मंत्री तहीच हरस ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, इधर देखकर बोलिए, आप सामने क्यों संबोधित करते हैं ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, आपने इस बजट में नगरीय निकाय के लिए पौनी पसारी की योजना लागू की है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं । पूर्ववर्ती डॉ. रमन सिंह जी की सरकार में शाकम्बरी योजना भी चलती थी । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि शहरों में भाजी-पाला बेचने वाले मरारों की बड़ी संख्या है, जिसमें पटेल और मरार, सभी प्रकार के समाज आते हैं । वे शाकम्बरी में सब्जी उत्पादन करते हैं । इस पौनी परासी में उनकी चिन्ता इस बजट में प्राथमिकता के तौर पर आप करें, यह मैं आपसे आग्रह करता हूं । साथ ही साथ पूरे नगर निगम में मछली और मटन मार्केट की बहुत बड़ी विडम्बना है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जब आप मटन मार्केट की व्यवस्था करें तो छत्तीसगढ़ की एक मूल जाति, भेंड़ पालने वाली जाति, चूंकि भेड़ पालन, पशु पालन विभाग जो बकरी पालन के लिए प्रोत्साहन करते हैं, मैं चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के सारे नगरीय निकाय में गड़रिया समाज के लिए एक दुकान की व्यवस्था आपके माध्यम से हो, यह मैं आपसे आग्रह करता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि अमृत मिशन योजना बंद हो गई है, फेस 2 में प्लस 1 आप कर सकते हैं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अमृत मिशन के तहत जो अमृत योजना है, जो बहुत सारे तालाबों का पानी भरा हुआ रहता है, उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है । शहरों में पानी निकासी की कहीं व्यवस्था नहीं है, पानी एक जगह जाम होकर वह बदबूदार हो जाता है । सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उसके ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी आप इस बजट में रखें, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, आपसे अंतिम आग्रह है कि हमारे नगर निगम में सिर्फ दुर्ग ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के सारे नगर निगमों में बड़े-बड़े काम्पलेक्स, बिल्डिंग बनकर तैयार हैं, लेकिन कहीं न कहीं शासन की गलत नीतियों के कारण बाजार दर में उन दुकानों को रखा गया और प्रतिमाह 5 हजार, 7 हजार या 15 हजार जो सरचार्ज लगाते हैं, जिसके कारण हमारी वह दुकानें नीलाम नहीं हो पा रही हैं । मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 8 साल में हमारे दुर्ग शहर में 300 बिल्डिंगें बनकर खड़ी हैं, लेकिन आजतक नीलामी नहीं हुई । अगर हम अपने नियमों को शिथिल करके उसकी नीलामी कर दें तो हमारे नगर निगम की ठोस आय बन सकती है ।

माननीय सभापति महोदय, आपसे अंतिम आग्रह है । माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में सौर ऊर्जा के संबंध में चिन्ता करते हैं । सारे नगर निगमों में खासकर बड़े नगर निगमों में आप सोलर प्लांट की व्यवस्था बजट के माध्यम से करें, जिससे नगर निगम बिजली के उत्पादन की व्यवस्था स्वयं करे, यही आपसे आग्रह करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय सभापति महोदय, आज वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों पर पी.डब्ल्यू.डी., नगरीय निकाय और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं विधि विभाग के मंत्री आदरणीय अरूण साव जी के समक्ष अपनी बातें रखने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय अरूण साव जी बिलासपुर के उप मुख्यमंत्री बने हैं और पिछले 5 सालों में बिलासपुर से कोई मंत्री नहीं थे इसलिए उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि बिलासपुर को नये विकास की ओर ले जाने की जिम्मेदारी और लोगों की उम्मीद भी उनकी तरफ ज्यादा है क्योंकि वे बिलासपुर के पहले उप मुख्यमंत्री बने हैं और एक मात्र मंत्री बने हैं इसलिए मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि वे पी.डब्ल्यू.डी. के मंत्री हैं । आपको मालूम है कि सड़कें किसी भी सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक एवं शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम होती है तो वह जब गांव तक, शहरों तक पहुंचती है तो सड़कों का माध्यम अच्छा होता है तो जो इन सब चीजों की वृद्धि होती है चाहे वह सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, शिक्षा हो, वह तेजी से बढ़ता है। हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, वह एक विजन लेकर आये थे कि मैं प्रति दिन 20 किलोमीटर की सड़क बनाऊंगा, लेकिन आज वह प्रतिदिन 40 किलोमीटर की सड़क बना रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि आने वाले समय में 60 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाऊंगा। उस लक्ष्य के पीछे उद्देश्य यह है कि उन्होंने पारदर्शिता रखी है, क्वालिटी में पारदर्शिता रखी है। उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता रखी है और ले-आउट में पारदर्शिता रखी है। राज्य मार्ग में देखा जाता है कि जब भी किसी सड़क का प्रावधान होता है तो सड़क टेढ़े-मेढ़ रास्तों से बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिसकी जमीन बीच में आती है तो वह अपनी जमीन के सामने से सड़क हटा देता है और जो उसका उद्देश्य होता है, वह खत्म हो जाता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि सड़कों की क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जाये। क्योंकि सड़कें आने वाले पीढ़ियो के लिए होती हैं। उस पर धीरे-धीरे काम होता जाता है।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। मुद्दा रतनपुर के महामाया नगरी का है, जो कि कोटा और रतनपुर को जोड़ती है। कोटा बहुत बड़ा ब्लाक है, उससे संबंधित है। सबसे ज्यादा संवेदनशील यह है कि इन दोनों के बीच का पुल टूट गया है। संवदेनशील इसलिए भी है कि माननीय मंत्री जी का ससुराल कोटा है और वहां के लोग रतनपुर दर्शन करने नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि कोटा उनका ससुराल है और मेरा विधानसभा क्षेत्र है। उसके बीच का पुल टूट गया है।

श्री रामकुमार यादव :- ससुराल होही ना, दुनिया के बनय चाहे झन बनय, लेकिन ओ हा बनबेच करही।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- तोर रिश्ता तो गजब के हे, तोला सब मिल जाही, चिंता मत कर, बैठ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- तो मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उस पुल का निर्माण जल्दी किया जाये। मैं पेण्ड्रा बायपास सड़क निर्माण की बात करूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अटल जी, बिलासपुर में बैठकर आपस में बात कर लेना। यहां क्यों बात कर रहे हो।

श्री अटल श्रीवास्तव :- नहीं, मैं उधर हाईकमान से ही ज्यादा एप्रोच करता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हाईकमान, मतलब कौन ?

श्री अटल श्रीवास्तव :- ससुराल पक्ष। (हंसी) सभापति महोदय, पेण्ड्रा बायपास सड़क निर्माण का पैसा पिछली सरकार के समय से स्वीकृत हो चुका है। उस सड़क निर्माण के लिए जिस जमीन का अधिग्रहण करना था, उसका पैसा नहीं मिला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जमीन के अधिग्रहण का पैसा मिल जाता है तो काम जल्दी शुरू हो जायेगा। रतनपुर से केवची हाईवे का टेण्डर लग चुका है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि यह प्रोजेक्ट बहुत लम्बा ना चले। क्योंकि एक नेशनल हाईवे मध्यप्रदेश को जोड़ेगा। जब भी उसका काम शुरू हो, वह टाईम लिमिट पर खत्म हो। मंत्री जी, मैं आपसे निवदन करना चाहता हूं कि चूंकि रतनपुर हमारी धार्मिक नगरी है। वहां बहुत सारे व्ही.आई.पी., बहुत सारे पर्यटक आते हैं। वहां केवल दो कमरों का विश्रामगृह बना हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर एक बड़े विश्रामगृह की आवश्यकता है, जिसे आप बनाने पर विचार करेंगे। कोटा में मिनी स्टेडियम के निर्माण की बात वहां के युवा साथियों के द्वारा बहुत समय से की जा रही है। सभापति महोदय, मैं माननीय नगरीय निकाय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कोटा को नगर पालिका का दर्जा प्रदान किया जाये। रतनपुर तो नगर पालिका हो चुका है। गौरेला और पेण्ड्रा नगर पालिका की घोषणा हो चुकी है। कोटा अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो कि अभी भी नगर पंचायत है। यदि उसे नगर पालिका बनाने की घोषणा की जाती है तो वहां के विकास को एक नई गति मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बिलासपुर में हाईकोर्ट है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले बिलासपुर के जितने कलेक्टर, कमिश्नर, एस.पी. और जितने अधिकारी थे, उनके बड़े-बड़े बंगले थे। कोई तीन एकड़, कोई पांच एकड़, कोई दस एकड़ में है। उन सबको हाईकोर्ट के पुल में दे दिया गया था। अभी हाईकोर्ट के जजेस के 8 मकान बन चुके हैं। कुछ जजेस वहां के बंगले में रह रहे हैं और करीब-करीब 8-10 बंगले खाली हैं, जो कि लगभग जर्जर हो चुके हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह अपने अधिकारियों को निर्देशित करें कि जो बंगले जर्जर हो चुके हैं, अगर वह वापस स्टेट पुल में आ जायेंगे तो बिलासपुर शहर के विकास के लिए एक नई जमीन उपलब्ध हो पायेगी, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, व्यापार विहार और रिंग रोड की सड़क स्टेशन से जुड़नी थी। मैं उसके लिए भी मांग करता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। रेल्वे की लड़ाई के कारण वह सड़क स्टेशन से

नहीं जुड़ पा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक वैकल्पिक मार्ग जो बहुत जरूरी मार्ग है। तो बिलासपुर के व्यापार विहार सड़क को स्टेशन से जोड़ने के लिए वहां रेल्वे की जो परेशानियां आ रही हैं, उसको तुरन्त पूरा किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जल आवर्द्धन योजना में रतनपुर जो पूरे बिलासपुर को पानी पिलाने का काम कर रहा है, जहां अमृत मिशन का पानी खूंटाघाट से बिलासपुर पहुंच रहा है। परन्तु रतनपुर अभी तक प्यासा बैठा हुआ है। तो रतनपुर के लोगों के लिए पानी की सुविधा हेतु जल्दी जल आवर्द्धन योजना का शुभारंभ होना चाहिए, यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत सारे गांवों में जल मिशन का काम शुरू हुआ है। आपका प्रतिवेदन तो यह कहता है कि बहुत सारा काम पूरा हो चुका है, परन्तु मुझे लगता है कि उसमें एक बहुत बड़े जांच की जरूरत है कि किन गांवों में काम शुरू हुआ है। अभी हमारे प्रबोध मिंज जी कह रहे थे कि अधिकतर जगह स्थितियां यही है कि पाईप लाईन बिछ गई है, वह लग गया है, पर बोरिंग का काम नहीं हुये हैं, पानी का इंतजाम नहीं हुये हैं । इसको वृहत रूप से जांच कराकर काम किया जाना चाहिये । जहां-जहां पर पाईप लाईन बिछाई गई है, वहां पर पानी की सुविधायें नहीं थी, मेरा तो कम से कम 70 से 80 प्रतिशत क्षेत्र ट्राईबल है, मैं इसलिये उन क्षेत्रों पर काम करने का निवेदन करता हूँ । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो भी हमारे कोटा विधान सभा के अंदर की सड़कें हैं, वैसे तो हमारी बहुत सी सड़कें प्रधानमंत्री योजना में आ गई, कुछ मुख्यमंत्री ...।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, गोबरीपाट से केंवची रोड की भी मांग करो भाई ? गोबरीपाट से केंवची तक सड़क के मरम्मत की मांग करिये जो अचानकमार टाईगर रिजर्व होते हुये जाता है । यह बहुत जरूरी है, आप भी मांग करो, मैं तो अभी करूंगा ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- जी ।

सभापति महोदय :- धर्मजीत जी । माननीय मंत्री जी का हाईकमान तक एप्रोच है तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है । वह काम करा लेंगे । जल्दी समाप्त करिये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- यहां हाईकमान थोड़े ही बताने आयेंगी ? यहां बोलेंगे तो कम से बिलासपुर कोटा में तो जाकर बोल सकते हैं कि कोटा रोड की मांग किये हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्मजीत सिंह जी बहुत सीनियर हैं और उनका पुराना विधान सभा और अभी का विधान सभा उस रोड से लगा हुआ है, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस सड़क को जल्दी ही बनाया जाये, ताकि एक वैकल्पिक मार्ग बना रहे । जैसे ही रतनपुर और केंवची सड़क शुरू होगी, सड़क पर हमेंशा जाम की स्थिति रहेगी, तब तक इस मार्ग को बनाकर वैकल्पिक व्यवस्था की जाये । सभापति महोदय, जो बजट एलॉटमेंट हुआ है, वह केवल 5 परशेंट है, यह छत्तीसगढ़ की तस्वीर नहीं बदल पायेगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ

कि छत्तीसगढ़ की सड़कों का बजट और बढ़ाया जाये, ताकि छत्तीसगढ़ सड़कों के माध्यम से समृद्ध बन सके । धन्यवाद, जय हिन्द ।

सभापति महोदय :- माननीय धर्मजीत सिंह जी । मुझे लगता है कि आपके मित्र लोग बायीं तरफ हैं नहीं, इसलिये जल्दी समाप्त करेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- मैं बिल्कुल कर दूंगा, मैं तो कागज-वागज भी नहीं रखा हूँ, ऐसे ही बोल देता हूँ । माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे बहुत ही सक्रिय, कर्मठ उप मुख्यमंत्री जी श्री अरूण साव जी के सभी विभागों की मांगों का समर्थन करता हूँ । सभापति महोदय, उनके पास बहुत बड़े-बड़े विभाग हैं, जिनका सीधे जनता से रिश्ता है और यहीं मांगे जनता की तरफ से प्राथमिकता के तौर पर हम लोगों के पास आती है । मैं तो पहले मांग ही कर देता हूँ, सड़कों की हालत बहुत ही जर्जर स्थिति में है और अब आप उसे प्राथमिकता के तौर पर धीरे-धीरे कराने का प्रयास करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है । मैं भी जब तखतपुर विधान सभा से चुनाव लड़ा तो एक अमेरी करके है, कुरूअमेरी गांव है, जो कि बिलासपुर शहर से बिल्कुल लगा हुआ है । उन लोगों ने रेल्वे के अंडर ब्रिज की मांग की थी, रेल्वे का अंडरब्रिज ऐसा बताया गया है, शायद वह मंजूर है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का 7-8 करोड़ रूपया जो भी पटाना होगा, वह नहीं पटने के कारण वह ब्रिज नहीं बन पाया है । मुझे एक्जेक्ट पोजीशन नहीं मालूम है कि क्या है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी आबादी जो रेल्वे के उस तरफ रहती है, उनकी सुविधा के लिये, उस अंडरब्रिज के लिये, प्रयास करेंगे । डी.आर.एम. साहब से आप भी बात करेंगे, मैं भी मिलूंगा । यदि स्टेट गवर्नमेंट के फण्ड के कारण रूका हुआ है तो आप उसे पूरा करेंगे और यदि यह मामला नहीं है तो नये सिरे से इस प्लान को, इस प्रोजेक्ट को, आपके विभाग की तरफ से प्रयास करके इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे । सभापति महोदय, मैं बार-बार यह कहते आया हूँ कि अब तो आप वहां के विधायक हैं, गोबरीपाट से केंवची तक की सड़क को बनना चाहिये । अब यह बनने में कोई दिक्कत नही है, अंग्रेजों के जमाने का रोड है, थोड़ से मरम्मत से वह रोड शुरू हो सकता है । उस रोड के शुरू होने से दो-तीन फायदे हैं, पहला फायदा यह है कि अमरकंटक की दूरी कम हो जायेगी और जब आप 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर के बीच में सफर करेंगे तो वह खूबसूरत वादी है, बढ़िया जंगल है, वाईल्ड लाईफ भी देखे जा सकते हैं । तीसरा यह है कि वहां पर अवैध शिकार को रोकने में सरकार को मदद भी मिलेगी । अभी वहां दोनो तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया है । यह रास्ता जो अभी बंद हुआ है, आपका क्षेत्र है तो आप उसमें पहल करिये, मैं तो वन विभाग के डिमाण्ड में बात करूंगा ही। मैं हाई कोर्ट गया था, मैंने हाई कोर्ट से उस रास्ते को खुलवाने का प्रयास किया । जब हाई कोर्ट ने वह रास्ता खोल दिया तो अभी वन विभाग के कमेटी ने उसे बंद कर दिया है । साहब, वहां की लड़कियां कैसे पढ़ने जायेंगी ? मान लीजिये उनको कोटा आना है तो वह कैसे आयेंगी ? आजादी के 75 साल बाद आदिवासी बच्चियों को आने जाने के लिये रास्ता होना चाहिए। यदि वहां कोई बीमार पड़ गया तो कैसे आयेगा ?

हम वन्य प्राणियों को प्राथमिकता देते हैं लेकिन इंसान की जिंदगी की भी उतनी ही प्राथमिकता है जितनी वन्य प्राणियों की जिंदगी का महत्व है। इसलिये उस रास्ते को न केवल बनना चाहिए बल्कि उसमें कुछ नियम कायदे हैं, उसमें परिवर्तन करके उसको खोलकर आम लोगों के लिये भी चालू करना चाहिए। मैं एक बार ऊंटी से आ रहा था तो रास्ते में बांदीपुर नाम का एक टाईगर रिर्जव पड़ा था। अभी मैं मल्लिकार्जुन गया था तो वहां पर भी रास्ते में टाईगर रिर्जव पड़ा था। वहां 100 किलोमीटर की चौड़ी सड़क थी जिसमें 8.00 बजे रात तक बिना रोक-टोक के गाड़ियों की आवाजाही होती है। यह छोटा-सा टाईगर रिर्जव है, जिसमें अभी टाईगर है भी या नहीं, यही प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में है। उसके रास्ते को क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए ? उसमें क्या दिक्कत है ? उसके लिये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एन.ओ.सी. दे दे और पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमेंट वह सड़क बना दें। वह सड़क मुश्किल से 3-4 करोड़ रूपये में चकाचक हो जायेगी। वह आपका भी क्षेत्र है इसलिये आप विशेष रूप से ध्यान देकर, पहल करके उसको बनवाईयेगा।

अध्यक्ष महोदय, बहुत से पुल-पुलियों की बात हैं, हमने बजट में दिया है और आपने बजट में जोड़ा है। आप उसमें प्राथमिकता तय करियेगा, आपकी व्यवस्था के अनुसार हम लोग काम करायेंगे। मैं विधान सभा में नगरीय प्रशासन के संबंध में एक बार पहले भी बोल चुका हूं और आज भी बोल रहा हूं कि मेरे विधायक बनने के पहले से ही मेरे विधान सभा क्षेत्र का सकरी क्षेत्र बिलासपुर नगर निगम में शामिल हो गया है। उसमें नगर निगम के रूप में चुनाव भी हो चुका है। वह बिलासपुर नगर निगम में एक छोर में पड़ा हुआ इलाका है। वहां न सफाई का काम होता है, वहां न सड़कें बनी हैं, वहां न कोई दूसरा काम होता है, मतलब सुनवाई ही नहीं होती है। पहले वह नगर पंचायत था। वह पहले भूटान के राजा तो थे, अब आप भूटान के राजा को बिलासपुर नगर निगम में लाकर प्रजा बना दिये हैं। मैं चाहता हूं कि उनको फिर से भूटान का राजा बना दीजिये। आप सकरी को नगर पंचातय बना दीजिये, ताकि वह अपनी तकदीर का फैसला खुद करें, अपने गांव के विकास का फैसला खुद कर सके और वहां पर उनका कल्याण हो। मेरे खयाल से वैसे ही और भी विधायक मांग किये होंगे। आप उस पर जरूर विचार करियेगा। आप लोक सभा चुनाव के पहले ही इस बात को अपनी तरफ से प्रेस कांफ्रेस करके या निर्णय लेकर बोल दीजियेगा ताकि लोगों को खुशी हो। आप चाहे तो आज ही बोल दीजियेगा क्योंकि विधान सभा का यह जो फ्लोर है, यह तो शक्तिशाली फ्लोर है।

अध्यक्ष महोदय, मैं और एक आखिरी मांग करना चाहता हूं कि मैं अपने तखतपुर के बच्चों के खेलने के लिये मैदान बनवा रहा हूं। उसमें कुछ पैसा आया हुआ हैं, मैं भी अभी कुछ पैसा अपने विधायक मद से दूंगा। हमारे बच्चों को भी शहर के समान लाईट में खेलने का शौक है, अब आप कृपा करके आज दो बड़ी-बड़ी फ्लड लाईट लगवाने की घोषणा तो कर ही दीजिये, ताकि उन खिलाड़ियों में तो हर्ष व्याप्त हो कि उनके पड़ोस के विधायक और उप मुख्यमंत्री जी ने उनके खेल की खातिर फ्लड लाईट लगवा दिया। मैं और कुछ भी घोषणा करने के लिये नहीं बोलूंगा लेकिन आप यह दो फ्लड लाईट की घोषणा

कर दीजिये। वह एक-आत करोड़ रूपये में तो लग ही जायेगा। आप उसके लिये 1 करोड़ रूपये दे देंगे तो बच्चों में हर्ष भी व्याप्त होगा और आपके इस निर्णय की सराहना भी होगी क्योंकि हमें बच्चों को अच्छे खेलकूद की व्यवस्था और सुविधा देनी है। आप कृपा करके इतना ही करियेगा। बाकी तो आप हमारे जिला के है, हमारे घर के हैं, हमारे सांसद रह चुके हैं, हमारे लोरमी के विधायक हैं और आपकी नदी के इस तरफ तखतपुर विधान सभा है।

अध्यक्ष महोदय, अच्छा हां, एक बात और कहना चाहता हूं साहब। वह बिलासपुर से तखतपुर की तरफ जाने वाली एक सड़क जो एन.एच.ए.आई. से बनी है, उसमें हर पुल के पास भयंकर बड़े-बड़े गड्ढे हैं। पता नहीं वह ड्राईंग डिजाईन में बना है, नहीं बना है या किसी कारण से क्यों नहीं बन पाया है। लेकिन उस सड़क में आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूं, मोहले जी भी जाते हैं और धरमलाल कौशिक जी भी जाते हैं, वह सड़क थोड़ी ठीक-ठाक हो सके, उसके लिये विभाग के लोगों को निर्देशित कर दीजियेगा। मैं आशा करता हूं कि आपने बजट में जो काम शामिल किया है, उस काम को हमारी प्राथमिकता पूछकर करियेगा। लेकिन आज आपसे सिर्फ दो ही मांग मेरी प्राथमिकता में है, एक तो अमेरी और घुरू रोड का रेलवे का अंडरब्रिज कैसे बन सकता है, उस पर विभाग के उच्चाधिकारी ध्यान देकर पहल करें और आप कृपापूर्वक हमारे बच्चों को जे.एम.पी. हाई स्कूल के मैदान में फ्लड लाईट लगाने के लिये 01 करोड़ रूपये की जरूर घोषणा करियेगा। मुझे भी अच्छा लगेगा। यदि आप यह घोषणा करेंगे तो आपको अभी से इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद भी दे रहा हूं और आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांग संख्या 20, 22, 24, 29, 67, 69, 76 और 81 के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ।

माननीय सभापति महोदय, यह बहुत गर्व की बात है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पामगढ़ में तीन नगर पंचायत हैं राहौद, खरौद और शिवरीनारायण है। चौथा पमागढ़ को नगर पंचायत बनाने के लिए वर्ष 2018 में तात्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने घोषणा की थी, लेकिन इसके साथ-साथ यह दु:ख की भी बात है कि आज तक पामगढ़ को नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिल सका और 26 जुलाई, 2023 में राजपत्र से अधिसूचना भी प्रकाशित हो गई है, लेकिन अभी तक नगर पंचायत पामगढ़ अस्तित्व में नहीं आया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करती हूँ कि जल्द ही पामगढ़ नगर पंचायत में प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें ताकि वहां का समुचित विकास हो सके और जनता की उम्मीद भी पूरी हो सके। सरसींवा, पौनी और पामगढ़ एक साथ नगर पंचायत घोषित हुआ था, सरसींवा में सी.एम.ओ. की पोस्टिंग हो गई है। पौनी में धारा 40 लगी हुई है इसलिए वह प्रक्रिया में है। वहां पामगढ़ में जल्द से जल्द प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे क्योंकि वहां की

जनता अभी असंमजस में है कि वह नगर पंचायत में रहते हैं या वह ग्राम पंचायत में निवास करते हैं। मेरी, आपसे यह विशेष मांग है। साथ ही राहौद, खरौद और शिवरीनारायण में एस.टी.पी. सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु राशि अस्वीकृत हो गई है। यह भी शासन स्तर पर लंबित है जिसकी वजह से जनता को बहुत परेशानियां होती हैं सूखे के दिन में सड़क के ऊपर नालियां बह रही हैं तो मैं, आपसे इस पर भी निवेदन करना चाहूंगी कि आप इस पर विशेष ध्यान देंगे।

माननीय सभापति महोदय, लोक निर्माण विभाग से मेरी, आपसे कुछ मांगें हैं यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले ही बजट में शामिल हो गया है, लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति में गया है, जिसमें प्रथम प्राथमिकता पामगढ़ से लाहौद मार्ग के डोंगाकहरौद बस्ती की लम्बाई 5 किलोमीटर है। उसमें बहुत ज्यादा लागत नहीं आएगी । वह मार्ग लगभग 5 करोड़ रूपये की लागत से बन जाएगा। वहां के लोगों को बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वह मार्ग गांव से होते हुए निकला है और वह जांजगीर से लेकर रायपुर तक एक सिंगल मार्ग है उसमें कभी भी हैवी व्हिकल खराब हो जाता है, वहां गाड़िया खड़ी हो जाती हैं, फिर वहां मोटर सायकल तक निकलने की जगह नहीं रहती। मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि वैसे ही राहौद से सलखन मार्ग चौड़ीकरण, मजबूतीकरण का कार्य है, जिसकी लम्बाई ढाई किलोमीटर है। पामगढ़ से भदरासिल्ली पक्की सड़क एवं नाली, पुल निर्माण के साथ है जिसकी लम्बाई 1.85 किलोमीटर की है। पामगढ़ से पनगांव से सेन्द्री तक का सड़क निर्माण कार्य नहर पार होते हुए, जिसकी लम्बाई डेढ़ किलोमीटर की है। यह सारे मार्ग प्रशासकीय स्वीकृति के लिए लंबित हैं। मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि मैंने ऐसे तो बहुत सारी सड़कों के निर्माण के लिए दिया है। आप इसको ध्यान रखते हुए, आप संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करें। मेरा आपसे एक निवेदन और है कि विशेष रूप से डोंगकहरौद मार्ग को देख लीजिएगा, वह मार्ग जांजगीर से रायपुर तक को जोड़ता है, वह सिंगल मार्ग है। मैं आपसे बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि आप यहीं से पामगढ़ नगर पंचायत में सी.एम.ओ. के बैठने की घोषणा कर दें। मैं यह विशेष आग्रह करते हुए, अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय,आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- श्री सम्पत अग्रवाल जी, आपका एक मिनट का समय समाप्त हो गया है।

श्री सम्पत अग्रवाल (बसना) :- माननीय सभापति महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूँ।

माननीय सभापति महोदय, वार्षिक बजट 2024-25 में आयोजित सामान्य चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद् देता हूँ। मैं इस सदन में पहली बार बोल रहा हूँ मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप क्षमा भी करिएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं बजट की परिचर्चा के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। क्योंकि यह बजट छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुशासन के विरूद्ध जनता के द्वारा मुहर लगाकर बनाई गई सरकार के द्वारा प्रस्तुत अमृत काल का बजट है जो कि बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि बजट में 22 प्रतिशत बढोत्तरी के साथ में 1 लाख 47 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है जिसमें आदिवासी, किसान, गरीब, मजदूर, महिला, युवा एवं सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, आज का भारत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमारा प्रदेश आज विकासशील राज्य बनने की ओर अग्रसर है। इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली संवेदनशील सरकार को हृदय से धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं महासमुंद जिले के बसना विधान सभा का प्रतिनिधित्व करता हूं जो कि आदिवासी और अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। क्षेत्र के आदिवासी समेत अन्य समाज के युवा रोजगार के लिए प्रदेश के बाहर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। इन्हें रोजगार हेतु प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, साथ ही तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की जरूरत है। जिसके लिए बसना में पॉलिटेक्निक कॉलेज की शुरूआत किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि बसना में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि पिछली सरकार के दौरान बनाये गये गोठानों का कोई औचित्य नहीं है। यहां कभी भी गौमाता नजर नहीं आती, केवल असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि गौठानों के स्थान पर मिनी स्टेडियम, गार्डेन, ओपन जिम बनाया जाये जिससे कि स्थानीय युवाओं, महिलाओं समेत, ग्रामीणों को मनोरंजन एवं व्यायाम का साधन उपलब्ध हो सके। सभापति महोदय, बसना सांस्कृतिक रूप से परिपूर्ण क्षेत्र है परंतु उस क्षेत्र के पर्यटन स्थलों, धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन की अति आवश्यकता है। बसना क्षेत्र के गणपूलझर में राम चंडी मंदिर में मेला का आयोजन होता है, जहां श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए सुविधाओं की कमी है। जिसके सौन्दर्यीकरण एवं विकास के लिए राशि का प्रावधान करने की आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं। पूर्व में भी अभी जो माननीय मंत्री जी हैं, माननीय मंत्री जी ने रामचंडी मंदिर गढ़पुलिया को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की थी, मगर अभी उसकी सख्त आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में प्रतिभावान खिलाड़ी भरे पड़े हैं, परंतु उचित सुविधा नहीं मिलने के कारण खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। जिसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरे क्षेत्र बसना एवं पिथौरा में खेल स्टेडियम बनाने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार महिलाओं के हित में शानदार फैसला लेते हुए महतारी वंदन योजना लागू की। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि महिलाओं को अधिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ब्लाक स्तर में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना कर उन्हें कम्पयूटर, अंग्रेजी शिक्षा, सिलाई प्रशिक्षण एवं ब्यूटी पार्लर के कोर्स के लिए बजट में प्रावधान करने की मांग करता हूं। हमारे क्षेत्र सांकरा, गढ़पुलझर, पिरदा क्षेत्र के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए बसना एवं पिथौरा जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। जिसमें विशेषकर हमारी बेटियां उच्च शिक्षा से वंचित होती जा रही हैं। परंतु बजट में साकरां, गढ़पुलझर, पिरदा में कॉलेज खोलने का कोई जिक्र नहीं है जिसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि तीनों जगह कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां किसान, मजदूर और गरीब लोग निवास करते हैं। इस क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की हमेशा कमी रहती है। वर्तमान में बसना में 50 बिस्तर का अस्पताल है, उसे 100 बिस्तर का अस्पताल बनाना है। सांकरा में 20 बिस्तर का अस्पताल है, उसे 50 बिस्तर का एवं ग्राम अकोरी एवं ग्राम सकोस में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निवेदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय सांकरा क्षेत्र की जनता को राजस्व संबंधित कार्यों के लिए पिथौरा जाना पड़ता है, जिससे जनता को भारी दिक्कतें होती हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस क्षेत्र की जनता की ओर से मांननीय मंत्री जी से सांकरा में उप तहसील खोलने के लिए निवेदन करता हूं। मैं आज के साइबर क्राइम को बढ़ता देख महासमुंद जिले में साइबर थाना और थानों में बल व थानों के लिए वाहन एवं थानों में महिला बल उपलब्ध कराने के लिए माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं।

सभापति महोदय:- संपत जी, हो गया।

श्री संपत अग्रवाल :- सभापति महोदय, मैं बस एक मिनट बोलना चाहूंगा।

सभापति महोदय :- संपत जी, विभागों का विषय हो तो उसको बोलिये।

श्री संपत अग्रवाल :- सभापति महोदय, मैं बस एक मिनट और बोल देता हूं। यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का विषय है। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अस्पताल में डॉक्टर और स्टॉफ, स्कूलों में शिक्षकों की अत्यंत कमी है, इसके लिए भी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूर्ण कराने का निवेदन करता हूं। माननीय सभापति महोदस, आज इस चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री बृजमोहन अगवाल :- माननीय सभापति जी, उन्होंने लगभग सभी विभागों के बारे में बोला है। मंत्री जी सब विभागों के मंत्रियों को पहुंचा देंगे कि उन्होंने क्या-क्या काम बोला है।

सभापति महोदय :- श्री पुरन्दर मिश्रा जी।

श्री पुरन्दर मिश्रा (रायपुर नगर उत्तर) :- सभापति महोदय, आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। मैं उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी के बजट के संबंध में अपनी मांग रखते हुए आपको कुछ बातों से अवगत कराना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं उत्तर विधान सभा का विधायक हूं और यह अद्भूत विधान सभा का है। इसको हम सरल भाषा में कहें तो यह मिनि भारत है। यहां रिक्शा वाला से लेकर के आई.ए.एस. ऑफिसर और व्यावसायिक से लेकर बड़े-बड़े इंडस्ट्री तक के लोग रहते हैं। वहां पर राजभव है, मुख्यमंत्री का निवास है, कलेक्ट्रेट है, मेडिकल कॉलेज है, जेल है, कपड़ा व्यापारी हैं, अनाज व्यापारी हैं, लोहा व्यापारी हैं और लोहा को चोरी करने वाले लोग भी वहां पर हैं। बहुत ही कंफ्यूजन और बहुत ही महत्वपूर्ण विधान सभा है। वहां पर सिविल कोर्ट है, एस.पी. ऑफिस है, कलेक्ट्रेट ऑफिस है और ऑफिसर कॉलोनी भी है। वहां ऐसे झुग्गी बस्तियां हैं, जो करीब-करीब 48 बस्तियां हैं, जहां पर पानी की समस्या दिन-रात बनी रहती है। गर्मी के समय में पानी का बर्तन लेकर लोग दौड़ते हैं। उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को निवेदन करता हूं। महोदय, जल जीवन मिशन अमृत योजना के तहत गरीब बस्तियों में चालू करेंगे। विधान सभा में लगभग 50 हजार गरीब घर हैं। जहां-जहां दूसरी समस्या है, जहां-जहां झुग्गी बस्ती है, वहां पर वह लोग कब्जा करके कई सालों से बैठे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री महोदय जी, उनको एक बार पट्टा देने की यदि आप व्यवस्था कर देते तो बड़ी कृपा होती। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा में रेलवे किनारे बैठे झुग्गी बस्ती में वह बिना पट्टा के हैं। उसके बाजू में बैठे हैं, वह पट्टा वाले हैं। पिछली सरकार में उनके साथ खेलने का प्रयास किया गया और झूठा पट्टा बनाकर उनको आवंटन किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह जो झूठा पट्टा दिया गया है, उसकी जांच करें और जो झूठा पट्टा प्रदान किए गए हैं, उसको जांच करके अधिकारी को दंडित करने की कृपा करें। सभापति महोदय, मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है, वह नगर-निगम क्षेत्र में नहीं आता है। मेरे पास कोई किसान नहीं है। मेरे क्षेत्र में बहुत नशेड़ी हैं, उनको भी रोकना है और जब नगर-निगम की सीमा में आयेंगे । रोड-नाली ठीक बन जायेंगी, झुग्गी-बस्ती में घर बन जायेगा, प्रधानमंत्री आवास मिल जायेगा, पीने का पानी मिल जायेगा तो यह सब नशेड़ी अपनेआप सुधर जायेंगे और दूर भाग जायेंगे ।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बजट प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं । आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री मोतीलाल साहू (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 की माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी की संबंधित सभी विभागों की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, मेरा रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र जो रायपुर शहर की 4 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है । जब नगर-निगम का विस्तार हुआ तो यह सभी आसपास के गांवों को मिलाकर इस नगर-निगम के 70 वार्डों में शामिल हुआ है। जिसमें मेरा एक क्षेत्र माना कैम्प जो नगर पंचायत है और 15 इस महा नगर निगम का वार्ड है और एक बीरगांव नगर निगम है । इस प्रकार मिला-जुला बड़ा क्षेत्र है । चूंकि यह अभी भी गांव से जुड़ा हुआ है । यह न तो समुचित रूप से गांव की स्थिति है और न ही पूर्ण रूप से शहर के रूप में विकसित हुआ है, यह बीच की स्थिति में है । बीच की स्थिति होने के कारण इस क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है । मुझे मेरे क्षेत्र के विषय में दुख तब लगता है जब सरकारी दस्तावेज में भी यह चलता है कि अविकसित और अवैध क्षेत्र तो यह बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी आबादी वाला क्षेत्र और जिसको हम अपने ही शब्दों में कहें अविकसित और अवैध कॉलोनी या अवैध बस्ती तो बड़ा आश्चर्य होता है और बड़ा दुख भी होता है कि आखिर इतना बड़ा क्षेत्र और यहां इतने लोग बसे हुए हैं । जिसकी जिम्मेदारी हम सबकी होनी चाहिए। उसे हम केवल यह कहकर सुविधाओं से वंचित कर दें कि अविकसित क्षेत्र है, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है तो यह लगभग नगरीय प्रशासन क्षेत्र है और पूरा क्षेत्र लगभग उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है । मैं योजनाओं के अनुसार ही कहूंगा कि यह विषय जल जीवन मिशन का है । अभी भी मेरा क्षेत्र पेयजल की समस्याओं से जूझ रहा है और इस मिशन के अंतर्गत जो टंकी बन रही है वह टंकी अपूर्ण है, अधूरी है । मेरा मजदूर नगर क्षेत्र है, बीरगांव नगर निगम का वॉर्ड क्रमांक-40 है । वहां पर टंकी अधूरी पड़ी है और वह बंद पड़ा हुआ है । जोन कमिश्नर से पूछने पर यह पता चला कि यहां पर अभी आवंटन की कमी है इसलिये वह रूका पड़ा है । इसी प्रकार से हमारे बीरगांव में एक बुधवारी बाजार है । वहां पर टंकी का निर्माण हो रहा है, टंकी का निर्माण पूर्ण हो चुका है लेकिन पाईपलाईन की पाईप की कमी के कारण वह कार्य अधूरा पड़ा है । इस प्रकार हमारे पूरे क्षेत्र में ऐसी समस्याएं हैं और कॉलोनियों की भी शिकायतें हैं कि कॉलोनियों में पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था नहीं है । सभी जितनी कॉलोनियां हैं, मेरे क्षेत्र में लगभग 300 से ऊपर कॉलोनियां हैं वहां भी लगातार यह शिकायतें आ रहीं हैं कि पेयजल की समस्या है और कैसे भी करके नगर-निगम के माध्यम से पेयजल की समुचित व्यवस्था हो जाये, सभी कॉलोनीवालों की यह मांग रही है ।

समय :
7.54 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो मैं यह कहना चाहूंगा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट चूंकि मेरा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र भी है और उरला, अछोली, बिरगांव यह उससे जुड़ा हुआ है । एक बहुत बड़ा नाला है उसमें पूरे इंडस्ट्री का

केमिकलयुक्त जहरीले पानी और गैस से लेकर अनेक प्रकार के ऐसे तत्व जो उस नाले में बहते हैं जिसके कारण पूरा क्षेत्र प्रभावित है । उस जहरीले पानी के कारण ट्यूबवेल का भी पानी खराब हो चुका है और इसलिये उसकी समुचित व्यवस्था जो है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर उसको किया जाना चाहिए और उस नाले के लिये भी समुचित निर्माण कार्य करके चूंकि लगभग 6 किलोमीटर है, बड़े नाला टाईप की स्थिति है जिसमें बहुत ही तीव्र गंध आती रहती है । शिकायतें आ रही हैं, आज भी मेरे पास शिकायत के कई पत्र पड़े हुए हैं जिसमें बच्चों की आंख खराब हो रही हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है ऐसी अनेक प्रकार की शिकायतें इस जहरीले रासायनिक पदार्थों के कारण जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पूरी बस्तियां बसी हुई हैं, उसके कारण ये गंभीर समस्या बनी हुई है। स्वच्छ मिशन भारत के अंतर्गत यूज्ड वाटर मैनेजमेंट का भी प्रावधान है। उसी प्रकार विद्युत की व्यवस्था की हम बात कहें तो लगभग साढ़े 8 हजार अस्थायी कनेक्शन मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। मैं तो समझता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ के अस्थायी विद्युत कनेक्शन को जोड़े तो फिर साढ़े 8 हजार की अस्थायी कनेक्शन नहीं मिलेगा, जो एकमात्र मेरे क्षेत्र में लगभग साढ़े 8 हजार अस्थायी विद्युत कनेक्शन है और ये बड़ा ऐसा फैला हुआ है। बांस और बल्लियों के सहारे जो लटकती हुई तारों के कारण कई प्रकार की दुर्घटनाएं, जनहानि और कई प्रकार की समस्याओं से क्षेत्र जूझ रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, समाप्त करिए।

श्री मोतीलाल साहू :- जी। माननीय महोदय जी, दो मिनट के बाद समाप्त करता हूं। उसी प्रकार से हमारी सरोवर धरोहर योजना है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि क्षेत्र से जुड़ा हुआ गांव है और गांव का तालाब आज के समय में पूरी गंदगी से अटा पड़ा है और उसको किसी भी प्रकार से कंट्रोल करना, उसको संवारना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण बन जायेगा, इसलिए तालाबों का पुनरूद्धार करना और सौंदर्यीकरण करना बहुत जरूरी है। गांव के एक भी तालाब का किसी भी प्रकार से सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। गांव की और उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से पुष्प वाटिका योजना भी हमारे इस नगरीय प्रशासन के अंतर्गत है। तो जितने हमारे खाली मैदान हैं, जो अवैध कब्जों का शिकार हो रहे हैं, उसे खेल मैदान के रूप में डेव्लप करें और गार्डन के रूप में डेव्लप करें ताकि जगह भी सुरक्षित हो जायेगा और हमारा कार्य शहर के साथ..।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, धन्यवाद। प्रेमचंद पटेल जी।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय महोदय, मेरे क्षेत्र का विषय है। थोड़ा सा 2 मिनट और समय दीजिए। प्लीज।

अध्यक्ष महोदय :- आपको पर्याप्त समय दे दिया, आप पूरे हिन्दुस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? अपने विधान सभा तक सीमित रहिए न।

श्री मोतीलाल साहू :- नहीं, मेरे विधान सभा की बात है।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- अध्यक्ष जी, देखिए न, पक्ष के हैं तो भी सभी लोग बोल रहे हैं। हम लोग विपक्ष के हैं, तब भी इंतजार कर रहे हैं। अभी 8 बज गया है। उन लोगों को तो बोलने की जरूरत भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- समय सबको दिया गया है। पर्याप्त दिया गया है, इसीलिए लगभग 8 बज रहा है।

श्री मोतीलाल साहू :- मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा, बाहर की नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- कृपया, समाप्त करिए। 8 बज गया है।

श्री मोतीलाल साहू :- जी-जी। माननीय, आपके माध्यम से कुछ समस्याओं के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भनपुरी डब्ल्यू.आर.एस. कॉलोनी है, उसे जोड़ने के लिए रेलवे अंडर-ब्रिज की आवश्यकता है। चूंकि यातायात की बड़ी गंभीर समस्या आने वाली है और इन 5 सालों में कोई कार्य हुआ नहीं है तो ये भनपुर से डब्ल्यू.आर.एस. कॉलोनी है, जहां पर रावण वध होता है वहीं पर एक अंडर-ब्रिज का निर्माण की बहुत अति-आवश्यक है। बार-बार मांग उठ रही है और पहले स्वीकृत भी हो चुका था, पर किन्हीं कारणों से वह बन नहीं पाया है। अभी भी उसकी मांग जारी है। उसी प्रकार से सौंदर्यीकरण के विषय में लाइट की बात कहें तो खमतराई है वहां से धनेली तक लगभग 6 किलोमीटर की distance है, इसमें लाइट की बहुत सख्त आवश्यकता है। रात्रि में लाइट नहीं होने के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है। बीरगांव मुख्य सड़क व्यास तालाब से लेकर उरला चौक तक भी लाइट की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण वहां भी अंधेरा रहता है और कई समस्याएं हैं। उसी प्रकार संतोषी नगर से लेकर मुजगहन तक में भी स्ट्रीट लाइट की सख्त आवश्यकता है तो ये भी लगातार क्षेत्रवासियों के द्वारा लगातार मांग हो रही है। मैं अपनी तरफ से इस विषय को नहीं रख रहा हूं, यह क्षेत्र की मांग है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि मेरे सभी वार्डों में अतिरिक्त व्यवस्था हो जाये। मैं मांग पत्र बनाकर माननीय मंत्री जी के विभाग को पहुंचा दिया हूं और चाहूंगा कि समुचित रोड, पानी, नाली और बिजली की व्यवस्था हो जाये, ये मांग करते हुए आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, मंत्री जी को दे दीजिएगा। ये आप लिखकर दे दीजिए। डिटेल काफी है। धन्यवाद। प्रेमचंद पटेल।

श्री प्रेमचंद पटेल (कटघोरा) :- अध्यक्ष महोदय जी, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- आप सीधे अपने विधान सभा में आ जाइए।

श्री प्रेमचंद पटेल :- मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि एवं विधायी कार्य एवं नगरीय प्रशासन मंत्री जी का जो वर्ष 2024-25 के अनुदान मांगों

पर चर्चा के लिए एवं समर्थन के लिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं अपने क्षेत्र की मांग के लिए सीधे-सीधे विषय रख रहा हूं। हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जिन 10 पिलरों की बात की थी ।

समय
8.00 बजे

उन 10 पिलरों में हमारा लोक निर्माण विभाग अपनी महती भूमिका निभाएगा । निर्माण कार्यों में केवल अंतर्राज्यीय सड़कें स्थापित नहीं कर रहे हैं, बल्कि सुदूर अंचलों को भी मुख्य मार्गों से जोड़ने एवं प्रशासनिक भवनों के निर्माण एवं विस्तार के साथ राज्य के पहुंचविहीन ग्रामों में बारहमासी आवागमन हेतु भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा । वे विधि-विधायी मंत्री भी हैं । कटघोरा जिला कोरबा में परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए 19 पदों का सृजन एवं 50 लाख का प्रावधान किया है । हमारे क्षेत्र में कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल परिवहन का 300 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया है । पिछली सरकार की व्यवस्था के तहत् मेरे विधान सभा क्षेत्र कटघोरा के बांकीमोंगरा क्षेत्र में नया नगर पालिका स्थापित की है, उसका परिसीमन कराकर नया चुनाव नवम्बर में होगा उसमें पूरा पूरा अस्तित्व में आ जाए, यह निवेदन करूंगा । 2018 में रामपुर से धौराभाठा मुख्य मार्ग में पुलिया निर्माण होना था वह अधूरा पड़ा हुआ है । माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा उस रोड का भी निर्माण हो जाए । मुडापारा-कोरवी रोड भी जर्जर स्थिति में है, पुन: उसका नव-निर्माण हो जाए। बांकीमोंगरा क्षेत्र में बांकीमोंगरा चौक से मोंगरा बस्ती चौक तक रोड जर्जर स्थिति में है, उस रोड का निर्माण हो जाए । मैं विधि विधायी मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे हरदीबाजार तहसील क्षेत्र है वहां व्यवहार न्यायालय की मांग करूंगा। व्यवहार न्यायालय होने से नजदीक में हम लोगों को न्याय मिलेगा । शीघ्र न्याय मिले इसके लिए भी निवेदन करूंगा । आने वाले समय में ये कार्य शीघ्र हो जाए । आपने बोलने के लिए समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद् ।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े (सारंगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन है कि नवीन सारंगढ-बिलाईगढ़ जो कि नया जिला बना है । इस नए जिले को एक भी सौगात नहीं मिला है । आपसे आग्रह है कि 2024-25 के बजट में जो बजट आया है । चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, जिले की जिम्मेदारी सभी की होनी चाहिए । मैं उप मुख्यमंत्री जी से यह मांग करत हौं कि सारंगढ़ विधान सभा परसदा से मुख्य मार्ग से जो कि बिलासपुर एवं रायपुर रोड से जोड़ा जा सकता है । यह सड़क राष्ट्रीय राज मार्ग सड़क है । जो कि बहुत खराब और जर्जर स्थिति में रहता है । अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि यह रोड राष्ट्रीय राज मार्ग है, तो यह पीडब्ल्यूडी में दिया जाए या इसी में स्वीकृति दी जाए तो उचित होगा । बच्चों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है । यह बहुत जरूरी है । वह नया जिला बना है, सारंगढ नगर

पालिका में हाईमास्क लाईट बहुत जरूरी है । वहां खेलभाठा में बड़ी संख्या में लोग घूमते हैं, वहां भी जगह-जगह में हाईमास्क लाईट लगना चाहिए । इसके साथ-साथ सारंगढ़ विधान सभा के बरमकेला में रेस्ट हाउस बहुत जरूरी है, क्योंकि वह उड़ीसा, रायगढ़, सारंगढ़ से लगा हुआ है, एक रेस्ट हाउस है, वह भी बहुत पुराना है, दो कमरा है।

अध्यक्ष महोदय :- सारे विधायक रेस्ट हाउस बहुत मांग रहे हैं।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी सड़क की भी मांग है। जो रोड पास हुआ है, उस काम को जल्दी से चालू करवा देते तो बहुत कृपा होती। यह रोड आचार संहिता में फंसा था, फिर से आचार संहिता में फंस जाएगा तो इस साल फिर चला जाएगा। बच्चे लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, आपसे निवेदन है। आपने मेरे विधान सभा में इस साल एक भी रोड बजट में नहीं दिया है, आपसे आग्रह है कि बहुत सारा रोड बजट में जुड़वाने की कृपा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। अरूण साव जी।

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण विभाग) श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में स्वीकृत राशि के अनुदान मांगो के विषय में जो मैंने प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव पर 23 माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे। श्री दलेश्वर साहू जी, श्री धरमलाल कौशिक जी, श्री रामकुमार यादव जी, श्रीमती गोमती साय जी, श्री कवासी लखमा जी, श्री पुन्नूलाल मोहले जी, श्री द्वारिकाधीश यादव जी, श्रीमती शकुंतला पोर्ते जी, श्री सुशांत शुक्ला जी, श्री कुंवर सिंह निषाद जी, श्री प्रबोध मिंज जी, श्री राघवेन्द्र सिंह जी, श्री नीलकंठ टेकाम जी, श्री ब्यास कश्यप जी, श्री गजेन्द्र यादव जी, श्री अटल श्रीवास्तव जी, श्री धर्मजीत सिंह जी, श्रीमती शेषराज हरवंश जी, श्री संपत अग्रवाल जी, श्री पुरन्दर मिश्रा जी, श्री मोतीलाल साहू जी, श्री प्रेमचंद पटेल जी, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े जी। मैं इन सभी माननीय सदस्यों के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इन्होंने न केवल प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को उठाया, यहां पर अपने क्षेत्र के भी विभिन्न समस्याओं को प्रस्तुत किया है। जो बातें सदस्यों की तरफ से आई है, कुछ सदस्यों ने विशेषकर सामने के सदस्यों ने कहा कि राजनीतिक भेदभाव भुलाकर सभी क्षेत्रों का समग्र रूप से विकास की चिंता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हमारा तो मूल मंत्र ही "सबका साथ सबका विकास" है और उसी मूल मंत्र पर विष्णुदेव साय की सरकार चलेगी। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर मैं एक बात कह सकता हूं कि पिछले पांच साल यह बात क्यों याद नहीं आई कि राजनीतिक भेदभाव भुला करके विकास के काम को अंजाम देना चाहिए। इन पांच सालों में आपको याद रखना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष महोदय, "हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे" यह विष्णुदेव सरकार का मूल मंत्र है। हमने 1 नवंबर, 2000 से इस छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, आज मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा कि किन परिस्थितियों में किया, कैसे किया ? पर

इस छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तब अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। अध्यक्ष महोदय, 15 सालों में आपके नेतृत्व में हमारी सरकार ने आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। छत्तीसगढ़ को एक दिशा दी कि छत्तीसगढ़ भी देश का अग्रणी राज्य बन सकता है, छत्तीसगढ़ में वह ताकत है, वह क्षमता है। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य विविधताओं से भरा प्रदेश है। छत्तीसगढ़ पर प्रकृति की असीम कृपा है। बड़ी-बड़ी नदियां, बड़े-बड़े जंगल, बड़े-बड़े पहाड़, कोयले से लेकर हीरे तक का भण्डार और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत यहां के सीधे-सादे, भोले-भाले, ईमानदार और मेहनतकश लोग हैं। वर्ष 2018 तक छत्तीसगढ़ प्रदेश ने विकास की उड़ान भरी, परंतु दुर्भाग्य से पिछले 5 सालों में उस उड़ान को ब्रेक लगी और एक बार फिर छत्तीसगढ़ की जनता ने हम पर भरोसा किया है। आज छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाएं और पक्ष व विपक्ष के माननीय साथियों ने अपने अपने विचार और मांगें रखी हैं, वह इस बात की ओर इंगित करते हैं - हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। विकास की उम्मीद केवल भारतीय जनता पार्टी से ही की जाती है और भारतीय जनता पार्टी ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करती है। विष्णु देव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए हमने कहा है - हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अनुदान मांगों के विषय पर अपनी बात रखूंगा कि हमने चुनाव में मोदी की गारंटी को जनता के सामने रखा था। मोदी की गारंटी का मतलब ही होता है कि उस गारंटी के पूरा होने की गारंटी। हमने एक-एक गारंटी को पूरा करने का सिलसिला प्रारंभ किया है। मोदी की गारंटी के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर निर्मल जल अभियान के तहत् जल जीवन मिशन योजनांतर्गत निवासरत् ग्रामीण परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर की मांग से कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दिशा में हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है कि जल्दी से गुणवत्तायुक्त काम हो और प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने जिस विजन के साथ, जिस बड़े उद्देश्य के साथ। मैं गांव से आता हूं तो कभी-कभी इस बात को सोचता हूं कि गांव के लोग किस प्रकार का पानी पीते थे। माताएं-बहनें पानी के लिए कितनी दूर तक जाती थीं और कितना कष्ट भोगती थीं। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना की पिछले कुछ सालों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। आज मैं उसके कारण पर नहीं जाऊंगा। पूरा प्रदेश जानता है कि किस कारण से गरीबों के साथ अन्याय हुआ। परंतु आज विष्णु देव साय जी की सरकार बनने के बाद हम इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं कि मोदी जी की आकांक्षाओं के अनुरूप छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति तक नल से शुद्ध पानी पहुंचे। इस मिशन के माध्यम से 49 लाख, 99 हजार ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित

किया जाना है। अब तक प्रदेश में 38 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिये जा चुके हैं। लगभग 11 लाख, 99 हजार ग्रामीण परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। मोदी जी की गारंटी के अनुरूप विभाग के अंतर्गत उप अभियंता के 277 रिक्त पद, हैण्डपम्प तक्नीशियनों के 400 रिक्त पद और अन्य पदों पर भर्ती के लिए हमारा विभाग गंभीरता से काम कर रहा है। अभी 12 तारीख को मैंने अपने हाथों से 134 हैण्डपम्प तक्नीशियनों को एक साथ नियुक्ति पत्र बांटा है। ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जब हैण्डपम्प खराब हो तो उसकी तुरंत रिपेयरिंग हो सके। मोदी जी की गांरटी के अनुरूप प्रदेश में हम Apprenticeship Promotion Scheme भी लागू कर रहे हैं। हमारे नौजवानों को प्रशिक्षण देकर उनको आगे बढ़ाने का, अवसर देने का काम हमारी सरकार कर रही है । सब इस बात को जानते हैं कि जल है तो कल है । जल के बिना धरती पर मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए पानी आवश्यक है । जल जीवन का द्वितीय स्त्रोत है, जहां पानी के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं । अन्य ग्रहों पर जीवन सिर्फ पानी के अभाव के कारण संभव नहीं है । ग्रीष्मकाल में जल स्तर नीचे चले जाने, नदी-तालाब सूखने से पानी मिलना कम हो जाता है, तब हमें पानी की कीमत, पानी का मूल्य समझ में आता है। भविष्य में जल की पर्याप्त उपलब्धता हो, इसलिए भू जल संवर्धन एवं संरक्षण के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आप को अत्यंत शौभाग्यशाली मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुझे इस अति महत्वपूर्ण पेयजल से संबंधित विभाग का दायित्व सौंपा है । मैं सर्वप्रथम ग्रामीण पेयजल व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराना चाहूंगा । ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के मापदण्ड के अनुसार 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के मान से हर घर नल से जल उपलब्ध कराया जाना है । राज्य सरकार द्वारा राज्य के 75,207 बसाहटों में निवासरत् ग्रामीणों को हैण्ड पम्प के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया गया है । भारत सरकार की योजना हर घर नल से जल, ग्रामीण परिवारों को नि:शुल्क घरों में नल से जल प्रदाय करने हेतु जल जीवन मिशन कार्यक्रम सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया है । प्रदेश की ग्रामीण आबादी को लगभग 2,69,762 हैण्ड पम्पों के माध्यम से शुद्ध पेय जल उपलब्ध हो रहा है । प्रस्तुत बजट में नलकूप के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 71 करोड़ का प्रावधान किया गया है । हैण्ड पम्पों का संधारण कार्य ग्रामीण अंचलों में स्थापित हैण्ड पम्पों के सुचारू संचालन संधारण हेतु नलजल योजनाओं से संबंधित शिकायतों के निदान हेतु टोल फ्री नम्बर विभाग द्वारा जारी किया गया है । 64 विभागीय संधारण वाहनों के माध्यम से हैण्ड पम्पों का त्वरित संधारण का कार्य किया जाता है । प्रस्तुत बजट में हैण्ड पम्पों के संधारण कार्य हेतु 34 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । जल जीवन मिशन के

अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में नलजल योजना के माध्यम से घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु तेज गति से कार्यवाही की जा रही है । जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से 49,99,000 ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया जाना है । पूर्व से संचालित नलजल योजना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 38 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों से अधिक नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं । जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिंगल विलेज एवं रेट्रो फिटिंग की 29,181 योजनाएं, 22442 करोड़, 12 लाख, 21 हजार रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है । समूह जल प्रदाय योजना जो कि गांव के एक समूह के लिए तैयार किया गया है । विभाग द्वारा राज्य मद से क्रियान्वित 12 समूह जल प्रदाय योजना क्रियान्वित है। समूह जल प्रदाय योजना के 370 ग्रामों के परिवारों को 77,120 से अधिक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। जिससे ग्रामीणों को घर पहुंच शुद्ध पेयजल का लाभ मिल रहा है। विभाग द्वारा निक्षेप मद अन्तर्गत 3 समूह नल-जल प्रदाय क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत 10,732 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। जिससे ग्रामीणों को घर पहुंच शुद्ध पेयजल का लाभ मिल रहा है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 77 समूह जल प्रदाय योजना हेतु राशि 4802 करोड़ 40 लाख 35 हजार की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके अन्तर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा 70 समूह जल प्रदाय योजनाओं के लिए जल आरक्षण की स्वीकृति दिए जाने की निरन्तरता में 70 समूह जल प्रदाय योजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित करते हुए 61 समूह जल प्रदाय योजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय, दूरस्थ पहाड़ी और वनाचंल क्षेत्रों में स्थित बसाहटों में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय हेतु सोलर पंप आधारित नलजल योजनाएं अत्यंत लोकप्रिय है। विभाग द्वारा आदिवासी बाहुल्य एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 7,809 व्यूल आपरेटेट सोलर पंपों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था की गई है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्थापित 7,489 सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजना के माध्यम से 4 लाख 81 हजार 543 घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय कर ग्रामीण परिवारों को पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। प्रस्तुत बजट में राज्य मद की प्रगतिरत ग्रामीण जल योजनाओं के लिए 6 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रस्तुत बजट में राज्य मद की प्रगतिरत नाबार्ड पोषित ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए 4 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रस्तुत बजट में पूर्व की प्रगतिरत नाबार्ड पोषित सौर उर्जा आधारित योजनाओं के लिए 3 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष जल जीवन मिशन की योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 29 लाख 7 हजार कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन का प्रावधान किया गया है। प्रस्तुत बजट में जलजीवन मिशन अन्तर्गत राज्यांश के रूप में 4,500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में 4,416 पूर्ण नलजल योजनाएं हैं, जिसके संचालन, संधारण हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों को 15 हजार रूपये प्रतिवर्ष प्रति योजना अनुदान दिया जाता है। पूर्व संचालित इन योजनाओं का रेट्रो फिटिंग कर घरेलू नल कनेक्शन भी जल जीवन मिशन के अन्तर्गत

दिया जा रहा है। प्रस्तुत बजट में ग्रामीण नलजल योजना प्रदाय के संधारण हेतु 36 करोड़ 71 लाख 90 हजार का प्रावधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को 4,416 नलजल प्रदाय योजना हेतु 6 करोड़ 62 लाख 40 हजार का अनुदान दिया जाना है। विभाग द्वारा क्रियान्वित 15 जल प्रदाय योजनाओं से 365 ग्रामों के ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। प्रस्तुत बजट में 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य के 2,100 स्थल जल प्रदाय योजनाएं है। इस योजना में स्त्रोत से पाईप लाईन बिछाकर सिस्टर्न द्वारा नल से जल प्रदाय होता है। प्रस्तुत बजट में ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं के संधारण हेतु प्रावधानित राशि में से ग्रामीण पंचायतों 2,100 स्थल जल प्रदाय योजनाओं हेतु 1 करोड़ 5 लाख का अनुदान दिया जाना है। शासकीय शालाओं में पेयजल व्यवस्था का कार्य 46,280 शालाओं में किया गया है। इसके साथ ही 43,980 शासकीय शालाओं में रनिंग वाटर से पेयजल व्यवस्था की गई है। इस वित्तीय वर्ष के प्रस्तुत बजट में पूर्व की प्रगतिरत योजनाओं के लिए 3 करोड़ 15 लाख का प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा 45,731 आंगनबाड़ी प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था का कार्य पूर्ण किया गया है। इसके साथ ही 41,720 केन्द्रों में रनिंग वॉटर से पेयजल व्यवस्का की गई है । प्रस्तुत बजट में पूर्व की प्रगतिरत् योजनाओं के लिये 3 करोड़ 33 लाख का प्रावधान किया गया है । विभाग में एक राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला, 28 जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला, 24 उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशाला, 3 विकासखण्ड स्तरीय एवं 18 चलित जल परीक्षण प्रयोगशाला संचालित है, इस प्रकार 74 प्रयोगशालायें विभाग द्वारा संचालित हैं । अद्यतन में 28 जल जिला प्रयोगशालायें, एनएबीएल से मान्यता प्राप्त है । इसी के साथ-साथ 11 उप खण्डों के द्वारा एनएबीएल से मान्यता प्राप्त कर ली गई है, संबद्धता प्राप्त कर ली गई है । जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में जल नमूनों का निरन्तर परीक्षण किया जा रहा है, जिससे आपूर्ति किये जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके । राज्य सरकार द्वारा समस्त पंचायतों को जल परीक्षण हेतु फील्ड टेस्ट वितरित किये गये हैं । ग्रीष्म ऋतु में भूजल स्तर गिरने के कारण ग्रामीण अंचलों में हेण्ड पम्पों के रूक-रूक कर चलने की शिकायतें आती रहती है, इसके लिये हमें भूजल संवर्धन को प्राथमिकता देना ही होगा । भूजल संवर्धन कार्य हेतु बजट में 75 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 168 नगरीय निकाय क्षेत्र हैं, प्रस्तुत बजट में शहरी क्षेत्रों में नलकूप के खनन हेतु 3 करोड़ 60 लाख का प्रावधान किया गया है । नगरीय जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन निक्षेप मद के रूप में विभाग द्वारा किया जाता है, वर्तमान में 27 नगरीय योजनायें प्रगतिरत् है । हमारी सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र में पेयजल हेतु प्राथमिकता से राशि उपलब्ध कराई जा रही है । प्रस्तुत बजट में प्रगतिरत् नगरीय योजनाओं हेतु 36 करोड़ 49 लाख 37 हजार अनुदान एवं 26 करोड़ 50 लाख ऋण का प्रावधान किया गया है । चिकित्सा महाविद्यालय परिसर एवं मेकाहारा अस्पताल रायपुर में प्रदेश के समस्त क्षेत्रों से ग्रामीण जनता ईलाज कराने आती है, हमारी सरकार द्वारा आम जनता की सुविधा हेतु अस्पताल परिसर में पेयजल की शुद्धिकरण को

प्राथमिकता देते हुये 20 लाख लीटर पानी की टंकी का निर्माण कराया गया है । प्रस्तुत बजट में इसके लिये 37 लाख का प्रावधान किया गया है । हमारी सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिकी संस्थान भिलाई क्षेत्र में पेयजल के समस्या के निदान हेतु शिवनाथ नदी पर आधारित योजना बनाई है । प्रस्तुत बजट में इसके लिये 6 करोड़ 42 लाख का प्रावधान किया गया है । अधीनस्थ कार्यालयों में दैनिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है । नवगठित जिला सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ में नवीन उप खण्ड कार्यालय, जिला प्रयोगशाला भवन, उप खण्डीय कार्यालय भवन, तथा उप खण्डीय प्रयोगशाला भवन निर्माण हेतु 70 लाख का बजट में प्रावधान किया गया है। मैदानी कार्यालय के लिये चार नग नवीन वाहन क्रय करने हेतु 39 लाख का बजट प्रावधान किया गया है । खण्ड कार्यालय विद्युत यांत्रिकी रायपुर के लिये नवीन हाईड्रो फैक्चरिंग यूनिट क्रय करने के लिये 2 करोड़ 22 लाख का प्रावधान किया गया है । राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लंबित देयकों के भुगतान हेतु 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है ।

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आप अनुमति दे तो सदन के पटल पर रख देते हैं । इससे कम से कम समय बच जाता और हम लोग समय पर चले जाते।

अध्यक्ष महोदय :- थोड़ा संक्षिप्त कर दीजिए । ठीक है, आपकी बात से सहमत हैं । संक्षिप्त में बोल देंगे । घोष्णा ही बोल दें, बाकी नहीं ? (हंसी) मोटे-मोटे प्रावधान को पढ़ दीजिए । 10 लाख, 5 लाख को क्यों पढ़ना ?

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, नवीन गठित जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में नवीन उपखण्ड कार्यालय, जिला प्रयोगशाला भवन, उपखण्डीय कार्यालय भवन, उपखण्डीय प्रयोगशाला हेतु बजट में 01 करोड़ 05 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। नई नगरीय जल प्रदाय योजना के अंतर्गत वाड्रफनगर आवर्धन जल प्रदाय हेतु 01 करोड़ 82 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि कुछ दशक पहले तक जल सर्वत्र और सुलभता से उपलब्ध था इसलिये सस्ती वस्तुओं के लिये पानी के मोल जैसी कहावतें प्रचलित थी। पिछले कुछ वर्षों में आबादी में वृद्धि, चहुंमुखी विकास आदि के कारण भू-जल का विभिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग बढ़ गया है, इसका अत्यधिक दोहन हो रहा है और पेयजल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है, वर्षा सामान्य न होकर खण्ड-खण्ड एवं अनियमित, अपर्याप्त हो रही है। ऐसे में मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति तथा शुद्ध एवं पर्याप्त मात्रा में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक चुनौती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की आम जनता की ओर से विभाग के अनुदान मांगों के तहत मांग संख्या-20 में राशि 02 हजार 677 करोड़ 16 लाख 85 हजार का प्रावधान है, जिसमें आप सब से अनुरोध करता हूं कि इसे पारित किया जाये और आपका समर्थन मिले। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ राज्य, 07 राज्यों की सीमाओं से घिरा हुआ है, जो हमारे देश का हृदय राज्य है। इस दृषि से छत्तीसगढ़ में सड़कों के विकास का महत्व केवल प्रदेश तक सीमित न होकर अंतर्राज्यीय आवागमन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दी गई गारण्टी में इस बात का भी उल्लेख है कि हम आगामी 04 वर्षों में राज्य के सभी राज्य मार्गों का संधारण एवं मजबूतीकरण करेंगे। इस दिशा में विष्णु देव साय की यह सरकार ने इस बजट में प्रदेश के राज्य मार्गों के मजबूतीकरण हेतु पर्याप्त प्रावधान रखा है। हम आगामी 04 वर्षों में प्रदेश के सभी राज्य मार्गों का कम से कम दो लेन सड़क के रूप में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कर लेंगे। (मेजों की थपथपाहट) केंद्र सरकार की सेतु बंधन महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, जिसमें विद्वान रेलवे लेबल क्रासिंग को सुगम यातायात हेतु समाप्त किया जाना है, इस क्रम में प्रदेश के राष्ट्रीय राज्य मार्गों, महत्वपूर्ण मुख्य जिला मार्गों पर पड़ने वाले रेलवे क्रॉसिंग, जिसमें अभी आर.यू.बी. का निर्माण नहीं हो पाया है, उन पर केंद्र सरकार की योजनाओं के अनुसरण में राज्य सरकार ने इस बजट में भू-अर्जन यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु भी समुचित प्रावधान किया है। इस बजट में सात महत्वपूर्ण आर.यू.बी. के निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार प्रावधान रखा गया है। प्रदेश में आवागमन, यातायात घनत्व और मिश्रित यातायात बढ़ने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की दुखद स्थिति उत्पन्न होती है, जिस पर केंद्र सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी द्वारा लगातार समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जा रहा है कि सड़क पर सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराने के प्रयास किये जावें। जनता को सुरक्षित यातायात उपलबध कराने के उद्देश्य से सभी विभागों के साथ लोक निर्माण विभाग द्वारा भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु वर्ष 2024-25 के बजट में पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। इस प्रावधान से सड़क पर जंक्शन सुधार, सुरक्षित यातायात हेतु आवश्यक साईन बोर्ड क्रेज बेरियर, व्यस्ततम मार्गों पर ट्रक पार्किंग हेतु ले-बाय का प्रावधान किया गया है। शहरी क्षेत्रों में शहर के बीच के यातायात तथा बाहरी यातायात को अलग-अलग कर सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से इस बजट में कई ग्रेड सेपरेटर फ्लाई ओव्हर, शहर में बाई पास सड़कों का प्रावधान रखा गया है। इसके अंतर्गत रायपुर शहर के अति व्यस्ततम् मार्ग पण्डरी से लोधी पारा मार्ग पर फ्लाई ओव्हर निर्माण का प्रावधान किया गया है। विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने के लिए लगातार हमारे इंजीनियर्स का प्रशिक्षण और कैपिसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता होती है इस दिशा में विभाग अपने अभियंताओं की लगातार प्रशिक्षण करवा रहा है। मैं बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में पहली बार सड़कों के डिजाईन एवं नवाचार से संबंधित देश की सर्वोच्च संस्था इंडियन रोड कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। यह वार्षिक

सम्मेलन इसी वर्ष नवम्बर में होना तय हुआ है। इस सम्मेलन में देश-विदेश के सड़क निर्माण से संबंधित ख्याति प्राप्त अभियंता तथा निर्माण एजेंसी सम्मिलित होते हैं एवं सड़क निर्माण से संबंधित नई टेक्नालॉजी नये उत्पादों से परिचय होता है। इस आयोजन से हमारे इंजीनियर्स तथा निर्माण एजेंसी की कार्यकुशलता पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा गुणवत्तायुक्त कार्य होने से प्रदेश की पहचान बढ़ेगी। लोक निर्माण विभाग के कार्यों की संख्या एवं बजट की राशि में लगतार वृद्धि हो रही है, परन्तु विभाग में कई वर्षों से भर्ती प्रक्रिया नहीं होने से सहायक अभियंता, उप अभियंता, सहायक ग्रेड 1, 2, 3 के पद काफी मात्रा में रिक्त हैं। वरिष्ठ अभियंता के पदों पर कई प्रभारी कार्यरत हैं, जिसकी नियमित पदोन्नति की जाएगी एवं सभी रिक्त पदों की भर्ती हेतु विभाग की ओर से आवश्यक कार्यवाहियां की जायेगी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहां सड़कों की जो गुणवत्ता है, आप उसका सम्मेलन भी करवायेंगे। लेकिन इसमें एक व्यावहारिक दिक्कत आ रही है कि गांवों में सड़कें बनाने के जो मापदण्ड हैं और वहां पर कहीं पॉवर प्लांट और कहीं स्पंज आयरन का प्लांट है, वहां कई फैक्ट्री खुल गई है। अभी यहां कोयले वाले जहां पाये वहां पर उसको डम्पिंग कर रहे हैं तो उस पूरे एरिया में एक फैक्ट्री और डंपिग के कारण सड़कें खराब हो रही हैं। आपको उसके लिए भी विचार करना पड़ेगा कि हम उन सड़कों के मापदण्ड में उसकी थिकनेस कितनी रखनी चाहिए और क्या रखना चाहिए। वहां 20-22 चक्के की गाड़ियां चल रही हैं यहां की सड़कें बच नहीं पा रही हैं। हम आपसे सड़क तो ले लेते हैं, लेकिन उसे बचा नहीं पा रहे हैं तो उस दिशा में भी विचार करने की आवश्यकता है।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत वर्षों में स्वीकृत कई कार्य अभी तक अपूर्ण हैं जिन्हें प्राथमिकता तय कर, सरकार द्वारा पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्य स्थल पर लैब, प्रयोगशाला में सामग्री का परीक्षण कर कार्य कराने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा तथा कार्यों की गुणवत्ता हेतु उच्च अधिकारियों द्वारा निरंतर दौरा कर ध्यान दिया जा रहा है। इस हेतु पी.डब्ल्यू.डी. दृष्टि एप भी लॉन्च किया गया है। जिसके माध्यम से निरीक्षणकर्ता अधिकारी कार्य स्थल से ही कार्य के फोटोग्राफ लेकर सर्वर पर अपलोड करेंगे। शहरी क्षेत्रों में रेलवे के लेवल क्रॉसिंग पर आये दिन यातायात अवरूद्ध होने की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम जनता को भारी असुविधा होती है एवं अनावश्यक समय नष्ट होता है इसी के साथ ईंधन का भी अपव्यय होता है। भारत सरकार की सेतुबंधन परियोजना अंतर्गत केन्द्रीय सड़क निधि से 7 रेलवे ओव्हर ब्रीज के नवीन कार्य की सहमति केन्द्र शासन से प्राप्त हुई है। इन 7 कार्यों को बजट में प्रावधानित किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) इनके निर्माण कार्य की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ की जायेगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यालयों एवं आवासीय भवनों का निर्माण किया जाता है, जिसका प्रदेश के

विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। विभाग द्वारा भवनों का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ किया जाता है। विभाग में ही स्ट्रक्चर डिजाइन का कार्य भी किया जा रहा है। इस वर्ष के बजट में जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यों के निर्माण, नवीन विश्राम भवन, विश्राम गृह, भू राजस्व कार्यालय भवन, मैदानी कार्यालय, अग्नि शमन एवं आपातकालीन सेवाएं, शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय, परिवहन कार्यालय भवन, जेल में बंदियों हेतु बैरक का निर्माण, हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल, महाविद्यालय के भवन आदि के निर्माण कार्यों को शामिल किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मार्गों की कुल लंबाई 35485 किलोमीटर है। विभाग के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में कुल 1575 वृहद पुल, 8579 मध्यम पुल निर्मित हैं जिसका संधारण किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में 7776 करोड़ रुपये आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसके विरूद्ध 3778 करोड़ रुपये का व्यय दिसंबर माह 2023 तक किया गया है। वर्ष 2023-24 में माह दिसंबर 2023 तक कुल 3410 किलोमीटर सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया गया है। इसी के साथ 56 बृहद पुल, 61 मध्यम पुलों का निर्माण किया गया। विभिन्न विभागों के भवन निर्माण के अंतर्गत 139 भवन निर्माण कार्य पूर्ण किये एवं 227 भवन कार्य प्रगति पर हैं। वर्ष 2023-24 में एक रेलवे ओव्हर ब्रिज का कार्य पूर्ण हुआ है, 01 कार्य प्रगति पर है, 6 कार्य रेलवे विभाग द्वारा कराया जा रहा है। बाईपास मार्गों के अंतर्गत वर्तमान में कुल 15 स्वीकृत कार्यों में से 1 कार्य पूर्ण, 06 कार्य प्रगति पर, 08 कार्यों को प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर फ्लाईओवर ग्रेट सेपरेटर के अंतर्गत 02 फ्लाईओवर कार्य पूर्ण, 02 कार्य प्रगति पर, 03 कार्य तकनीकी स्वीकृति स्तर पर हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ए.डी.बी. लोन 3 परियोजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण 24 मार्ग 826 किलोमीटर की लंबाई के कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिसकी लागत 3370 करोड़ रुपये है, जिसमें 70 प्रतिशत राशि ए.डी.बी. से ऋण के रूप में प्राप्त हुई है। वर्तमान में 03 मार्ग पूर्ण, 21 मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। छत्तीसगढ़ रोड एवं इन्फ्रास्ट्रकचर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर द्वारा लोन प्राप्त कर कार्य करने हेतु 431 मार्गों की कुल 3127 किलोमीटर हेतु कुल प्रशासकीय स्वीकृति 4952 करोड़ रुपये जारी की गई है जिसमें से 347 कार्य पूर्ण, 77 कार्य प्रगति पर एवं शेष कार्यों को प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार कुल 90 पुल कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति 801 करोड़ रुपये जारी की गई है, जिसमें से 29 कार्य पूर्ण, 55 कार्य प्रगति पर एवं शेष कार्यों को प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत स्वीकृत 21 कार्यों में से 02 कार्य पूर्ण, 17 कार्य प्रगतिरत एवं 01 कार्य निविदा स्तर पर है। इसके अतिरिक्त 07 नये रेलवे ओव्हरब्रिज की स्वीकृति केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई है जिसे प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। L.W.E. R.R.P.1 योजना के अंतर्गत

इस वर्ष 5 कार्य पूर्ण किये गये, शेष 10 कार्य प्रगति पर हैं। RCPLWE, RRP2 के फेस 1 एवं 2 के अंतर्गत ..।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय मंत्री जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपकी सारी जितने भी अनुदान मांगे हैं, हम लोग सर्वसम्मति से सब पास करने को तैयार हैं। हम लोगों का पीछा छोड़ दीजिए। (हंसी)

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमर इहां गांव में कहावत हे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- अरूण जी, आप जो अनुदान मांग लाये हैं, वह भी स्वीकृत और जो नहीं लाये हैं, वह भी स्वीकृत। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- आप जितना संक्षिप्त हो सकता है कर लीजिए, इनकी जो मंशा है, उसको पूरा कर दीजिए।

श्री अरूण साव :- जी। हमारे यहां गांव में एक कहावत है कि धीर धरे मा खीर मिलथे।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप अपनी बात जितनी संक्षिप्त में कर सकते हैं, करिये।

श्री अरूण साव :- जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-2025 के लिए लोक निर्माण विभाग का बजट प्रस्ताव निम्नानुसार है :- वर्ष 2024-2025 के लिए लोक निर्माण विभाग का कुल बजट 8016 करोड़ 84 लाख 34 हजार रूपये प्रावधानित है। इसमें नये कार्यों के लिए 1275 करोड़ 52 लाख 89 हजार रूपये का प्रावधान रखा गया है। सामान्य क्षेत्र के कार्य, मांग संख्या 24। इस योजना के लिए 3481 करोड़ 88 लाख 96 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है। इसमें नये कार्यों के लिए 471 करोड़ 33 लाख रूपये की मांग की गई है। मद क्रमांक 2, वृहद पुलों के निर्माण के अंतर्गत 101 वृहद पुल निर्माण, 01 फ्लाई ओवर 2 ग्रेट सेपरेटर, 5 ओव्हर पास-अंडर पास का निर्माण, 01 ओव्हरब्रिज, 01 अंडरब्रिज के सौंदर्यीकरण हेतु कुल 681 करोड़ 34 लाख रूपये हेतु 68 करोड़ 51 लाख रूपये की मांग की गई है। मद क्रमांक 3, जवाहर सेतु योजना अंतर्गत 09 पुल निर्माण, कुल अनुमानित लागत 33 करोड़ 30 लाख रूपये हेतु 3 करोड़ 40 लाख रूपये की मांग की गई है। मद क्रमांक 4, 11 राज्य मार्ग, लंबाई 122 किलोमीटर कुल अनुमानित लागत 147 करोड़ 50 लाख रूपये के निर्माण एवं उन्नयन कार्य हेतु 14 करोड़ 80 लाख रूपये की मांग की गई है। मांग संख्या 67 - भवन कार्य। इस योजना के लिए कुल कार्य हेतु 961 करोड़ 78 लाख 47 हजार रूपये की मांग की गई है। इनमें नये कार्यों के लिए 233 करोड़ 17 लाख 89 हजार रूपये का प्रावधान है। मांग संख्या 76। इसके अंतर्गत नये कार्य का कोई प्रस्ताव नहीं है। ए.डी.बी. सहायित ऋण परियोजना के अंतर्गत लोन 3 के प्रगतिरत कार्यों और लोन 4 के प्रस्तावित कार्यों के डी.पी.आर. हेतु 575 करोड़ 82 लाख 32 हजार रूपये की मांग की गई है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के कार्य, मांग संख्या 42, सड़क पुल कार्य। इस योजना के लिए 1517 करोड़ 60 लाख 2 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है। इसमें नये कार्य के लिए 416 करोड़ 55 लाख रूपये की मांग की गई है।

अनुसूचित जनजाति उप योजना के अंतर्गत इस योजना के लिए कुल 258 करोड़ 57 लाख 9 हजार रूपये की मांग की गई है। इसमें नये कार्यों के लिए 64 करोड़ 19 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024-2025 का अनुमोदित विभागीय बजट मांग 24 में मतदेय राशि 3471 करोड़ 38 लाख 96 हजार रूपये, मांग 67 में मतदेय राशि 1810 करोड़ 41 लाख 91 हजार रूपये, मांग संख्या 76 में मतदेय राशि 575 करोड़ रूपये 62 लाख 32 हजार रूपये मैं इस अनुदान मांग के माध्यम से मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का मकान हो । इस सपने को किसी ने समझा तो एक गरीब मां के बेटे प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने समझा और प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आये । हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार ने शपथ लेते ही दूसरे दिन प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करने की प्रतिबद्धता दिखाते हुए दूसरे दिन ही 18 लाख आवासों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की । इसी कड़ी में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आगामी 6 महीनों में मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में 1 लाख 13,000 आवासों को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस हेतु नगर निगम रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, जगदलपुर, रायगढ़ आदि को सम्मिलित करते हुए प्रदेश के 14 नगरपालिका निगम, 46 नगर पालिका परिषद, 106 नगर पंचायतों के लिये 1,000 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी की एक और गारंटी हर घर नल से शुद्ध जल को पूरा करने की दिशा में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा मिशन अमृत योजनांतर्गत नगर निगम भिलाई, अंबिकापुर, राजनांदगांव, दुर्ग आदि को सम्मिलित करते हुए प्रदेश के 8 नगरपालिका निगम, 6 नगरपालिका परिषद, 31 नगर पंचायतों के 1 लाख 75,000 आवास गृहों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 795 करोड़ का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) योजना का कार्य मिशन मोड पर पूर्ण करने हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है । प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने लालिकले के प्राचीर से पूरे भारतवर्ष को स्वच्छ भारत का सपना दिखाया और इस ओर तेजी से अग्रसर हुई हमारी सरकार स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु प्रदेश के 170 नगरीय निकायों के लिये 206 करोड़ रूपये तथा यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट के लिये नगरपालिका निगम धमतरी, भिलाई, चरौदा, बीरगांव, चिरमिरी को सम्मिलित करते हुए प्रदेश के समस्त नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों के लिये 166 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है । मोदी की गारंटी के तहत् हमने नगरीय क्षेत्रों में स्थित स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 150 मोबाईल मेडिकल यूनिट का संचालन किया जा रहा है । इस हेतु हमारी सरकार ने 300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्र में बुनियादी नागरिक सुविधाओं के विकास एवं विस्तार तथा गुणवत्तायुक्त अधोसंरचना का निर्माण हमारी सरकार की प्राथमिकता है इसके लिये अधोसंरचना विकास मद अंतर्गत 700 करोड़ रूपये तथा रायपुर एवं बिलासपुर स्मार्ट सिटी योजना हेतु 404 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । साथ ही 15वें वित्त आयोग के मद के अंतर्गत 616 करोड़ तथा प्रदेश के 8 नगरीय निकाय में, नगरीय निकाय- शिवरीनारायण, चंद्रपुर, दंतेवाड़ा, कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, प्रतापपुर, लोरमी एवं सक्ती में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना हेतु 30 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन से अत्याधुनिक शहरी शासन प्रणाली स्थापित होगी जिसके माध्यम से मोदी की गारंटी अंतर्गत शहरों को स्वच्छ, समावेशी बनाने का लक्ष्य पूरा होगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन । रायपुर नालंदा परिसर की तर्ज पर नगरपालिका निगम अंबिकापुर, धमतरी, दुर्ग, चिरमिरी, जगदलपुर आदि को सम्मिलित करते हुए 22 नगरीय निकायों में सर्वसुविधायुक्त सेंट्रल लाईब्रेरी का निर्माण किया जायेगा । (मेजों की थपथपाहट) उक्त लाईब्रेरी से राज्य के युवाओं को विभिन्न राज्य एवं अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने के लिये सहायता प्राप्त होगी । स्थानीय युवाओं को सक्षम बनाने, रोजगारोन्मुख सुविधायें प्रदान करने की मोदी की गारंटी के इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 148 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों में ई-गवर्नेंस के तहत बजट एवं एकाउंटिंग मॉड्यूल स्थापित किया जायेगा। 47 नगरीय निकायों में प्रॉपर्टी सर्वे हेतु किये जाने हेतु जी.आई.एस. आधारित सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जायेगा, इससे प्रॉपर्टी टैक्स की प्राप्तियों में पारदर्शिता आयेगी। शहरों में पेयजल की शुद्धता की ऑटोमेटेड जांच एवं डैशबोर्ड प्रारंभ किया जायेगा। इस हेतु हमारी सरकार द्वारा 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। शहरी समृद्धि योजना की मोदी की गारंटी से संबंधित कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 30 करोड़ 70 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। इस विभाग के लिए भी ये अनुदान की मांगें प्रस्तुत हैं। सदन से आग्रह करूंगा कि इसे भी पास किया जाये। मैं संक्षेप में कर रहा हूं।

श्री बघेल लखेश्वर :- बांध दीजिए, हो गया। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- लखेश्वर जी, समझ में आइस या नहीं ये बता।

श्री अरूण साव :- राज्य की न्याय व्यवस्था बनाये रखने के लिए वर्ष 2023-24 में 982 करोड़ 71 लाख 87 हजार का बजट प्रावधान रखा गया था। इस वर्ष 2024-25 में रूपये 1228 करोड़ 54 लाख 5 हजार का बजट प्रावधान किया गया है। विस्तार से पढ़ने की अनुमति हो तो?

अध्यक्ष महोदय :- इतना ही काफी है।

श्री अरूण साव :- जी। और अंत में आप सबसे आग्रह करूंगा कि इन बजटों को पारित करें।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों के विचार मैंने स्वयं ने भी नोट किया है। मेरे विभाग के अधिकारियों ने भी नोट किया है। सभी की मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार होगा और सभी सदस्यों को व्यक्तिश: उन कार्यों की सूचना जायेगी कि सरकार और मेरा विभाग पूरी ईमानदारी और मेहनत से इस दिशा में क्या कर रहा है। (मेजों की थपथपाहट) मैं एक घोषणा करूंगा, बहुत से सदस्यों का आग्रह था। अलग-अलग प्रकार की घोषणाएं करूंगा। करूं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि एक-एक सदस्य के प्रश्नों का, मांगों का लिखित जवाब मेरे विभाग के द्वारा भेजा जायेगा और एक घोषणा मैं करना चाहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं। भारत रत्न हैं और अटल जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अटल जी की देन है ये छत्तीसगढ़ राज्य। उनके यादगार को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए मैं नगरीय निकाय विभाग की ओर से पूरे प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अटल चौक स्थापित करने की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, आप सबके सार्थक सहयोग और सुझाव के लिए बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों को आपने धैर्य से मेरी बात सुनी, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद।

श्री रामकुमार यादव :- महोदय जी, ए तुम्हर ससुराल वाले आये हे बबा अटल जी। एखरेच ख्याल रखे हव।

श्री अरूण साव :- रामकुमार भाई , ते दिन भर खड़ा होथस, ससुराल वाले मन के बीच में मत पड़, नहीं तो लफड़ा में पड़ जाबे। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या-20, 22, 24, 29, 67 एवं 69 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

समय
9.00 बजे

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा ।

प्रश्न यह है कि -- दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 20 **लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिये** - दो हजार छ: सौ सतहत्तर करोड़, पचासी हजार रूपये,

मांग संख्या - 22 **नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिये** - चवालीस करोड़, चार लाख, साठ हजार रूपये,

मांग संख्या - 24 **लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिये** - तीन हजार चार सौ इकहत्तर करोड़, अड़तीस लाख, छियानवे हजार रूपये,

मांग संख्या - 29 **न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिये** - नौ सौ पच्चीस करोड़, इकसठ लाख, सतावन हजार रूपये,

मांग संख्या - 67 **लोक निर्माण कार्य-भवन के लिये** - एक हजार आठ सौ चवालीस करोड़, इकतालीस लाख, इक्यानवे हजार रूपये,

मांग संख्या - 69 **नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण के लिये** - दो हजार छियानवे करोड़, उनहत्तर लाख, बावन हजार रूपये,

मांग संख्या - 76 **लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिये** - पांच सौ पचहत्तर करोड़, बांसठ लाख, बत्तीस हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 81 **नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये** - दो हजार सात सौ पैंतालीस करोड़, तेईस लाख, चौरानवे हजार रूपये तक की राशि दी जाये ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी, 2024 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित् ।

(09 बजकर 02 मिनट पर विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी, 2024 (माघ 27, शक सम्वत् 1945) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 15 फरवरी, 2024